सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

9 जून 1998 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
को राज्य सभा में रखा गया
9 जून 1998

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थलसेना और आयुध फैक्टरियाँ
1998 की संख्या 7

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थलसेना और आयुध फैक्टरियाँ
1998 की संख्या 7

विषय-सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		viii
संकेताक्षरों की शब्दावली		ix
विहंगावलोकन		xii
अध्याय I - रक्षा सेवाओं के लेखे		
रक्षा व्यय	1	1
विनियोजन लेखे	2	2
बचत	3	3
निधियों का अनुपयोग	4	5
100 करोड़ रुपए या अधिक की बचतें	5	7
अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन	6	8
निरन्तर बचतें	7	10
निरन्तर आधिक्य	8	12
भण्डारों की हानि	9	12
नियमन प्रतीक्षित हानियाँ	10	13
विशेष उड़ानों/विमान वहनों की राशि की वसूली न किया जाना	11	14
प्राधिकरण और व्यय	12	14

मार्च माह में अत्याधिक व्यय	13	21

अध्याय II - रक्षा मंत्रालय

राडार के सुधार पर अतिरिक्त व्यय	14	27
अनुचित भण्डारण के कारण गोलाबारूद की हानि	15	29
प्रश्नास्पद सौदा	16	30
दोषपूर्ण राडारों की अधिप्राप्ति	17	32
सरकारी हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में विफल रहने के कारण राइफलों एवं गोलाबारूद की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय	18	34
दोषपूर्ण पैराशूटों का आयात	19	37
बन्दूक की नालों की अधिक अधिप्राप्ति	20	38
संविदा प्रावधानों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय	21	39
दोषपूर्ण मिसाइलों का आयात	22	41
आयातित परीक्षण उपस्कर का उपयोग न होना	23	42
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली	24	44
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	25	45

अध्याय III - थलसेना

मुख्य यौद्धी टैंक अर्जुन का डिज़ाइन एवं विकास	26	47
लघु सुदूर चालित वाहन का विकास	27	64

सैन्य फार्मों की कार्य प्रणाली	28	75
अन्य मामले		
टैंकों की मरम्मत/ओवरहाल में असाधारण विलम्ब	29	85
कन्टेनर डिटेन्शन प्रभारों का परिहार्य भुगतान	30	87
अधूरे उपस्कर की अधिप्राप्ति	31	88
अवमानक सिलेन्डरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय	32	90
गैर हकदार व्यक्तियों को विशेष ड्यूटी भत्ते का अनधिकृत भुगतान	33	92
मुफ्त राशन का अनाधिकृत निर्गम	34	93
विक्रय मूल्य की वसूली न होना	35	94
उच्च दरों पर बैटरियों की अधिप्राप्ति	36	96
हैड परकुशन के निर्माण पर परिहार्य व्यय	37	97
चार्जिंग सैटों की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय	38	98
अध्याय IV - निर्माण कार्य एवं सैन्य इंजीनियरी सेवाएं		
विवाहित आवास योजना के कार्यान्वयन में असामान्य विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	39	100
अनुपयुक्त रूपांकन के कारण परिहार्य व्यय	40	101
नलकूपों की अपरिपक्व असफलता	41	103
स्थल चयन में अनिर्णय के कारण फालतू व्यय	42	105
दोषपूर्ण कारीगरी के कारण भवन का अनुपयोग	43	106

संविदा निष्पादन में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय	44	107
एक भीतरी व्यायामशाला के विनिर्माण में असामान्य विलम्ब	45	108
एक चारदीवारी के अनुचित निर्माण के कारण परिहार्य व्यय	46	110
दोषपूर्ण नियोजन के कारण विवाहित अधिकारी आवास का अनधिग्रहण	47	112
रिहायशी आवासों का अनुपयोग	48	114
रियायती शुल्क दर का लाभ उठाने में विलम्ब के कारण परिहार्य भुगतान	49	115
विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान	50	116
विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान	51	118
राजस्व की हानि	52	119
सफाई व्यवस्था प्रभारों का भुगतान	53	120
एकल अधिकारी आवास के विनिर्माण पर परिहार्य व्यय	54	121
उच्चतर दरों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय	55	122
निविदा की अशुद्ध तैयारी के कारण फालतू व्यय	56	123
वातानुकूलनों का अप्राधिकृत उपयोग	57	125
निविदा के निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय	58	126
वित्तीय सहमति प्रदान करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	59	128
नवनिर्मित क्वार्टरों का अनुपयोग	60	129
एक निष्क्रिय प्रयोगशाला पर निष्फल व्यय	61	130

अध्याय V - अनुसंधान एवं विकास संगठन

उच्च गतिज वीडियो रिकार्डिंग सिस्टम के आयात पर निष्फल व्यय	62	132
सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान	63	133

अध्याय VI - सीमा सड़क संगठन

निम्नस्तर के हाट मिक्स संयंत्रों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय	64	135
एक मशीन के विकास पर निष्फल व्यय	65	136
एक पुल का अनुपयोग	66	138
एक सड़क के पुनः सिंघाईकरण पर निष्फल व्यय	67	139
भण्डारों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति	68	140
ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	69	141

अध्याय VII - आयुध फैक्टरी संगठन

आयुध फैक्टरी संगठन का कार्य निष्पादन	70	143
उत्पादन		
योजना		
आई सी वी के लिए हाइड्रोलिक प्रैस और कच्चा माल	71	165
व्यर्थ खर्च	72	166
निर्माण		
माँग-पत्र के पूर्वसमापन के कारण परिहार्य व्यय	73	167

खोलों का दोषपूर्ण निर्माण	74	169
असाधारण अस्वीकरण	75	170
बम कायों का असाधारण अस्वीकरण	76	172
इस्पात छड़ों के निर्माण में असाधारण अस्वीकरण	77	173
आधिक्य में पड़ा कीमती माल	78	174
दोषपूर्ण संसाधन के कारण आधारों का अस्वीकरण	79	175
भण्डार एवं मशीनरी का प्रावधान		
भण्डार		
उच्चतर कीमतों पर भण्डारों की अधिप्राप्ति	80	176
एडिटिव लाइनर्स का अधिक प्रावधान	81	178
आयातित डिले एलीमैंट के अस्वीकरण के कारण हानि	82	179
अन्य मामले		
लकड़ी की पेटियों पर अतिरिक्त व्यय	83	181
कीमत में मनमानी वृद्धि	84	182
निष्फल व्यय	85	185
जी एम, फील्ड गन फैक्टरी द्वारा अनधिकृत व्यय	86	188
हथगोले के अव्यवों की कमी	87	190
निर्यात आदेश में हानि	88	191
सिविल व्यापार में हानि	89	193

अनुपयोगित आधिक्य भण्डार	90	195
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई	91	197
प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों की अनुक्रिया	92	198
परिशिष्ट - I		200
परिशिष्ट - II		209
परिशिष्ट - III		212
परिशिष्ट - IV		216
परिशिष्ट - V		218
परिशिष्ट - VI		220

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। यह मुख्यतः वर्ष 1996-97 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखों से उद्भूत मामलों के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास संगठनों सहित रक्षा मंत्रालय, थलसेना और आयुध फैक्टरियों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अन्य विषयों से सम्बन्धित है।

2. इस प्रतिवेदन में 89 पैराग्राफ और (i) मुख्य यौद्धी टैंक-अर्जुन का डिजाइन एवं विकास (ii) लघु सुदूर चालित वाहन का विकास एवं (iii) सैन्य फार्मों की कार्य पद्धति पर 3 पुनरीक्षाएं सम्मिलित हैं। ड्राफ्ट पैराग्राफ और ड्राफ्ट पुनरीक्षाएं रक्षा मंत्रालय को छः सप्ताह के अन्दर उनके उत्तर देने के लिए भेजे गए थे। तथापि विवरणानुसार पैराग्राफ 69 और 92 में दिए गए 43 ड्राफ्ट पैराग्राफों और 1 पुनरीक्षा के उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्राप्त नहीं हुए।

3. इस प्रतिवेदन में जो मामले वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आए तथा वे भी मामले जो पूर्व वर्षों के दौरान अवलोकित तो हुए थे परन्तु पूर्ववर्त्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे; उल्लिखित हैं।

संकेताक्षरों की शब्दावली

गोलाबारूद अनुसंधान एवं विकास स्थापना	ए आर डी ई
आर्मी बेस वर्कशॉप	ए बी डब्ल्यू
वैमानिक विकास स्थापना	ए डी ई
थलसेना मुख्यालय	थलसेना एच क्यू
सेना सेवा कोर	ए एस सी
की गई कार्रवाई की टिप्पणी	ए टी एन
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	बी ई एम एल
सीमा सड़क एवं विकास संगठन	बी आर डी बी
भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	बी ई एल
बोयाव्यिका मैकिनो पैकॉटी	बी एम पी
थलसेना अध्यक्ष	सी ओ ए एस
केन्द्रीय कवचित यौद्धी वाहन डिपो	सी ए एफ वी डी
राजनैतिक मामलों पर संसदीय समिति	सी सी पी ए
गुणवत्ता आश्वासन नियन्त्रणालय	सी क्यू ए
(आयुध फैक्टरी वाहन)	(ओ एफ वी)
यौद्धीय वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना	सी वी आर डी ई
मुख्य नियंत्रक विस्फोटक	सी सी ई
केन्द्रीय आयुध डिपो	सी ओ डी
न्यायिक जाँच	सी आई
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	सी एण्ड ए जी
केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो	सी ए डी
मुख्य अभियन्ता	सी ई
रक्षा लेखा नियंत्रक	सी डी ए
कमाण्डर निर्माण अभियन्ता	सी डब्ल्यू ई
रक्षा लेखा महानियंत्रक	सी जी डी ए
कम्पलीटली नॉक्ड डाउन	सी के डी
केन्द्रीय वाहन डिपो	सी वी डी
महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन	डी जी क्यू ए

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	डी आर डी ओ
रक्षा मैटलर्जिकल अनुसंधान प्रयोगशाला	बी एम आर एल
महानिदेशक सीमा सड़क	डी जी बी आर
पोतारोहण मुख्यालय	ई एच क्यू
इन्जीनियर-इन-चीफ	ई एन सी
विदेशी विनिमय	एफ ई
दुर्ग अभियन्ता	जी ई
जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग	जी ओ सी
महाप्रबन्धक	जी एम
जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	जी ई सी
जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेन्ट	जी एस क्यू आर
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	एच एस ई बी
मुख्यालय	एच क्यू
भारतीय नौसेना पोत	आई एन एस
इन्फेन्ट्री यौद्धी वाहन	आई सी वी
जूनियर कमीशन्ड आफिसर	जे सी ओ
लेटर ऑफ इन्टेन्ट	एल ओ आई
सैन्य इंजीनियरी सेवाएं	एम ई एस
मेजर जनरल थलसेना आयुध कोर	एम जी ए ओ सी
मास्टर जनरल आयुध	एम जी ओ
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	एम एस ई बी
रक्षा मंत्रालय	मंत्रालय
मिलिट्री कालेज ऑफ इलैक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स	एम सी ई एम ई
सैन्य फार्म	एम एफ
आयुध फैक्टरी बोर्ड	ओ एफ बी
लोक लेखा समिति	पी ए सी
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	पी एस यू
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	पी एस ई बी
अनुसंधान एवं विकास	आर एण्ड डी
वरिष्ठ निर्माण सर्वेक्षक	एस एस डब्ल्यू
विशेष अतिरिक्त भंडार निपटान समिति	एस एस एस डी सी

अधीक्षक तकनीकी परीक्षक	एस टी ई
भारतीय स्टेट बैंक	एस बी आई
टैंक गोलाबारी नियन्त्रण प्रणाली	टी एफ सी एस
निविदा क्रय समिति	टी पी सी
संयुक्त राज्य अमेरिका	यू एस ए
वाहन फैक्टरी, जबलपुर	वी एफ जे
वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना	वी आर डी ई

विहंगावलोकन

रक्षा सेवाओं के लेखे

रक्षा सेवाओं के लिए वर्ष 1996-97 के लिए पाँच माँगों के अन्तर्गत अनुदान हेतु कुल बजट प्रावधान 30994.86 करोड़ रुपए का था जिसके प्रति कुल वास्तविक व्यय 30545.27 करोड़ रुपए हुआ। मंत्रालय ने कुल 2074.56 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त किया था। अनुदान संख्या 21 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के दत्तमत खंड में 8936.75 करोड़ रुपए के कुल बजट प्रावधान के प्रति 430.28 करोड़ रुपए की बचत हुई थी जिसके लिए लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण टिप्पणी भेजने की आवश्यकता है। चार अनुदानों के अन्तर्गत कुल व्यय का 16 प्रतिशत से 29 प्रतिशत व्यय मार्च 1997 के माह में किया गया था।

(अध्याय I)

प्रश्नास्पद सौदा

मंत्रालय ने एक बाह्य देश में उस समय विद्यमान राजनैतिक एवं अस्थिरता की परिस्थितियों की उपेक्षा करते हुए उस देश से टी एफ सी एस के आयात हेतु एक संविदा की। अक्तूबर 1991 में 27.63 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान के बावजूद वह बाह्य देश टी एफ सी एस की आपूर्ति करने में विफल रहा तथा मंत्रालय भी बैंक गारण्टी को भुनाने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 27.63 करोड़ रुपए की वसूली संदेहास्पद हो गयी है।

(पैराग्राफ 16)

अनुचित भण्डारण के कारण गोलाबारूद की हानि

उचित भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने में थलसेना प्राधिकारियों के विफल रहने के कारण 61.30 करोड़ रुपए मूल्य का गोलाबारूद बड़ी मरम्मतों योग्य एवं 8.27 करोड़ रुपए मूल्य का गोलाबारूद अप्रयोज्यनीय हो गया।

(पैराग्राफ 15)

राडार के सुधार पर अतिरिक्त व्यय

मंत्रालय ने राडारों को अद्यतन बनाने के लिए विदेशी तकनीक को स्वीकार किया जो कि देशज़ तकनीक, जिस पर 208 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ था, से महँगा विकल्प था।

(पैराग्राफ 14)

टैंकों की मरम्मत/ओवरहाल में असाधारण विलम्ब

391 करोड़ रुपए मूल्य के विजयन्त टैंक/बी एम पी पिछले 8 से 14 वर्ष से सम्पूर्ण मरम्मत/मरम्मत की प्रतीक्षा में एक सी वी डी एवं एक मशीनीकृत इकाई के पास पड़े हुए थे जिससे सामरिक दक्षता एवं रक्षा तैयारियाँ प्रभावित हो रही थीं।

(पैराग्राफ 29)

दोषपूर्ण राडारों की अधिप्राप्ति

एक पी एस यू से 21.69 करोड़ रुपए की लागत से अधिप्राप्त पाँच राडारों का डिज़ाइन दोषपूर्ण पाया गया जिसके परिणामस्वरूप ये पिछले तीन वर्षों से दोषपूर्ण अवस्था में पड़े हुए थे।

(पैराग्राफ 17)

मुख्य यौद्धी टैंक - अर्जुन का डिज़ाइन एवं विकास

मई 1974 में संस्वीकृत मुख्य यौद्धी टैंक परियोजना के अन्तर्गत आदिप्रारूपों का निर्माण तथा थलसेना द्वारा इनके परीक्षण के उपरान्त छिट पुट उत्पादन एवं बाद में 1984 से इनका थोक उत्पादन अभिकल्पित किया गया था। किन्तु इस समय-सारणी का पालन नहीं किया गया एवं इसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा अंतिम संशोधन के अनुसार थोक उत्पादन, उत्पादन पूर्व सीरीज के टैंकों के निर्माण एवं इनके परीक्षण के उपरान्त 1990 में आरम्भ किया जाना था। तथापि नवम्बर 1997 की स्थिति यह थी कि थलसेना द्वारा एम बी टी के थोक उत्पादन की स्वीकृति अभी भी दी जानी थी। मार्च 1995 में परियोजना बन्द करने के समय वास्तविक व्यय 307.48 करोड़ रुपए लेखांकित किया गया था। तदन्तर उत्पाद सहायता एवं एम बी टी के आधुनिकीकरण हेतु सी सी पी ए के अनुमोदन के बिना ही 41.98 करोड़

रुपए की दो पूरक परियोजनाएं संस्वीकृत की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप एम बी टी की परियोजना लागत व्यय लेखांकन इतनी ही सीमा तक कम होगा।

यद्यपि थलसेना द्वारा आदिप्रारूपों के किए गए स्वचालन परीक्षण से भारी कमियों का पता लगा तथापि मंत्रालय ने इन कमियों का निराकरण किए बिना ही उत्पादन पूर्व सीरीज़ (पी पी एस) के टैंकों के उत्पादन की स्वीकृति प्रदान कर दी। 15 पी पी एस टैंक, जिनका प्रयोक्ताओं एवं सेना द्वारा 1997 की गर्मियों तक गहन परीक्षण किया गया, प्रयोक्ताओं की आवश्यकता के निम्नतम परिमापकों को भी पूरा करने में असफल रहे। थलसेना ने एम बी टी के इंजन एवं प्रसारण के मध्य तालमेल न होने एवं गोलाबारी नियंत्रण प्रणाली का कार्य आवश्यकतानुरूप न होने के बारे में भी बताया। थलसेना के अनुसार एम बी टी अर्जुन की कुल विश्वसनीयता संतोषजनक नहीं थी। तथापि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तर्क दिया कि 1997 में गर्मियों में किए गए परीक्षणों से स्पष्ट रूप से दस में से आठ परिमापकों की पुष्टि हुई थी तथापि उन्होंने आगे सीमित सीरीज़ उत्पादन में सन्निहित किए जाने योग्य परिवर्तनों/आवश्यकताओं का समावेश करने के लिए प्रयास करने की सहमति व्यक्त की।

एम बी टी के वर्तमान स्वरूप के प्रति थलसेना की आपत्तियों के बावजूद एवं जबकि अभी थलसेना द्वारा एक पूर्णतया एकीकृत पी पी एस टैंक का सफल मूल्यांकन अभी किया जाना था, मंत्रालय ने अगस्त 1996 में सी सी पी ए का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही आयुध फैक्टरी बोर्ड द्वारा 162 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 15 सीमित उत्पादन सीरीज टैंकों के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान कर दी।

एम बी टी के वृहद आकार एवं भार के दृष्टिगत इसके रेल एवं सड़क द्वारा वहन के लिए विशेष वैगनों एवं ट्रेलरों की आवश्यकता है। रेल द्वारा वहन हेतु विशेष वैगनों के उपयोग से खाली वैगनों के वहन पर भी सामान्य से 150 प्रतिशत अधिक प्रभारों का भुगतान करना होगा।

वर्तमान विन्यास पर आधारित एम बी टी अर्जुन के लिए 16 अतिरिक्त तीन टन वाले वाहनों एवं इसका सामरिक संचलन कायम रखने के लिए प्रति रेजिमेन्ट 45 कार्मिकों की आवश्यकता होगी।

(पैराग्राफ 26)

लघु सुदूर चालित वाहन का विकास

सुदूर चालित वाहन (आर पी वी), जो कि सेना की सामरिक आवश्यकता है, के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिज़ाइन एवं विकास का कार्य अक्तूबर 1991 में संस्वीकृत किया गया था। यह मार्च 1995 तक पूरा होना था किन्तु दिसम्बर 1997 तक इसमें 33 माह का विलम्ब हो चुका था एवं और 12 माह का विलम्ब होना प्रत्याशित है। पूर्णता तिथियों का बढ़ाना डी आर डी ओ का डिज़ाइन एवं विकास के क्षेत्र में अति आशावादिता की ओर संकेत करता है।

जून 1997 तक की गयी 20 विकास उड़ानों के दौरान न्यूनतम गति एवं सहनीयता में कमियों का पता लगा तदनुसार दरपेश आयी तकनीकी समस्याओं के दृष्टिगत और उड़ानों की योजना है। परिणामतः प्रयोक्ताओं को सम्पूर्ण मूल्यांकन हेतु उन्हे एक पूर्णतया एकीकृत आदिप्रारूप अभी भी उपलब्ध कराया जाना है।

यद्यपि फेज़ I के विकासात्मक परीक्षण मार्च 1993 से होना निर्धारित थे तथापि एयरफ्रेम का डिज़ाइन ही जून 1993 में पूर्ण हुआ था। एक डी आर डी ओ स्थापना द्वारा एयर फ्रेमों के पाँच सैटों के लिए घटकों की आपूर्ति कम की गयी थी और इसी के साथ एक निजी फर्म द्वारा छः एयर फ्रेमों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ था - अन्तिम दो एयर फ्रेम अगस्त 1997 में आपूरित किए गए थे।

आर पी वी के बढ़े हुए समस्त भार एवं ध्वनि लक्षण को घटाने के दृष्टिगत एक विशेष प्रकार के इंजन के चयन किए जाने तक विकास परियोजना हेतु चार विभिन्न प्रकार के इंजन आयात किए गए गए थे । देशज़ इंजन अभी भी विकास के चरण में ही था।

पेलोड की दो प्रणालियों का देशज़ विकास अभी भी किया जाना था। गिम्बार्ड पेलोड असेम्बली के विकास में विलम्ब के कारण अग्रदर्शी इन्फ्रा रैड के आयात में छः वर्ष की देरी हुई थी। इन्फ्रा रैड लाइन स्कैन के आयात सम्बन्धी विकल्प पर अभी विचार ही किया जा रहा था।

आर पी वी के विकास प्रक्रिया में हुई गलतियों के कारण परियोजना की 8 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा तत्व सहित 34 करोड़ रुपए की मूल लागत संशोधित करके 15.50 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा तत्व सहित 48.90 करोड़ रुपए कर दी गयी थी।

(पैराग्राफ 27)

सैन्य फार्मों की कार्य प्रणाली

सैन्य फार्मों के प्रबन्धन की पुनरीक्षा से पता लगा कि भारी अधिसंरचनात्मक सुविधाओं, पर्याप्त पशुओं एवं भूमि होने के बावजूद सैन्य फार्म अपनी कुल कृषि योग्य भूमि के केवल 24 प्रतिशत भाग पर खेती कर रहे थे तथा अपनी चारे की कुल आवश्यकता की केवल 55 से 62 प्रतिशत की पूर्ति कर रहे थे तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान शेष कमी को 2607 लाख रुपए मूल्य के चारे का स्थानीय क्रय करके पूर्ण किया गया था।

वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद सैन्य फार्म दूध की कुल आवश्यकता की 50 से 59 प्रतिशत की पूर्ति कर रहे थे तथा शेष कमी को 6943 लाख रुपए मूल्य के दूध का स्थानीय क्रय करके पूरा किया गया था। दूध एवं चारे के स्थानीय क्रय की दरें सैन्य फार्मों में इनके उत्पादन लागत की तुलना में कम थी। इस प्रकार चारे एवं दूध का उत्पादन लागत प्रभावी नहीं था।

सैन्य फार्मों के गत पाँच वर्षों के वार्षिक लेखों में 392 लाख रुपए से 749 लाख रुपए तक का लाभ दर्शाया गया था किन्तु लेखों के विश्लेषण से पता लगा कि वस्तुतः सैन्य फार्मों को 747 लाख रुपए से 1533 लाख रुपए तक का भारी घाटा हुआ था जिसे कृत्रिम/बढ़ाकर दिखाए गए लाभ द्वारा छिपाया गया था।

वर्तमान स्वरूप में कार्य कर रहे सैन्य फार्मों का चलाए रखना वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं था एवं ढाँचे की पुनरीक्षा हेतु तथा बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने हेतु उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 28)

सरकारी हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में विफल रहने के कारण राइफलों एवं गोलाबारूद की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय

एक संविदा करते समय सरकार के हितों को पर्याप्त सुरक्षित रखने में विफलता के कारण राइफलों के आयात पर 15.94 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 18)

दोषपूर्ण पैराशूटों का आयात

1995 में 12.04 करोड़ रुपए के मूल्य के आयातित पैराशूटों का दोषों के कारण उपयोग नहीं हो सका और तदनुसार 14.17 करोड़ रुपए की सम्भावित बचत नहीं हो सकी।

(पैराग्राफ 19)

राजस्व की हानि

यद्यपि मंत्रालय ने जे सी ओ/ओ आर्स को निःशुल्क बिजली उपयोग की जनवरी 1983 में सीमा निर्धारित कर दी थी तथापि 26 स्टेशनों पर की गई जाँच के दौरान पाया गया कि स्टेशन कमान्डरों ने निःशुल्क बिजली के उपयोग के पैमानों में वृद्धि कर दी, परिणामस्वरूप 12.61 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 52)

बन्दूक की नालों की अधिक अधिप्राप्ति

मंत्रालय के निदेशानुसार सेना मुख्यालय द्वारा वार्षिक आवश्यकता निर्धारित न किए जाने के कारण 4.67 करोड़ रुपए मूल्य के 251 बैरलों की अधिक अधिप्राप्ति हुई जो 84 वर्षों के लिए पर्याप्त होंगी।

(पैराग्राफ 20)

संविदा प्रावधानों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

स्वयं ध्वस्त मेकेनिज़म रहित गोलाबारूद की आपूर्ति हेतु मूल्यों में कमी के लिए संविदा में प्रावधान होने के बावजूद मंत्रालय की विफलता के कारण 4.09 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 21)

अधूरे उपस्कर की अधिप्राप्ति

उपस्करों को कार्यशील बनाने के लिए सम्पूर्ण उपस्कर अनुसूची की अधिप्राप्ति साथ-साथ करने में सी ओ डी के विफल रहने के परिणामस्वरूप 2.15 करोड़ रुपए मूल्य का उपस्कर अप्रयोज्यनीय अवस्था में पड़ा हुआ था।

(पैराग्राफ 31)

कन्टेनर डिटेन्शन प्रभारों का परिहार्य भुगतान

वायु मुख्यालय/परेषितियों द्वारा पोतारोहण मुख्यालय को कागज़ात भेजने में विफलता के कारण 233 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 30)

एकल अधिकारी आवास के विनिर्माण पर परिहार्य व्यय

एक स्टेशन पर अधिकृत 250 के प्रति 320 क्वार्टर उपलब्ध थे। इसके बावजूद आवास विवरणी में गलत स्थिति दिखाकर 429.10 लाख रुपए की लागत पर 96 और क्वार्टर संस्वीकृत किए गए तथा निर्माण किया गया।

(पैराग्राफ 54)

दोषपूर्ण मिसाइलों का आयात

आयातित मिसाइलों की प्राप्ति के तुरन्त बाद वारंटी अवधि के दौरान गहन निरीक्षण एवं कार्यशीलता जाँच करने में सेना मुख्यालय की विफलता के परिणामस्वरूप 1.65 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(पैराग्राफ 22)

दोषपूर्ण नियोजन के कारण विवाहित अधिकारी आवास का अनधिकरण

दोषपूर्ण योजना/कार्य सेवाओं के गलत क्रम निर्धारण के कारण तीन से छः वर्ष पूर्व निर्मित 72 क्वार्टरों का उपयोग नहीं किया जा सका और परिणामतः 249.40 लाख रुपए का निवेश निष्क्रिय रहा, साथ ही आवास के किराए प्रभारों के रूप के 13 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 47)

उच्चतर दरों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय

एक ही स्टेशन पर समान कार्य के लिए सी ई द्वारा केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र हेतु उच्चतर दरों पर संविदा करने के कारण 1.10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 55)

आयातित परीक्षण उपस्कर का उपयोग न होना

जुलाई 1990 में आयातित 103.26 लाख रुपए मूल्य के 300 वाटमीटरों का छः वर्ष से अधिक तक आवश्यक अवयव और मरम्मत हेतु फालतू पुर्जों के अभाव में उपयोग नहीं हो सका।

(पैराग्राफ 23)

विवाहित आवास योजना के कार्यान्वयन में असामान्य विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

एम ई एस द्वारा विवाहितों के लिए आवास परियोजना की आधार योजना को अंतिम रूप देने में तीन से अधिक वर्ष के विलम्ब के कारण 210.65 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 39)

अनुपयुक्त रूपांकन के कारण परिहार्य व्यय

आर सी आई के तकनीकी आवास में असामयिक जल रिसाव/निस्यन्दन के परिणामस्वरूप विशेष मरम्मत पर 91.79 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 40)

निम्न स्तर के हाट मिक्स संयंत्रों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

घटिया संयंत्रों के स्वीकार करने के कारण उनकी अधिप्राप्ति एवं चालू करने पर हुआ 107.68 लाख रुपए का समस्त व्यय व्यर्थ हो गया क्योंकि संयंत्रों को अभी कार्य हेतु उपयुक्त बनाया जाना था।

(पैराग्राफ 64)

अवमानक सिलेन्डरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

उपयुक्त चित्रांकन एवं विशिष्टताओं को उपलब्ध कराने में विफलता, एक ऐसी फर्म से सिलेन्डरों की अधिप्राप्ति, जो कि सिलेन्डरों के निर्माण हेतु अनुमोदित नहीं थी, जी सी आर के अन्तर्गत और सी सी ई के द्वारा स्वीकार करने के उपरान्त ही आपूर्ति आदेश अन्तिम रूप से स्वीकृत करने का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप 78.73 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 32)

गैर हकदार व्यक्तियों को विशेष ड्यूटी भत्ते का अनधिकृत भुगतान

सिविलियन कर्मचारियों को विशेष कार्य भत्ते का भुगतान रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के सितम्बर 1994 के निर्णय के बावजूद सी डी ए ने अनधिकृत कर्मचारियों को भुगतान जारी रखा, परिणामतः 1.18 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जिसमें से 23.52 लाख रुपए की वसूली हो चुकी थी।

(पैराग्राफ 33)

विक्रय मूल्य की वसूली न होना

प्रबन्धन द्वारा उपयुक्त सत्यापन किए बिना एक अधिसूचित ना हुए बैंक पर साख-पत्र स्वीकार करने के कारण 66.26 लाख रुपए मूल्य की विक्रय आय की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 35)

नल कूपों की अपरिपक्व असफलता

एच एस एम आई टी सी से नलकूपों को लेने से पहले एम ई एस द्वारा घटिया खुदाई की ओर संकेत करने में विफलता के कारण 56.43 लाख रुपए की लागत पर खोदे गए 11 नलकूप समय से पूर्व विफल हो गए। साथ ही संबद्ध कार्यों पर हुआ 36.63 लाख रुपए का व्यय भी निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 41)

निविदा की अशुद्ध तैयारी के कारण फालतू व्यय

श्रीनगर में विवाहित अधिकारियों और वायुसैनिकों के लिए आवास निर्माण हेतु निविदा गलत तैयार करने के कारण 101.23 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 56)

रिहायशी आवासों का अनुपयोग

रिहायशी आवासों के निर्माण के साथ-साथ ही पानी और बिजली सेवाओं के प्रबन्ध में मंत्रालय/एम ई एस की विफलता के कारण 89.22 लाख रुपए की लागत से निर्मित आवास का उपयोग नहीं हो सका।

(पैराग्राफ 48)

स्थल चयन में अनिर्णय के कारण फालतू व्यय

दिसम्बर 1986 में संस्वीकृत और दिसम्बर 1989 में निर्माण कार्य पूर्ण होने के लिए निर्धारित विवाहितों के लिए आवास का निर्माण स्थल परिवर्तन के लिए निर्णय में हुई देरी के कारण साढ़े पाँच वर्ष के उपरान्त अगस्त 1995 में पूर्ण हुआ। निर्माण कार्य का मूल स्थल पर ही 68 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत पर निष्पादन हुआ।

(पैराग्राफ 42)

दोषपूर्ण कारीगरी के कारण भवन का अनुपयोग

निर्माण कार्य के घटिया निष्पादन के कारण 59.61 लाख रुपए की लागत से सितम्बर 1994 में निर्मित भवन तीन से अधिक वर्षों से दोषों के सुधार करने के अभाव में भवन का उपयोग नहीं हुआ। घटिया निर्माण कार्य स्वीकार करने का उत्तरदायित्व अभी तक तय किया जाना था।

(पैराग्राफ 43)

एक मशीन के विकास पर निष्फल व्यय

संयंत्र के विकास में पुरानी तकनीक अपनाए जाने के कारण संयंत्र विकास से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके और परियोजना को समयपूर्व बन्द करने के परिणामस्वरूप 75.79 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 65)

एक पुल का अनुपयोग

भूमि अधिग्रहण और सम्पर्क सड़क निर्माण को अन्तिम रूप देने में 10 से अधिक वर्ष की असाधारण देरी के कारण 74.28 लाख रुपए की लागत से बने पुल का पिछले पाँच वर्ष से उपयोग नहीं हुआ, साथ ही केवल भूमि के मूल्य में 22.57 लाख रुपए की वृद्धि हो गयी थी।

(पैराग्राफ 66)

आयुध फैक्टरी संगठन

आयुध फैक्टरी संगठन का कार्य निष्पादन

1.55 लाख की श्रमशक्ति के साथ 39 फैक्टरियों के आयुध फैक्टरी संगठन ने शस्त्रों, गोलाबारूद उपस्कर एवं अन्य घटकों की 1126 से अधिक मुख्य मदों का उत्पादन किया था। संगठन आयुध फैक्टरी बोर्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। 1996-97 में उनके कुल उत्पादन का मूल्य 3929.04 करोड़ रुपए था जो कि 1995-96 के कुल उत्पादन मूल्य 3338.98 करोड़ रुपए से 17 प्रतिशत अधिक था।

गत तीन वर्षों में आयुध फैक्टरी संगठन के शुद्ध व्यय में भारी बढ़ोत्तरी हुई थी।

पूर्ण उत्पाद की 289 मदों में से 94 का उत्पादन ओ एफ बी द्वारा निर्धारित समय सूची से पिछड़ा हुआ था तथा ओ एफ बी ने 42 पूर्ण मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था।

वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष के दौरान निर्यात एवं नागरिक व्यापार गतिविधियों में क्रमशः 62.88 तथा 22.62 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। औसत भंडार सूची धारण दिनों के संदर्भ में 180 दिन

की निर्धारित खपत प्रतिमान से बढ़ गयी थी। वर्ष 1996-97 के धारण पूर्ण तैयार एवं घटकों का धारण क्रमशः 87.39 करोड़ रुपए एवं 56.32 करोड़ रुपए बढ़ गया था। छः फैक्टरियों में तैयार मदों एवं घटकों का धारण कुल उत्पादन मूल्य का 22.72 से 50.17 प्रतिशत था। सात फैक्टरियों में औसत भंडार धारण 10 एवं 18.78 माह की आवश्यकता के लिए था जो कि निर्धारित प्रतिमान से अधिक था।

(पैराग्राफ 70)

इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहन के लिए हाइड्रोलिक प्रेस और कच्चा माल

इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहन के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य में कमी करने के बावजूद इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहन के लिए भारी मात्रा में बॉटम प्लेट्स के आयात एवं 7.17 करोड़ रुपए की लागत से आयातित हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से बॉटम प्लेट्स के निर्माण हेतु समयपूर्व इस्पात की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 64.32 लाख रुपए मूल्य का इस्पात आठ से 13 वर्षों से बिना किसी उपयोग के पड़ा हुआ था इसके अतिरिक्त हाइड्रोलिक प्रेस भी कम से कम पाँच वर्ष तक बिना किसी उपयोग के पड़ा रहा।

(पैराग्राफ 71)

माँग पत्र के पूर्वसमापन के कारण परिहार्य व्यय

ए आर डी ई द्वारा विकसित एवं गन कैरिज फैक्टरी में निर्मित एक फील्ड गन के हल्के स्वरूप में परिशोधनों की थलसेना की माँग को ए आर डी ई तथा गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर द्वारा पूरा करने में विफल रहने के फलस्वरूप गन कैरिज फैक्टरी द्वारा 20 गनों के उत्पादन पर 10.21 करोड़ रुपए का व्यय करने के बाद परियोजना का पूर्व समापन करना पड़ा। थलसेना को अस्वीकार्य इन 20 गनों के अलावा गन कैरिज फैक्टरी के पास 6.53 करोड़ रुपए का तो फालतू घटकों का भंडार पड़ा हुआ था। इस प्रकार गुणात्मक आवश्यकताओं की बावत ए आर डी ई तथा थलसेना के मध्य निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 16.74 करोड़ रुपए का कुल व्यय अनुत्पादक हो गया।

(पैराग्राफ 73)

उत्पादन में असामान्य अस्वीकरण

इस प्रतिवेदन में तीन ऐसे मामले सम्मिलित हैं जिनमें तैयार सामग्री/घटकों का अनुमेय सीमा से अधिक अस्वीकरण होने के कारण निरर्थक व्यय हुआ था। महाप्रबन्धक धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर ने

एक गोलाबारूद के खोल के लिए इस्पात बिलैट्स के उत्पादन में हुए असामान्य अस्वीकरण की भलीभाँति जाँच नहीं करायी थी और असामान्य अस्वीकरणों के बावजूद उत्पादन जारी रखा। असामान्य अस्वीकरणों का मूल्य 1.57 करोड़ रुपए था महाप्रबन्धक धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर द्वारा मिश्रधातु इस्पात की छड़ों के उत्पादन में भी इसी प्रकार की लापरवाही के कारण 23.41 लाख रुपए मूल्य की 65 टन इस्पात की छड़ों का असामान्य अस्वीकरण हुआ था। आयुध फैक्टरी मुरादनगर में बम खोलों के असामान्य अस्वीकरण के एक अन्य मामले में 17.41 लाख रुपए व्यर्थ हो गए थे।

(पैराग्राफ 75,76 एवं 77)

दोषपूर्ण विनिर्माण

गन एवं शैल फैक्टरी कोशीपुर ने एक गोलीबारूद के खोल के निर्माण में धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर द्वारा उत्पादित ऐसी अवमानक सामग्री का प्रयोग किया जिसमें दबाव से भराई के दौरान दरारें पड़ गयी। यह दोष खोल सामग्री में बोरोन तत्व अधिक होने के कारण पैदा हुआ था। दोषपूर्ण खोल सामग्री के उत्पादन के फलस्वरूप कुल 14.24 लाख रुपए की हानि हुई थी। इसी प्रकार त्रिआधारीय प्रणोदक के निर्माण में प्रयोग हेतु आयुध फैक्टरी भण्डारा द्वारा अवमानक पिक्राइट के उत्पादन के फलस्वरूप फैक्टरी में 1.87 करोड़ रुपए मूल्य की 846 टन सामग्री का धारण हो गया। एक अन्य मामले में आयुध फैक्टरी अम्बाझारी द्वारा एक टैंक गोलाबारूद के बेस के निर्माण हेतु खोकों की दोषपूर्ण प्रोसेसिंग के कारण 22.16 लाख रुपए मूल्य के 2000 बेस अस्वीकृत हो गए।

(पैराग्राफ 74, 78 एवं 79)

उच्चतर कीमतों पर भण्डारों की अधिप्राप्ति

आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ एवं आयुध फैक्टरी बोर्ड ने खनिज एवं धातु व्यापार निगम को किए गए भुगतान की तुलना में ऊँची दरों पर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड तथा नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी से जिंक तथा एल्यूमिनियम की सिल्लियाँ क्रय की। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी से क्रय के परिणामस्वरूप 52 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 80)

आयातित डिले एलीमैंट के अस्वीकरण के कारण हानि

अग्रिम नमूने का परीक्षण अथवा प्रेषण-पूर्व निरीक्षण किए बिना ही 155 मि मी गन के गोलाबारूद के फ्यूज के निर्माण हेतु 40000 विलम्बकों के आयात के परिणामस्वरूप सारा परेषण दोषपूर्ण घोषित कर दिया गया। इस आयात में कुल 29.63 लाख रुपए की हानि हुई।

(पैराग्राफ 82)

लकड़ी की पेटियों पर अतिरिक्त व्यय

राइफल फैक्टरी ईशापुर ने 1565 रुपए प्रत्येक की दर से अर्द्धतैयार लकड़ी की पेटियाँ क्रय की तथा उनमें 5.56 मि मी की राइफलों के प्रेषण हेतु पूर्णतः तैयार करने में प्रत्येक पर 2286 रुपए का व्यय और किया। अर्द्धतैयार पेटियों को तैयार करने तक कुल हुए 3851 रुपए की लागत की तुलना में तैयार पेटियाँ बाज़ार से मात्र 1265 रुपए प्रत्येक की दर पर उपलब्ध थी। अर्द्धतैयार पेटियों के क्रय एवं उन्हे तैयार करने में कुल 28.59 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

(पैराग्राफ 83)

कीमत में मनमानी वृद्धि

ओ एफ बी अध्यक्ष ने बी ई एम एल से क्रय की गयी प्रसारण असैम्बलियों तथा इन्टरफेस मदों के मूल्य में एकतरफा वृद्धि कर दी। मूल्य में इस अनौचित्यपूर्ण वृद्धि के प्रभावस्वरूप 1.76 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर संकेत किए जाने पर मंत्रालय ने बताया कि बी ई एम एल के बकाया बिलों में से 1.51 करोड़ रुपए की वसूली कर ली जाएगी।

(पैराग्राफ 84)

निष्फल व्यय

पायलट बैच के रूप में निर्मित उपस्कर के कार्य निष्पादन के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना ही आयुध वाहन फैक्टरी, गुणवत्ता आश्वासन नियन्त्रक ने शक्तिमान वाहन हेतु ब्रेक एक्चुएशन उपस्कर के थोक उत्पादन की स्वीकृति प्रदान कर दी एवं महाप्रबन्धक वाहन फैक्टरी जबलपुर ने क्रय आदेश प्रस्तुत कर

दिए। आपूरित 275 दोषपूर्ण यूनिटों को क्षेत्रीय निरीक्षक ने स्वीकृत कर दिया। 370 दोषपूर्ण ब्रेक यूनिटो के क्रय पर हुआ 26.57 लाख रुपए का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 85)

जी एम, फील्ड गन फैक्टरी कानपुर द्वारा अनाधिकृत व्यय

महाप्रबन्धक फील्ड़ गन फैक्टरी, कानपुर ने, उन्हें प्रत्यावर्तित वित्तीय शक्तियों की सीमा का उल्लंघन करते हुए इंडक्शन फरनैस के लिए 1.52 करोड़ रुपए के उपस्कर का क्रय किया तथा 1.01 करोड़ रुपए सिविल निर्माण कार्यों, प्रतिष्ठापन तथा इसे चालू करने पर खर्च किए। महाप्रबन्धक ने प्रतिस्थापन मद के रूप में गलत तरह से वर्गीकृत करके इंडक्शन फरनैस मदों का क्रय किया जबकि वस्तुतः ये उपस्कर दो नयी इंडक्शन फरनैस की असैम्बली हेतु थे। इन दो नयी फरनैस के चालू करने से 2000 टन की क्षमता बढ़ जाने के बावजूद सिल्लियों के उत्पादन में गिरावट आयी है।

(पैराग्राफ 86)

हथगोले के अव्यवों की कमी

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गोलाबारूद फैक्टरी किरकी में दर्शायी गयी 2.70 लाख खाली हथगोलों की कमी की जाँच करने में मंत्रालय ने तीन वर्ष से भी अधिक का समय लिया। आगे फिर 49.7 लाख रुपए मूल्य के हथगोलों के घटकों की कमी का पता लगा। आयुध फैक्टरी ने अस्थायी प्राप्तियों पर घटकों का आहरण इस कमी के कारण के रूप में निर्दिष्ट किया। जाँच पड़ताल में विलम्ब एवं अस्थायी प्राप्तियों पर इस संवेदनशील मद के घटकों का लगातार आहरण स्टॉक लेखों की रखरखाव प्रणाली की दक्षता तथा हथगोलों एवं इसके घटकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में सन्देह पैदा करता है।

(पैराग्राफ 87)

निर्यात एवं सिविल व्यापार में हानि

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने एक गोलाबारूद के खाली कारतूसों के निर्यात में 55.49 लाख रुपए का घाटा उठाया। वसूली से सीधे निवेश लागत के 54.35 लाख रुपए भी पूरे नहीं हो सके। इसी प्रकार मशीन एवं औज़ार फैक्टरी अम्बरनाथ ने भी सिविल व्यापार में 54 लाख रुपए का घाटा उठाया।

(पैराग्राफ 88 तथा 89)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई

मंत्रालय ने पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आयुध फैक्टरी खंड के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए 104 पैराग्राफों पर सुधारात्मक की गयी कार्रवाई की टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की यद्यपि पी ए सी ने संस्तुति की थी यह तीन/चार माह के भीतर भेज दी जाए। इनमें से 27 पैराग्राफ ऐसे थे जो कि 1990 से 1994 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए थे।

(पैराग्राफ 91)

प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों की अनुक्रिया

पी ए सी की संस्तुतियों के बाद भी एवं तदन्तर वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को दिए गए इन निर्देशों के बावजूद भी कि अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अग्रेषित किए गए ड्राफ्ट पैराग्राफों पर वे अपनी टिप्पणी छः सप्ताह के अन्दर भेज दें, सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग ने इस प्रतिवेदन के आयुध फैक्टरी खंड में सम्मिलित 22 पैराग्राफों में से 10 पर अपनी विभागीय टिप्पणियाँ प्रेषित नहीं की।

(पैराग्राफ 92)

अध्याय I : रक्षा सेवाओं के लेखे

1. रक्षा व्यय

वर्ष 1994-97 के दौरान रक्षा गतिविधियों के मुख्य घटकों पर हुआ व्यय निम्न प्रकार था:-

(करोड़ रुपए में)

	1994-95	1995-96	1996-97
थलसेना	11665.67	13346.89	14560.33
नौसेना	1472.73	1866.87	2084.16
वायु सेना	3837.63	4055.67	4532.64
आयुध फैक्टरियां	479.10	659.86	859.72
रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6819.42	8017.68	8508.42
योग	24274.55	27946.97	30545.27

व्यय नीचे बार चार्ट में दर्शाया गया है:-

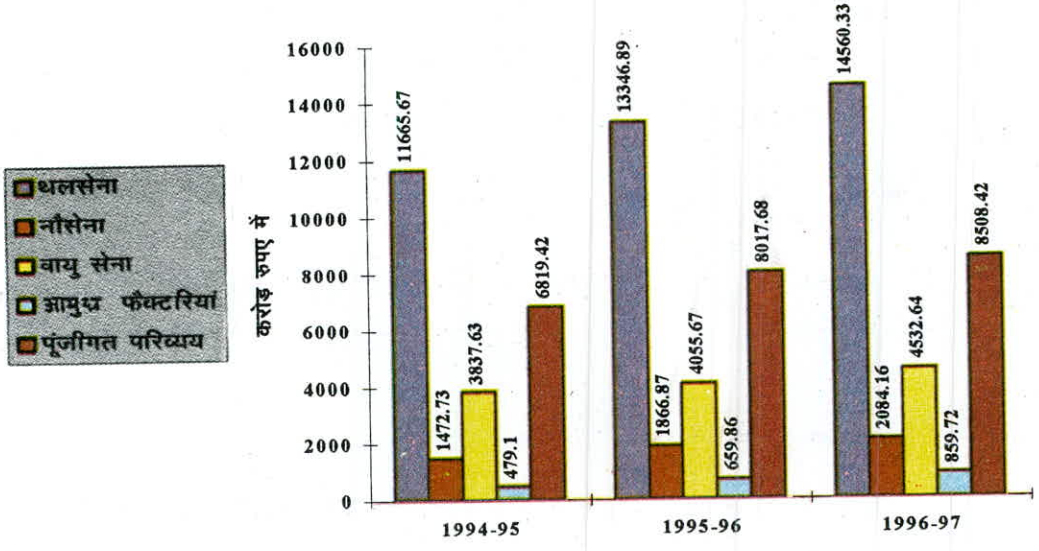

2. विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 और 115 के अर्न्तगत वर्ष 1996-97 के दौरान संसंद द्वारा पारित विविध विनियोग एक्टों में संलग्न अनुसूचियों में प्राधिकृत विभिन्न धनराशियों की तुलना में 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशियों के विनियोग लेखों का सारांश नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल	वास्तविक व्यय	कुल बचत (-) आधिक्य(+)
राजस्व					
17- थलसेना					
दत्तमत	13357.10	1197.60	14554.70	14554.26	(-)0.44
प्रभारित	10.09	0.12	10.21	6.07	(-)4.14
18- नौसेना					
दत्तमत	1867.74	216.52	2084.26	2084.08	(-)0.18
प्रभारित	2.72	3.94	6.66	0.08	(-)6.58
19- वायु सेना					
दत्तमत	4057.34	474.59	4531.93	4531.92	(-)0.01
प्रभारित	0.65	0.20	0.85	0.72	(-)0.13
20- आयुध फैक्टरियां					
दत्तमत	680.03	179.69	859.72	859.69	(-)0.04
प्रभारित	0.75		0.75	0.04	(-)0.71

पूंजी					
21- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
दत्तमत	8936.75	-	8936.75	8506.47 (-)	430.28
प्रभारित	7.13	1.90	9.03	1.95 (-)	7.08

3. बचत

(i) *दत्तमत अनुदानें*

रक्षा सेवाओं के दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत सभी पाँच अनुदानों में कुल 430.95 करोड़ रुपए की बचत हुई थी जो मुख्यतः अनुदान संख्या 21- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हुई बचतें थी। एक करोड़ से अधिक की बचतों का विवरण निम्न प्रकार है:

लघु शीर्ष	राशि (लाख रुपए में)	विनियोजन लेखों में बचत के लिए दर्शाए गए कारण
अनुदान संख्या-21		
01-थलसेना		
102-भारी एवं मध्यम वाहन	470	आपूर्तियों का कार्यान्वयन न होना
105-सैन्य फार्म	162	अपेक्षित से कम व्यय
02-नौसेना		
050-भूमि	165	निजी भूमि के मुआवज़े की वापसी

101-वायुयान और वायुयान इंजन	454	संस्वीकृतियों और कुछ विदेशी भुगतानों का कार्यान्वयन न होना
103-अन्य उपस्कर	226	- तदैव -
202-निर्माण कार्य	322	कार्यों की अपेक्षा से कम धीमी प्रगति
205-नौसेना गोदी-बाड़ा	1051	कुछ विदेशी भुगतानों का न किया जाना
03-वायु सेना		
202-निर्माण कार्य	1048	कार्यों की धीमी प्रगति
04-रक्षा आयुध फैक्टरियाँ		
052-मशीनरी एवं उपस्कर	785	कुछ संयंत्रों और मशीनों का कार्यान्वयन न किया जाना तथा उनके चालू करने में विलम्ब
111-कार्य	456	एम ई एस कार्यों के प्रति कम उपयोग
799-उचंत	1789	कम लेखांकन
05-अनुसंधान एवं विकास संगठन		
111-कार्य	1592	विशेष योजनाओं के अन्तर्गत कतिपय क्रिया कलापों का कार्यान्वयन न किया जाना

(ii) प्रभारित विनियोजन

प्रभारित खण्ड के अन्तर्गत सभी अनुदानों के लिए समग्र 27.50 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में कुल 18.64 करोड रुपए की बचतें हुई जो प्रावधान का 68 प्रतिशत थी। अनुदान बार बचत 15.29 प्रतिशत

से 98.80 प्रतिशत के बीच थीं जैसा नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपए में)

राजस्व/ पूंजी	संस्वीकृत विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
अनुदान संख्या 17	10.21	6.07	4.14	40.55
अनुदान संख्या 18	6.66	0.08	6.58	98.80
अनुदान संख्या 19	0.85	0.72	0.13	15.29
अनुदान संख्या 20	0.75	0.04	0.71	94.67
अनुदान संख्या 21	9.03	1.95	7.08	78.41

बचतें मुख्यतः न्यायिक मामलों की अपेक्षा से कम संख्या में निपटान होने के कारण बताई गई थी।

4. निधियों का अनुपयोग

(क) निम्नलिखित मामलों में मूल अनुदानों की समूची राशि वर्ष के दौरान अनुपयोगित रही:-

(लाख रुपए में)

अनुदान संख्या	लघु शीर्ष	संस्वीकृत राशि (प्रभारित)
17-थलसेना	106-सैन्य फार्म	34.00
18-नौसेना	101-नौसेना के वेतन एवं भत्ते	1.00
	111-कार्य	1.00
19-वायु सेना	101-वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	1.00
20-आयुध फैक्टरियाँ	110-भण्डार	30.00

21-रक्षा सेवाओं पर		
पूंजीगत परिव्यय		
नौ सेना	050-भूमि	100.00
	202-निर्माण कार्य	10.00

(ख) निम्नलिखित मामलों में प्राप्त पूरक अनुदान (दत्तमत) का उपयोग नहीं हुआ था और अनुदान की समूची राशि समर्पित कर दी गई थी। अतः, पूरक अनुदान की आवश्यकता नहीं थी।

(लाख रुपए में)

अनुदान संख्या	लघु शीर्ष	पूरक अनुदान
20-आयुध फैक्टरियाँ	800-अन्य व्यय	949.00

(ग) निम्नलिखित मामलों में, प्राप्त पूरक अनुदान (दत्तमत) का पूर्णतः या आंशिक उपयोग नहीं हुआ था। अतः इन मामले में पूरक अनुदानों का समुचित आंकलन नहीं किया गया था।

(लाख रुपए में)

अनुदान संख्या	लघु शीर्ष	पूरक अनुदान	बचत
17-थलसेना	101-थलसेना के वेतन एवं भत्ते	612.73	51.32
	104-सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	71.12	1.63
	109-निरीक्षण संगठन	45.00	17.71
18-नौसेना	101-नौसेना के वेतन एवं भत्ते	43.52	1.58
	104-सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	33.03	1.21
	105-परिवहन	5.00	0.89
19-वायु सेना	101-वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	123.83	5.70
	110-भण्डार	338.32	2.17

20-आयुध फैक्टरियाँ	054-विनिर्माण	170.20	13.09

5. 100 करोड़ रुपए या अधिक की बचतें

पी ए सी ने अपनी 60वीं प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा) के पैराग्राफ 1.24 में संस्वीकृत प्रावधान की तुलना में बचतों में हुई तीव्र विधि पर ध्यान दिया था। समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि अत्यधिक बचतों की खेदजनक स्थिति पर कांबू पाने के लिए वित्त मंत्रालय को उपयुक्त उपाय करने के साथ-साथ इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए और यह भी चाहा था कि प्रत्येक वर्ष के दौरान एक अनुदान या विनियोग में हुई 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि की बचतों के विषय में समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अनुदान संख्या 21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के दत्तमत खण्ड में 430.28 करोड़ रुपए की बचते हुई थी।

पूँजीगत दत्तमत	संस्वीकृत अनुदान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
अनुदान संख्या 21	8936.75	8506.47	430.28	4.81

मूल अनुदान 8936.75	+	पूरक अनुदान शून्य

कुल अनुदान 8936.75

वास्तविक व्यय 8506.47	-	बचत 430.28

मंत्रालय ने कार्यों की धीमी प्रगति, आपूर्तियों का कार्यान्वयन न किया जाना, विशेष योजनाओं के अन्तर्गत कुछ क्रिया-कलापों का कार्यान्वयन न होना, 31 मार्च 1997 को ईस्टर सोमवार के कारण उन देशों में अवकाश का दिन होने के कारण कतिपय विदेशी भुगतानों का न किया जाना तथा संयंत्र एवं मशीनरी का क्रियान्वयन न होना और उनके चालू करने में विलम्ब; कम लेखांकन इत्यादि कारणों को बचतों के लिए आरोपित किया। इस अनुदान में इन बचतों पर पी ए सी को एक व्याख्यात्मक टिप्पणी अपेक्षित है।

6. अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

निम्नलिखित मामलों में जहाँ विभिन्न शीर्षों से /को पुनर्विनियोजन किए गए थे, वहाँ 5 करोड़ रुपए से अधिक की बचतें/आधिक्य हुई थी, जो इस बात का सूचक है कि वर्ष के दौरान किए गए पुनर्विनियोजन का यथोचित आंकलन नहीं किया गया था।

(क) बिना आवश्यकता के शीर्षों में पुनर्विनियोजन

निम्नलिखित मामले में मूल संस्वीकृत प्रावधान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त थे और इसलिए इस लघु शीर्ष को निधियों के पुनर्विनियोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(करोड़ रुपए में)

अनुदान संख्या एवं लघु शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
17- थलसेना			
101-थलसेना के वेतन एवं भत्ते	5808.35	(+) 11.72	5768.75

(ख) ऐसे शीर्षों से पुनर्विनियोजन जहाँ व्यय अंतिम प्रावधान से अधिक हुआ था

निम्नलिखित मामलों में इन शीर्षों से पुनर्विनियोजन करने के पश्चात् वास्तविक व्यय शेष प्रावधान से अधिक हुआ थाः

(करोड़ रुपए में)

अनुदान संख्या	संस्वीकृत प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम प्रावधान के सन्दर्भ में आधिक्य व्यय
17-थलसेना					
103-सहायक दल	73.21	(-)14.71	58.50	64.09	5.59
112-राष्ट्रीय राइफल	174.16	(-)13.16	161.00	166.30	5.30
21-पूंजीगत परिव्यय					
01/103-अन्य उपस्कर	2185.42	(-)250.05	1935.37	1999.69	64.32
02/204-नौ सेना बेड़ा	1531.75	(-)20.88	1510.87	1524.34	13.47

(ग) ऐसे शीर्षों को विनियोजन जहाँ व्यय अन्तिम राशि से कम हुआ था

निम्नलिखित मामलों में पुनर्विनियोजन राशियों का पूर्णतः उपयोग नहीं हुआ थाः-

(करोड़ रुपए में)

अनुदान संख्या	संस्वीकृत प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम प्रावधान के सन्दर्भ में बचतें
20-आयुध फैक्टरियाँ					
800-अन्य व्यय	223.94	(+)37.45	261.39	249.39	12.00
21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
उप लघु शीर्ष 05 - अनुसंधान एवं विकास संगठन					
111-कार्य	437.93	(+)142.00	579.93	564.01	15.92

7. निरन्तर बचतें

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निरन्तर बचतें हुई थीं, जैसा कि नीचे विवर्णित किया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

अनुदान संख्या	1994-95	1995-96	1996-97
17-थलसेना			
101-थलसेना के वेतन एवं भत्ते	25.78	21.29	51.32

104-सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	12.82	15.65	1.63
19-वायु सेना			
104-सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	6.62	5.30	0.07
20-आयुध फैक्टरियाँ			
001-निदेशन और प्रशासन	1.20	1.06	0.55
053-रखरखाव - मशीनरी एवं उपस्कर	1.13	0.77	1.43
111-कार्य	1.43	0.15	0.47
800-अन्य व्यय	8.34	4.18	12.00
21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
उप मुख्य शीर्ष 02 नौसेना			
101-वायुयान एवं वायु इंजन	2.92	6.06	4.54
103-अन्य उपस्कर	4.74	7.66	2.26
202-निर्माण कार्य	0.75	0.25	3.22
उप मुख्य शीर्ष 03 वायु सेना			
202-निर्माण कार्य	14.72	12.05	10.48
उप मुख्य शीर्ष 04 आयुध फैक्टरियाँ			
111-कार्य	6.28	4.06	4.56

उप मुख्य शीर्ष 05 अनुसंधान एवं विकास संगठन			
111 - कार्य	2.09	12.02	15.92

8. निरन्तर आधिक्य

गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रावधान के सन्दर्भ में निरन्तर अधिक व्यय हुआ था जैसा कि नीचे विवर्णित किया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

	1994-95	1995-96	1996-97
21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
उप मुख्य शीर्ष - 01 - थलसेना			
103- अन्य उपस्कर	35.24	1.98	64.32
उप मुख्य शीर्ष - 02 - नौसेना			
204- नौसेना बेड़ा	10.58	6.82	13.47

9. भंडारों की हानि

पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अन्य कारणों से हुई भण्डार की हानियों की राशि में वृद्धि का रुख रहा है जैसा कि नीचे विवर्णित किया गया है:-

(करोङ रुपए में)

वर्ष	अन्य कारणों से हुई हानि की राशि	प्रतिशत वृद्धि
1994-95	11.48	-
1995-96	13.56	18
1996-97	40.33	197

10. नियमन प्रतीक्षित हानियाँ

रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखे में रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमाण पत्र में एक वर्ष से अधिक समय से नियमन प्रतीक्षित हानियों का उल्लेख किया गया था ।

नियमन प्रतीक्षित हानियों की पुनरीक्षा से प्रकट हुआ कि पुराने मामलों के निपटान की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई थी बल्कि ऐसे मामलों में वृद्धि का रुख रहा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मामलों की संख्या	आलिप्त राशि
1992-93	1225	117.01
1993-94	1279	169.25
1994-95	1306	175.19
1995-96	1407	200.83
1996-97	1568	237.21

इन मामलों की पुनरीक्षा एवं निपटान हेतु कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ।

11. विशेष उड़ानों/विमान वहनों की राशि की वसूली न किया जाना

वायु सेना प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष उड़ानों/विमान वहनों के लिए वसूली हेतु राशि 30 जून 1996 को 66.46 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 1997 को 81.91 करोड़ रुपए हो गई थी जो 23 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है।

12. प्राधिकरण और व्यय

ई एन सी शाखा और पशु रोग निदेशालय से सम्बन्धित पिछली 4-5 वर्ष की अवधि की अनुदान संख्या 17 और 21 के प्राधिकरण और व्यय की विस्तृत जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलाः

बचतें

(क) इन्जीनियर-इन-चीफ शाखा

लघु शीर्ष 111-कार्य

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	अन्तिम अनुदान	वास्तविक व्यय	बचतें
सामरिक कार्य विधि के अन्तर्गत निष्पादित मुख्य कार्य			
1993-94	30.64	30.13	0.51

1994-95	72.44	64.50	7.94
1995-96	92.00	64.25	27.75
1996-97	88.89	84.95	3.94

अन्य राजस्व कार्य

1994-95	12.80	4.87	7.93
1995-96	12.50	11.11	1.39
1996-97	12.00	11.53	0.47

रखरखाव-भवन

1994-95	103.00	99.38	3.62

रखरखाव - फर्नीचर

1994-95	19.39	17.76	1.63

रखरखाव - विविध

1994-95	10.40	5.29	5.11

रखरखाव - विशेष मरम्मत - भवन, सड़कें और फर्नीचर

1994-95	41.00	33.67	7.33
1995-96	46.73	38.93	7.80

किराए/पट्टे पर लिए गए भवनों का किराया

1992-93	8.55	2.63	5.92
1993-94	8.10	2.65	5.45
1994-95	9.00	1.83	7.17
1995-96	3.21	1.75	1.46

रेलवे साईडिंग और प्लेटफार्मों हेतु भुगतान

1992-93	1.35	1.15	0.20
1993-94	7.00	6.29	0.71
1994-95	5.00	4.94	0.06
1995-96	5.00	4.47	0.53
1996-97	5.00	4.72	0.28

सामान्य खर्चे - विविध

1992-93	1.09	1.07	0.02
1993-94	1.50	1.25	0.25
1994-95	1.50	1.27	0.23
1995-96	1.50	1.32	0.18

भूमि किराया - प्रगति मैदान पर राज्य का प्रधान कक्ष घर

1994-95	0.12	-	0.12
1995-96	0.12	-	0.12
1996-97	0.12	-	0.12

मजदूरी एवं वेतन

1993-94	1.85	1.52	0.33
1994-95	2.00	1.73	0.27
1995-96	2.20	1.93	0.27
1996-97	2.40	2.39	0.01

कलपुर्जे एवं संयंत्र - नवीन आपूर्तियाँ

1993-94	1.50	1.11	0.39
1994-95	2.00	1.21	0.79

1995-96	2.50	2.02

कल पुर्जे एवं संयत्र - नवीन आपूर्तियाँ - वाहनें

1992-93	1.00	0.55
1993-94	0.90	0.17
1994-95	1.50	0.11
1995-96	1.54	0.60
1996-97	4.00	0.92

पार्कों और डिविजनल स्टाक हेतु भण्डारों की अधिप्राप्ति

1992-93	43.05	39.05
1993-94	14.78	2.67
1994-95	10.00	0.98
1995-96	10.00	0.39

अनुसंधान कार्य हेतु उपस्कर और भण्डार की अधिप्राप्ति

1994-95	0.80	0.06
1995-96	0.31	0.12

लघु शीर्ष - 104 सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते

एम ई एस - अधिकारी

1993-94	20.50	18.90
1994-95	25.00	20.70
1995-96	27.00	23.23

0.48

एम ई एस - अन्य

1994-95	125.00	109.08	15.92
1995-96	125.00	122.17	2.83
1996-97	144.20	142.85	1.35

0.45
0.73
1.39

ई एस डी - अधिकारी

0.94
3.08

1992-93	0.24	0.17	0.07
1993-94	0.25	0.23	0.02
1994-95	0.30	0.15	0.15
1995-96	0.35	0.11	0.24
1996-97	0.12	0.11	0.01

4.00
12.11
9.02

ई एस डी - अन्य

9.61

1992-93	2.70	2.40	0.30
1993-94	2.67	2.63	0.04
1994-95	2.95	2.52	0.43
1995-96	3.00	2.70	0.30
1996-97	3.00	2.89	0.11

0.74
0.19

ई एस डी - औद्योगिक संस्थान

1992-93	3.70	2.98	0.72
1994-95	4.40	3.49	0.91
1995-96	4.80	3.91	0.89
1996-97	4.46	2.22	2.24

1.60
4.30
3.77

(ख) अश्व एवं पशुरोग निदेशालय

(लाख रुपए में)

वर्ष	अन्तिम अनुदान	वास्तविक	बचतें
लघु शीर्ष 104 (ई) - सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते			
1992-93	179.66	177.43	2.23
1995-96	242.00	220.82	21.18
1996-97	270.00	251.57	18.43
लघु शीर्ष 110 - भण्डार-बी- पशु			
1992-93	10.00	0.75	9.25
1993-94	3.00	1.94	1.06
1994-95	3.00	1.70	1.30
1996-97	27.00	22.09	4.91

आधिक्य

(क) इंजीनियर-इन-चीफ शाखा

लघु शीर्ष 111 - कार्य

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	अन्तिम अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
रखरखाव - सैन्य सड़कें			
1992-93	4.50	4.76	0.26
1993-94	6.00	6.05	0.05
1994-95	9.39	9.52	0.13

1995-96	8.40	10.64	2.24
1996-97	9.30	9.59	0.29

मजदूरी एवं वेतन - रखरखाव - भवन, सड़क और फर्नीचर

1992-93	56.11	57.95	1.84
1993-94	65.00	66.14	1.14
1994-95	72.00	72.82	0.82
1995-96	80.70	83.36	2.66
1996-97	91.60	92.43	0.83

शुल्क बिल का भुगतान - विद्युत

1992-93	150.63	156.14	5.51
1993-94	186.00	195.66	9.66
1994-95	223.00	223.10	0.10
1995-96	230.01	247.94	17.93
1996-97	263.60	292.18	28.58

रखरखाव - प्रशीतन एवं वातानुकूलन

1992-93	10.00	10.93	0.93
1993-94	7.00	7.91	0.91
1994-95	9.00	10.49	1.49
1995-96	9.00	10.12	1.12
1996-97	9.00	11.75	2.75

रखरखाव - विविध

1992-93	4.20	4.54	0.34
1993-94	4.00	4.85	0.85
1994-95	5.00	5.48	0.48
1995-96	5.00	6.00	1.00

1996-97	5.00	6.06	1.06

अनुदान संख्या 21 - थलसेना

मुख्य - पूर्वावशिष्ट कार्य

1992-93	180.78	197.24	16.46
1993-94	239.30	249.33	10.03
1994-95	279.25	279.66	0.41
1995-96	292.68	301.35	8.67

(ख) अश्व एवं पशुरोग निदेशालय

लघु शीर्ष 104 (ई) - सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते

(लाख रुपए में)

वर्ष	अन्तिम अनुदान	वास्तविक	आधिक्य
1993-94	160.00	183.92	23.92
1994-95	165.00	202.38	37.38

निरन्तर बचतें/आधिक्य बजट के त्रुटिपूर्ण प्रबोधन को दर्शाती है।

13. मार्च माह में अत्यधिक व्यय

रक्षा सेवाओं की वित्तीय विनयावली भाग । खण्ड । के नियम 105 के अनुसार विशिष्टतः वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की अधिकता वित्तीय की नियमितता का उल्लंघन समझी जाती है। उपर्युक्त प्रावधान के प्रतिकूल चार अनुदानों में मार्च 1997 माह में किया गया व्यय कुल व्यय का

16 प्रतिशत से 29 प्रतिशत था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख रुपए में)

अनुदान संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में हुए व्यय का कुल व्यय का प्रतिशत
17 - थलसेना	1,45,60,33.16	33,63,96.99	23.10
18 - नौसेना	20,84,16.23	3,27,70.31	15.72
19 - वायु सेना	45,32,63.80	8,30,13.56	18.31
21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	85,08,41.63	24,26,01.71	28.51

कुछ लघु शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि मार्च 1997 में कुल व्यय का 17 प्रतिशत से 77 प्रतिशत के बीच था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख रुपए में)

अनुदान संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में किए गए व्यय की कुल व्यय की प्रतिशत
17 - थलसेना			
105-परिवहन	3,42,27.13	1,17,58.00	34.35
106-सैन्य फार्म	90,51.11	23,93.13	26.44

108-अनुसंधान एवं विकास संगठन	8,81,52.74	2,17,57.53	24.68
110-भण्डार	48,00,40.46	13,94,87.79	29.06
111-कार्य	10,60,62.58	2,04,57.43	19.29
112-राष्ट्रीय राइफल	1,66,28.99	42,55.05	25.59
113-एन सी सी	1,50,52.77	28,07.70	18.65
800-अन्य व्यय	2,82,92.16	57,77.58	20.42
18 - नौसेना			
105-परिवहन	48,10.65	7,77.67	16.17
111-कार्य	1,80,03.00	31,86.60	17.70
800-अन्य व्यय	3,02,75.49	53,98.52	17.83
19 - वायु सेना			
105-परिवहन	78,70.40	17,62.35	22.39
110-भण्डार	29,39,14.72	6,16,87.94	20.99
111-कार्य	2,95,76.83	52,53.00	17.76
200-विशिष्ट प्रोजेक्ट	5,83.32	1,03.56	17.75
800-अन्य व्यय	68,26.55	32,07.50	46.99

20 - रक्षा आयुध फैक्टरियाँ

004-अनुसंधान एवं विकास	2,86.83	2,20.98	77.04
053-रखरखाव - मशीनरी एवं उपस्कर	6,63.20	3,17.45	47.87
106-नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	43,20.92	22,25.88	51.51
110-भण्डार	17,87,97.25	2,87,04.79	16.05
111-कार्य	28,01.42	9,59.75	34.26

21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01-थलसेना

050-भूमि	26,99.73	9,11.91	33.78
101-वायुयान एवं वायु इंजन	80,09.66	50,47.29	63.02
102-भारी एवं मध्यम वाहन	1,91,64.02	68,90.59	35.96
103-अन्य उपस्कर	19,99,68.54	4,81,81.82	24.09
105-सैन्य फार्म	87.62	52.57	60.00
202-निर्माण कार्य	4,17,06.35	71,11.95	17.05

02 - नौसेना

101-वायुयान एवं वायु इंजन	1,72,46.03	72,39.27	41.98
102-भारी एवं मध्यम वाहन	5,93.52	1,22.73	20.68
103-अन्य उपस्कर	38,73.59	12,90.19	33.31
202-निर्माण कार्य	76,78.48	33,93.25	44.19
204-नौसेना बेड़ा	15,24,33.75	5,30,84.08	34.82
205-नौसेना गोदी-बाड़ा	1,13,89.36	58,73.07	51.57

03-वायु सेना

050-भूमि	31.78	15.30	48.14
101-वायुयान एवं वायु इंजन	25,04,70.49	5,93,08.68	23.68
103-अन्य उपस्कर	5,32,83.05	2,36,31.65	44.35
202-निर्माण कार्य	1,02,45.89	26,89.43	26.25
206-विशिष्ट प्रोजेक्ट	21,66.41	10,12.60	46.74

04 - रक्षा आयुध फैक्टरियाँ

052-मशीनरी एवं उपस्कर	72,14.82	35,62.57	49.38

111-कार्य	46,43.58	11,29.04	24.31

05 - अनुसंधान एवं विकास संगठन

111-कार्य	5,64,05.58	1,04,01.28	18.44

06 - निरीक्षण संगठन

111-कार्य	5,51.10	1,16.32	21.11

14. राडार के सुधार पर अतिरिक्त व्यय

राडारों को आधुनिकतम बनाने के लिए मँहगी विदेशी तकनीकी विकल्प की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 208 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

मंत्रालय ने विदेशी तकनीक से राडारों के आँशिक आधुनिकीकरण हेतु एक आशय पत्र प्रस्तुत किया ।

सुपरफ्लेडर्मस राडार (राडार) की पुरानी तकनीक एवं सीमित खोजी क्षमता पर विचार करते हुए रक्षा मंत्रालय ने राडार के आँशिक आधुनिकीकरण हेतु, जिसमें 200.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 118 राडार संरचनाओं की पूर्णतः मरम्मत के साथ-साथ मोनोपल्स ट्रेकिंग तकनीक, एक डिजीटल मूविंग टारगेट इंडीकेटर (डी एम आई टी) तथा एक लेज़र रेंज फाइन्डर (एल आर एफ) लगाना भी सम्मिलित था, मै0 बी ई एल, जिसे कि मै0 एरिक्सन (स्वीडन की फर्म) के मुख्य ठेकेदार के रूप में कार्य करना था को मार्च 1991 में एक आशय पत्र प्रस्तुत किया ।

आँशिक आधुनिकीकरण को अपर्याप्त मानते हुए मंत्रालय ने पूर्णतः आधुनिकीकरण का निर्णय लिया ।

क्रमशः 4 करोड़ रुपए एवं 3 करोड़ रुपए प्रति राडार के अधिकतम मूल्य पर 60 राडारों के विदेशी तकनीक एवं 58 राडारों के देशज़ तकनीक से आधुनिकीकरण हेतु माँग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

तथापि, क्योंकि आँशिक आधुनिकीकृत राडार के साथ अभी भी अप्रचलित एनालॉग कम्प्यूटर लगा होगा जिसका रखरखाव सम्भव नहीं था अतः मंत्रालय ने मई 1992 में 118 राडारों के पूर्णतः आधुनिकीकरण का निर्णय लिया जिसमें आँशिक आधुनिकीकरण की मदों के अतिरिक्त एनालॉग कम्प्यूटर को डिजीटल कम्प्यूटर से प्रतिस्थापित करना तथा ट्रेकर चालकों का सुधार भी सम्मिलित था। मंत्रालय का उक्त प्रस्ताव दिसम्बर 1992 में सी सी पी ए द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया था । तदनुसार बी ई एल को एक आशय पत्र जारी कर दिया गया । आधुनिकीकरण एरिक्सन प्रस्ताव के अनुसार प्रथम 60 राडारों का 4 करोड़ रुपए प्रति प्रणाली के अधिकतम मूल्य पर तथा शेष 58 राडारों का आधुनिकीकरण देशज़ तकनीक से 3 करोड़ रुपए प्रति प्रणाली के अधिकतम मूल्य पर होना था । वर्ष 1993-94 में 12 राडार, वर्ष 1994-95 में 24 राडार तथा 1995-96 के दौरान 24 राडारों की परिदान अनुसूची के साथ 4 करोड़ रुपए प्रति की लागत से 60 राडारों के

आधुनिकीकरण हेतु मार्च 1994 में मै0 बी ई एल को औपचारिक माँग पत्र प्रस्तुत किया गया । तदन्तर सितम्बर 1996 में मूल्य वार्ता समिति ने 12 राडारों की लागत 3.69 करोड़ रुपए की दर से, 33 राडारों की 3.78 करोड़ रुपए की दर से, 15 राडारों की 3.87 करोड़ रुपए की दर से, 24 राडारों की 3.34 करोड़ रुपए की दर से, तथा 34 राडारों की 3.51 करोड़ रुपए की दर से निर्णित की ।

ए बी डब्ल्यू द्वारा 30 लाख रुपए की कुल लागत से 2 राडारों का आधुनिकीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया था और ये अभी उन्हीं के पास पड़े हुए थे ।

एनालॉग कम्प्यूटर के प्रतिस्थापन हेतु डिजीटल कम्प्यूटर के विकास की एक परियोजना पृथक रूप से मंत्रालय द्वारा जून 1991 में संस्वीकृत की गयी थी यह कार्य 30 लाख रुपए की लागत से ए बी डब्ल्यू द्वारा किया जाना था । कार्य जून 1991 में आरम्भ हुआ तथा प्रथम आदिप्रारूप का अप्रैल-जून 1992 में सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया था । परियोजना 30 लाख रुपए की लागत से जून 1993 में पूर्ण हो गयी थी तथा देशज़ तकनीक से आधुनिकीकृत राडार का सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया था तथा ये पूर्णतया चालू पाये गए थे। ये राडार ए बी डब्ल्यू के पास पड़े हुए थे (अगस्त 1997) ।

मंत्रालय ने पाया कि राडारों के देशज़ आधुनिकीकरण से 1.5 करोड़ रुपए प्रति राडार की बचत होगी किन्तु वस्तुतः प्रति राडार बचत 1.49 करोड़ रुपए से 2.02 करोड़ रुपए के बीच बनती थी ।

देशज़ तकनीक के सन्दर्भ में प्रस्ताव की जाँच करते समय अक्तूबर 1992 में मंत्रालय ने पाया कि देश में विकसित एल आर एफ तथा कम्प्यूटर का उपयोग करके 118 राडारों को अद्यतन बनाने में प्रति राडार 1.5 करोड़ रुपए की बचत होगी । तथापि यह देखा गया कि आँशिक आधुनिकीकरण (1.70 करोड़ रुपए) तथा देशज़ आधुनिकीकरण (15 लाख रुपए) की लागत के हिसाब से यह बचत 1.49 करोड़ रुपए से 2.02 करोड़ रुपए प्रति राडार बनती थी ।

मै0 बी ई एल ने अगस्त 1997 तक 181 करोड़ रुपए के कुल भुगतान के प्रति सी ओ डी को 60 आधुनिकीकृत राडार आपूरित किए थे । सी ओ डी ने इनमें से 12 राडार एक ए डी रेजीमेंट को तथा ए डी जी एम स्कूल तथा एम सी ई एम ई प्रत्येक को दो राडार निर्गमित किए थे । तथापि ए डी रेजीमेंट ने इन राडारों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनमें कुछ ऐसे दोष/कमियाँ पायी गयीं जिनका निराकरण अभी किया जाना था । शेष राडारों की प्रयोज्यनीयता के सम्बन्ध में प्रयोक्ता यूनिटों से सितम्बर 1997 में पूछा गया था किन्तु दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

मंत्रालय को मामला मई 1997 में भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

15. अनुचित भंडारण के कारण गोलीबारूद की हानि

थलसेना प्राधिकारियों द्वारा उचित भंडारण सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने के कारण 61.30 करोड़ रुपए मूल्य के गोलीबारूद की मुख्य मरम्मतों की आवश्यकता पैदा हो गयी थी तथा 8.27 करोड़ रुपए का गोलीबारूद अप्रयोज्यनीय हो गया था

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की वर्ष 1996 की रिपोर्ट संख्या 8 के पैराग्राफ 12 में एक आयातित गोलीबारूद जो कि अन्य डिपुओं के साथ-साथ गोलीबारूद डिपो 'एक्स' (ए डी) में भी भारी मात्रा में रखा हुआ था, की मरम्मत में विलम्ब के बारे में उल्लेख किया गया था ।

यह मरम्मत किए जाने वाला गोलीबारूद मूल्यवान आच्छादित भंडार स्थान घेरे हुआ था । इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रकार के प्रयोज्यनीय गोलीबारूद से भरी लकड़ी की पेटियाँ खुले काम चलाऊ स्तम्भपीठ में रखी हुई थी यद्यपि यह ए डी एक अत्यधिक दीमकग्रस्त क्षेत्र में स्थित था ।

प्रयोज्यनीय गोलीबारूद से भरी लकड़ी की पेटियाँ भारी मात्रा में दीमक और सीलन से प्रभावित हो गयी थीं ।

थलसेना प्राधिकारियों ने दिसम्बर 1994/जनवरी 1995 में पाया कि प्रयोज्यनीय गोलीबारूद से भरी बहुत सी पेटियों में दीमक लग गयी थी व इनमें सीलन आ गयी थी । इसके परिणाम 61.30 करोड़ रुपए मूल्य के गोलीबारूद को 'मुख्य मरम्मत योग्य' तथा 1.91 करोड़ रुपए मूल्य को अप्रयोज्यनीय घोषित किया गया । गोलीबारूद के खराब होने के कारण 8.27 करोड़ रुपए को आंकी गई हानि के क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 1995 में कोर मुख्यालय द्वारा एक न्यायिक जांच का आदेश दिया गया। न्यायिक जांच में दीमकग्रस्त होना, गोलीबारूद के भण्डारण के स्तम्भपीठ ऐसे स्थान में थे, जो कि नीचे थे और जिसमें पानी भर सकता था, के क्षेत्रों का पता लगाया तथा इसके अतिरिक्त 61.30 करोड़ रुपए मूल्य के गोलीबारूद को मुख्य मरम्मत योग्य घोषित करना हानि के कारण बताए ।

न्यायिक जाँच ने 8.27 करोड़ रुपए की हानि होना बताया ।

गोलीबारूद के अवश्रेणीकरण का मुख्य कारण ए डी के सभी अधिकारियों में रुचि एवं समर्पण का अभाव था।

इस प्रकार अवश्रेणीकरण एवं तदन्तर भारी मात्रा में गोलीबारूद के अप्रयोज्यनीय होने के पीछे एक मात्र महत्वपूर्ण मुख्य कारण ए डी के कमान अधिकारियों एवं उनके अधिकारियों के दल में रुचि एवं समर्पण का अभाव था। न्यायिक जाँच में यह भी पाया कि दक्षिणी कमान मुख्यालय के एम जी ए ओ सी ने वर्ष 1992 से 1995 तक उसके लिए निर्धारित 'वार्षिक तकनीकी निरीक्षण' भी नहीं किया था ।

जी ओ सी-इन-चीफ ने अगस्त 1996 में कुछ सेना अधिकारियों एवं एक सिविलियन अधिकारी के प्रति उनकी कमियों के लिए प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए ।

इस प्रकार थलसेना अधिकारियों द्वारा उचित भंडारण सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 61.30 करोड़ रुपए मूल्य का गोलीबारूद भारी मरम्मत योग्य एवं 8.27 करोड़ रुपए मूल्य का गोलीबारूद अप्रयोज्यनीय हो गया ।

मंत्रालय को मामला जून 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था ।

16. प्रश्नास्पद सौदा

एक बाह्य देश में विद्यमान राजनैतिक एवं अस्थिरता की परिस्थितियों की उपेक्षा करते हुए मंत्रालय ने उस देश से टैंक गोलाबारी नियंत्रण प्रणाली के आयात के लिए एक संविदा की

देश 'ए' में राजनैतिक अस्थिरता के बावजूद टी एफ सी एस की अधिप्राप्ति हेतु संविदा की गयी ।

कुछ प्रकार के टैंक के आधुनिकीकरण के लिए थलसेना मुख्यालय ने अप्रैल 1990 में एक बाह्य देश 'ए' से 150 टैंक गोलाबारी नियंत्रण प्रणाली (टी एफ सी एस) की अधिप्राप्ति की संस्तुति की । मान्यवर रक्षा मंत्री ने देश 'ए' में राजनैतिक अस्थिरता के दृष्टिगत जून 1991 में यह प्रस्तावित सौदा करने में समझदारी की बावत अपनी आपत्ति दर्शायी किन्तु प्रस्ताव जुलाई 1991 में अनुमोदित हो गया एवं इसके तुरन्त बाद

35.4 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत पर 150 टी एफ सी एस की आपूर्ति हेतु एक संविदा कर ली गयी । संविदा में देश 'ए' के राष्ट्रीय बैंक से आवश्यक बैंक गारण्टी के प्राप्त हो जाने पर संविदागत मूल्य के 30 प्रतिशत अग्रिम के भुगतान का प्रावधान था इसके बाद छ माह की अवधि में 20 टी एफ सी एस की आपूर्ति की जानी थी।

फर्म को 27.63 करोड़ रुपए के अग्रिम का भुगतान किया गया ।

इन शर्तों के अनुसार 30 अप्रैल 1993 तक वैध एक बैंक गारण्टी के प्रति अक्तूबर 1991 में 10.63 मिलियन अमेरिकी डालर (27.63 करोड़ रुपए) के अग्रिम का भुगतान कर दिया गया । आपूर्तिकर्त्ता ने फरवरी 1992 में, परिदान हेतु तैयार 20 टी एफ सी एस के प्रेषण पूर्व निरीक्षण की व्यवस्था करने का मंत्रालय से अनुरोध किया ।

देश 'ए' में अशांत वातावरण होने के कारण निरीक्षण दल नहीं भेजा जा सका ।

परन्तु देश 'ए' में अशांत परिस्थितियों के कारण जून 1992 तक, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस देश पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया गया, कोई निरीक्षण दल नहीं भेजा जा सका परिणामस्वरूप व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी । यह देखा जा सकता है कि देश 'ए' में अशांत वातावरण के बावजूद 30 अप्रैल 1993 से पूर्व बैंक गारण्टी को भुनाया जा सकता था किन्तु ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी, अथवा इस पर विचार भी नहीं किया गया ।

थलसेना मुख्यालय ने सूचित किया कि टी एफ सी एस जो कि एक पुरानी तकनीक थी के स्थान पर टी आई एस ए एस की अधिप्राप्ति की जानी चाहिए ।

थलसेना मुख्यालय ने फरवरी 1995 में मंत्रालय को सूचित किया कि टी एफ सी एस एक पुरानी तकनीक होने के कारण इसके स्थान पर थर्मल इमेजर स्टैंड अलोन साइट (टी आई एस ए एस) की अधिप्राप्ति की जानी चाहिए । अक्तूबर 1991 में किए गए अग्रिम के भुगतान के प्रति मार्च 1996 तक भी कोई आपूर्ति प्राप्त न होने के कारण देश 'ए' से 27.63 करोड़ रुपए के अग्रिम के समायोजन में टी आई एस ए एस की आपूर्ति प्राप्त करने के असफल प्रयास किए गए ।

न तो टी एफ सी एस की आपूर्ति की गयी और न ही अग्रिम वापस हुआ ।

यद्यपि मार्च 1996 में व्यापार प्रतिबंध उठा लिया गया था किन्तु मई 1997 तक 27.63 करोड़ रुपए के अग्रिम के प्रति कोई आपूर्ति प्राप्त नहीं हुई थी । इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक राजनैतिक रूप से अशांत एवं अस्थिर देश से उपस्कर आयात हेतु एक नासमझी भरे सौदे को अन्तिम रूप देने के बावजूद मंत्रालय स्थिति का आँकलन करने एवं समय रहते बैंक गारण्टी को भुनाने में असफल रहा । परिणामतः 27.63 करोड़ रुपए की

वसूली पूर्णतया संदेहास्पद हो गयी है ।

मंत्रालय ने नवम्बर 1996 में बताया कि भावी संविदाओं के माध्यम से अग्रिम भुगतान के समायोजन हेतु कतिपय सैन्य भण्डारों की आपूर्ति की बावत विदेशी फर्म से वार्ता की जा रही थी । मंत्रालय ने बाद में दिसम्बर 1997 में बताया कि फर्म से प्राप्त विभिन्न रक्षा भण्डारों की आपूर्ति के प्रस्तावों की थलसेना मुख्यालय के परामर्श से जाँचाधीन थी । यदि सम्पूर्ण राशि के प्रति भी आपूर्ति हो जाती है तो भी सात वर्षों के दौरान ब्याज की हानि मूलधन से अधिक होगी।

17. दोषपूर्ण राडारों की अधिप्राप्ति

21.69 करोड़ रुपए की लागत से अधिप्राप्त पाँच राडार घटिया एवं दोषपूर्ण डिजाइन के कारण पिछले तीन वर्ष से दोषपूर्ण अवस्था में पड़े हुए थे इससे उनके अधिग्रहण का उद्देश्य निष्फल हो गया था

मंत्रालय ने दिसम्बर 1985 में थलसेना के लिए निम्न स्तर की चौकसी वाले 21 राडारों के सेना में प्रवेश की संस्वीकृति प्रदान की यह इस प्रावधान के साथ थी कि आरम्भ में 21.60 करोड़ रुपए की लागत से 6 राडारों का अधिग्रहण किया जायेगा । तदनुसार जुलाई 1986 में मै0 बी ई एल को एक माँगपत्र प्रस्तुत किया गया इसमें 6 राडारों का प्रवेश वर्ष 1990 तक पूर्ण किया जाना था । तदन्तर प्रयोक्ता मूल्यांकन एवं उत्पादन आदि प्रारूप के परीक्षणों से भारी अतिरिक्त विशिष्टताओं का इसमें समावेश करने की आवश्यकता पड़ी ताकि यह अत्याधुनिकतम बन सके । इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 1990 में राडार की लागत संशोधित करके 26.03 करोड़ रुपए कर दी गयी और जनवरी 1991 में इसके लिए संशोधित अनुमोदन प्राप्त किया गया । समय सीमा में वृद्धि का एकमात्र कारण राडार का जी एस क्यू आर की विशिष्टताओं एवं मध्य 1989 से चार लगातार परीक्षणों के दौरान प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति न करना था । पायी गयीं कमियाँ विश्वसनीयता, रखरखाव एवं विषमता से सम्बन्धित थीं ।

जुलाई 1992 में सफल मूल्यांकन परीक्षण के उपरान्त जनवरी 1993 में बी ई एल को थोक उत्पादन स्वीकृति प्रदान कर दी गयी और अप्रैल 1993 तथा मई 1994 के बीच 6 राडारों की आपूर्ति पूर्ण हो गयी थी ।

मई से अगस्त 1994 तक किए गए उपयोग प्रशिक्षण के दौरान सभी राडारों में बहुत से दोषों/कमियों का पता लगा और बी ई एल के अभियंताओं के एक दल द्वारा पूर्ण जाँच/मरम्मत करने के लिए जनवरी 1995 में 5 राडार एक ए डी रेजिमेंट में लाये गए । मरम्मत कार्य जून 1995 तक चलता रहा एवं इसके बाद बन्द कर दिया गया क्योंकि सभी दोषों का निवारण नहीं हो सका । राडारों की मरम्मत से सम्बन्धित मामला अभी भी बी ई एल के साथ सुलझाया जाना था । थलसेना द्वारा राडारों में दोषों/कमियों का कारण डिजाइन का घटिया एवं दोषपूर्ण होना बताया ।

थलसेना मुख्यालय ने जुलाई 1996 में बताया कि राडार प्रवेश के समय से ही सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे थे चूंकि इनका प्रवेश कराने और प्रशिक्षण हेतु इनके उपलब्ध न होने से सामरिक आवश्यकताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

मई 1997 में 5 राडार दोषपूर्ण अवस्था में पड़े हुए थे । छठे राडार की स्थिति ज्ञात नहीं थी ।

इस प्रकार डिजाइन के घटिया एवं दोषपूर्ण होने के कारण 21.69 करोड़ रुपए मूल्य के 5 राडार गत तीन वर्षों से दोषपूर्ण अवस्था में पड़े हुए थे जिससे इनके अधिग्रहण का उद्देश्य निष्फल हो गया था ।

मंत्रालय को मामला जून 1997 में भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

18. सरकारी हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में विफल रहने के कारण राइफलों एवं गोलीबारूद की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय

एक संविदा करते समय सरकारी हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में विफलता के परिणामस्वरूप राइफलों के आयात पर 15.94 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

थलसेना मुख्यालय ने गोलीबारूद सहित राइफलों के आयात का प्रस्ताव रखा ।

आन्तरिक सुरक्षा (आई एस), प्रति आतंकवादी (सी आई) वातावरण में तैनात सैन्यबलों की तुरन्त आवश्यकता की पूर्ति एवं ओ फै बी द्वारा राइफल 'वाई' के परिदान की पूर्ति हेतु एक अंतरिम उपाय के रूप में थलसेना मुख्यालय ने जनवरी 1993 में 500 लाख चक्र गोलीबारूद सहित 1,22,000 'एक्स' राइफलों के आयात का प्रस्ताव रखा ।

फर्म द्वारा निर्यात लाइसेंस प्रस्तुत करने में असफल रहने पर संविदा को लागू करने में विफल होने के कारण उच्च दरों पर राइफलों की अधिप्राप्ति करनी पड़ी।

आयात की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात मई 1994 में विदेशी फर्म 'ए' से 10.1 मिलियन अमेरिकी ड़ालर (65 अमेरिकी ड़ालर की दर से 6.5 मिलियन अमेरिकी ड़ालर राइफलों के लिए और 72 अमेरिकी ड़ालर प्रति 1000 नग की दर से 3.6 मिलियन अमेरिकी ड़ालर गोलीबारूद के लिए) के संविदागत मूल्य पर एक लाख राइफल 'एक्स' तथा गोलीबारूद के पाँच करोड़ चक्रों के आयात हेतु एक संविदा की । तथापि फर्म 'ए' निर्यात लाइसैंस प्रस्तुत करने में विफल रही तथा संविदागत आपूर्ति नहीं हो सकी क्योंकि संविदा निर्यात लाइसैंस प्रस्तुत करने पर ही वैध मानी जानी थी । संविदा लागू नहीं की जा सकी एवं पाँच वर्ष का प्रतिबंध फर्म पर लगाये जाने के अतिरिक्त और कोई कार्रवाई नहीं की गयी । इसके बाद मंत्रालय ने उन शेष निविदाकारों जिन्होंने पूर्व में दरें निवेदित की थीं, के साथ वार्ता करके जून 1995 में विदेशी फर्म 'बी' से 11.97 मिलियन अमेरिकी ड़ालर की कुल लागत पर (99 अमेरिकी ड़ालर प्रति इकाई की दर पर) एक लाख राइफल एक्स तथा अन्य अनुषंगियों के लिए, तथा जून 1995 में विदेशी फर्म 'सी' से 3.25 मिलियन अमेरिकी ड़ालर की कुल लागत पर (65 अमेरिकी ड़ालर प्रति 1000 नग) 50 मिलियन गोलीबारूद के चक्रों आयात हेतु एक संविदा को अंतिम रूप दिया। फर्म 'बी' से 1 लाख 'एक्स' राइफलों के आयात पर 3.4 मिलियन अमेरीकी ड़ालर (11.46 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त लागत निकाली गयी । तथापि फर्म 'सी'

उच्च शक्ति परिस्थितियों के कारण गोलीबारूद की आपूर्ति करने में असफल रही । नव निवेदित दरों के आधार पर मंत्रालय ने दिसम्बर 1996 में फर्म 'बी' से 4.5 मिलियन अमेरिकी ड़ालर की कुल लागत पर (90 अमेरिकी डालर प्रति 1000 नग की दर पर) 50 मिलियन गोलीबारूद के चक्रों की आपूर्ति हेतु एक संविदा की। इस बावत आने वाली अतिरिक्त लागत 1.25 मिलियन अमेरिकी डालर (4.48 करोड़ रुपए) निकाली गई।

राइफल 'एक्स' तथा गोलीबारूद के आयात से सम्बन्धित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित तथ्य सामने आयेः

(क) आई एस/सी आई कर्त्तव्यों के लिए राइफल 'एक्स' का चयन पूर्णतया विचारित जी एस क्यू आर के अनुसार न होकर निम्नतर लागत के आधार पर किया गया था ।

(ख) आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में लगाए गए अर्द्ध सैनिक बल राइफल 'जैड़' का प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने थलसेना से उन्हे भारी मात्रा में राइफल 'जैड' के स्थानान्तरण की माँग की थी । इस स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप सरकार को कुल 150 करोड़ रुपए की प्राप्ति होनी थी ।

(ग) फर्म 'ए' के साथ की गयी संविदा फर्म 'ए' की सरकार से निर्यात लाइसैंस की प्राप्ति के बाद ही प्रभावी होनी थी । यह संविदा में एक मूल कमी थी क्योंकि फर्म 'ए' के निर्यात हेतु प्राधिकृत होने की जाँच संविदा करने से पहले ही कर ली जानी चाहिए थी । राइफल 'एक्स' के लिए संविदा पर फर्म के एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जो इसके लिए प्राधिकृत नहीं था । विदेशी फर्म 'ए' ने बताया (जनवरी 1997) कि संविदा झूठी एवं जाली थी अतः शून्य एवं अवैध थी ।

(घ) संविदा पर हस्ताक्षर करते समय निष्पादन बाँड प्राप्त नहीं किया गया था अतः सरकारी हितों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं की गयी थी ।

(च) फर्म 'बी' से राइफलों की आपूर्ति मार्च 1996 से नवम्बर 1996 के

बीच तीन परेषणों से प्राप्त हुई थी ।

(छ) मंत्रालय ने फरवरी 1997 में ठेका निरस्त कर दिया तथा गोलीबारूद की आपूर्ति में विफलता के सम्बन्ध में फर्म के उच्चशक्ति परिस्थितियों को अस्वीकार करते हुए क्षति की बावत फर्म 'सी' पर 1.26 मिलियन अमेरिकी डालर का दावा प्रस्तुत किया। जुलाई 1997 की स्थिति के अनुसार फर्म द्वारा दावा अभी भी स्वीकार किया जाना था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने जुलाई 1997 में बताया कि न्यूनतम तकनीकी रूप से स्वीकार्य होने के कारण फर्म 'ए' के प्रस्ताव की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । तथापि मंत्रालय ने प्रस्ताव भली भाँति निर्धारित जी एस क्यू आर के अनुसार होने के बारे में पुष्टि नहीं की । मंत्रालय ने आगे बताया कि राइफल 'एक्स' के लिए गोलीबारूद की आपूर्ति वर्ष 1997 में पूर्ण हो जाने की सम्भावना थी ।

इस प्रकार उपरोक्त से निम्न निष्कर्ष निकलता है:-

- सरकारी हितों की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप फर्म 'ए' के साथ संविदा की गयी जो लागू नहीं की जा सकती थी और फर्म को पाँच वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी । इसी के परिणामस्वरूप राइफलों एवं गोलीबारूद के आयात पर 15.94 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भी हुआ था ।

  गोलीबारूद के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि 33.38 करोड़ रुपए की लागत से अधिप्राप्त राइफलों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा था ।

  टक्कर की गोलीबारी क्षमता के अभाव के कारण उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र में आई एस/सी आई कर्त्तव्यों पर तैनात सैन्य बलों की भारी जन हानि हो रही थी ।

19. दोषपूर्ण पैराशूटों का आयात

वर्ष 1995 में 12.04 करोड़ रुपए की लागत से अधिप्राप्त पैराशूट दोषों के कारण उपयोग में नहीं लाए जा सके एवं तदनुसार 14.17 करोड़ रुपए की प्रत्याशित बचत भी नहीं हो सकी

अत्यावश्यक सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु थलसेना मुख्यालय ने अप्रैल 1993 में 1000 निम्न स्तर पैराशूटों (पैराशूट) के आयात का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव में यह भी दर्शाया गया था कि 1000 पैराशूटों के आयात से ऊंची उंचाई एवं निम्न स्तर पैराशूटों दोनों की आवश्यकता पूरी होने के फलस्वरूप 14.17 करोड़ रुपए की बचत होगी ।

मंत्रालय ने मई 1994 में 2.71 मिलियन यू के पौंड (12.78 करोड़ रुपए) की कुल लागत पर अतिरिक्त पुर्जों सहित 1000 पैराशूटों की आपूर्ति हेतु एक विदेशी फर्म के साथ एक संविदा की । आपूर्तियाँ जनवरी 1995 एवं जून 1995 के बीच छः परेषणों द्वारा पूर्ण हो गयी थी । पैराशूटों के निरीक्षण हेतु अक्तूबर-नवम्बर 1995 में गठित अधिकारियों के एक बोर्ड (बोर्ड) ने इनमें बहुत से दोष/कमियाँ पायीं तथा पाया कि सम्पूर्ण परेषण नमूने के अनुसार नहीं था । अतः बोर्ड ने सम्पूर्ण परेषण को निरस्त कर दिया । डी जी क्यू ए, जिसे बोर्ड के निष्कर्ष प्रेषित किए गए थे, ने दिसम्बर 1995 में अपनी राय दी कि निर्माता के प्रमाणित करने के अनुसार ये पैराशूट उपयोग हेतु ठीक थे । तथापि उन्होंने राय दी कि पर्याप्त सावधानी के तौर पर कुछ पैराशूटों पर परीक्षण कुदान की जा सकती है। प्रयोक्ताओं द्वारा जून 1996 में किए गए परीक्षण कुदानों से ही दोषों की पुष्टि हुई और पाया गया कि ये अवमानक स्तर के थे और अपनी वर्तमान स्थिति में उपयोग के योग्य नहीं थे ।

थलसेना मुख्यालय द्वारा संस्तुति करने पर मंत्रालय ने जून 1996 में सम्पूर्ण मात्रा के प्रतिस्थापन हेतु एक दावा विदेशी फर्म पर दायर किया किन्तु विदेशी फर्म ने यह कहते हुए दावे को अस्वीकृत कर दिया कि पैराशूट की आपूर्ति डी जी क्यू ए द्वारा नवम्बर 1994 में अनुमोदित नमूने के अनुरूप सहमत विशिष्टताओं एवं डिज़ाइन के अनुसार की गयी थी । इसी बीच

मंत्रालय ने 1996 में 1,35,363 यू के पौंड (0.74 करोड़ रुपए) के वारण्टी बाँड को भुना लिया ।

मंत्रालय ने जून 1997 में बताया कि विदेशी फर्म ने कुछ पैराशूटों में सुधार किया था जिनका परीक्षण किया गया था और ये स्वीकृत कर लिये गए थे । मंत्रालय ने आगे बताया कि जिस दिन सभी सुधार पूर्ण कर लिए जायेंगे उसी दिन इन्हें स्वीकार किया जाना माना जायेगा । फर्म को सुधार अभी भी पूर्ण करने थे ।

इस प्रकार 12.04 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 1995 में अधिप्राप्त पैराशूटों को उपयोग में नहीं लाया जा सका एवं तदनुसार होने वाली 14.17 करोड़ रुपए की प्रत्याशित बचत भी नहीं हो सकी ।

20. बन्दूक की नालों की अधिक अधिप्राप्ति

वार्षिक आधार पर आवश्यकता का आंकलन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 4.67 करोड़ रुपए मूल्य की बन्दूक की नालों की अधिक अधिप्राप्ति हुई

मंत्रालय ने दिसम्बर 1987 में डी जी ओ एफ द्वारा बी एम पी के लिए 73 मि मी बन्दूक की नालों के देशज़ उत्पादन की संस्वीकृति प्रदान करते समय थल सेना मुख्यालय को निर्देश दिए कि वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा (ए पी आर) के अनुसार वार्षिक आधार पर वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप डी जी ओ एफ को आदेश प्रस्तुत किए जायें ।

इन निर्देशों के उल्लंघन में थलसेना ने 13 वर्ष के लिए 494 नालों की आवश्यकता आँकी एवं 1992-93 तक परिदान के लिए 98.10 लाख की कुल लागत पर 400 नालों की आपूर्ति हेतु एक माँगपत्र मार्च 1988 में डी जी ओ एफ को प्रस्तुत किया । तथापि डी जी ओ एफ 1992-93 तक परिदान करने में विफल रहा ।

थलसेना मुख्यालय ने अगस्त 1992 में पाया कि एक डिपो के पास 111 आयातित नालों का भण्डार था एवं 1981-82 में बी एम पी के आने के उपरान्त से केवल 29 नालें निर्गमित की गयी थीं तथा विद्यमान भण्डार वार वेस्टेज रिजर्व की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त था ।

तथापि नालों की इस सुविधाजनक स्थिति के बावजूद दिसम्बर 1992 में थलसेना मुख्यालय ने आदेशित 400 नालों की मात्रा को घटाकर 250 नालें करने का निर्णय लिया जिस पर डी जी ओ एफ द्वारा भी मई 1993 में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी ।

डी जी ओ एफ ने अप्रैल 1997 तक 4.67 करोड़ रुपए की लागत पर कुल 251 नालें आपूरित की । दस वर्ष के वार्षिक उपयोग के आधार पर 251 नालें आगामी 84 वर्ष की आवश्यकता के लिए पर्याप्त रहेंगी। इसके प्रति बी एम पी का प्रत्याशित जीवन काल 15-20 वर्ष था ।

मंत्रालय को मामला जून 1997 में भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

21. संविदा प्रावधानों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

संविदा में प्रावधान होने के उपरान्त भी बिना सैल्फ डेस्ट्रक्शन मैकेनिज़म के गोलीबारूद की आपूर्ति के सम्बन्ध में मूल्य घटाने हेतु जोर देने में मंत्रालय के विफल रहने के परिणामस्वरूप 4.09 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

मंत्रालय ने 6.48 मिलियन अमेरिकी ड़ालर (27 अमेरिकी ड़ालर की इकाई दर पर) की कुल लागत से कुछ अन्य मदों सहित गोलीबारूद 'एक्स' के 2.4 लाख चक्रों की आपूर्ति हेतु एक विदेशी फर्म के साथ फरवरी 1993 में एक संविदा की । गोलीबारूद सैल्फ डेस्ट्रक्शन मैकेनिज़म (एस डी एम) सहित आपूरित किया जाना था । तथापि फर्म ने बिना एस डी एम के

गोलीबारूद के 1,67,280 चक्रों की आपूर्ति की । बिना एस डी एम के आपूरित किए गए गोलीबारूद का थलसेना मुख्यालय द्वारा अगस्त 1995 में परीक्षण किया गया और इसका निष्पादन स्वीकार्य पाया गया । संविदा में एक धारा यह भी थी कि यदि किसी सुधार के कारण उपस्कर की कीमत में परिवर्तन होता है तो दोनों पक्ष इसके परिदान से पूर्व पृथक समझौतों के द्वारा अतिरिक्त रूप से मूल्य को तय करेंगे । अक्तूबर 1995 में फर्म से इस बात के लिए सम्पर्क किया गया कि एस डी एम के न होने की क्षतिपूर्ति की बावत वह मूल्य को उपयुक्त रूप से घटाये और मामले का निपटान होने तक 0.49 मिलियन अमेरिकी ड़ालर के भुगतान को रोक लिया गया ।

फर्म ने किसी भी प्रकार मूल्य को घटाने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि संविदा में मौजूद एक प्रावधान के अनुसार फर्म परिदान किए जाने वाले उपस्कर के अनुसार फर्म परिदान किए जाने वाले उपस्कर के डिजाइन में सुधार अथवा उपस्कर के घटकों में परिवर्तन करने की हकदार थी। मंत्रालय ने तदोपरान्त अतिरिक्त पुर्जों सहित बहुत सी रक्षा मदों के लिए उन पर बुरी तरह निर्भर होने के अतिरिक्त उस देश के साथ दीर्घकालिक सैन्य/तकनीकी सहयोग के दृष्टिगत दिसम्बर 1996 में मूल्य घटाने के मामले को बन्द करने का निर्णय लिया और रोका गया 0.49 मिलियन अमेरिकी ड़ालर का भुगतान भी फर्म को जनवरी 1997 में निर्मुक्त कर दिया ।

मूल्य घटाने के मामले को बन्द करने के मंत्रालय के निर्णय से 1993 के दौरान बिना एस डी एम के गोलीबारूद 'एक्स' के 1.67 लाख चक्रों की अधिप्राप्ति से फर्म को 4.09 करोड़ रुपए का लाभ हुआ ।

मंत्रालय ने अगस्त 1997 में तर्क दिया कि बिना एस डी एम के गोलीबारूद की अधिप्राप्ति में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ था क्योंकि गोलीबारूद को आधुनिकीकृत कर दिया गया था जिससे इसका निष्पादन बेहतर हो गया था और इसके लिए आपूर्तिकर्ता को किसी अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया गया था । मंत्रालय का यह तर्क सही नहीं है क्योंकि यही गोलीबारूद बिना एस डी एम के दिसम्बर 1994 तथा मार्च 1996 में उसी देश से 21.90 अमेरिकी ड़ालर की दर पर अधिप्राप्त किया गया था । एक अन्य बाह्य देश के साथ नवम्बर 1996 में की गयी एक अन्य संविदा के अन्तर्गत बिना एस डी एम के यही गोलीबारूद 20.95 अमेरिकी ड़ालर की दर

पर अधिप्राप्त किया गया था जो यह दर्शाता है कि गोलीबारूद के आधुनिकीकरण में आपूर्तिकर्ता की अतिरिक्त लागत नहीं लगी थी ।

इस प्रकार प्रावधान होने के बावजूद एस डी एम के बिना गोलीबारूद की आपूर्ति की बावत मूल्य घटाने के लिए जोर देने में विफल रहने के कारण 4.09 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ था ।

22. दोषपूर्ण मिसाइलों का आयात

मिसाइलों की प्राप्ति के तुरन्त बाद वारण्टी अवधि के अन्दर सम्पूर्ण निरीक्षण एवं प्रयोज्यनीयता परीक्षण करने में थलसेना प्राधिकारियों के विफल रहने के परिणामस्वरूप 1.65 करोड़ रुपए की हानि हुई

मिसाइलें मई 1994 में प्राप्त हो गयी थीं ।

मंत्रालय ने 33.08 लाख रुपए प्रति की लागत पर 80 मिसाइलों के आयात हेतु एक विदेशी फर्म के साथ फरवरी 1993 में एक संविदा की । मिसाइलें एक गोलीबारूद डिपो (ए डी) में मई 1994 में प्राप्त हो गयी थी और इन पर परेषण के परिदान की तिथि से 12 माह की वारण्टी थी ।

फील्ड गोलीबारी के दौरान चार में से तीन मिसाइलों ने मिसफायर किया ।

अधिकारियों के एक बोर्ड (बोर्ड) द्वारा अप्रैल 1995 में 100 प्रतिशत दृश्य एवं क्रियात्मक जाँचों के उपरान्त अप्रैल 1995 में 4 मिसाइलें एक रेजीमेंट को निर्गमित कर दी गयी थी । इनमें से तीन ने मई 1995 में फील्ड़ गोलाबारी के दौरान मिस फायर किया ।

रेजिमेंट द्वारा प्रस्तुत दोष प्रतिवेदन के आधार पर जुलाई 1995 में आदेशित एक बोर्ड ने दिसम्बर 1995 में राय प्रकट की कि मिस फायर सम्भवतः मिसाइलों के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण हुआ होगा और यह भी कि आपूर्तिकर्त्ता ने पुरानी मिसाइलें ही साफ करके चमका कर आपूरित की होंगी ।

जुलाई 1996 में जब बोर्ड के निष्कर्ष ए डी/थलसेना मुख्यालय के विचाराधीन थे, तब इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स एवं डी जी क्यू ए द्वारा

विशेष निरीक्षण किया गया तथा दो और मिसाइलें अप्रयोज्यनीय घोषित कर दी गयीं ।

संयुक्तरूप से शेष मिसाइलों का विशेष निरीक्षण किया गया तथा दो अन्य मिसाइलें परिमापकों की सहन सीमा से बिल्कुल बाहर होने के कारण अप्रयोज्यनीय घोषित कर दी गयी थी ।

ए डी ने फरवरी 1997 में बताया कि 3 मिसाइलों के मिस फायर करने के कारण तथा दो मिसाइलों के सम्बन्ध में मरम्मत की कार्रवाई थलसेना मुख्यालय के अन्तर्गत जाँच/अन्तिम रूप देने के अधीन थी ।

इस प्रकार मिसाइलों की प्राप्ति के तुरन्त बाद वारण्टी अवधि के अन्तगर्त सम्पूर्ण निरीक्षण एवं प्रयोज्यनीयता परीक्षण कराने में थलसेना प्राधिकारियों की असफलता के परिणामस्वरूप 1.65 करोड़ रुपए की हानि हुई।

मंत्रालय को मामला जून 1997 में भेजा गया था ; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था ।

23. आयातित परीक्षण उपस्कर का उपयोग न होना

आपातकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 103.26 लाख रुपए की कुल लागत से आयातित 300 वॉट मीटर छः से अधिक वर्ष तक बिना उपयोग के पड़े रहे ।

सहायक पुर्जों/रखरखाव अतिरिक्त पुर्जों सहित 300 वॉट मीटरों की आपूर्ति हेतु एक विदेशी फर्म से 1989 में संविदा की गयी । तुरन्त ही संविदा आपूर्ति सूची में से सहायक पुर्जों/रखरखाव अतिरिक्त पुर्जों को हटा दिया गया।

रक्षा मंत्रालय ने सभी प्रकार के रेडियो उपस्करों की जाँच एवं मरम्मत में प्रयोग हेतु 103.26 लाख रुपए की कुल लागत पर अनुषंगियों एवं अतिरिक्त पुर्जों सहित 300 वॉट मीटरों के आयात हेतु एक विदेशी फर्म से अगस्त 1989 में एक संविदा की । तथापि कतिपय अनुषंगी एवं रखरखाव से सम्बन्धित अतिरिक्त पुर्जे जो कि उपस्कर की 12 प्रतिशत की दर पर दिए जाने थे, अगस्त 1989 में संविदा में एक संशोधन के माध्यम से आपूर्ति सूची में से हटा दिए गए ।

आपातकालिक आवश्यकताओं के कारण वॉटमीटरों का

10.32 लाख रुपए की लागत से वायुवहन किया गया एवं ये एक डिपो में मार्च/जुलाई 1990 में प्राप्त किए गए । अधिकारियों के एक बोर्ड, जिसने सितम्बर 1991 में परेषण की जाँच पूर्ण की, ने पाया कि कुछ महत्वपूर्ण सहायक पुर्जे आपूरित नहीं किए गए थे एवं कुछ अन्य मदें जो कि संविदा में सम्मिलित नहीं की गयी थी और जिन्हें संविदागत मदों के साथ उपयोग में नहीं लाया जा सकता था, आपूरित की गयी थीं ।

फर्म ने कुछ ऐसी मदों के साथ, जिनके लिए संविदा नहीं की गयी थी, 1990 में वॉट मीटरों की आपूर्ति की।

बोर्ड द्वारा विसंगतियों/कमियों का पता लगाए जाने के बावजूद डिपो ने अक्तूबर 1991 में कई यूनिटों को सहायक पुर्जों के साथ 298 वॉट मीटरों का निर्गमन कर दिया था तथा थल सेना मुख्यालय को विसंगतियों/कमियों के बारे में भी सूचित कर दिया था किंतु विसंगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अंततः डिपो ने वारण्टी अवधि की समाप्ति के बाद मई 1992 में विसंगति रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसी बीच थल सेना मुख्यालय की एम जी ओज़ शाखा ने दिसम्बर 1991 में बताया कि सहायक पुर्जों सहित वॉटमीटर यूनिटों के पास बिना किसी उपयोग के पड़े हुए थे क्योंकि उपस्कर के फील्ड में उपयोग हेतु आवश्यक संयोजक/संयोजनों, जो कि अतिरिक्त पुर्जों की सूची में भी सम्मिलित किए गए थे, की आपूर्ति नहीं की गयी थी ।

आपूरित न की गयी मदों के लिए विसंगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

इसके उपरान्त मामले पर डिपो, थल सेना मुख्यालय एवं मंत्रालय के बीच पत्राचार होता रहा । तथापि मई 1993 में थल सेना मुख्यालय के एक तकनीकी ग्रुप ने समस्या का विश्लेषण किया एवं पाया कि मूल संविदा में से हटा दिए गए सहायक/अतिरिक्त पुर्ज़ों के बिना वॉटमीटरों को चालू नहीं किया जा सकता था । डिपो ने मार्च 1996 में बताया कि वाँछित सहायक पुर्ज़ों की अधिप्राप्ति हेतु अब कार्यवाही कर ली गई है ।

प्रयोक्ताओं ने बताया कि महत्वपूर्ण सहायक पुर्जों के बिना वॉट मीटरों को चालू नहीं किया जा सकता एवं इसके लिए 1996 में कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी थी।

इस प्रकार

संविदा के प्रावधानों मे से कतिपय सहायक पुर्ज़ों/रखरखाव अतिरिक्त पुर्ज़ों को हटाने के फलस्वरूप फर्म ने कुछ आवश्यक मदों की आपूर्ति नहीं की और इसके परिणामस्वरूप 103.26 लाख रुपए की लागत के सहायक पुर्ज़ों सहित 300 वॉटमीटर छः से अधिक वर्ष तक बिना किसी उपयोग के पड़े रहे ।

- वॉटमीटरों एवं सहायक पुर्ज़ों के वायुवहन पर किए गए 10.32 लाख रुपए के व्यय से भी वाँछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई ।

मंत्रालय को मामला जुलाई 1997 में भेजा गया था ; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

24. लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

लेखापरीक्षा में जे सी ओ'ज़/ओ आर'ज़ , अधिकारियों को वेतन एवं भत्तों की बावत किए गए 63.77 लाख रुपए के भुगतान का पता लगा एवं विद्युत छूट न लेना स्वीकार किया गया तथा लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली की गयी

निम्नलिखित दो मामलों में पता लगाए गए 63.77 लाख रुपए के अधिक भुगतान की वसूली लेखापरीक्षा के बताए जाने पर की गयी ।

मामला ।

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं की क्रमशः मार्च 1989 एवं मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट के पैरा 14 तथा 17 में लेखापरीक्षा के बताए जाने पर की गयी वसूलियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था । पैरा 14 पर ए टी एन में मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि सी जी डी ए द्वारा मार्च 1989 में सभी नियन्त्रकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे कि भविष्य में ऐसे मामले न हो तथा इन घटनाओं द्वारा दर्शायी गयी कमियों को दूर करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की सतत गहन पुनरीक्षा के लिए भी निर्देश जारी किए गए थे ।

सी डी ए (आफीसर्स) तथा 3 भुगतान एवं लेखा कार्यालयों की अप्रैल 1996 से मार्च 1997 के बीच की गयी नमूना जाँच से वेतन एवं भत्तों, मकान किराया प्रतिपूर्ति, फील्ड भत्ता, पृथकता भत्ता, आवास के स्थान पर

क्षतिपूर्ति, दैनिक भत्ता इत्यादि के सम्बन्ध में अधिक भुगतान एवं कम वसूली के बारे में पता लगा जिसकी राशि 30.97 लाख रुपए थी । इन कमियों को सी डी ए (ओ) तथा भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया गया तथा वसूली की गयी ।

मामला II

एच एस ई बी ने मई 1995 में थोक विद्युत आपूर्ति पर छूट की दर को 1 जून 1995 से 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था । लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दो दुर्ग अभियन्ताओं ने संशोधित दरों पर इस छूट का लाभ नहीं उठाया जिसके परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों की बावत 32.80 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ ।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर दोनों दुर्ग अभियन्ताओं ने जनवरी एवं अप्रैल 1997 में मामला एच एस ई बी के साथ उठाया और किए गए अधिक भुगतान को समायोजित कराया । मंत्रालय ने नवम्बर 1997 में तथ्यों को स्वीकार किया ।

25. लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

पी ए सी द्वारा बारम्बार निर्देशों/संस्तुतियों के बावजूद मंत्रालय ने 161 ऑडिट पैराग्राफों पर उपचारी ए टी एन प्रस्तुत नहीं किए

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए सभी मामलों में कार्यकारिणी का जवाबदेही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पी ए सी ने 1982 में निर्णय लिया कि प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों को उपचारी/सुधारात्मक ए टी एन प्रस्तुत करने चाहिए ।

पी ए सी ने 1995 तक के सभी बकाया ए टी एन तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने

समिति ने बहुत से मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा में ए टी एन प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब एवं लगातार विफलता को गम्भीरता से लिया। 22 अप्रैल 1997 को लोकसभा में प्रस्तुत अपनी नौवीं रिपोर्ट

की संस्तुति की ।

वर्ष 1995-96 से ए टी एन प्रतिवेदन के पटल पर रखे जाने के चार माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने हैं।

(ग्यारहवीं लोकसभा) में पी ए सी ने इच्छा प्रकट की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित बकाया ए टी एन तीन माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत कर दिए जाए एवं संस्तुति की कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष एवं इसके बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफ पर ए टी एन लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत सत्यापित करा कर प्रतिवेदन के लोकसभा में पटल पर रखे जाने के चार माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएं ।

नवम्बर 1997 में थलसेना से सम्बन्धित बकाया ए टी एन की पुनरीक्षा से निम्नलिखित का पता लगाः

मंत्रालय मार्च 1995 तक के एवं मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन में सम्मिलित 120 पैराग्राफों पर ए टी एन प्रस्तुत करने में असफल रहा ।

- मंत्रालय परिशिष्ट-I के अनुसार मार्च 1995 को समाप्त वर्ष एवं 1995 तक की रिपोर्ट में सम्मिलित 120 पैराग्राफों से सम्बन्धित ए टी एन प्रस्तुत करने में असफल रहा । इनमें से 68 पैराग्राफ मार्च 1993 तक के एवं मार्च 1993 को समाप्त वर्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित थे·

मंत्रालय ने मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन में सम्मिलित 48 पैराग्राफों में से 41 पर ए टी एन प्रस्तुत नहीं किए थे।

- यद्यपि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन लोकसभा में 20 मार्च 1997 को पटल पर रखे गए और ए टी एन प्रस्तुत करने की चार माह की समय सीमा जुलाई 1997 को समाप्त हो चुकी थी किन्तु मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित 48 में से 41 पैराग्राफों पर ए टी एन प्रस्तुत नहीं किए थे, जिनका विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है ।

बकाया ए टी एन की स्थिति से मंत्रालय को जून 1997 में अवगत कराया गया था ; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था ।

26 मुख्य यौद्धी टैंक अर्जुन का डिज़ाइन एवं विकास

26.1 प्रस्तावना

अचूक गोलाबारी के साथ-साथ देशव्यापी संचलन, प्रचलित एवं नाभिकीय खतरों से उपयुक्त सुरक्षा तथा बदलती हुई युद्ध परिस्तिथियों में परिवर्तनीय क्षमता प्रदान करने की बावत मुख्य यौद्धी टैंक (एम बी टी) आज के युद्ध क्षेत्र में एक केन्द्रीय भूमिका रखता है ।

कवचित यौद्धी वाहनों (ए एफ वी) के डिजाइन एवं निर्माण हेतु बाह्य देशों पर निर्भरता को खत्म करने हेतु तथा टैंकों की गुणवत्ता के बारे में देश को विश्व ताकतों के समकक्ष लाने हेतु और टैंकों के उत्पादन में विदेशी मुद्रा (एफ ई) की आवश्यकता को भी बिल्कुल समाप्त करने के मद्देनज़र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) द्वारा 15.50 करोड़ रुपए की कुल लागत से (विदेशी मुद्रा 3.70 करोड़ रुपए) एम.बी.टी के डिज़ाइन एवं विकास हेतु एक परियोजना की मई 1974 में संस्वीकृति दी । ये टैंक 1985 से 2000 ए.डी. तक सेवा के लिए थे और वर्तमान टैंकों जो कि 1985 के बाद अप्रचलित हो जाने सम्भावित थे , को प्रतिस्थापित करने वाले थे ।

26.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं की वर्ष 1981-82 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 तथा वर्ष 1987-88 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 43 में भी एम बी टी के विकास में विलम्ब, परिणामतः समय एवं लागत में बढोत्तरी, थोक उत्पादन कार्यक्रम में विलम्ब तथा इसके रक्षा तैयारियों पर प्रभाव के बारे में उल्लेख किया गया था । लोक लेखा समिति (1988-89) ने भी अपनी एक सौ अड़सठवीं रिपोर्ट में (आठवीं लोकसभा)

परियोजना लागत में अत्यधिक वृद्धि पर अपनी अप्रसन्नता तथा विकास परियोजना के पूर्ण होने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब की बावत चिन्ता व्यक्त की थी । लोक लेखा समिति ने 1991-92 में अपनी संस्तुतियों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा करते समय अपनी छब्बीसवीं रिपोर्ट (दसवीं लोक सभा) में पुनः सरकार से परियोजना की प्रगति पर अनवरत निगाह रखने तथा यदि कोई समस्याएं हो तो उनके शीघ्र निपटान का आग्रह किया था ताकि थोक उत्पादन शीघ्र से शीघ्र आरम्भ किया जा सके । लेखापरीक्षा में मार्च 1997 से जुलाई 1997 के दौरान यौद्धी वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (सी वी आर डी ई), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) एम बी टी अर्जुन के परियोजना प्रबन्धक तथा थलसेना मुख्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से आदिप्रारुपों के उत्पादन, उत्पादन पूर्व श्रेणियों, प्रयोक्ता की मदद से तकनीकी परीक्षणों, प्रयोक्ता परीक्षणों तथा सीमित उत्पादन के लिए की गई कार्रवाई के संदर्भ में एम बी टी परियोजना के विकास की जाँच की गयी थी ।

26.3 क्रियान्वयन एजेन्सी

कार्यक्रम सी वी आर डी ई को सौंपा गया था एवं परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री, घटकों तथा उप-संयोजन के विकास एवं निर्माण हेतु, उपपरियोजनाओं कौ अन्य डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं/ शैक्षणिक संस्थाओं को आबंटित करने के लिए इसके निदेशक/परियोजना समन्वयकर्त्ता को प्राधिकृत किया गया था । इस परियोजना में कुल 12 प्रयोगशालाएं/ स्थापनाएं/शैक्षिक प्रतिष्ठापन सम्मिलित हैं ।

26.4 विशेषताएं

- **मई 1974 में संस्वीकृत मुख्य यौद्धी टैंक परियोजना में थोक उत्पादन अप्रैल 1984 तक होना अभिकल्पित किया गया था । तथापि इस समय सूची में यह नहीं हो सका और इसे बार-बार संशोधित किया गया और फिर यह 1990 से आरम्भ होना था किन्तु संशोधित समय सूची में भी यह नहीं हो सका।**

(पैराग्राफ 26.6 तथा 26.7)

- आयातित प्रणोदक इकाई पर आधारित 12 एम .के-I आदिप्रारुप, देशज प्रणोदक आधारित सात एम के-II आदिप्रारुपों का परिदान क्रमश जून 1987 और जून 1990 तक; 23 एम के-I, पी पी एस टैंकों का दिसम्बर 1988 तक तथा थोक उत्पादन 1990 एवं इसके बाद आरम्भ होना था । इसके प्रति आयातित प्रणोदक वाले 12 एम के-I आदिप्रारुपों का उत्पादन फरवरी 1989 में हुआ और 15 एम के-I पी पी एस टैंकों का उत्पादन दिसम्बर 1996 तक हुआ । देशज इंजन के विकास में विलम्ब के कारण एम के-II प्रकार के आदिप्रारुपों के निकट भविष्य में तैयार होने की सम्भावना नहीं थी ।

(पैराग्राफ 26.6)

- थलसेना द्वारा 1988-89 के दौरान दो आदिप्रारुपों के स्वचालन परीक्षण के दौरान मुख्य कमियों का पता लगा । अतः थलसेना ने 26 जुलाई 1989 को मन्तव्य प्रकट किया कि उत्पादन पूर्व सीरीज (पी पी एस) का उत्पादन आरम्भ होने से पूर्व इन कमियों को दूर कर लिया जाये । तथापि मंत्रालय ने 31 जुलाई 1989 को पी पी एस टैंकों के उत्पादन हेतु आदेश प्रस्तुत करने का निर्णय लिया । पी पी एस टैंकों का उत्पादन आरम्भ हो जाने के भी उपरान्त मार्च 1990 में थलसेना को दो पूर्णतया एकीकृत आदिप्रारुप सम्पूर्ण मूल्यांकन हेतु दिये गये । आदिप्रारुपों के मूल्यांकन परीक्षणों के दौरान भी मुख्य कमियों का पता लगा । तदन्तर पी पी एस टैंकों पर परीक्षण किये गये । जुलाई 1997 तक 15 उत्पादन पूर्व सीरीज टैंकों पर गहन प्रयोक्ता एवं सैन्यदल परीक्षण किये गये जो कि प्रयोक्ताओं के निम्नतम परिमापकों को भी पूरा नहीं कर सके ।

(पैराग्राफ 26.6 एवं 26.7)

- एम बी टी अर्जुन एक बाह्य देश की गोलाबारी नियन्त्रण प्रणाली के आधार पर डिज़ाइन किया गया है और इसका निष्पादन प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं से बहुत ही कम है। यद्यपि थलसेना का विचार था कि डिज़ाइन तकनीकी समावेश सम्भव नहीं है और इसका निष्पादन इसके संतृप्त स्तर पर है । किन्तु डी आर डी ओ ने बताया कि उन्होंने अनियमित गोलाबारी के कारणों का निदान कर दिया था ।

(पैराग्राफ 26.8)

- एम बी टी अर्जुन की आयातित प्रसारण प्रणाली 60 टन भार के लिए डिज़ाइन की गयी थी जबकि एम बी टी अर्जुन का कुल भार 61.5 टन से अधिक है । जिससे इंजन एवं प्रसारण के बीच तादाम्य बिगड गया जिसके फलस्वरुप प्रसारण इकाई असामयिक विफल हो गयी और प्रसारण तेल बारम्बार अधिक गर्म होने लगा । तथापि डी आर डी ओ ने बताया कि वे एम बी टी के कुल भार को 60 टन से अधिक होने की अनुमति नहीं देंगे ।

(पैराग्राफ 26.9)

- थलसेना के अनुसार एम बी टी अर्जुन की कुल विश्वसनीयता सन्तोषजनक स्तर से भी बहुत कम थी क्योंकि यह निम्नतम परिमापकों को पूर्ण करने में भी असफल रहा । डी आर डी ओ ने इसका विरोध करते हुए यह कहकर कि 1997 के ग्रीष्म परीक्षणों में दस निम्नतम परिमापकों में से आठ स्पष्टतः प्राप्त हो गये हैं, यह सहमति दी कि परिवर्तनों/आवश्यकताओं के लिए प्रयास किये जाये जिन्हे बाद में सीमित सीरीज उत्पादन में समाहित किया जा सकता है। एम बी टी अर्जुन के वर्तमान स्वरुप के प्रति थलसेना की आपत्तियों के बावजूद भी तथा जबकि अभी थलसेना द्वारा एक पूर्णतया एकीकृत पी पी एस 15 टैंक (थोक उत्पादन हेतु संदर्भ टैंक) का सफलतापूर्वक मूल्यांकन अभी किया जाना शेष था, मंत्रालय ने सी सी पी ए के अनुमोदन के बिना ही 162 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आयुध फैक्टरी बोर्ड द्वारा 15 सीमित सीरीज उत्पादन टैंकों के उत्पादन की संस्वीकृति अगस्त 1996 में प्रदान कर दी और पी पी एस-12 के संदर्भ टैंक के रुप में उपयोग करके सीमित सीरीज उत्पादन आरम्भ करने का निर्णय लिया । नवम्बर 1997 तक भी थलसेना द्वारा एम बी टी के थोक उत्पादन हेतु स्वीकृति अभी दी जानी थी ।

(पैराग्राफ 26.7 एवं 26.10)

- एक आधुनिक यौद्धी टैंक अपनी डिजाइन उत्कृष्टता अधिक प्रभावशाली प्रणालियों, कम रखरखाव एवं श्रमशक्ति आवश्यकताओं के माध्यम से सुनिश्चित करता है । तथापि वर्तमान डिज़ाइन पर

आधारित एम बी टी अर्जुन को अपना सामरिक संचलन बनाये रखने के लिए 16 अतिरिक्त तीन टन वाहनों तथा प्रति रेजिमेन्ट 45 कार्मिकों की आवश्यकता पड़ेगी ।

(पैराग्राफ 26.11)

- एम बी टी अर्जुन के वृहद आकार और भार के दृष्टिगत इसके रेल द्वारा वहन के लिए एक उपयुक्त वैगन और सड़क द्वारा वहन के लिए एक ट्रेलर के विकास की आवश्यकता थी । आर आई टी ई एस द्वारा 1.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किये जा रहे तीन विशेष वैगनों के आदिप्रारुप का परिदान जनवरी 1999 तक प्रत्याशित है । स्पेशल वैगनों के प्रयोग से खाली वैगनों तक के वहन के लिए सामान्य प्रभारों से 150 प्रतिशत अधिक का भुगतान करना होगा ।

(पैराग्राफ 26.11)

- परियोजना की मूल अनुमानित लागत वर्ष 1974 में 15.50 करोड़ रुपए थी जो 1980 में संशोधित करके 56.55 करोड़ रुपए तथा 1987 में 280.80 करोड़ रुपए कर दी गयी थी । इस तथ्य के बावजूद कि 10 आदिप्रारुपों/उत्पादन पूर्व सीरीज के टैंकों के उत्पादन में गिरावट थी, परियोजना बन्द करते समय तक वास्तविक व्यय 307.48 करोड़ रुपए था ।

(पैराग्राफ 26.12)

- मंत्रालय ने एम बी टी के लिए उत्पाद सहायता एवं परिशोधनों के लिए सी सी पी ए के अनुमोदन के बिना ही सितम्बर 1995 तथा जनवरी 1997 में 41.98 करोड़ रुपए की लागत की दो पूरक परियोजनाएं संस्वीकृत की । इसके परिणामस्वरुप भी एम बी टी अर्जुन की परियोजना लागत का 41.98 करोड रुपए कम का लेखांकन होगा ।

(पैराग्राफ 26.13)

- एम बी टी अर्जुन का पावर चैक, गन नियन्त्रण और गोलाबारी नियन्त्रण प्रणाली आयातित तकनीक पर आधारित है । दिसम्बर

1995 में तैयार लागत प्राक्कलन दर्शाता है कि लगभग 60 प्रतिशत लागत आयातित आपूर्ति से सम्बन्धित थी ।

(पैराग्राफ 26.14)

26.5 परियोजना का कार्यक्षेत्र

एम बी टी के डिज़ाइन एवं विकास के लिए मई 1974 में संस्वीकृत परियोजना (कूट नाम 'अर्जुन') थलसेना द्वारा अगस्त 1972 में तैयार की गयी जो (जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमैंट (जी एस क्यू आर) पर आधारित थी) थलसेना मुख्यालय एवं डी आर डी ओ के बीच हुई परस्पर चर्चा के उपरान्त इस जी एस क्यू आर में बहुत से परिवर्तन हुए और अन्तिम मुख्य संशोधन नवम्बर 1985 में हुए । परियोजना में 12 आदिप्रारुपों का विनिर्माण अभिकल्पित था । आदिप्रारुप योजनाओं तथा उपप्रणालियों की उपलब्धता की अगस्त 1984 में समीक्षा की गयी थी तथा मुख्य प्रणाली में एकीकृत करने के लिए विभिन्न घटकों तथा उपप्रणालियों का अलग-अलग परीक्षण करने तथा डिज़ाइन को अन्तिम रुप देने से पहले उनके निष्पादन के मूल्यांकन के क्रम में आदिप्रारुपों की संख्या बढ़कर 19 हो गयी थी । इसके अतिरिक्त 23 उत्पादन पूर्व सीरीज (पी पी एस) टैंकों का निर्माण करना था एवं इसके उपरान्त थोक उत्पादन प्रारम्भ होना था ।

26.6 आदिप्रारुपों का विकास तथा उत्पादन पूर्व सीरीज टैंक

परियोजना हेतु निर्धारित समय सूची का कभी पालन नहीं हुआ एवं इसे बार-बार संशोधित किया गया।

मई 1974 में निर्धारित समय सूची के अनुसार चार मृदु इस्पात आदिप्रारुप परीक्षण हेतु अप्रैल 1980 तक प्रस्तुत करने थे तथा आठ कवचित आदिप्रारुप अप्रैल 1982 तक प्रस्तुत करने थे । छिटपुट उत्पादन अप्रैल 1983 से तथा थोक उत्पादन अप्रैल 1984 से आरम्भ होना था । यह समय सूची बार बार संशोधित की गयी । मई 1987 में किये गये वायदे के अनुसार आयातित प्रणोदक इकाई पर आधारित 12 एम के-। आदिप्रारुप तथा देशज़ प्रणोदक वाले सात आदिप्रारुपों का परिदान क्रमशः जून 1987 एवं जून 1990 तक किया जाना था । 23 एम के-। पी पी एस टैंकों का निर्माण दिसम्बर 1988 तक तथा थोक उत्पादन 1990 से आरम्भ होना था । तथापि संशोधित समय सूची का पालन भी नहीं हो सका । आयातित प्रणोदक इकाई

वाले 12 एम के-I आदिप्रारुपों का उत्पादन फरवरी 1989 तक तथा 15 एम के-I पी पी एस टैंकों का उत्पादन दिसम्बर 1996 तक हुआ था इसके अतिरिक्त दो टॉरसन बार टैंक, एक परीक्षण वाहन, रिकवरी रोल में एक टेंक तथा आयातित पावर इकाई वाले एक एम के-II परीक्षण वाहन का उत्पादन भी हुआ था । तथापि देशज़ इंजन के विकास में विलम्ब के कारण निकट भविष्य में एम के-II आदिप्रारुपों के तैयार होने की सम्भावना नहीं थी । तदनुसार चार पी पी एस टैंक तथा छह एम के-II आदिप्रारुप कम तैयार हुए थे । यह कमी सी वी आर डी ई द्वारा अप्रैल 1995 में परियोजना को बन्द करने की संस्तुति करने तथा एम के-II आदिप्रारुपों के लिए देशज़ इंजनों की अनुपलब्धता के कारण हुई थी । डी आर डी ओ ने नवम्बर 1997 में बताया कि इस कमी का मुख्य कारण मुख्य विकास गतिविधियों के मार्च 1995 में पूर्ण हो जाना था तथा शेष गतिविधियाँ मुख्यतया परीक्षण एवं परीक्षण के दौरान पता लगे संशोधनों को मुख्य उपप्रणालियों में कोई परिवर्तन किये बिना समाहित करने की थी ।

एम के-II आदिप्रारूपों की निकट भविष्य में तैयार होने की सम्भावना नहीं थी।

उत्पादन में चार उत्पादन पूर्व सीरीज टैंकों तथा छः एम के-II आदिप्रारूपों की कमी आयी थी।

26.7 आदिप्रारुपों तथा एम बी टी के उत्पादन पूर्व सीरीज का मूल्यांकन

एम बो टी का प्रयोक्ता की मदद से तकनीकी परीक्षण निर्धारित था तथा इसके बाद प्रयोक्ता परीक्षण एवं सैन्यदल परीक्षण निर्धारित था । नवम्बर 1986 में गठित एक समर्पित प्रयोक्ता मूल्याँकन दल ने नवम्बर 1986 एवं फरवरी 1987 के दौरान दो आदिप्रारुपों की जाँच के बाद विभिन्न कमियों की ओर संकेत किया । तब आदिप्रारुप निर्माण को श्रेष्ठतम बनाने के लिए गठित पाँच कार्यदलों ने इनकी जाँच की और अन्ततः जुलाई 1989 तक दो आदिप्रारुप प्रयोक्ताओं के स्वचालन मूल्याँकन हेतु उपलब्ध कराये गये थे ।

उत्पादन पूर्व टैंकों का उत्पादन प्रयोक्ताओं के मूल्यांकन तथा स्वीकृत किए बिना प्रारम्भ किया गया।

जुलाई 1989 तक थलसेना द्वारा दो आदिप्रारुपों के किये गये स्वचालन प्रणाली मूल्याँकन से बड़ी कमियों जैसे इंजन का अधिक गर्म होना, अधिक भार, बहुत कम उद्देश्य विश्वसनीयता आदि का पता लगा । 26 जुलाई 1989 को आयोजित स्टीयरिंग समिति की बैठक में, जब उत्पादन पूर्व टैंकों के उत्पादन का मामला सामने आया तो थलसेना ने जोर देते हुए कहा कि 'क्योंकि प्रयोक्ताओं ने अभी एक भी पूर्णतया एकीकृत टैंक का मूल्याँकन नहीं किया है अतः वे उत्पादन पूर्व सीरीज के (पी पी एस) टैंकों हेतु आदेश प्रस्तुत

करने की संस्तुति नहीं कर सकते' । तथापि एक सप्ताह के अंदर ही (31 जुलाई 1989) रक्षा मंत्री द्वारा आयोजित की गयी एक बैठक में छः पी पी एस टैंकों (प्रत्येक भारी वाहन फैक्टरी को दो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दो) के लिए आदेश देने का निर्णय ले लिया गया ।

1990 में थलसेना द्वारा दो आदिप्रारूपों के किए गए मूल्यांकन से कई कमियों का पता लगा।

दो पूर्णतया एकीकृत आदिप्रारुप प्रयोक्ताओं को मार्च 1990 में उपलब्ध कराये गये थे और इनका स्वचालन एवं इनका अस्त्र परीक्षण किया जाना था । परीक्षण के दौरान बहुत सी कमियों का पता लगा जिनमें कुछ काफी गंभीर थीं । अतः थलसेना ने 24 अगस्त 1990 को आयोजित स्टीयरिंग समिति में कहा कि पी पी एस का उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व मुख्य समस्याओं जैसे की बोगी व्हील, सस्पेंशन इकाइयों, गोलाबारुद ईंधन की कमी आदि को दूर करने की आवश्यकता है । तब सी वी आर डी ई ने आश्वस्त किया कि क्योंकि पी पी एस के लिए आदेश पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रयोक्ताओं द्वारा दर्शायी गयी सभी कमियों को दूर कर लिया जायेगा और सभी संशोधनों को आदेश दिये गये छः पी पी एस टैंकों में समावेश कर लिया जायेगा ।

दो पी पी एस टैंकों का प्रदर्शन फरवरी 1993 में किया गया था । प्रदर्शन का परिणाम जिसमें गनरी एवं स्वचालन क्षमताएं सम्मिलित थी, सन्तोषजनक बताये गये थे । इसके उपरान्त जून 1993 एवं जुलाई 1996 के बीच 14 पी पी एस टैंक परीक्षणों हेतु एक फील्ड रेजिमेन्ट को सौंपे गये थे। तत्पश्चात् इन पी पी एस टैंकों का मरुभूमि/अर्द्धमरुभूमि तराई, समतल और नदियों की तराई में गहन प्रयोक्ता एवं सैन्यदल परीक्षण किये गये ।

जून 1993 में पी पी एस टैंकों के किए गए ग्रीष्म परीक्षणों में गंभीर कमियों का पता लगा।

जून 1993 के उपरान्त किये गये परीक्षणों में गंभीर कमियों का पता लगा और यह जी एस क्यू आर में दर्शायी गयी आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा । अस्त्र प्रणाली का निष्पादन भी मान्य स्तर से काफी नीचे रहा तथा टैंक की उद्देश्य विश्वसनीयता भी चौंका देने वाले रुप से कम थी अतः तदनुसार टैंक प्रयोक्ताओं को स्वीकार्य नहीं था । तदन्तर मई 1994 में सी ओ ए एस ने एम बी टी के लिए स्वीकार्य न्यूनतम 'निम्नतम स्तर' परिमापकों के बारे में बताया ।

सी ओ ए एस ने मई 1994 में एम बी टी के लिए स्वीकार्य न्यूनतम "निम्नतम स्तर" परिमापकों के बारे में बताया।

वर्ष 1994 के ग्रीष्म परीक्षणों के उपरान्त थलसेना मुख्यालय ने डी आर डी ओ के परामर्श से एम बी टी की स्वीकार्यता हेतु निम्नलिखित दस परम आवश्यकताएं निर्धारित की

थलसेना एम बी टी की स्वीकार्यता हेतु दस परमावश्यकताएं निर्धारित करती है।

- युद्ध क्षेत्रों में गन की सटीक निशानेबाज़ी में सुधार
- गतिशीलता प्रणाली में स्वीकार्य स्तर की स्थापित यथार्थता
- व्यापक उद्देश्य विश्वसनीयता में बढ़ोत्तरी
- नाभिकीय, जैवकीय, रासायनिक (एन बी सी) क्षेत्ररक्षण तथा झील अथवा नदी को पार करने की मध्यम क्षमता
- ब्लो-ऑफ पैनल के साथ गोलाबारुद बिन का विन्यास (वर्ष 1994 में प्रथम बार जोड़ी गयी आवश्यकता)
- श्रमाणुता पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता
- तेजी से इधर-उधर घूमने के क्षेत्र में विस्तार
- पृष्ठ चाप में शून्य डिग्री पर गोलाबारी क्षमता अत्यावश्यक है
- एक आपातकालिक पावर बेड़ा तथा सहायक पावर इकाई (ए पी यू) प्रावधान, तथा
- हमारे वातावरण की परिस्थितियों में वर्तमान प्रणाली में होने वाले क्षरण की समस्या को दूर करने के लिए एक सर्व विद्युत पावर बेड़ा (वर्ष 1994 में जोड़ी गयी नयी आवश्यकता)

उपरोक्त निम्नतम स्तर/दस परमावश्यकताएं थलसेना के अनुसार जी एस क्यू आर का वह सरलीकरण दर्शाती थी जिससे कम किसी परिमापकों की अनुमति नहीं दी जा सकती और ये आन्तरिक प्रकृति की मानी गयी जो कि इस सबल विश्वास पर आधारित थी कि अन्तिम उत्पाद पूर्णतया जी एस क्यू आर के अनुरुप होगा ।

डी आर डी ओ द्वारा रूपान्तरण/सुधार किए जाने के उपरान्त ग्रीष्म 1996 के दौरान किए गए प्रयोक्ता परीक्षण में गम्भीर कमियों का पता लगा।

रुपान्तरों/सुधारों के साथ पुन 1995 एवं 1996 के दौरान 14 पी पी एस टैंकों के प्रयोक्ता परीक्षण किये गये । थलसेना द्वारा 1996 में किये गये प्रयोक्ता परीक्षणों से इस बात की पुष्टि हुई कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पी पी एस टैंकों का कार्य निष्पादन निम्नतम/दस परमावश्यकताओं से भी बहुत कम

था । थलसेना द्वारा इंगित की गयी गंभीर कमियाँ निम्न प्रकार थीं।

- विभिन्न युद्धक्षेत्र सीमा में सभी प्रकार की गोलाबारी में मुख्य गन का सटीक स्तर जी एस क्यू आर में निर्धारित स्तरों से बहुत ही कम था,
- गोलाबारुद की मारक क्षमता का न तो विशिष्ट निर्धारण किया गया था न ही इसका प्रदर्शन किया गया था,
- मरुस्थल परिस्थितियों में इंजन का अधिक गर्म हो जाना,
- उद्देश्य विश्वसनीयता निम्नतम आवश्यकता से बहुत कम थी,
- इंजन डैक के ऊपर शून्य डिग्री की ऊंचाई से गोलाबारी संभव नहीं थी,
- आपात्कालिक बेड़े की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी ।

थलसेना का कहना है कि-अपने वर्तमान स्वरूप में एक एम बी टी अर्जुन को अधिक रखरखाव समय एवं प्रयासों की आवश्यकता होगी।

थलसेना ने एम बी टी की विश्वसनीयता एवं रखरखाव के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और बताया कि जबकि विश्व भर में रखरखाव समय घटाने का रुख अपनाया जा रहा था, एम बी टी अर्जुन के सम्बन्ध में इसमें वृद्धि हुई थी । डी आर डी ओ के अनुसार थल सेना द्वारा व्यक्त किये गये विचार केवल आत्मनिष्ठ राय थी और आँकड़ों का विश्लेषण वर्षों के दौरान आँकड़ों का विश्लेषण वर्षों से होने वाले विफल (एम बी टी एफ) के दौरान एक बढता हुआ रुझान दर्शाते हैं । डी आर डी ओ ने कहा कि किये गये परीक्षणों से शस्त्र प्रणाली में किये गये क्षमताओं/सुधारों की स्पष्टतः पुष्टि हुई है और वाँछित सीमा में, निर्धारित समय में स्वचालन क्षेत्र क्षमता में भी सुधार हुआ था । उन्होंने इसके अतिरिक्त मरुस्थल परिस्थितियों में इंजन के अधिक गर्म होने को भी नहीं माना ।

वर्ष 1997 के ग्रीष्म परीक्षणों से पता लगा कि कार्य निष्पादन स्वीकार्य मानकों से कम था।

थलसेना ने जून 1997 में बताया कि एम बी टी अर्जुन की विश्वसनीयता कुल मिलाकर सन्तोषजनक नहीं थी।

थोक उत्पादन हेतु संदर्भ टैंक पी पी एस 15 पर अप्रैल 1997 में किये गये ग्रीष्म परीक्षणों से पता लगा कि यद्यपि पूर्व वर्षों की तुलना में सुधार हुआ था तथापि यह अभी भी स्वीकार्य मानकों से कम था । वर्ष 1996 के ग्रीष्म परीक्षण के दौरान इंगित की गयी गंभीर कमियाँ अर्थात युद्ध क्षेत्रों में गन की सटीक गोलाबारी, उद्देश्य विश्वसनीयता, गोलाबारुद की मारक क्षमता, गोलाबारुद संग्राहक को आद्यानीकरण, आपातकालिक बेड़ा आदि अभी भी ज्यों की त्यों थी तथा इन्हें अभी दूर किया जाना था । तदनुसार थलसेना ने जुलाई 1997 में कहा कि अपने वर्तमान स्वरुप में एम बी टी अर्जुन की विश्वसनीयता

कुल मिलाकर सन्तोषजनक नहीं थी । थलसेना ने आगे दर्शाया कि उपकरण एवं उपप्रणालियों में समय-समय पर होने वाली विफलता से सैन्य दलों का आत्मविश्वास घट सकता है । थलसेना ने यह भी बताया कि कवच सुरक्षा पहले का परीक्षण नहीं किया गया था ।

थलसेना ने जून 1997 में संस्तुति की थी कि पता लगी सभी आपत्तियों एवं कमियों के परिशोधन एवं इसे उन्हे दिखाने के उपरान्त ही सीमित सीरीज उत्पादन आरम्भ किया जाना चाहिए।

डी आर डी ओ ने तर्क दिया कि दस निम्नतम आवश्यकताओं में से आठ पूर्ण हो चुकी थी।

थोक उत्पादन हेतु संदर्भ टैंक पी पी एस 15 के अप्रैल 1997 में प्रयोक्ता मूल्याँकन परीक्षण में बहुत सी कमियों का पता लगने के कारण एम बी टी अर्जुन परियोजना प्रबन्धक ने जून 1997 में संस्तुति की कि सीमित सीरीज उत्पादन केवल तभी आरम्भ किया जाये जबकि पता लगी सभी आपत्तियों एवं कमियों को दूर करके इसे प्रयोक्ताओं को दिखा लिया जाये एवं उनके द्वारा इसकी पुष्टि करने तक डिज़ाइन को अन्तिम रुप न दिया जाये। तथापि डी आर डी ओ ने तर्क दिया कि 1997 के ग्रीष्म परीक्षणों में थलसेना द्वारा निर्धारित दस निम्नतम परिमापकों में से आठ स्पष्ट रुप से प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गोलाबारुद के आद्यानीकरण का प्रदर्शन 1998 में किया जायेगा किन्तु सर्व विद्युत गन नियन्त्रण प्रणाली जो कि एक नई आवश्यकता है के पूर्ण होने में तीन से चार वर्ष का समय लगेगा । तथापि लेखापरीक्षा में यह पता लगा कि प्राथमिकता वाले जटिल मुद्दों जैसे कि युद्ध क्षेत्र सीमा में यथार्थता, गोलाबारी नियन्त्रण प्रणाली, गोलाबारुद की गुणवत्ता, प्रसारण, उद्देश्य विश्वसनीयता सुरक्षा इत्यादि पर थलसेना और डी आर डी ओ के मध्य भली भाँति विचार हुआ था और नवम्बर 1997 में डी आर डी ओ इस बात के लिए सहमत हो गया था कि आगे सीमित सीरीज उत्पादन में एवं इसके उपरान्त परिवर्तनों/ आवश्यकताओं को समाहित कर लिया जायेगा । तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि उत्पादन सुविधाएं स्थापित होने के बाद ये परिवर्तन कैसे समाहित किये जा सकते हैं । यह भी रोचक है कि इसी प्रकार की स्थिति में जब थलसेना ने आदिप्रारुपों के सफल मूल्याँकन परीक्षण से पूर्व एवं पी पी एस टैंकों का उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व सभी कमियों को दूर कर लेने से पहले पी पी एस टैंकों के उत्पादन को स्वीकृति देने से मना कर दिया था तो सी वी आर डी ई ने भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया था और पी पी एस टैंकों का उत्पादन आरम्भ कर दिया था तथपि बाद की घटनाओं ने यह प्रमाणित कर दिया कि सी वी आर डी ई थलसेना से किये गये अपने वायदे को निभाने में असफल रहा था ।

26.8 दोषपूर्ण गोलाबारी नियन्त्रण प्रणाली

एम बी टी अर्जुन की गोलाबारी नियन्त्रण प्रणाली प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं से बहुत ही कम थी।

एम बी टी एक आयातित गोलाबारी नियन्त्रण प्रणाली (एफ सी एस) के आधार पर डिज़ाइन किया गया था ग्रीष्म 1997 तक किये गये प्रयोक्ता गोलाबारी परीक्षणों से पता लगा कि सटीक गोलाबारी अनियमित एवं अप्रत्याशित थी । प्रयोक्ता परीक्षण रिपोर्ट से यह भी सिद्ध हुआ कि एम बी टी अर्जुन की शस्त्रास्त्र प्रणाली अपने वर्तमान स्वरुप में प्रयोक्ता की आवश्यकताओं की बहुत ही कम पूर्ति करती थी । थलसेना का विचार था कि डिजाइन अब किसी तकनीकी समावेश को ग्रहण करने योग्य नहीं था और इसका निष्पादन अपने संतृप्त स्तर पर था । डी आर डी ओ ने नवम्बर 1997 में बताया कि उन्होंने 1995 में अनियमित गोलाबारी के कारणों का निदान कर दिया था और इसके नियन्त्रण एवं सुधार हेतु उपाय किये गये थे । तथापि थलसेना ने 20 अक्तूबर 1997 से 13 नवम्बर 1997 तक आयोजित की गयी संयुक्त बैठक में भी अपने पूर्व कथन पर जोर दिया था कि आयातित एफ सी एस अपनी विकास सीमा के अन्त को प्राप्त कर चुका था ।

26.9 प्रसारण निर्धारण में असंगति

एम बी टी अर्जुन का भार अधिक होने के कारण आयातित पावर पैक इसके उपयुक्त नहीं था।

एम बी टी के लिए एक उपयुक्त इंजन एवं प्रसारण प्रणाली के विकास हेतु किये गये देशज़ प्रयासों के समस्याओं में घिर जाने के कारण आदिप्रारुपों एवं पी पी एस टैंकों में उपयोग के लिए प्रसारण इकाइयों सहित 42 पावर पैक नवम्बर 1983 एवं 1988 के बीच जर्मनी से आयात किये गये थे । तथापि एम बी टी के कुल 61.5 टन के भार के प्रति आयातित प्रसारण प्रणाली केवल 60 टन के लिए उपयुक्त होने के कारण इंजन एवं प्रसारण के बीच असंगति पैदा हो गयी जिसके परिणामस्वरुप ढाँचे की पार्श्व दीवारों में फुलाव आ गया था । इसके परिणामस्वरुप छः प्रसारण इकाई निर्धारित 6000 कि मी के निर्धारित कार्य काल से पूर्व ही असफल हो गयीं। प्रयोक्ता परीक्षण के दौरान प्रसारण तेल का बार-बार अधिक गर्म हो जाना इस बात का द्योतक था कि प्रसारण डिज़ाइन परिमापकों से परे कार्य कर रहा था । डी आर डी ओ ने नवम्बर 1997 में बताया कि भार को 60 टन से अधिक नहीं होने दिया जायेगा एवं प्रसारण इकाइयों के विफल होने का कारण उन्होंने दाब मापन हेतु

बाहर से लगायी गयी पीतल की नलियों का विफल होना बताया और कहा कि इसे सुधार दिया गया था । तथापि थलसेना ने नवम्बर 1997 में बताया कि जब एम बी टी अर्जुन का भार 58.5 टन था तो प्रसारण अपने उच्चतम स्तर पर कार्य कर रहा था ।

26.10 सीमित सीरीज उत्पादन

रक्षा उपस्कर/प्रणाली का उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व डिज़ाइन को अन्तिम रुप देना होता है तथा जी एस उपस्कर नीति समिति को इसकी सेवाओं में समावेश हेतु अनुमोदन करना होता है । थलसेना चूंकि पी पी ए-1 से 14 तक जो कि उन्हें मूल्याँकन हेतु उपलब्ध कराये गये थे, की कार्य निष्पादन एवं रखरखाव से सन्तुष्ट नहीं थी अतः मार्च 1996 में डी आर डी ओ एवं थलसेना द्वारा पारस्परिक रुप से निर्णय लिया गया कि जब तक पूर्णतया एकीकृत पी पी एस-15 सेना को उपलब्ध नहीं कराया जाता और जब तक सेना द्वारा उसका सफल मूल्याँकन नहीं कर लिया जाता तब तक डिज़ाइन को अन्तिम रुप नहीं दिया जायेगा । इसी के अनुसार मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने पी पी एस-15 को थलसेना द्वारा इसके सफल मूल्याँकन परीक्षण के बाद इसे संदर्भ टैंक के रुप में उपयोग करते हुए आयुध फैक्टरी बोर्ड 15 सीमित सीरीज उत्पादन टैंकों (एल एस पी) के निर्माण हेतु अगस्त 1996 में संस्वीकृति प्रदान कर दी । मंत्रालय ने पॉवर पैक, गन नियन्त्रण और गोलाबारी नियन्त्रण प्रणाली के आयात एवं विदेशी कम्पनियों से तकनीक हस्तांतरण का अनुमोदन भी प्रदान कर दिया । तथापि बाद में 27 अगस्त 1996 को आयोजित स्टीयरिंग समिति की बैठक में पी पी एस-12 को संदर्भ टैंक के रुप में उपयोग करते हुए सीमित सीरीज उत्पादन कार्य को आरम्भ करने का निर्णय लिया गया । इस निर्णय की पुष्टि अभी भी थलसेना द्वारा की जानी थी (नवम्बर 1997) । एक पूर्णतया एकीकृत पी पी एस-15 का सफलतापूर्वक मूल्यांकन थलसेना द्वारा किया जाना शेष था तथा उसके पश्चात् डिज़ाइन को अन्तिम रुप दिया जाना था । तथापि अर्जुन कार्यकारी परिषद (ए ई बी) की 9 सितम्बर 1997 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महानिदेशक आयुध फैक्टरियाँ (डी जी ओ एफ) एम बी टी अर्जुन के उत्पादन हेतु प्रयोक्ताओं से औपचारिक स्वीकृति जो कि अन्ततः जनरल स्टाफ अनुमोदन द्वारा प्राप्त होनी थी, की प्रतीक्षा किये बिना सीमित

अगस्त 1996 में सी सी पी ए के अनुमोदन के बिना ही 162 करोड़ रुपए (लगभग) की लागत से 15 एम बी टी अर्जुन टैंकों की सीमित सीरीज उत्पादन की संस्वीकृति प्रदान कर दी गयी।

इस तथ्य के बावजूद कि थलसेना एम बी टी के कार्य निष्पादन से सन्तुष्ट नहीं थी, अर्जुन टैंक के 15 सीमित सीरीज उत्पादन में सम्मिलित गतिविधियां प्रयोक्ताओं से स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना ही जारी रखी गयी।

सीरीज़ के अर्जुन टैंक के उत्पादन हेतु आवश्यक गतिविधियों को जारी रखें । ए ई बी ने यह संस्तुति भी की कि प्रयोक्ताओं द्वारा सुझाये गये सभी सम्भाव्य सुधारों को समाहित कर लिया जाये एवं पी पी एस-15 टैंक पर इसका प्रदर्शन किया जाये ताकि यह एक संदर्भ टैंक बन सके ।

सी सी पी ए के अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही सीमित सीरीज उत्पादन के लिए 162 करोड़ रुपए की संस्वीकृति इस आधार पर प्रदान कर दी गयी थी कि व्यय डी जी ओ एफ के बजट आबंटन से किया जायेगा और इस तर्क पर भी कि एम बी टी की आरम्भिक संस्वीकृति में 42 टैंकों का उत्पादन सम्मिलित था और जिनमे से अब केवल 27 टैंकों के उत्पादन की योजना थी। मंत्रालय का यह आधार मान्य नहीं है क्योंकि डी आर डी ओ पहले ही 32 टैंकों (12 आदिप्रारुपों, 15 पी पी एस, दो टॉरसन बार टैंक, एक परीक्षण वाहन, एक रिकवरी टैंक तथा एक एम के-II वाहन) का उत्पादन कर चुका था और इन 32 आदिप्रारुपों/पी पी एस टैंकों के उत्पादन में संस्वीकृत लागत बढ़ गयी थी। अतः सी सी पी ए के अनुमोदन के बिना ही 15 टैंकों के एल एस पी की संस्वीकृति अनियमित थी । डी आर डी ओ ने नवम्बर 1997 में बताया कि 124 टैंकों के उत्पादन के लिए शीघ्र ही सी सी पी ए का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा था एवं 15 टैंकों के छोटे बैच का उत्पादन आरम्भ करने का निर्णय निरन्तर जारी रखने के लिए लिया गया था ।

26.11 सामरिक संचलन

सामरिक संचलन बनाए रखने के लिए एक एम बी टी अर्जुन रेजिमेन्ट को 16 अतिरिक्त तीन टन वाहनों तथा प्रति रेजिमेन्ट 45 कार्मिकों की आवश्यकता होगी।

एक अत्याधुनिक यौद्धी टैंक अपने डिज़ाइन की उत्कृष्टता को अधिक दक्ष प्रणालियों, कम रखरखाव व कम श्रमशक्ति आवश्यकता तथा युद्ध विषयक विश्वसनीयता के माध्यम से सुनिश्चित करता है । तथापि वर्तमान डिज़ाइन के लिए बनायी जाने वाली एम बी टी अर्जुन रेजिमेण्ट के लिए 16 अतिरिक्त तीन टन वाहनों तथा इसकी सामरिक संचलन बनाये रखने के लिए 45 कार्मिक प्रति रेजिमेण्ट की आवश्यकता होगी ।

एम बी टी अर्जुन अपने वर्तमान स्वरुप में समकालीन टैंकों के समक्ष ऊंचाई एवं चौड़ाई में वृहदतम होने के कारण इसके रेल वहन के लिए इसके पूर्ण पे लोड़ के साथ एक विशेष वैगन की आवश्यकता होगी क्योंकि वर्तमान

थलसेना के पास एम बी टी अर्जुन को रेल अथवा सड़क से ले जाने के लिए उपयुक्त वैगन अथवा ट्रेलर उपलब्ध नहीं है।

में थलसेना के पास मौजूद वैगन इस टैंक को ले जाने में सक्षम नहीं हैं । तदनुसार मंत्रालय ने इसके रेल वहन के लिए 1.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर तीन आदिप्रारुप विशेष बोगी समतल वैगन के डिजाइन एवं विकास हेतु जनवरी 1997 में संस्वीकृत प्रदान की, कार्य पूर्ण होने के लिए 24 माह का समय अर्थात जनवरी 1999 तक का समय निर्धारित किया गया था ।

थलसेना के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए खाली वैगनों के वहन पर भी सामान्य प्रभारों की अपेक्षा 150 प्रतिशत अतिरिक्त वहन प्रभारों का भुगतान करना पड़ेगा।

कोई भी परेषण जो कि मानक चलायमान आयामों से अधिक का होता है अतिरिक्त आयामीय परेषण (ओ डी सी) कहलाता है जिसके लिए रेलवे सामान्य प्रभारों से डेढ़ गुना प्रभार लगाती है । बहुत से रक्षा उपस्कर/वाहन जब रेल वहन हेतु वैगनों में लादे जाते हैं तो उन्हें ओ डी सी वर्ग परेषणों में रखा जाता है तथापि खाली वैगनों को नॉन-ओ डी सी श्रेणी में रखा जाता है । एम बी टी अर्जुन के रेल वहन के लिए विशेष रुप से डिजाइन किये गये वैगनों के मामले में खाली वापस आते समय भी इन्हें ओ डी सी श्रेणी में रखा जायेगा जिसके कारण इन पर सामान्य प्रभारों की तुलना में 150 प्रतिशत अधिक प्रभारों का भुगतान करना पड़ेगा । इसके अलावा भारतीय रेलवे को अभी अपने सभी खण्डों पर एम बी टी अर्जुन के वहन के लिए मार्ग स्वीकृति प्रमाण पत्र देना अभी बकाया है (नवम्बर 1997)।

एम बी टी अर्जुन की ऊंचाई, चौड़ाई, एवं इसका भार इसके सड़क द्वारा सामरिक संचलन को भी प्रभावित करेगा क्योंकि थलसेना के पास वर्तमान में 60 टन से अधिक भार के टैंक को ले जाने के लिए उपयुक्त ट्रैलर नहीं हैं।

26.12 वित्तीय स्थिति

परियोजना लागत बीस गुना अधिक हो गयी थी अर्थात 15.50 करोड़ रुपए से 307.48 करोड़ रुपए हो गयी थी।

परियोजना मई 1974 में 15.50 करोड़ रुपए (एफ ई 3.70 करोड़ रुपए) की लागत पर संस्वीकृत की गयी थी । जी एस क्यू आर में संशोधन, मूल्यों में वृद्धि आदि के परिणामस्वरुप अक्तूबर 1980 में परियोजना लागत संशोधित करके 56.55 करोड़ रुपए (एफ ई 12.96 करोड़ रुपए) कर दी गयी थी । आदिप्रारुपों तथा पी पी एस टैंकों की बढ़ी हुई संख्या की आवश्यकता, पॉवर पैकों के आयात, मूल्यवृद्धि, परामर्श प्रभार इत्यादि के परिणामस्वरुप मई

1987 में परियोजना लागत पुनः संशोधित करके 280.80 करोड़ रुपए (एफ ई 102.32 करोड़ रुपए) कर दी गयी थी । परियोजना के समापन के समय परियोजना पर कुल 294.70 करोड़ रुपए (एफ ई 97.87 करोड़ रुपए) हो चुका था ।

श्रमशक्ति पर हुआ 12.78 करोड़ रुपए के व्यय का लेखांकन परियोजना खाते में नहीं किया गया था।

यह जानना भी रोचक है कि सी वी आर डी ई ने वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 में श्रमशक्ति पर हुए 12.78 करोड़ रुपए के व्यय का लेखांकन परियोजना के खाते में इस आधार पर नहीं किया कि एम बी टी श्रमशक्ति के लिए आबंटित निधियों से अधिक व्यय हो चुका था । इस व्यय को नियमित करने के लिए मंत्रालय का आदेश जारी करना शेष था (जुलाई 1997) । इस प्रकार संशोधित 280.80 करोड़ रुपए की लागत के प्रति मार्च 1995 में परियोजना के समापन के समय तक परियोजना पर कुल 307.48 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका था ।

26.13 सी सी पी ए के अनुमोदन के बिना पूरक परियाजनाओं की संस्वीकृति

पी ए सी द्वारा अपनी 168वीं रिपोर्ट (आठवीं लोक सभा) के पैरा 2.12 के अन्तर्गत की गयी संस्तुति के अनुपालन के उद्देश्य से परियोजना लागत को संस्वीकृत 280.80 करोड़ रुपए के दायरे में लाने के लिए ही प्रकटतः 31 मार्च 1995 को परियोजना को बन्द कर दिया गया था । तथापि एम बी टी परियोजना पर गतिविधियाँ मार्च 1995 के बाद भी जारी रहीं । इन पर नीचे चर्चा की गयी है ।

26.13.1 उत्पाद सहायता

थलसेना द्वारा वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान एम बी टी अर्जुन के किये गये गहन परीक्षणों से निर्धारित परिमापकों की प्राप्ति नहीं हो सकी । इसके फलस्वरुप प्रयोक्ताओं से थोक उत्पादन की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1995, 1996, और 1997 के दौरान और अधिक प्रयोक्ता परीक्षणों की आवश्यकता पड़ी । ये बढ़े हुए प्रयोक्ता परीक्षण अतिरिक्त आवश्यकता थीं जिनका सी सी पी ए दस्तावेजों में कोई उल्लेख नहीं था । क्योंकि एम बी टी अर्जुन पर विकास गतिविधियाँ पूर्ण हो चुकी थीं एवं

बढे हुए प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए 16.98 करोड़ रुपए (एफ ई 6.50 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त व्यय सी सी पी ए के अनुमोदन के बिना किया गया था।

परियोजना 31 मार्च 1995 को बन्द हो चुकी थी अतः सी वी आर डी ई ने इन बढ़े हुए प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए उत्पादन सहायता हेतु एक पृथक परियोजना आरम्भ कर दी । यह परियोजना मंत्रालय द्वारा 16.98 करोड़ रुपए की (एफ ई 6.50 करोड़ रुपए) की कुल लागत पर सितम्बर 1995 में संस्वीकृत की गयी थी । इस लागत में 9.98 करोड़ रुपए (एफ ई 6.50 करोड़ रुपए) रखरखाव तथा उत्पाद सहायता के प्रावधान हेतु था तथा 7.00 करोड़ रुपए श्रमशक्ति लागत की बावत था । इसके पूर्ण होने की सम्भाव्य तिथि 31 मार्च 1996 थी । इसे 31 मार्च 1997 तक बढाया गया ।

16.98 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय (एफ ई 6.50 करोड़ रुपए) की आवश्यकता केवल इसीलिए पड़ी कि सी वी आर डी ई द्वारा प्रयोक्ता मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराये गये पी पी एस टैंक वाँछित परिमापकों को पूरा करने में विफल रहे ।

26.13.2 एम बी टी अर्जुन में रुपान्तरण

सी सी पी ए के अनुमोदन के बिना ही एम बी टी अर्जुन की प्रणालियों में सुधार हेतु 25 करोड़ रुपए (एफ ई 5 करोड़ रुपए) की संस्वीकृति प्रदान कर दी गयी।

यद्यपि थलसेना प्राधिकारियों को टैंक के वर्तमान डिज़ाइन पर आपत्तियाँ थीं किन्तु मंत्रालय ने 25 करोड़ रुपए की कुल लागत पर सी वी आर डी ई के लिए 'एम बी टी की प्रणालियों में सुधार' नामक एक परियोजना जनवरी 1997 में संस्वीकृत की । परियोजना की सम्भाव्य पूर्णता तिथि 30 सितम्बर 1999 है ।

इस प्रकार मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1995 एवं जनवरी 1997 में क्रमशः उत्पाद सहायता हेतु 16.98 करोड़ रुपए (एफ ई 6.50 करोड़ रुपए) की लागत पर तथा एम बी टी प्रणालियों में सुधार हेतु 25 करोड़ रुपए (एफ ई 5.00 करोड़ रुपए) की कुल लागत दो पूरक परियोजनाओं को संस्वीकृत करना अनियमित था और यह केवल सी सी पी ए के अनुमोदन से होना चाहिए था क्योंकि एम बी टी अर्जुन की मुख्य परियोजना अभी चालू थी इसके परिणामस्वरुप एम बी टी अर्जुन की परियोजना लागत में 41.98 करोड़ रुपए कम का लेखांकन भी हुआ ।

26.14 विदेशी मुद्रा तत्व

एम बी टी अर्जुन की उत्पादन लागत का लगभग 60 प्रतिशत आयातित आपूर्तियों से सम्बन्धित था।

वर्ष 1987 के आरम्भ में तैयार किये गये प्राक्कलनों के अनुसार एम बी टी अर्जुन में आयात तत्व 27 प्रतिशत एवं विदेशी मुद्रा में व्यय 45 प्रतिशत था । एम बी टी अर्जुन की तीन मुख्य प्रणालियाँ अर्थात पॉवर पैक, गन नियन्त्रण तथा गोलाबारी नियन्त्रण प्रणालियाँ आयातित तकनीक पर आधारित है । दिसम्बर 1995 में 15 एल एस पी के लिए तैयार किये गये लागत प्राक्कलन दर्शाते हैं कि कुल लागत प्राक्कलन का लगभग 60 प्रतिशत आयातित आपूर्तियों से सम्बन्धित था ।

27. लघु सुदूर चालित वाहन का विकास

27.1 प्रस्तावना

सुदूर चालित वाहन (आर पी वी) एक ऐसा मानवरहित वायुयान है जिसे भूआधार से उड़ाया एवं नियंत्रित किया जा सकता है और इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में युद्ध विषयक तैयारियों से सम्बन्धित सूचनाओं का सही समह एवं पूर्ण यथार्थ के साथ पता लगाने के साथ-साथ तोप सेना/एस एस मिसाइलों के लिए लक्ष्य का पता लगाने तथा आकाश से भूमि पर शस्त्रों के लिए लक्ष्य का पता लगाने, संचार प्रसारण प्लेटफार्म के रुप में कार्य करने तथा फँसाने वाला/रक्षा छिपाव/प्रपीडन उपकरण के रुप में कार्य करने के लिए किया जाता है । यह वर्तमान एवं भावी युद्ध के लिए महत्वपूर्ण बल गुणक के रुप में जाना जाता है ।

थलसेना की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अक्तूबर 1991 में परियोजना संस्वीकृत की गयी थी।

थलसेना की आर पी वी की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सितम्बर 1988 में यह निर्णय लिया गया था कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन आर पी वी के देशज़ विकास का कार्यभार संभालेगा । थलसेना द्वारा जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमैंट (जी एस क्यू आर) को मई 1990 में अन्तिम रुप दिया गया था । सरकार ने आर पी वी के डिज़ाइन एवं विकास को सन्निहित करते हुए 34 करोड़ रुपए (एफ ई 8 करोड़ रुपए) की लागत पर अक्तूबर 1991 में परियोजना संस्वीकृत की थी ।

27.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

थलसेना की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक आर पी वी के डिजाइन एवं विकास को सन्निहित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा मई एवं जून 1997 में एक पुनरीक्षा की गयी थी ।

27.3 क्रियान्वयन एजेन्सी

परियोजना वैमानिकी विकास स्थापना (ए डी ई) को सौंपी गयी थी एवं इसके निदेशक/परियोजना समन्वयक को परियोजना हेतु वाँछित प्रणालियों, घटकों तथा उप संयोजनों के विकास/निर्माण हेतु उपपरियोजनाओं को अन्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं को सौंपने के लिए प्राधिकृत किया गया था । कुल मिलाकर इस परियोजना में आठ प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं सम्मिलित हैं ।

27.4 विशिष्टताएं

अक्तूबर 1991 में संस्वीकृत आर पी वी जो कि 34 करोड़ रुपए की लागत पर ए डी ई द्वारा विकसित की जाने वाली थलसेना की एक सामरिक आवश्यकता है, जिसकी निर्धारित पूर्णता तिथि मार्च 1995 थी, में 33 माह से अधिक का विलम्ब हो गया था और दिसम्बर 1997 के बाद और 12 माह का विलम्ब प्रत्याशित हैं । ए डी ई ने जून 1997 तक 20 विकास उड़ान परीक्षण किये थे । इन विकास परीक्षणों में न्यूनतम गति एवं सहनशीलता में कमियों का पता लगा तथा सामने आयी तकनीकी समस्याओं के निराकरण दृष्टिगत और परीक्षण उड़ानों की योजना है । तदनुसार एक पूर्णतया एकीकृत आदिप्रारुप प्रयोक्ताओं को उनके सम्पूर्ण मूल्यांकन हेतु अभी भी उपलब्ध कराया जाना है। पूर्णता तिथि में वृद्धि डिज़ाइन एवं विकास के क्षेत्र में डी आर डी ओ के अति आशावाद को दर्शाता है ।

(पैराग्राफ 27.6, 27.10 तथा 27.14)

- यद्यपि फेज़-I की विकास परीक्षण उड़ाने मार्च 1993 से निर्धारित थी किन्तु ए डी ए एयर फ्रेम का डिज़ाइन जून 1993 में पूर्ण कर पाया। तदोपरान्त डी आर डी ओ की एक स्थापना को आदेश प्रस्तुत किये गये तथा 5 सैटों के लिए घटकों की आपूर्ति जनवरी 1994 तक पूर्ण होनी थी किन्तु यह स्थापना जून 1994 तक केवल तीन सैटों के लिए घटकों की आपूर्ति कर सकी और अन्ततः नवम्बर 1995 में आपूर्ति आदेश का अल्पसमापन कर दिया गया । एम फर्म जिसे आपूर्ति आदेश दिया गया था, के द्वारा भी छः एयर फ्रेमों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ था और दो एयर फ्रेमों की आपूर्ति तो वस्तुतः अगस्त 1997 में पूर्ण हुई थी ।

(पैराग्राफ 27.6 तथा 27.7)

- विकास परियोजना हेतु चार विभिन्न प्रकार के इंजनों का आयात किया गया था । 22.29 लाख रुपए की लागत से अधिप्राप्त 'सी' प्रकार के तीन इंजनों का उपयोग नहीं हो सका और इसकी अधिप्राप्ति पर किया गया व्यय निष्फल हो गया क्योंकि इसके पश्चात् आर पी वी के कुल बढ़े हुए भार तथा इसकी ध्वनि लक्षण को घटाने के दृष्टिगत 'डी' प्रकार के इंजन के प्रयोग का निर्णय लिया गया । देशज़ इंजन अभी भी विकास के चरण में था ।

(पैराग्राफ 27.8)

- पेलोड के दो प्रणालियों का देशज़ विकास अभी आरम्भ किया जाना था । गिम्बाल्ड़ पेलोड असैम्बली के विकास में विलम्ब के कारण अग्रदर्शी इन्फ्रा रेड के आयात में भी छह वर्ष का विलम्ब हो गया था। इन्फ्रारेड लाइन स्कैन के आयात के सम्बन्ध में भी अभी अध्ययन किया जा रहा था ।

(पैराग्राफ 27.9)

- आर पी वी के विकास में हुई गलतियों के परिणामस्वरुप 8 करोड़ रुपए के एफ ई तत्व के साथ 34 करोड़ रुपए मूल लागत की परियोजना की लागत बढा कर 15.50 करोड़ रुपए के एफ ई तत्व के साथ 48.90 करोड़ रुपए संशोधित करनी पड़ी थी ।

(पैराग्राफ 27.12 एवं 27.13)

- **प्रबन्ध परिषद तथा शीर्षस्थ परिषद ने परियोजना को निर्धारित समय सूची के अनुरुप मॉनीटर नहीं किया । संसदीय मामलों की केन्द्रीय समिति के निर्देशानुसार उसे परियोजना की वार्षिक प्रगति से भी अवगत नहीं कराया गया।**

(पैराग्राफ 27.15)

27.5 परियोजना का कार्यक्षेत्र

परियोजना के कार्यक्षेत्र में भूमिस्थित उपस्कर एवं संवेदकों से जुड़े दो वायु वाहनों युक्त एक प्रणाली का विकास करके इसे प्रयोक्ता परीक्षणों हेतु उपलब्ध कराना था । डी आर डी ओ आशान्वित था कि वे थलसेना द्वारा मई 1990 में अनुमोदित जी एस क्यू आर के अनुरुप 42 माह में अर्थात् मार्च 1995 तक आदिप्रारुप का निर्माण कर लेंगे ।

परियोजना मार्च 1995 तक पूर्ण होनी थी।

27.6 आर पी वी का विकास

आर पी वी की मुख्य प्रणालियाँ, एयर फ्रेम, प्रणोदक प्रणाली, डाटर लिंक, पॉवर आपूर्ति प्रणाली, पेलोड उप-प्रणाली, रिकवरी प्रणाली तथा डेवलेपमैंट टेलीमीटरी हैं । इसमें एक भूस्थित सहायक प्रणाली भी है जिसमें लॉंचर (राकेट सहित एवं हाइड्रोन्यूमैट्रिक), भूमिस्थित नियन्त्रण प्रणाली, एन्टीना वाहन, पॉवर आपूर्ति वाहन. रिकवरी वाहन तथा युद्ध क्षेत्र में ढाँचागत आवश्यकताओं के लिए अन्य वाहन भी सम्मिलित हैं ।

प्रयोक्ताओं द्वारा दर्शायी गयी सामरिक भूमिकाओं की प्राथमिकता के आधार पर इस परियोजना के अन्तर्गत विकास एवं मूल्यांकन दो स्तरों अर्थात एम के-। तथा एम के-।। पर करने की योजना थी । एम के-। प्राथमिक सामरिक कारणों जैसे कि दिन/रात चौकसी, सैन्य पर्यवेक्षण तथा दूर मारक शस्त्रास्त्रों के लिए लक्ष्य की पहचान करना था । इसका पक्षेपण राकेट लगे लॉंचर (आर ए एल) से किया जाना था तथा इसे वापस पैराशूट के माध्यम से लिया जाना था । पेलोड में दिन के प्रकाश में दूरदर्शन (डी एल टी वी), लेजर रेंज फाइन्डर तथा लघु पैनोरमिक कैमरा सम्मिलित थे । एम के-।। स्तर

बढ़ायी गयी क्षमताओं जैसे आर ए एल के स्थान पर हाइड्रो न्यूमैटिक लॉंचर (एच पी एल), नैट रिकवरी प्रणाली तथा अतिरिक्त पेलोड जैसे कि अग्रदर्शी इन्फ्रारैड (एफ एल आई आर), इलैक्ट्रानिक इंटेलीजेंस (इलै इन्टे) कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस (कम्यु इन्टे) लेजर रेंज डेजीनेटर (एल आर डी) तथा इन्फ्रारैड लाइन स्केन (आई आर एल एस) के साथ किया जाना था ।

सभी प्रतिभागी प्रयोगशालाओं द्वारा विकासात्मक गतिविधियों में विलम्ब।

परियोजना की निर्धारित समय सूची के अनुसार डिज़ाइन को अन्तिम रुप अप्रैल 1992 तक दिया जाना था, फेज-। तथा ।। के विकास परीक्षण मार्च 1993 तथा अगस्त 1993 तक तथा बढ़ाये गये प्रयोक्ता परीक्षण दिसम्बर 1994 तक किये जाने थे । डिज़ाइन को अप्रैल 1992 में अन्तिम रुप दे दिया गया था जैसे कि योजनाबद्ध था तथा उप-प्रणालियों का डिज़ाइन इसके बाद आरम्भ किया गया था । तथापि सभी प्रतिभागी प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं द्वारा प्रणालियों, घटकों तथा उप संयोजनों के विकास/निर्माण में विलम्ब के कारण परियोजना में समय सूची के अनुसार प्रगति नहीं हो सकी । इसके परिणामस्वरुप विनियोजित पूर्णता तिथि (पी डी सी) को दो बार संशोधित करना पड़ा । फेज-। विकसित परीक्षण उड़ाने जो कि मार्च 1993 में आरम्भ होनी थी अन्ततः 22 माह के विलम्ब के उपरान्त जनवरी 1995 में आरम्भ हुई।

33 माह के विलम्ब के उपरान्त भी प्रयोक्ता परीक्षणों हेतु एक पूर्णतया एकीकृत आदिप्रारूप उपलब्ध नहीं कराया गया।

ए डी ई ने मई 1997 में बताया कि एम के-। तथा एम के-।। को सम्मिलित कर दिया गया है तथा सम्पूर्ण प्रणाली का विकासात्मक परीक्षण किया जा रहा है । अब संशोधित सम्भाव्य पूर्णता तिथि दिसम्बर 1997 है । इस पर भी इसके पूर्ण होने की संभावना नहीं है क्योंकि ए डी ई ने अभी तक आरम्भिक प्रयोक्ता परीक्षणों हेतु पूर्णतया एकीकृत आदि प्रारुप उपलब्ध नहीं कराया है (नवम्बर 1997) ।

27.7 एयर फ्रेम

परियोजना में विकास एवं प्रयोक्ता परीक्षणों हेतु 15 एयर फ्रेमों का निर्माण अभिकल्पित था । पहले पाँच एयर फ्रेम ए डी ई में संयोजित किये जाने थे । ये एयर फ्रेम डिज़ाइन और वायुगतिशीलता की पुष्टि के लिए आरम्भिक परीक्षण उड़ानों हेतु थे । शेष दस चुनिंदा विक्रेताओं से इस उद्देश्य के साथ अधिप्राप्त किये जाने थे कि आर पी वी की विभिन्न उप प्रणालियों के विक्रेता को चिन्हित किया जा सके । आर पी वी का एयर फ्रेम आवश्यक रुप

यद्यपि फेज-। की विकास परीक्षण उड़ाने मार्च 1993 से होना निर्धारित थी किन्तु ए

डी ई एयर फ्रेम के डिज़ाइन को जून 1993 तक पूरा कर सका।

से धात्वीय घटकों सहित फाइबर रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक (एफ आर पी) का होना चाहिए। यद्यपि फेज-I विकास परीक्षण उड़ाने मार्च 1993 से होना निर्धारित थी किन्तु उस समय ए डी ई एयर फ्रेम का डिज़ाइन को भी पूर्ण नहीं कर सका । अन्ततः एयर फ्रेम घटकों का डिज़ाइन ए डी ई द्वारा जून 1993 में पूर्ण किया गया । तदोपरान्त ए डी ई को आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने में छः माह का समय और लगा । एफ आर पी घटकों के पाँच सैट तथा औजारों के एक सैट की 17 लाख रुपए की लागत पर आपूर्ति हेतु एक आदेश संयुक्त उत्पाद केन्द्र (कॉम्प्राक) को दिसम्बर 1993 में प्रस्तुत किया गया । आपूर्ति जनवरी 1994 में की जानी थी । कॉम्प्राक को जनवरी 1994 में शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर दिया गया था । तथापि कॉम्प्राक ने मद की 3 सैटों के प्रथम बैच की आपूर्ति जून 1994 में की । शेष दो सैटों की आपूर्ति परिदान तिथि बढाने के बाद भी नहीं की गयी थी । कॉम्प्राक द्वारा आपूरित घटकों में कुछ कमियाँ थी जिन्हे ए डी ई द्वारा सुधार लिया गया था । अन्ततः नवम्बर 1995 में आपूर्ति आदेश का अल्प-समापन कर दिया गया । 2.14 लाख रुपए की राशि का असमायोजित अग्रिम जो कि कॉम्प्राक से वापस प्राप्त होना है की वसूली अभी की जानी है (दिसम्बर 1997) ।

2.14 लाख रुपए के असमायोजित अग्रिम की वसूली अभी की जानी थी।

जनवरी 1994 तक आपूरित किए जाने वाले एयर फ्रेमों के पाँच सैटों की आपूर्ति की गयी थी तथा नवम्बर 1995 में आपूर्ति आदेश का अल्प समापन कर दिया गया था।

ए डी ई ने 1.20 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कुल छः एयर फ्रेमों की आपूर्ति हेतु दो आपूर्ति आदेश क्रमशः अगस्त 1995 और मई 1996 में एक निजी फर्म को दिये, आपूर्ति की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः दिसम्बर 1995 तथा सितम्बर 1996 थीं । फर्म ने पहले दो एयर फ्रेमों की आपूर्ति सितम्बर तथा अक्तूबर 1996 में की । नवम्बर तथा दिसम्बर 1996 में दो और एयर फ्रेम आपूरित किये गये । शेष दो एयर फ्रेम अगस्त 1997 में आपूरित किये गये ।

27.8 प्रणोदक प्रणाली

आर वी पी तकनीक देश में उपलब्ध न होने के कारण इस विकास परियोजना के विकास हेतु इंजनों का आयात करना था । आरम्भिक विकास कार्य हेतु 'ए' प्रकार के एक इंजन का आयात 4.28 लाख रुपए की लागत से सितम्बर 1991 में यू.के. से किया गया । तथापि बाद में इसका उपयोग नहीं किया गया और यह ए डी ई के स्टॉक में पड़ा रहा । डी आर डी ओ ने

4.28 लाख रुपए की लागत से अधिप्राप्त एक इंजन का उपयोग केवल विंड टनल

परीक्षण के लिए किया गया था और यह स्टॉक में पड़ा रहा ।

नवम्बर 1997 में बताया कि इंजनों की आवश्यकता विंड टनल परीक्षण तथा इंजन टैस्ट बैड रन्स से सामान्य आँकड़े प्राप्त करने के लिए थी ।

फरवरी 1993 में विकास परीक्षण हेतु 3.39 लाख रुपए की लागत का एक इंजन 'बी' जर्मनी से आयात किया गया । बाद में इसी उद्देश्य से फरवरी से अक्तूबर 1994 के दौरान 40.39 लाख रुपए की कुल लागत से 'सी' प्रकार के छह इंजनों का आयात यू.के. से किया गया । ए डी ई ने मई 1994 में प्रस्तुत आदेश के आधार पर 4.05 लाख रुपए की लागत से जून 1995 में 'बी' प्रकार के एक और इंजन की अधिप्राप्ति की ।

तदन्तर वायु वाहन के कुल बढ़े हुए भार तथा आर वी पी की ध्वनी लक्षण को कम करने के उद्देश्य से अप्रैल 1996 में 'सी' प्रकार के इंजन के ही एक भिन्न रुप 'डी' का यू.के. से आयात का निर्णय लिया गया । तदनुसार 40.83 लाख रुपए की लागत से अप्रैल से अगस्त 1996 के बीच चार 'डी' प्रकार के इंजनों का आयात किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि देशज़ आर वी पी का आरम्भिक उत्पादन आयातित 'डी' प्रकार के इंजन पर आधारित होगा ।

22.29 लाख रुपए मूल्य के तीन इंजनों का अधिक प्रावधान।

आयातित 'बी', 'सी' तथा 'डी' प्रकार के 12 इंजनों में से 'बी' प्रकार के दो इंजनों, 'सी' प्रकार के चार इंजनों (बाद में एक हटा लिया गया) तथा 'डी' प्रकार के दो इंजनों को विकास परीक्षणों हेतु दिसम्बर 1996 तक सात एयर फ्रेमों में एकीकृत किया गया था । चूंकि आर पी वी का आरम्भिक उत्पादन 'डी' प्रकार के इंजन के ऊपर आधारित होने के कारण 'सी' प्रकार के तीन इंजनों के उपयोग की कोई सम्भावना नहीं है । इस प्रकार उन तीन इंजनों की अधिप्राप्ति पर हुआ 22.29 लाख रुपए का व्यय निष्फल हो गया । डी आर डी ओ ने यद्यपि यह तर्क दिया कि जो भी इंजन परियोजना में अभी बचे हैं उन्हें उत्पादन मॉडल के भाग के रुप में उपलब्ध कराया जा सकता है अथवा भावी कार्यक्रमों में आगे विकास उड़ानों में इनका उपयोग किया जा सकता है । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर वी पी के लिए 'डी' प्रकार के इंजनों के उपयोग का निर्णय लिया गया है ।

देशज़ इंजन तैयार नहीं।

आर वी पी के लिए एक देशज़ इंजन के विकास हेतु एक विकास कार्य अगस्त 1992 में 56 लाख रुपए (एफ ई 15 लाख रुपए) की लागत पर वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (वी आर डी ई) को सौंपा गया था । वी आर डी ई द्वारा अप्रैल 1995 से जुलाई 1995 के बीच देशज़ इंजन के तीन आदिप्रारुपों की आपूर्ति की जानी थी । तथापि इनकी आपूर्ति नहीं की गयी और मार्च 1997 तक की सूचना के अनुसार आदिप्रारुप परीक्षण स्तर में थे और अब इनके परियोजना के समापन से पूर्व आपूरित किये जाने की सम्भावना थी। इतने बाद में आदिप्रारुप की आपूर्ति से वाँछित उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि पहले इसे एयर फ्रेम के साथ एकीकृत किया जायेगा तब उसके बाद इनका विकास एवं प्रयोक्ता परीक्षण होगा ।

27.9 पेलोड

पेलोड की दो महत्वपूर्ण प्रणालियों के देशज़ विकास का कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

उपलब्ध कराये जाने वाले पेलोड में अग्रदर्शी इन्फ्रारैड (एफ एल आई आर) तथा इन्फ्रारैड लाइन स्कैन (आई आर एल एस) सम्मिलित थे । एफ एल आई आर को गिम्बाल्ड पेलोड असेम्बली (जी पी ए) पर लगाया जाना था। मूल प्रावधान के अनुसार एफ एल आई आर तथा आई आर एल एस प्रत्येक के तीन सैट क्रमशः 20 लाख एवं 18 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 1991 में आयात किये जाने थे और बाद में इन्हें एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (आर एंड डी लैब) द्वारा विकसित देशज़ रुपान्तरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था । तथापि देशज़ विकास योजना अभी तक इस आर एंड डी लैब को नहीं सौंपी गयी है (नवम्बर 1997) । डी आर डी ओ ने नवम्बर 1997 में बताया कि केवल आवश्यक सक्षमता स्थापित होने पर ही देशज विकास का कार्य आरम्भ करना प्रस्तावित है ।

मई 1997 में 82.50 लाख रुपए की लागत से दो एफ एल आई आर इज़राइल से आयात किये गये थे । एफ एल आई आर के आयात में छः वर्ष के विलम्ब का कारण जी पी ए के विकास में होने वाले विलम्ब को बताया गया जिसके आधार पर एफ एल आई आर की आवश्यकताओं को अन्तिम रुप दिया जाना था । आई आर एल एस के आयात हेतु जून 1997 तक निर्णय नहीं लिया गया था क्योंकि अभी आयात विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा था ।

27.10 विकास परीक्षण उड़ाने

ए डी ई ने प्राप्त सात एयर फ्रेमों पर सात वायु वाहन संयोजित किये। इन वायु वाहनों में आयातित इंजन लगाये गये थे । संयोजित वायु वाहन के मूल्यांकन हेतु जनवरी 1995 में एक उड़ान तत्परता पुनरीक्षा परिषद का गठन किया गया । बोर्ड ने जनवरी 1995 में वायु वाहन को उड़ान की स्वीकृति दे दी तथा जनवरी 1995 में आर पी वी की प्रथम विकास उड़ान मूल वायु गतिशीलता, एयर फ्रेम संरचना, डिजिटल उड़ान नियंत्रण/उड़न गुणवत्ता, प्रणोदक एकीकरण, आन बोर्ड विद्युत प्रणाली एवं पैरा रिकवरी प्रणाली के संदर्भ में वायुवाहन के डिज़ाइन की प्रमाणिकता की पुष्टि के उद्देश्य से की गयी थी । इसके उपरान्त जी एस क्यू आर में निर्धारित आवश्यकताओं की प्रमाणिकता की पुष्टि के उद्देश्य से प्रगामी क्षमताओं को जोड़कर विकास परीक्षण उड़ानों का एक क्रम पूरा हुआ । इस विकासउड़ानों से पूर्व वायु वाहन में एकीकृत करने से पूर्व उप प्रणालियों की प्रमाणिकता की पुष्टि हेतु स्थैतिक एवं हेलीकॉप्टर परीक्षण किये गये थे । प्रयोक्ता परीक्षण की तैयारी के रुप में कुल मिलाकर 10 उड़ान परीक्षण करने की योजना थी । इन विकास परीक्षणों (10 उड़ाने) के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त एक प्रणाली प्रयोक्ताओं को उनके मूल्याँकन हेतु प्रस्तुत की जानी थी । आर पी वी को प्रयोक्ताओं को मूल्याँकन हेतु सौंपने से पूर्व निर्धारित 10 परीक्षण उड़ानों के प्रति ए डी ई ने जनवरी 1995 एवं जून 1997 के बीच 20 विकास परीक्षण किये थे । डी आर डी ओ ने नवम्बर 1997 में बताया कि तकनीकी समस्याओं के कारण और उड़ानों की आवश्यकता है तथा उन्हें उम्मीद है कि मूल्यांकन दिसम्बर 1998 तक पूर्ण हो जायेगा । उन्होंने यह भी बताया जब प्रयोक्ता परीक्षणों हेतु पूर्णतया एकीकृत रुपान्तरण देने के लिए एम के-I तथा एम के-II को विलय करने का निर्णय लिया गया था तो तीन उड़ानें पहले ही हो चुकी थीं । विकास परीक्षणों (जून 1997 तक 20 उड़ाने) से न्यूनतम गति एवं सहनशीलता में कमी का पता लगा । दो विकास परीक्षणों में रिकवरी प्रणाली भी विफल हो गयी थी । इसके अतिरिक्त ए डी ई को अभी भी प्रयोक्ताओं के मूल्याँकन परीक्षण हेतु एक पूर्णतया एकीकृत आदिप्रारुप उपलब्ध कराना शेष है (नवम्बर 1997) ।

अभी तक किए गए 20 विकास परीक्षणों से न्यूनतम गति एवं सहनशीलता में कमियों का पता लगा।

27.11 वित्तीय प्रगति

परियोजना पर 31 मार्च 1997 तक कुल 38.06 करोड़ रुपए (एफ ई 11.90 करोड़ रुपए) का व्यय हो चुका था । एफ ई तत्व कुल व्यय का 31 प्रतिशत था ।

27.12 परियोजना लागत में संशोधन

परियोजना 34 करोड़ रुपए (एफ ई 8 करोड़ रुपए) की लागत से अक्तूबर 1991 में संस्वीकृत की गयी थी और मार्च 1995 तक पूर्ण होनी निर्धारित थी । तथापि ए डी ई ने वर्ष 1990 से एफ ई परिवर्तनीयता के विपरीत प्रभाव एवं विश्व मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि दर्शाते हुए परियोजना लागत को बढ़ाकर 54 करोड़ रुपए (एफ ई 15.53 करोड़ रुपए) करना प्रस्तावित किया । शीर्षस्थ परिषद (ए बी) ने जुलाई 1995 में परियोजना लागत को 48.90 करोड़ रुपए तक (एफ ई 15.50 करोड़ रुपए) बढ़ाने की संस्तुति की । तथापि सरकार ने अगस्त 1995 में लागत को बढ़ाकर केवल 43 करोड़ रुपए (एफ ई 13.50 करोड़ रुपए) कर दिया । अक्तूबर 1996 में ए डी ई ने पुनः लागत सीमा को वापस 48.90 करोड़ रुपए (एफ ई 15.50 करोड़ रुपए) करने के लिए जोर दिया, जैसा कि ए बी ने संस्तुति की थी। यह वृद्धि सरकार द्वारा दिसम्बर 1996 में संस्वीकृत कर दी गई जिसके परिणामस्वरुप परियोजना लागत 14.90 करोड़ रुपए (एफ ई 7.50 करोड़ रुपए) बढ़ गई । डी आर डी ओ ने नवम्बर 1997 में बताया कि यह वृद्धि मुख्यतया प्रतिकूल विनिमय दरों तथा सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई थी ।

लागत में 14.90 करोड़ रुपए (एफ ई 7.50 करोड़ रुपए) की वृद्धि।

27.13 समय सूची में परिवर्तन

परियोजना थलसेना की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से तैयार की गयी थी । ए डी ई को पूरी आशा थी कि वे मार्च 1995 तक प्रयोक्ता मूल्यांकन हेतु आदिप्रारुपों के उत्पादन कार्य को पूर्ण कर पाने में सफल होंगे । महत्वपूर्ण कार्य एवं समय सूची जिसमें वे पूर्ण होने थे निम्न प्रकार थेः

घटना	पूर्णतया अवधि माह	दिनांक
1. डिजाइन को अन्तिम रुप देना	06	अप्रैल 1992
2. फेज़-I विकास परीक्षण उड़ानें	17	मार्च 1993
3. फेज़-II विकास परीक्षण उड़ानें	22	अगस्त 1993
4. प्रारम्भिक प्रयोक्ता परीक्षण	38	दिसम्बर 1994
5. विकास परियोजना की पूर्णतया हेतु बढ़ाये गये प्रयोक्ता परीक्षण	42	मार्च 1995

इस समय सूची को दो बार संशोधित किया गया था एवं नवीनतम पूर्णतया सम्भाव्य तिथि दिसम्बर 1997 है । तथापि बढ़ाई गई पूर्णतया सम्भाव्य तिथि के अन्दर भी परियोजना के विभिन्न कार्य पूर्ण नहीं हो सके । आर पी वी के विकास की वर्तमान अवस्था में इस पूर्णतया सम्भाव्य तिथि में पुन: परिवर्तन होना अवश्यम्भावी है । डी आर डी ओ ने नवम्बर 1997 में बताया कि प्रयोक्ता मूल्यांकन कार्यक्रम के दिसम्बर 1997 तक पूर्ण होने की आशा है और प्रणाली का औपचारिक मूल्यांकन उसके बाद किया जायेगा । उन्हें आशा है कि मूल्यांकन दिसम्बर 1998 तक पूर्ण हो जायेगा । परिणामतः थलसेना जी आर पी वी को एक सामरिक आवश्यकता समझती है, को अभी भी एक पूर्णतया एकीकृत आर पी वी का मूल्यांकन करना है ।

परियोजना 45 माह के विलम्ब के उपरान्त दिसम्बर 1998 तक पूर्ण होना प्रत्याशित है।

पूर्णता तिथि को 33 माह बढ़ाना और जिसे 12 माह और दिसम्बर 1998 तक बढ़ाया जाना सम्भावित है प्रदर्शित करता है कि डी आर डी ओ इस परियोजना को लेते समय अति आशावादी था ।

27.14 मॉनीटरन

परियोजना को द्विस्तरीय प्रबन्धक ढांचे अर्थात् शीर्षस्थ परिषद एवं प्रबन्ध परिषद द्वारा मॉनीटरन किया जाना था ।

शीर्षस्थ परिषद जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (एस

ए टी आर एम) थे, को परियोजना की प्रगति मुख्य गतिविधियों का मॉनीटरन तथा संस्वीकृत लागत के अन्दर परियोजना लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने के लिए उपचारी उपाय करने के लिए प्रत्येक छमाही बैठक आयोजित करनी थी । प्रबन्ध परिषद जिसका अध्यक्ष ए डी ई का निदेशक था को समय एवं लागत के परिमापकों के भीतर विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही बैठक करनी थी । इसके अतिरिक्त परियोजना की प्रगति पर एक रिपोर्ट जो कि यथावत शीर्षस्थ परिषद द्वारा अनुमोदित हो प्रति वर्ष सी सी पी ए को प्रस्तुत की जानी थी। तथापि जून 1997 तक शीर्षस्थ परिषद को केवल दो बार तथा प्रबन्ध परिषद की आठ बार बैठक हुई थी यद्यपि यह क्रमशः ग्यारह एवं तेईस बार होनी चाहिये थी । इसके अतिरिक्त अभी तक सी सी पी ए को परियोजना प्रगति की कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी । डी आर डी ओ ने अपने उत्तर में बताया कि दो शीर्षस्थ परिषदों की बैठक ही मॉनीटरन का एकमात्र सूचक नहीं है और यह कि इस परियोजना की 10 डी आर सी तथा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के साथ हुई अन्य बैठकों में तथा दो बार सी ओ ए एस एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य हुई बैठकों में भी पुनरीक्षा की जा चुकी है ।

परियोजना का मॉनीटरन अपर्याप्त था।

28. सैन्य फार्मों की कार्य प्रणाली

28.1 प्रस्तावना

सेना को दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों की आपूर्ति हेतु तथा पशुओं को शुष्क चारे की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए सैन्य फर्मों (सै फा) की स्थापना की गई थी । मार्च 1996 को, 14111 हैक्टेयर भूमि तथा 14717 पशुओं के साथ 50 सैन्य फार्म कार्य कर रहे थे । छावनियों में जहाँ सैन्य फार्म कार्य नहीं कर रहे हों वहाँ सशस्त्र सेना को दूध की आपूर्ति की व्यवस्था, ए एस सी करती है ।

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (थल सेना तथा आयुध फैक्टरियां) की 1988 की रिपोर्ट सं02 के पैरा 33 में सैन्य फार्मों की क्षमता उपयोग में कभी कम दूध का उत्पन्न होना तंथा अविश्वसनीय लाभों का उल्लेख किया गया था । मई 1997 में मंत्रालय ने अपने ए टी एन में बताया कि सैन्य फार्मों को जारी रखने अथवा उनके पुनः निर्माण के बारे में सलाह देने के लिए एक गठित दक्ष समिति ने सैन्य फार्मों को विभाग द्वारा चालू संगठन के रूप में जारी रखने की सिफारिश की थी । एक दूसरी समिति ने लेखांकन पद्धति पर सिफारिश की कि सैन्य फार्मों को सेवा संगठन के रूप में समझा जाए तथा दुष्कर लेखांकन पद्धति को सरलीकृत किया जाए । ये सिफारिशें अभी लागू होनी थी ।

28.2 संगठनात्मक गठन

सैन्य फार्म सेना मुख्यालय में क्वार्टर मास्टर जनरल के पूर्ण नियन्त्रण में कार्य करता है । जिसकी सहायता के लिए एक उप महानिदेशक, सैन्य फार्म होता है । कमान स्तर पर, एक निदेशक होता है तथा प्रत्येक सैन्य फार्म में एक प्रभारी अधिकारी होता है ।

28.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

1997 के दौरान 1991-92 से 1995-96 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से 11 सैन्य फार्मों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।

28.4 मुख्य बातें

- **सैन्य फार्म ने अपनी कुल कृषि योग्य भूमि, जो चारे की कुल आवश्यकता का 55 से 62 प्रतिशत पूरा कर सकती है, के केवल 24 प्रतिशत भाग पर खेती की । पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2607 लाख रुपए के चारे की स्थानीय खरीद करके इस कमी को पूरा किया गया था ।**

  (पैराग्राफ 28.5.1)

- दूध और चारे के उत्पादन के लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप 1991-92 एवं 1995-96 के बीच 2700 लाख रुपए से 3057 लाखं रुपए की वार्षिक हानि हुई ।

(पैराग्राफ 28.5.1 तथा 28.6.1)

- दूध एवं चारे की स्थानीय क्रय दर सैन्य फार्मों में उनकी उत्पादन लागत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप 1991-92 तथा 1995-96 के बीच 714 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 28.5.2 तथा 28.6.2)

- दो सैन्य फार्मों में 11 से 39 प्रतिशत टी बी से ग्रस्त पशुओं को कोई इलाज प्रदान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 20.48 लाख रुपए मूल्य के पशु मर गए ।

(पैराग्राफ 28.6.4)

- पशुओं को ग्राह्यता से अधिक दाना निर्गम करने के परिणामस्वरूप 1991-92 तथा 1995-96 के बीच नौ सैन्य फार्मों में 179 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 28.6.5)

- सैन्य फार्मों द्वारा उत्पन्न की गई डेयरी उत्पादों की लागत स्थानीय क्रय दरों से ऊँची थी जिसके परिणामस्वरूप पिछले पाँच वर्षों के दौरान 84 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 28.6.7)

- पशुओं की संख्या में 74 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के बावजूद दूध उत्पादन में केवल 53 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकी । दूध की कुल आवश्यकता का सैन्य फार्म केवल 50 से 59 प्रतिशत उत्पादन कर सके जिसके परिणामस्वरूप पिछले पाँच वर्षों के दौरान 6943 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 28.6)

- **सैन्य फार्मों के 1991-92 से 1995-96 के वार्षिक लेखे 392 लाख रुपए से 749 लाख रुपए का लाभ दर्शाते थे परन्तु लेखों के विश्लेष्ण से पता लगा कि वास्तव में सैन्य फार्मों को 747 लाख रुपए से लेकर 1533 लाख रुपए तक की भारी हानि हुई थी जो कि कृत्रिम बढ़ाकर दिखाए गए लाभ के द्वारा छिपा दी गई थी ।**

(पैराग्राफ 28.7)

28.5 चारा उत्पादन के लिए भूमि की खेती

28.5.1 भूमि का कम उपयोग

भूमि पर कम खेती करने के परिणामस्वरूप चारे की स्थानीय खरीद हुई।

सैन्य फार्मों के पास 11,657 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी परन्तु 1991-92 एवं 1995-96 के बीच औसतन 2,748 हैक्टेयर (24 प्रतिशत) पर खेती की गई तथा 60 मी ट लक्ष्य के प्रति 18 मी ट से 20 मी ट के बीच चारे का उत्पादन हुआ था, परिणामस्वरूप 2490 लाख रुपए से 2670 लाख रुपए तक की हानि हुई थी । इसके अतिरिक्त कमी को पूरा करने के लिए स्थानीय खरीद पर 384 लाख रुपए से 677 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ था । सितम्बर 1997 में थल सेना मुख्यालय ने बताया कि फार्मों के पास सिंचाई वाली भूमि का बहुत सा भाग उपलब्ध था जिसका नगदी फसल, चारे, बीज के उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया तथा इसलिए लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए थे । यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष के शुरू से अन्त तक चारे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित फसलों का पूर्व नियोजन कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार सेना मुख्यालय द्वारा भूमि के अधिकतम उपयोग एवं समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप चारे की स्थानीय खरीद पर 2607 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

28.5.2 उच्चतर उत्पादन लागत

1992-93 से 1995-96 के लिए चारे के भारतीय औसत स्थानीय क्रय दर (प्रति मी1318 रुपए से 1509 रुपए प्रति मी ट) एवं औसतन फार्म

सैन्य फार्मों द्वारा उत्पादन किया गया चारा लागत प्रभावकारी नहीं था।

उत्पादन दर (प्रति मी ट 1345 रुपए से 1725 रुपए) की तुलना ने यह प्रकट किया कि औसत फार्म उत्पादन दर सदा उच्चतर थी जिसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों के दौरान 281.37 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ । इस प्रकार सैन्य फार्मों द्वारा चारा उत्पादन वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं था ।

28.5.3 चारे के आन्तरिक हस्तान्तरण पर अनौचित्यपूर्ण व्यय

1991-92 एवं 1995-96 के बीच 4873.80 लाख रुपए का चारा एक सैन्य फार्म से दूसरे सैन्य फार्म को हस्तान्तरित किया गया था तथा 2560.54 लाख रुपए का अर्थात चारे के उत्पादन की लागत का 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय इसके वहन पर किया गया था । इसके समर्थन में कोई प्रलेखीय प्रमाण नहीं था केवल उत्पन्न किया गया फालतू चारा ही दूसरे सैन्य फार्म को हस्तान्तरित किया गया था । इस प्रकार स्थानीय क्रय किया गया चारे का एक सैन्य फार्म से दूसरे को हस्तान्तरण करने, जिसमें परिहार्य वहन प्रभार भी सम्मिलित थे, की सम्भावना से नहीं बचा जा सकता है ।

28.5.4 गांठ बन्धन घास के कारण व्यय

मार्च 1997 में की गई भण्डार सत्यापन के दौरान सैन्य फार्म बरेली में 8.78 लाख रुपए की लागत का 186 मी ट की गांठ बन्धन घास की कमी पाई गई । अक्तूबर एवं नवम्बर 1996 के दो बीजकों में धोखाधड़ी से अंकों में परिवर्तन के कारण 6.60 लाख रुपए के लागत को 140 मी ट गांठ बन्धन घास में एक दूसरी विसंगति भी पायी गई । 15.38 लाख रुपए की लागत की घास की हानि की छान बीन करने के लिए मार्च-अप्रैल 1997 में स्टेशन मुख्यालय बरेली ने न्यायिक जांच की । न्यायिक जांच की कार्यवाही को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था (नवम्बर 1997) ।

28.6 दूध उत्पादन

पशुओं की संख्या में 1985-86 (8458) से 1995-96 तक 74

दूध उत्पादन में बढ़ोत्तरी पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी के समरूप नहीं थी।

प्रतिशत की (14717) की वृद्धि हुई थी । परन्तु दूध के उत्पादन में केवल 53 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई । प्रति पशु प्रति दिन औसतन दूध की पैदावार 7.76 लिटर से घटकर 6.76 लिटर आ गई थी । इस प्रकार दूध उत्पादन से पशुओं की संख्या की बढ़ोत्तरी से यह सम्बन्ध नहीं था । 1991-92 से 1995-96 की अवधि के दौरान दूध की कुल आवश्यकता का 50 से 59 प्रतिशत के बीच का ही सैन्य फार्म उत्पन्न कर सके तथा इस कमी को 6943 लाख रुपए का दूध (प्रति लिटर 6.06 से 9.19 रुपए की दर से) जो कि सैन्य फार्मों में उत्पादन की लागत (प्रति लिटर 6.56 से 9.23 रुपए) से कम थी स्थानीय क्रय के माध्यम से पूरी की गई ।

28.6.1 दूध की कम पैदावार

दूध दोहने के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

उच्च दोगले (एच एक्स बी) तथा न्यून दोगले (एल एक्स बी) के लिए क्रमशः 12 कि ग्रा (11.67 लिटर) एवं 10 कि ग्रा (9.72 लिटर) दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ।

11 सैन्य फार्मों की लेखा परीक्षा जाँच में पता लगा कि पैदावार में 7 से 40 प्रतिशत की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप 210 लाख रुपए से 387 लाख रुपए तक की वार्षिक हानि हुई इसके अतिरिक्त इस कमी को पूरा करने के लिए दूध का स्थानीय क्रय करने में 8.95 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

दोहन लक्ष्यों की कमी का विश्लेषण करने से पता लगा कि अधिकतम 13 से 40 प्रतिशत की कमी सैन्य फार्म, बैंगलोर, मेरठ, पानागढ़ एवं नमकुम में हुई थी तथा न्यूनतम 7 से 16 प्रतिशत की कमी सैन्य फार्म किरकी में हुई थी । दूसरे फार्मों, देवलाली, अम्बाला, आगरा एवं फिरोज़पुर में यह कमी 18 से 33 प्रतिशत थी । सैन्य फार्म, बैंगलोर में दोहन के लक्ष्य में कमी जल की आपूर्ति का उपलब्ध न होना/संदूषित होना बताया जबकि सैन्य फार्म देवलाली एवं नमकुम ने अपर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति, चारे एवं दाने में कमी को बताया, सैन्य फार्म मेरठ एवं किरकी ने पशुओं के बीच में पैर अथवा मुंह की बिमारी के कारण कमी को बताया । प्रस्तुत किए गए ये कारण सैन्य फार्मों में

अकुशल प्रबन्धन के सूचक थे ।

28.6.2 उच्चतर उत्पादन लागत

दूध की उत्पादन लागत स्थानीय क्रय दर से उच्चतर थी।

आठ सैन्य फार्मों में दूध की स्थानीय क्रय दर (4.44 रुपए से 10.65 रुपए) एवं इनके उत्पादन की लागत (5.11 रुपए से 11.63 रुपए) की तुलना करने से पता लगा कि उत्पादन की लागत निरन्तर उच्चतर रही परिणामस्वरूप 432.54 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ । यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या सैन्य फार्मों में दूध का उत्पादन मितव्ययी था दूसरे फार्मों में इस परिस्थिति की समीक्षा करने की आवश्यकता है ।

28.6.3 बछड़ों के पालन में अमितव्ययिता

बछड़ों का पालन मितव्ययी नहीं था।

दूधारु पशुओं तक आने के लिए बाल पशुओं के मूल्य की अपेक्षा उनके पालने का मूल्य अधिक था क्योंकि बछड़ों का पालन निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक था । इसके परिणामस्वरूप 1991-92 से 1994-95 की अवधि में 127 लाख रुपए से 316 लाख रुपए तक की वार्षिक हानि हुई। 1995-96 में बाल पशु धन की मूल्यांकन दरें असाधारण रूप से बढ़ी थी तथा 108 लाख रुपए का लाभ दर्शाया गया था। दर बढ़ाने के आधार लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए । इस प्रकार कृत्रिम लाभ की सत्यता की जांच नहीं हो सकी।

28.6.4 पशुओं में बीमारी

बीमार पशुओं को कोई इलाज प्रदान नहीं किया गया था।

सैन्य फार्म नमकुम एवं जबलपुर में कुल पशुओं के 11 से 39 प्रतिशत तपेदिक (टी बी) से ग्रस्त पशु थे। टी बी संक्रामक पशुओं का इलाज वित्तीय अभाव के कारण मितव्ययी नहीं समझा गया। जिसके परिणामस्वरूप 1991-92 से 1995-96 के दौरान 20.48 लाख रुपए मूल्य के 317 पशुओं की मृत्यु हो गई ।

28.6.5 दानों का अधिक मात्रा में खिलाना

1984 में जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर, पशुओं को दूध की कुल पैदावार के प्रति 15 कि ग्रा से अधिक 1: 2 के अनुपात में, मूल राशन से अधिक उत्पादन राशन निर्गमित किया जाना है ।

179 लाख रुपए का दाना प्राधिकरण से अधिक खिलाया गया।

तथापि यह देखा गया कि इन उपरोक्त अनुदेशों के विपरीत उत्पादन राशन दूध की कुल पैदावार के आधार पर 1:2 अनुपात में निर्गमित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 9 सैन्य फार्मों में 179 लाख रुपए के मूल्य का अधिक उत्पादन राशन निर्गमित किया गया । ऊपर बताए गए अनुदेशों का उचित प्रकार से लागू किया जाना अथवा अन्यथा को सुनिश्चित करने के लिए दूसरे सैन्य फार्मों में भी समीक्षा करने की आवश्यकता है ।

28.6.6 दूध की हानि

मक्खनयुक्त चिकनाई विषय वस्तु में भिन्नता के परिणामस्वरूप हानि।

पशुगृह में दूध दोहने के पश्चात, मक्खन युक्त चिकनाई की मात्रा को अंकित करने के पश्चात् दूध को आगे सेना/अदा कर्ता ग्राहकों को आपूरित करने के लिए डेयरी अनुभाग को निर्गमित किया गया था । इस प्रकार मक्खन युक्त चिकनाई की मात्रा के साथ में पशुगृह में तथा डेयरी भण्डार तालिका में अंकित दूध की मात्रा समतुल्य होनी चाहिए । नमूना जांच पड़ताल से पता लगा कि यद्धपि सैन्य फार्म, लखनऊ के दोनों अनुभागों में दूध की मात्रा में मक्खन युक्त चिकनाई उसी प्रतिशतता में 0.2 से 0.7 प्रतिशत तक, सैन्य फार्म, जबलपुर में 0.3 से 0.7 प्रतिशत तक एवं सैन्य फार्म, अम्बाला में 0.1 से 0.4 प्रतिशत तक बदलती रही । इस प्रकार वितरण किए गए दूध की मात्रा में अवमिश्रण था जो दूध की हानि दर्शा रहा था जो न ही देखी गई और न ही उसकी छान बीन की गई ।

लेखा परीक्षा ने अप्रैल 1996 से दिसम्बर 1996 तक सैन्य फार्म, अम्बाला में इस संबंध में 3.28 लाख रुपए के मूल्य के दूध की हानि बतायी । उत्तरदायित्व नियत करने के लिए हानि के सम्बन्ध में सभी सैन्य फार्मों में परीक्षण करने की आवश्यकता है ।

28.6.7 डेयरी उत्पादों के तैयार करने में हानि

6 सैन्य फार्मों में क्रीम/मक्खन की उत्पादन लागत की नमूना जांच पड़ताल से पता लगा कि यह स्थानीय क्रय दरों से उच्चतर थी जिसके परिणामस्वरूप 84 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

28.6.8 पास्तुरीकरण पर अतिरिक्त व्यय

सैन्य फार्म, अम्बाला में हरियाणा विकास निगम से प्राप्त हुए दूध का पास्तुरीकरण किया गया जो कि पहले से ही पास्तुरीकृत था। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 1995 एवं दिसम्बर 1996 के बीच पास्तुरीकरण करने के लिए उठाने रखने में 2.46 लाख रुपए के मूल्य के दूध की हानि के अतिरिक्त पास्तुरीकरण पर 21.48 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

28.6.9 डेयरी उत्पाद का प्राप्त न होना

दिसम्बर 1996 के दौरान सैन्य फार्म, लखनऊ ने 140.62 लाख रुपए मूल्य के डेयरी उत्पाद दूसरी यूनिटों/फार्मेशनों को निर्गमित किए थे । प्रेषिति यूनिटों ने केवल 42.52 लाख रुपए के मूल्य के डेयरी उत्पादों की रसीद की पावती दी तथा 98.10 लाख रुपए के मूल्य की शेष मात्रा की रसीद की अभी पुष्टि की जानी थी ।

28.6.10 पैकिंग सामग्री का वसूल न होना

सैन्य फार्म किरकी थैलियों में दूध की आपूर्ति कर रहा था परन्तु दूध के मूल्य में थैलियों का मूल्य शामिल नहीं किया गया न ही अलग से इसे वसूल किया गया । 1993-94 से 1995-96 के दौरान थैलियों के निर्माण में 28.77 लाख रुपए का व्यय किया गया जो कि मूल्यांकन नीति के कारण अदाकर्ता ग्राहकों से वसूल नहीं हो पाया ।

28.7 समस्त संचालन परिणाम

कल्पित ब्याज तथा आडम्बरपूर्ण लाभ ने मायावी रूप से हानि को छिपा लिया।

1991-92 से 1995-96 के सैन्य फार्म के वार्षिक लेखे में कुल लाभ 392 लाख रुपए से 749 लाख रुपए की श्रेणी में दर्शाया गया था । वार्षिक लेखों के विशलेषण से पता लगा कि यदि सरकारी बैंकिंग लेखों पर कल्पित ब्याज तथा सेना को मुफ्त दूध का निर्गम करने के लिए कृत्रिम रूप से बढ़ायी गयी दरों के कारण लाभ की तथा ए एस सी को चारे की बिक्री की भारी रकम निकाल दी जाती है जैसे कि नीचे दर्शाया गया है तो सैन्य फार्मों को वास्तव में भारी हानि हुई:-

वर्ष	दूध की बिक्री पर/सेना/ए एस सी को चारे की बिक्री पर बढ़ाकर दिखाया गया लाभ								
	दूध					चारा			
	मात्रा लाख लिटर में	प्रति लिटर उत्पादन लागत	प्रति लिटर बिक्री दर	आडम्बर पूर्ण राशि रुपए लाख में	मात्रा मी ट में	औसतन प्राप्त प्रति कि.ग्रा दर	ए एस सी के लिए प्रति कि.ग्रा. औसतन बिक्री दर	दूसरे सै.फ के लिए औसतन बिक्री दर	आडम्बर पूर्ण राशि रुपए लाख में
1991-92	655	6.56	7.03	307.85	356.63	1.90	3.20	2.30	320.97
1992-93	674	7.40	8.23	559.42	353.20	2.01	3.59	2.44	406.18
1993-94	633	8.04	8.91	550.71	260.08	2.88	5.31	2.86	637.20
1994-95	593	9.10	9.48	225.34	266.96	3.08	5.52	2.62	774.18
1995-96	582	9.23	10.53	756.60	255.53	3.22	5.88	3.04	725.71

इस प्रकार 747 लाख रुपए से 1533 लाख रुपए की श्रेणी में वास्तविक हानियों को अविश्वसनीय काल्पनिक ब्याज एवं कृत्रिम रूप से बढ़ाकर दर्शाए गए लाभ से छिपा दिया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया था;

वर्ष	वार्षिक लेखों में लाभ	काल्पनिक ब्याज का तत्व	कृत्रिम रूप से बढ़ाकर दिखाया गया लाभ		वास्तविक हानियाँ
			सेना को निर्गम दूध की बढ़ाकर दर्शायी गयी दरें	ए एस सी को चारे की बिक्री की बढ़ाकर दर्शायी गयी दरें	
1991-92	392.16	509.87	307.85	320.97	746.53
1992-93	597.70	571.60	559.42	406.18	939.50

1993-94	551.26	593.51	550.71	637.20	1230.16
1994-95	433.43	678.67	225.34	774.18	1244.76
1995-96	748.64	799.09	756.60	725.71	1532.76

28.8 संक्षिप्त विवरण

सैन्य फार्मों में भारी मात्रा में अधिसंरचना सुविधाओं के साथ पर्याप्त पशु एवं भूमि, दूध एवं चारे का उत्पादन होने के बावजूद लागत प्रभावकारी नहीं थी तथा सैन्य फार्म वास्तव में हानि में कार्य कर रहे थे । सैन्य दलों को प्रोसेस उपरान्त आपूर्ति के लिए सैन्य फार्म 41-50 प्रतिशत दूध की अधिप्राप्ति बाज़ार से कर रहे थे। क्योंकि बाज़ार से सैन्य दलों की आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो सकती है। अतः वाणिज्यक रूप से अलाभकारी सैन्य फार्मों को चालू रखना प्रश्नास्पद है। संस्तुति की जाती है कि सरकार को बिना विलम्ब किए सैन्य फार्मों को बन्द कर देना चाहिए।

अक्तूबर 1997 में समीक्षा मंत्रालय को भेज दी गई थी तथा उनकी टिप्पणियाँ दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थीं ।

29. टैंकों की मरम्मत/ओवरहाल में असाधारण विलम्ब

सी वी डी तथा एक मशीनीकृत इकाई के पास 391 करोड़ रुपए मूल्य के टैंक/बी एम पी पिछले 8 से 14 वर्षों से पड़े हुए थे । जिसमें सामरिक दक्षता एवं रक्षा तैयारियाँ प्रभावित हो रही थी।

एक सी वी डी के पास 391 करोड़ रुपए मूल्य के टैंक/बी एम पी पिछले 8 से 14 वर्षों से पड़े हुए थे जिससे सामरिक दक्षता एवं रक्षा तैयारियों पर प्रभाव पड़ रहा था जैसा कि नीचे बताया गया है:

मामला ।

बेस ओवरहाल के लिए बेस वर्कशापों को भेजे जाने वाले अप्रैल 1996

सी वी डी के पास 325 करोड़ रुपए मूल्य के 415 टैंक ओवरहाल के लिए पड़े हुए थे।

को सी वी डी के पास 1ए, 1बी तथा 1सी प्रीमार्क के 325 करोड़ रुपए मूल्य के 415 विजयन्त टैंक जो कि 1983 से 1989 के बीच प्राप्त हुए, का भण्डार था।

ओवरहाल किए जाने वाले 39 टैंकों में से एक को अवश्रेणीकृत कर दिया गया था तथा ओवरहाल किए गए 14 टैंकों को थलसेना मुख्यालय से निर्देशों के अभाव में जारी नहीं किया गया था।

415 टैंकों में से प्रीमार्क 1ए के 296 टैंक ओवरहाल कार्यक्रम में से हटा लिए गए थे अतः केवल 119 के ओवरहाल की आवश्यकता थी । दिसम्बर 1989 से अक्तूबर 1996 के बीच 39 टैंक बेस ओवरहाल के लिए वर्कशॉप को भेजे गए। इनमें से 14 ओवरहाल होकर दिसम्बर 1996 से मार्च 1997 के बीच प्राप्त हो गए थे किन्तु थलसेना मुख्यालय से निर्देशों के अभाव में अगस्त 1997 तक जारी नहीं किए गए थे। एक को निपटान हेतु अवश्रेणीकृत कर दिया गया था तथा 24 अभी वर्कशाप से ओवरहाल होकर आने थे। मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार शेष 80 टैंक अभी भी वर्कशाप को भेजे जाने थे ।

81.46 करोड़ रुपए मूल्य के 104 टैंक वर्कशाप से ओवरहाल की प्रतीक्षा में पिछले 8 से 14 वर्ष तक से पड़े हुए थे।

इस प्रकार 81.46 करोड़ रुपए के 104 टैंक वर्कशाप से ओवरहाल की प्रतीक्षा में पिछले 8 से 14 वर्ष से पड़े हुए थे इससे रक्षा तैयारियाँ प्रभावित हो रही थी एवं इसके अलावा 310 टैंक (ओवरहाल किए गए 14 टैंकों सहित) सी वी डी के पास पड़े हुए थे। अवश्रेणीकृत एक टैंक के निपटान की स्थिति के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था ।

मामला ।।

बी एम पी में लगी आई सी ट्यूबें खराब हो गयी थीं और अभी प्रतिस्थापित की जानी थी तथा इससे सामरिक दक्षता प्रभावित हो रही थी।

वर्ष 1982 एवं 1983 के दौरान सेवा में लिए गए रूसी मूल के 66 करोड़ रुपए मूल्य के तैंतीस बी एम पी वर्ष 1988 एवं 1989 के दौरान एक मशीनीकृत यूनिट में प्राप्त हुए थे। अगस्त 1990 से सितम्बर 1993 तक उनके आवधिक निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित वर्कशाप ने पाया कि उनमें लगी इमेज कन्वर्टर (आई सी) ट्यूब खराब हो गयी थी अतः तदनुसार इन्हें अप्रयोज्यनीय घोषित कर दिया गया था। यूनिट अपनी मासिक रिपोर्ट में आई सी ट्यूब की कमी को लगातार उच्च प्राधिकारियों को दर्शा रही थी किन्तु जनवरी 1997 तक आई सी ट्यूब अधिप्राप्त नहीं की गयी थी और न ही प्रतिस्थापित की गयी थी। यूनिट ने अक्तूबर 1996 में बताया कि आई सी

ट्यूबों के प्रतिस्थापित न होने से रात्रि फौजी कार्रवाई में सामरिक दक्षता प्रभावित हो रही थी।

मंत्रालय को मामला जून 1997 में भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

30. कन्टेनर डिटेन्शन प्रभारों का परिहार्य भुगतान

वायुसेना मुख्यालय/परेषितियों द्वारा पोतारोहण मुख्यालय को नौवहन दस्तावेज़ समय रहते भेजने में विलम्ब के कारण 233 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट के पैरा 31 में पोतारोहण मुख्यालय मुम्बई द्वारा कन्टेनर डिटेन्शन प्रभारों के परिहार्य भुगतान के बारे में उल्लेख किया गया था। इसके उपरान्त भी निम्नलिखित दो मामलों में प्रणाली में विफलता का पता लगा जिसके परिणामस्वरूप 26.53 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला ए

नौसेना भंडारों के लिए एक एफ सी एल 9 अगस्त 1995 को बी पी टी पर आया इसकी अंतिम मुक्त तिथि (एल एफ डी) 13 अगस्त 1995 थी। जहाज के आने के बारे में परेषितियों द्वारा पोतारोहण मुख्यालय को सूचना फरवरी 1997 में अर्थात डेढ़ साल बाद नौवहन एजेन्ट द्वारा अंतिम नीलामी सूचना देने के बाद दी गयी। विलम्ब अवधि के लिए 17.13 लाख रुपए के डिटेन्शन प्रभारों का भुगतान करके मार्च 1997 में परेषण का निकास हुआ।

मामला बी

वायुयान/हेलीकाप्टर के अतिरिक्त पुर्जे के लिए एक जहाज मई 1995

में बी पी टी पर आकर लगा, इसकी एल एफ डी 19 मई 1995 थी। जहाज के तट पर लगने की सूचना पोतारोहण मुख्यालय को मूल दस्तावेजों के साथ दो माह बाद दी गयी। विलम्ब की अवधि के लिए 9.40 लाख रुपए का भुगतान डिटेन्शन प्रभारों की बावत करके 11 सितम्बर 1995 को परेषण का निकास हुआ।

थलसेना मुख्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अगस्त 1997 में बताया कि यदि मूल दस्तावेज वायुसेना मुख्यालय/परेषिती से समय से प्राप्त हो जाते तो यह भुगतान परिहार्य किया जा सकता था। थलसेना मुख्यालय ने यह भी स्वीकार किया कि मार्च 1992 से मार्च 1997 के दौरान इसी प्रकार के मामलों में 2.06 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा था।

इस प्रकार वायुसेना मुख्यालय/परेषितियों द्वारा पोतारोहण मुख्यालय को नौवहन दस्तावेज समय रहते भेजने में विफलता के कारण 233 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हआ।

मंत्रालय को मामला जून 1997 में भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

31. अधूरे उपस्कर की अधिप्राप्ति

सम्पूर्ण उपस्कर अनुसूची मदों की अधिप्राप्ति समसामियक होने में सी ओ डी की विफलता के कारण 2.15 करोड़ रुपए मूल्य के उपस्कर अप्रयोज्यनीय अवस्था में पड़े हुए थे।

थलसेना मुख्यालय ने 2.15 करोड़ रुपए की कुल लागत पर एक उपस्कर की आपूर्ति हेतु आदेश प्रस्तुत किया।

थलसेना मुख्यालय ने 2.15 करोड़ रुपए की कुल लागत पर एक उपस्कर के 100 सैटों की आपूर्ति सी ओ डी को करने के लिए जून 1994 में एक फर्म को एक आपूर्ति आदेश (आ आ) प्रस्तुत किया। ये उपस्कर 1 टन ट्रेलरों पर लगाए जाने थे जो कि फर्म को सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा

आपूरित किए जाने थे और ये अप्रैल तथा जुलाई 1995 के दौरान आपूरित कर दिए गए थे। मई/नवम्बर 1995 तथा अगस्त 1996 के बीच में सी ओ डी को ट्रैलरों पर लगे 100 सैट प्राप्त हुए।

सी ओ डी ने थलसेना मुख्यालय को सूचित किया कि आ आ में आवश्यक स उ अ मदों को शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उपस्कर को प्रयोज्यनीय नहीं बनाया जा सका।

सी ओ डी ने जनवरी 1996 में थलसेना मुख्यालय को सूचित किया कि सम्पूर्ण उपस्कर अनुसूची (स उ अ) मदें इसे प्रयोज्यनीय बनाने के लिए अत्यावश्यक थी किन्तु इन्हें आ आ में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसीलिए इन उपस्करों को "प्रयोज्यनीय अपूर्ण" के रूप में प्रंभार मे लिया गया था। थलसेना मुख्यालय ने जनवरी 1996 में बताया कि विद्यमान निर्देशों के अन्तर्गत जून 1994 में आ आ की प्राप्ति के उपरान्त सी ओ डी इन स उ अ मदों की अधिप्राप्ति के लिए उत्तरदायी था किन्तु सी ओ डी को स उ अ मदों की अधिप्राप्ति अभी करनी थी (दिसम्बर 1997) । इसके परिणामस्वरूप उपस्कर को प्रयोज्यनीय नहीं बनाया जा सका। दिसम्बर 1997 की स्थिति के अनुसार उपस्कर के चार सैट बिना स उ अ मदों के ही प्रयोक्ताओं को निर्गमित कर दिए गए थे।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि 205 के आरक्षित प्राधिकृत स्टॉक के प्रति 96 की एक मात्रा आरक्षित भंडार के रूप में रखी हुई थी तथा इस मामले में स उ अ मदों का प्रावधान तथा अधिप्राप्ति प्रत्येक के लिए पृथक रूप से की गयी थी तथा उनकी अधिप्राप्ति न करने से स्पष्ट है कि स उ अ मदें उपलब्ध थीं। मंत्रालय का यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि सी ओ डी ने जनवरी 1996 में थलसेना मुख्यालय को सूचित कर दिया था कि स उ अ मदें रहित उपस्करों की अधिप्राप्ति थलसेना मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत थी तथा मदों की अधिप्राप्ति हेतु सी ओ डी द्वारा कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी थी। इस प्रकार स उ अ मदों की अधिप्राप्ति उपस्कर के साथ-साथ ही करने में सी ओ डी की विफलता के कारण 2.15 करोड़ रुपए मूल्य के उपस्कर अप्रयोज्यनीय अवस्था में पड़े हुए थे।

32. अवमानक सिलेन्डरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

उचित ड्राइंग तथा विशिष्टताएं उपलब्ध कराने में विफलता, गैस सिलेन्डर नियमों (गै सि नि) के अन्तर्गत गैस सिलेन्डर निर्माण के लिए अनुमोदित न हुई फर्म से सिलेन्डरों की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति आदेश में सी सी ई द्वारा स्वीकृति दिए जाने के उपरान्त ही अन्तिम स्वीकृति की शर्त का प्रावधान न रखने के कारण 78.73 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

गैस सिलेन्डर नियमों के अन्तर्गत वेल्डिंग द्वारा निर्मित सिलेन्डरों में पुनः गैस भरने की अनुमति प्रदान न करने के कारण एक सी ओ डी ने इन वेल्डिंग निर्मित सिलेन्डरों को प्रतिस्थापित करने के लिए 3028 जोड़ रहित सिलेन्डरों की अधिप्राप्ति हेतु एक माँगपत्र जुलाई 1992 में थलसेना मुख्यालय को प्रस्तुत किया।

थलसेना मुख्यालय द्वारा (जनवरी 1993) की गई निविदा पूछताछ से पता लगा कि देशज फर्मों को जोड़ रहित सिलेन्डरों के निर्माण में दक्षता प्राप्त नहीं थी एवम् प्राप्त हुए प्रस्ताव दर्शाते थे कि जोड़ रहित पाइपों से बने सिलेन्डर विशिष्टताओं की पूर्ति नहीं करते थे।

तदनुसार थलसेना ने अप्रैल 1993 में सी सी ए से गै सि नि में ढील देते हुए वेल्डिंग निर्मित सिलेन्डरों के उपयोग हेतु अनुमति देने की माँग की जिसे ठुकरा दिया गया। तथापि सी सी ई ने एक पी एस यू सहित तीन ऐसी फर्मों के नाम अग्रेषित किए जो देश में जोड़ रहित सिलेन्डरों का निर्माण करते थे।

थलसेना मुख्यालय ने 78.73 लाख रुपए की कुल लागत पर 3028 सिलेन्डरों की अधिप्राप्ति हेतु एक आपूर्ति आदेश (आ आ) फरवरी 1994 में मैसर्स पर्फेक्ट ड्राप पिन्स मैन्युफैक्चरिंग (पी डी पी) को प्रस्तुत किया यह उन तीन फर्मों में से नहीं थी जिनका नाम सी सी ई द्वारा अग्रेषित किया गया था बल्कि यह एक वह फर्म थी जिस पर निविदा पूछताछ के समय विचार किया

गया था एवं जिसकी पूर्णतया जोड़ रहित सिलेन्डर निर्माण की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया गया था।

मैसर्स पी डी पी ने अक्तूबर एवं दिसम्बर 1994 के बीच यथावत् निरीक्षित तथा निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत सिलेन्डरों की आपूर्ति कर दी थी।

तदन्तर सी ओ डी द्वारा सितम्बर 1995 में उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सी सी ई को भेजे गए सिलेन्डरों के नमूनों को सी सी ई द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि गै सि नि के अन्तर्गत मै0 पी डी पी संघनित वायु सिलेन्डरों के निर्माण हेतु अनुमोदित नहीं थी तथा वे सिलेन्डर किसी भी ज्ञात राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं थे। ये सिलेन्डर अवमानक डिजाइन एवं निर्माण के भी बताए गए थे।

सी सी ई द्वारा अगस्त 1996 में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति मंत्रालय के एक पत्र के उत्तर में पुनः इस दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था एवं उन्होंने ऐसे सिलेन्डरों में पुनः गैस भरने की अनुमति देने से मना कर दिया था।

इसी बीच नवम्बर 1995 में मै0 पी डी पी ने कहा कि उनके द्वारा की गयी आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में उल्लिखित विशिष्टताओं के पूर्णतया अनुरूप थी। प्रत्येक लॉट निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा अग्रिम नूमने भी सन्तोषजनक पाए गए थे तथा संविदा की शर्तों के अनुसार सिलेन्डरों की अन्तिम स्वीकृति के लिए सी सी ई की स्वीकृति नहीं होनी थी।

थलसेना मुख्यालय ने अक्तूबर 1997 में बताया कि आ आ म नि गु आ द्वारा यथावत् अनुमोदित एक फर्म को प्रस्तुत किया गया था तथा उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी ड्राइंग एवं अन्य विवरण आदेश में समाहित कर दिए गए थे। तथापि कमियों की जाँच के लिए एक न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए गए थे तथा इसके निष्कर्ष प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। यह भी बताया गया कि र ले नि से फर्म को किए गए भुगतान की राशि उसके बकाया बिलों में से रोकने के लिए कहा गया था क्योंकि फर्म

अपने व्यवधान में गै सि नि की वाँछनीयता की पूर्ति नहीं कर पायी थी।

इस प्रकार उचित ड्राइंग तथा विशिष्टताएं उपलब्ध कराने में विफलता, गै सि नि के अन्तर्गत गैस सिलेन्डर बनाने के लिए अनुमोदित न हुई फर्म से सिलेन्डरों की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति आदेश में सी सी ई द्वारा स्वीकृति दिए जाने के उपरान्त ही अन्तिम स्वीकृति की शर्त का प्रावधान न रखने के कारण 78.73 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

मंत्रालय को मामला जून 1997 में भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

33. गैर हकदार व्यक्तियों को विशेष ड्यूटी भत्ते का अनधिकृत भुगतान

उत्तर पूर्व क्षेत्र में भर्ती किए गए सिविलियन कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान रोकने के उच्चतम न्यायालय के सितम्बर 1994 के निर्णय के बावजूद अक्तूबर 1994 एवं अगस्त 1996 के बीच अपात्र कर्मचारियों को 1.18 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया जिसमें से 23.52 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी थी।

मंत्रालय ने जनवरी 1984 में " सम्पूर्ण भारत स्थानान्तरण दायित्व" वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी उत्तर पूर्व क्षेत्र (उ पू क्षे) में नियुक्ति के दौरान विशेष ड्यूटी भत्ते (वि ड् भ) के भुगतान की संस्वीकृति प्रदान की। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 1987 में स्पष्ट किया कि यह छूट उ पू क्षे में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को स्थानान्तरित हुए अथवा उ पू क्षे में भर्ती किए गए कर्मचारियों को लागू नहीं थी। यह आदेश 1 नवम्बर 1983 से प्रभावी थे।

निर्देशों के विपरीत र ले नि ने अपात्र

तीन यूनिटों में ऐसे भुगतानों की नमूना जाँच से पता लगा कि इन निर्देशों के विपरीत एक र ले नि ने उ पू क्षे में भर्ती किए गए सिविलियन

कर्मचारियों को 1.31 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

कर्मचारियों को नवम्बर 1983 एवं फरवरी 1994 के बीच वि ड् भ की बावत 1.31 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान अनुमत किया था। लेखापरीक्षा में इस बारे में बताए जाने पर मंत्रालय ने सितम्बर 1994 में सूचित किया कि मामला उच्चतम न्यायालय में निर्णय हेतु विचाराधीन पड़ा हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर 1994 में उ पू क्षे में भरती कर्मचारियों को वि ड् भ के आगे भुगतान पर रोक लगाने के आदेश देने के साथ-साथ किए जा चुके भुगतान की वसूली को माफ कर दिया।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत अपात्र कर्मचारियों को 1.18 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था जिसमें से 23.52 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी थी।

17 यूनिटों में भुगतानों की एक अन्य नमूना जाँच के दौरान पता लगा कि उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बावजूद वि ड् भ का भुगतान जारी था तथा उ पू क्षे में भर्ती कर्मचारियों को अक्तूबर 1994 एवं अगस्त 1996 के बीच 1.18 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था जिसमें से 23.52 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी थी।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सितम्बर 1997 में बताया कि उच्चतम न्यायालय के सितम्बर 1994 के निर्णय के उपरान्त अपात्र कर्मचारियों को भुगतान किए गए वि ड् भ की वसूली कर ली जाएगी।

34. मुफ्त राशन का अनधिकृत निर्गम

एक यूनिट द्वारा रक्षा सिविलियनों को अनधिकृत रूप से 67.07 लाख रुपए मूल्य का मुफ्त राशन निर्गमित किया गया था।

एक फील्ड स्टेशन पर नियुक्त रक्षा सिविलियनों को सितम्बर 1984 एवं इसके बाद फील्ड सर्विस रियायतों का लाभ, जिसमें मुफ्त राशन भी सम्मिलित था, दिया गया था। तथापि जनवरी 1994 में इस स्टेशन का अप्रैल 1993 से पश्च प्रभाव से संशोधित फील्ड स्टेशन के रूप में पुनः वर्गीकरण कर दिया गया था। पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कमान मुख्यालय ने जून 1994 में स्पष्ट किया कि स्टेशन पर नियुक्त सिविलियन कर्मचारी संशोधित

फील्ड सर्विस रियायतों, जिसमें मुफ्त राशन शामिल नहीं था, के हकदार थे। रक्षा सिविलियनों को देय रियायतों को बाद में जनवरी 1995 में मंत्रालय द्वारा परिभाषित किया गया तथा ये अप्रैल 1993 से पश्च प्रभाव से लागू थीं।

लेखापरीक्षा जाँच में पता लगा कि यूनिट द्वारा अप्रैल 1993 से 31 मार्च 1995 के बीच रक्षा सिविलियनों को 67.07 लाख रुपए मूल्य का मुफ्त राशन अनधिकृत रूप से निर्गमित किया गया था।

मंत्रालय ने अगस्त 1997 में बताया कि सितम्बर 1995 में यह निर्णय लिया गया था कि फील्ड सर्विस रियायतें सम्बन्धी निर्णय को 1 अप्रैल 1993 के स्थान पर 31 जनवरी 1995 से लागू किया जाए। तथापि इस परिवर्तन के कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था।

मामले से पता लगा कि कमान मुख्यालय द्वारा जून 1994 में स्पष्टीकरण आदेश जारी किए जाने के उपरान्त भी यूनिट द्वारा अनधिकृत रूप से मुफ्त राशन निर्गमित किया जाता रहा और मंत्रालय ने गल्ती के उत्तरदायित्व के निर्धारण तथा वसूली के आदेश देने के स्थान पर अपने ही आदेश के प्रभावी तिथि को परिवर्तित करके वसूली न करने का निर्णय लिया जो कि अनौचित्यपूर्ण था। फरवरी एवं मार्च 1995 में निर्गमित मुफ्त राशन के बारे में मंत्रालय भी अपने उत्तर में चुप्पी साधे रहे।

35. विक्रय मूल्य की वसूली न होना

एस एस एस डी सी/सी वी डी/सी ए डी द्वारा बिना उचित सत्यापन के एक अनिर्दिष्ट बैंक पर साख-पत्र स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 66.26 लाख रुपए के विक्रय मूल्य की वसूली नहीं हो सकी।

मंत्रालय की एस एस एस डी ने सी ओ डी जबलपुर तथा सी ए डी पुलगाँव से इस्पात स्क्रैप, लघु शस्त्र स्क्रैप तथा बम खोल स्क्रैप की मै0

फर्म ने एक अनिर्दिष्ट बैंक में 161.60 लाख रुपए के लिए साख-पत्र खोला।

हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड (फर्म) को विक्रय की अनुमति एक निर्धारित दर पर साख-पत्र के प्रति प्रदान की। साख-पत्र क्रमशः एस बी आई जबलपुर तथा पुलगाँव में सी ओ डी तथा सी ए डी कमान्डेण्ट के पक्ष में फर्म द्वारा खोला जाना था। तथापि फर्म ने कुल 161.60 लाख रुपए की राशि का साख-पत्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नई दिल्ली में (बैंक) खोला तथा साख-पत्र के प्रति भुगतान इसकी जबलपुर तथा पुलगाँव की स्थानीय शाखाओं पर देय था। तथापि जब सी ओ डी से मार्च-अप्रैल 1995 में उठाए गए 56.50 लाख रुपए मूल्य के 634.268 मी ट स्क्रैप तथा में सी ए डी से फरवरी 1995 में उठाए गए 9.76 लाख रुपए मूल्य के 118 मी ट स्क्रैप की बावत दावा प्रस्तुत किया गया तो बैंक ने फर्म के खाते में पर्याप्त रकम न होने के आधार पर दावे का भुगतान करने से मना कर दिया। नवम्बर 1995 में एस एस एस डी सी ने फर्म से 66.26 लाख रुपए का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने के लिए कहा। तदन्तर अप्रैल 1996 में एस एस एस डी सी भंग हो गयी थी तथा सी ओ डी एवं सी ए डी को भुगतान अभी भी प्राप्त होना था (अक्तूबर 1997)।

बैंक ने फर्म के खाते में पर्याप्त शेष न होने के कारण सरकारी दावे के 66.26 लाख रुपए के भुगतान से इंकार कर दिया।

इस प्रकार एस एस एस डी सी/सी ओ डी/सी ए डी द्वारा बिना उचित सत्यापन के एक अनिर्दिष्ट बैंक पर साख-पत्र स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 66.26 लाख रुपए के विक्रय मूल्य की दो से अधिक वर्ष से वसूली नहीं हुई है।

मंत्रालय को मामला मई 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

36. उच्च दरों पर बैटरियों की अधिप्राप्ति

विद्यमान फर्मों की उच्चतम सीमा से कम मात्रा में बैटरियों की अधिप्राप्ति हेतु आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने एवं अन्य फर्मों से उच्च दरों पर अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 37.39 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एक सी ओ डी ने 1992 से 1996 के बीच बैटरियों की आपूर्ति हेतु दर संविदा के प्रति विभिन्न फर्मों को 53 आपूर्ति आदेश (आ आ) प्रस्तुत किए। दर संविदा की शर्तों में वह उच्चतम मात्रा तथा वित्तीय सीमा निर्धारित थी जिस तक फर्म की आदेशों की पूर्ति की क्षमता के आधार पर आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया जा सकता था।

तथापि लेखापरीक्षा जाँच में पता लगा कि सी ओ डी द्वारा प्रस्तुत आदेश दर संविदा के अनुसार फर्मों की उच्चतम मात्रा/वित्तीय सीमाओं से बहुत कम मात्रा के लिए थे। यद्यपि उसी समय अन्य फर्मों को उच्च दरों पर आदेश प्रस्तुत किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 37.39 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय को मामला जून 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

37. हैड परकुसन के निर्माण पर परिहार्य व्यय

सी ओ डी ने एक मद की निर्माण लागत का कम आँकलन किया जिसके कारण थलसेना ने ट्रेड के बजाय सी ओ डी को आदेश प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप 64,300 हैड परकुसन (है प) के निर्माण पर 16.60 लाख रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त 32,500 है प का अनावश्यक उत्पादन होने से 21.71 लाख रुपए की निधि अवरुद्ध हो गयी।

थलसेना मुख्यालय के कहने पर सी ओ डी कानपुर ने दिसम्बर 1990 में अपनी वर्कशॉप में हैड परकुसन (है प) की इकाई निर्माण लागत 35.05 रुपए आँकलित की। क्योंकि यह इकाई लागत बाज़ार से आपूर्ति की इकाई लागत (41रुपए प्रति इकाई) की तुलना में कम थी अतः थलसेना मुख्यालय द्वारा अक्तूबर 1991 में सी ओ डी को 1.20 लाख है प के निर्माण का आदेश दे दिया गया।

सी ओ डी ने आपूर्ति आदेश के अनुसार निर्माण एवं आपूर्ति करते हुए फरवरी 1993 में थलसेना मुख्यालय को सूचित किया कि है प की शेष 55,700 मात्रा का निर्माण तभी किया जाएगा जब वर्तमान प्रावधान पुनरीक्षा में इसकी आवश्यकता दर्शायी जाएगी। थलसेना मुख्यालय ने फरवरी 1994 में सी ओ डी को आगे है प का निर्माण बन्द करने के लिए सूचित किया। इसके बावजूद सी ओ डी ने कार्य जारी रखा और मई 1994 तक 21.71 लाख रुपए मूल्य के 32,500 है प का निर्माण पूर्ण कर लिया। थलसेना मुख्यालय ने अन्ततः जुलाई 1994 में शेष 23,200 की मात्रा के उत्पादन को निरस्त कर दिया।

निर्माण की लागत के एक विश्लेषण से पता लगा कि सी ओ डी ने 35.05 रुपए की इकाई निर्माण लागत पूर्णतया कम आँकलित की थी जबकि वस्तुतः यह बाजार से अधिप्राप्ति लागत 41 रुपए की तुलना में 66.81 रुपए प्रति इकाई बनती थी।

इस प्रकार 64,300 है प के निर्माण हेतु बाज़ार के स्थान पर सी ओ डी को आदेश प्रस्तुत करने के कारण 16.60 लाख रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ तथा 32,500 है प के अनावश्यक उत्पादन के कारण 21.71 लाख रुपए अवरुद्ध हो गए। इन दोनों पहलुओं का कुल वित्तीय प्रभाव 38.31 लाख रुपए बैठता है।

मंत्रालय को मामला अप्रैल 1997 में भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

38. चार्जिंग सैटों को अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय

चार्जिंग सैटों की अधिप्राप्ति में अपर्याप्त प्रबन्धन की वजह से 18 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय।

मंत्रालय ने चार्जिंग सैटों की आपूर्ति हेतु आ आ प्रस्तुत किया। फर्म आपूर्ति करने में असफल रहीं तथा आ आ फर्म की जोखिम एवं लागत पर निरस्त कर दिया गया।

मंत्रालय ने जनवरी 1987 में 4500 रुपए की इकाई लागत पर औजारों,अतिरिक्त पुर्जों एवं अन्य अनुषंगी पुर्जों के साथ 400 चार्जिंग सैटों के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए फर्म 'एक्स' को एक आपूर्ति आदेश (आ आ) प्रस्तुत किया। जून 1987 में आपूरित किया गया चार्जिंग सैट का आदिप्रारूप डी जी क्यू ए के पास नवम्बर 1992 तक परीक्षणाधीन था। किन्तु जब प्रयोक्ताओं ने पुष्टिकरण परीक्षण हेतु आदिप्रारूप की माँग की तो फर्म इसे आपूरित करने में असफल रही और इसीलिए दिसम्बर 1993 में दोषी आपूर्तिकर्त्ता की जोखिम एवं लागत पर आ आ निरस्त कर दिया गया था।

मंत्रालय ने जोखिम एवं लागत पर क्रय करने के स्थान पर उच्च दरों पर एक अन्य आपूर्ति आदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप 18 लाख रुपए का अतिरिक्व व्यय हुआ।

इसी बीच मंत्रालय ने एक अन्य मामले में पृथक कार्यवाही की तथा 9,000 रुपए की इकाई लागत पर उसी मद के 800 सैटों की आपूर्ति हेतु अक्तूबर 1991 में फर्म 'वाई' को एक आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया। दिसम्बर 1993 में उसी तिथि को जिसमें पहला आ आ निरस्त किया गया था, 400 सैटों की जोखिम एवं लागत खरीद करने के स्थान पर 800 सैटों की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति हेतु फर्म 'वाई' को थोक उत्पादन स्वीकृति प्रदान कर दी

गयी थी जिसमें आपूर्ति होने पर 18 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय सन्निहित था। फर्म 'वाई' ने मार्च 1995 से मई 1996 के बीच मद के 787 नग आपूरित किए और शेष मात्रा की आपूर्ति अभी की जानी थी (दिसम्बर 1997)।

इस प्रकार चार्जिंग सैटों की अधिप्राप्ति में अपर्याप्त प्रबन्धन के कारण 18 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय को मामला अप्रैल 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

विनियोजन एवं क्रियान्वयन में कमियाँ

निम्नलिखित 8 मामलों में नियोजन एवं क्रियान्वयन में कमियों के कारण 6.31 करोड़ रुपए के अतिरिक्त/परिहार्य व्यय का पता लगा।

39. विवाहित आवास योजना के कार्यान्वयन में असामान्य विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

योजना तैयार करने में तीन से अधिक वर्ष के विलम्ब तथा तदनुपरान्त एम ई एस द्वारा विवाहित आवास योजना के निर्माण के कार्यान्वयन निष्पादन में विलम्ब के कारण 210.65 लाख रुपए का फालतू व्यय हुआ

मुख्यालय दक्षिणी नौसेना कमान, कोचीन (मु द नौ क) तथा नौसेना मुख्यालय ने क्रमशः जुलाई 1986 एवं जनवरी 1987 में 25 अधिकारियों हेतु 189.21 लाख रुपए की कुल लागत पर विवाहित आवास के विनिर्माण हेतु दो संस्वीकृतियों की स्वीकृति दी।

संस्वीकृति तिथि से साढ़े तीन वर्ष उपरान्त निर्मित योजना अनुमोदित की गई।

निर्माण कार्य क्रमशः अक्तूबर 1986 एवं फरवरी 1987 में कार्यान्वयन हेतु निर्मुक्त किए गए। जनवरी 1988 में मुख्य अभियन्ता, कोचीन क्षेत्र (मु अ को क्षे) द्वारा निर्मित नियोजन कार्य विभिन्न प्राधिकारियों के मध्य पत्राचारान्तर्गत रहा तथा संस्वीकृति तिथि से साढे तीन वर्ष के विलम्ब के उपरान्त फरवरी 1990 में अन्ततः मु अ को क्षे द्वारा अनुमोदित किया गया।

मु अ को क्षे ने वित्तीय अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त 250.65 लाख

भारी वर्षा आदि एवं विभाग द्वारा भंडार के निगर्मन में विलम्ब के कारण कार्य निष्पादन में तीन से अधिक वर्ष का विलम्ब हुआ।

रुपए की लागत से अप्रैल 1991 में संविदा निष्पादित की। मई 1993 तक नियत निष्पादन कार्य में, विभाग द्वारा अनुसूची 'ख' का भण्डार विलम्ब से जारी करने, भारी वर्षा, श्रमिकों द्वारा मन्दकार्ययुक्ति तथा मशीन कक्ष तल के पुर्नबलन का निर्धारण न करना एवं छत पट्टियाँ इत्यादि के कारण, विलम्बित हुआ कार्य 399.86 लाख रुपए की लागत पर अक्तूबर 1996 में निष्पादित किया गया।

इस बीच दिसम्बर 1993 में मन्त्रालय द्वारा दोनों संस्वीकृतियों के लिए 328.95 लाख रुपए की आवरण संस्वीकृति जारी की गई।

मु द नौ क ने विस्तृत योजना तैयार करने में एम ई एस को उत्तरदायी ठहराया।

जुलाई 1997 में मु द नौ क ने तथ्यों को स्वीकार किया और एम ई एस प्राधिकारियों को विस्तृत योजना तैयार करने के विलम्ब में उत्तरदायी ठहराया।

अतः विस्तृत योजना के निर्णयन में तीन से अधिक वर्ष के विलम्ब एवं तत्पश्चात् निर्माण कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण 210.65 लाख रुपए का फालतू व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को मई 1997 में भेजा गया ; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था ।

40. अनुपयुक्त रूपांकन के कारण परिहार्य व्यय

इमारतों में अपरिपक्व रिसाव/निस्यन्द के कारण विशिष्ट अनुरक्षण पर 91.79 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ

1986 और 1990 के दौरान 10.40 करोड़ रुपए की लागत से एक निर्मित अनुसंधान केन्द्र इमारत (अ के इ) के तकनीकी आवास पर 7 से 10 वर्ष की गारण्टी सहित एक विशेषज्ञ एजेन्सी द्वारा जल प्रमाणीकरण व्यवहार

प्रदान किया गया।

गारण्टी अवधि के दौरान अधिकतर इमारतों में रिसाव/निस्यन्द पाया गया।

जून 1990 में एक तकनीकी इमारत में रिसाव/निस्यन्द से सम्बन्धित प्रयोक्ताओं की शिकायत के आधार पर एम ई एस ने समस्त इमारतों का निरीक्षण किया तथा पाया कि अधिकतर तकनीकी इमारतों में रिसाव/निस्यन्द है।

बोर्ड ने अनुपयुक्त ढलानों के रूप में रिसाव के कारण का पता लगाया।

मामला जून 1990 से दिसम्बर 1993 तक एम ई एस तथा अनुसंधान एवं विकास (अ एवं वि) अधिकारियों के मध्य पत्राचाराधीन रहा तथा तब अ एवं वि मुख्यालय ने तकनीकी क्षेत्र में इमारतों की छतों के विशिष्ट अनुरक्षण हेतु निर्माण कार्य के आंकलन हेतु बोर्ड ऑफ ऑफिसर (बोर्ड) को आदेश दिया। जुलाई 1994 में बोर्ड एकत्र हुआ तथा रिसाव/निस्यन्द का कारण अनुपयुक्त ढलान का होना तथा आन्तरिक नलियों में पानी के रिसने की समस्या का पता लगाया तथा चूंकि इन इमारतों में बहुमूल्य संयंत्र/मशीनें/कम्प्यूटर लगाए गए थे, तुरन्त स्थायी प्रकृति की अनुरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

तदनुसार जैसा कि बोर्ड ने संस्तुति की थी एम ई एस द्वारा अगस्त 1995 तथा जून 1996 के मध्य 91.79 लाख रुपए की लागत पर विशिष्ट अनुरक्षण किया गया।

मंत्रालय ने नवम्बर 1997 में बताया कि रिसाव/निस्यन्द नींव/मशीनों के स्थापना के समय जल प्रमाणीकरण व्यवहार में आयी बाधा के कारण हुआ। मंत्रालय का तर्क तकनीकी बोर्ड जिसने रिसाव का कारण अनुपयुक्त ढलान तथा आन्तरिक नलियों में पानी के रिसने का पता लगाया था, की जाँच के प्रतिकूल है।

तथ्य रहता है कि इमारतों में अपरिपक्व रिसाव/निस्यन्द के परिणामस्वरूप विशिष्ट अनुरक्षण पर 91.79 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

41. नलकूपों की अपरिपक्व असफलता

एच एस एम आई टी सी द्वारा नलकूपों की अपमानक खुदाई को अधिग्रहण पूर्व निर्दिष्ट करने में एम ई एस की असफलता के कारण 56.43 लाख रुपए की लागत पर 11 नलकूपों की अपरिपक्व असफलता हुई । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर 36.63 लाख रुपए का व्यय भी किया गया था

ह रा ल सि न नि से 84.41 लाख रुपए लागत पर एम ई एस द्वारा 15 नलकूप खुदवाए गए।

केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड (बोर्ड) से प्राप्त सम्भाव्य प्रतिवेदन के आधार पर तथा अम्बाला में रक्षा संस्थापनाओं की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु एम ई एस द्वारा हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम (ह रा ल सि न नि) से अगस्त 1992 तथा नवम्बर 1994 के दौरान 84.41 लाख रुपए की लागत पर 15 नलकूप खुदवाए गए। इसके अतिरिक्त एम ई एस द्वारा ट्यूबवेल से सम्बन्धित निर्माण कार्य को कार्यान्वयन करने के लिए 50.07 लाख रुपए का व्यय किया गया।

15 नलकूपों में से 14 जलपूर्ति हेतु प्रयुक्त न किए जा सके चूंकि अत्यधिक रेत व मिट्टी देने लगे थे।

15 खुदे नलकूपों में से 14, 77.11 लाख रुपए लागत के, ने पाँच से सात वर्ष आंकलित जीवन काल के प्रति दो से बारह मास की निष्पादित अवधि में ही भारी रेत व मिट्टी देना आरम्भ कर दिया।

परिणामतः वे सेना हेतु जल आपूर्ति करने में प्रयुक्त न किए जा सके। इसलिए एम ई एस दोषपूर्ण नलकूपों के सुधार हेतु मामला फरवरी-मार्च 1995 में ह रा ल सी न नि के साथ ले गई।

उच्चतर क्षमतायुक्त मोटरों की स्थापना तथा अत्यधिक जल निकासी नलकूपों की असफलता के कारण पाए गए।

नलकूप आंकडों के विश्लेषण के उपरान्त ह रा ल सि न नि ने नवम्बर 1995 में निर्दिष्ट किया कि उच्चतर शक्ति की मोटरों की स्थापना तथा नलकूपों से अत्यधिक जल निकासी, नलकूपों की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। सी डब्ल्यू ई से उन्हें दोषों के निवारण/अनुरक्षण के आदेश देने को कहा। सी डब्ल्यू ई जाँच परिणामों से सहमत न हुआ तथा कहा कि नलकूपों की असफलता, बोर सुराखों की खुदाई के विकास में अनुपयुक्त क्षमता के संपीडक का प्रयोग तथा एम ई एस को रेतयुक्त खुदे सुराख प्रदान

करना था तथा ह रा ल सि न नि से बिना लागत पर नलकूपों का पुनर्विकास करने का अनुरोध किया। लेकिन ह रा ल सि न नि सहमत न हुआ चूंकि यह मूल शर्तों में अन्तर्निहित नहीं था तथा अतिरिक्त भुगतान करने को कहा गया।

इसी दौरान जनवरी 1995 में एम ई एस द्वारा 2.32 लाख रुपए की लागत पर तीन दोषपूर्ण नलकूपों का सुधार किया गया। शेष 11 नलकूपों का न तो दोष सुधार/पुनर्विकास किया गया न ही मई 1997 तक हानि के मामले का नियमितीकरण हेतु प्रयास किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नलकूपों की गहराई प्रमंडल की संतुति से कम थी तथा एम ई एस इसे निर्दिष्ट करने में असफल रही।

लेखापरीक्षा जांच से पता लगा कि बोर्ड द्वारा संस्तुतित 820 फुट से 984 फुट गहराई के प्रति 15 में से 14 नलकूपों की खुदाई की गहराई 92 फुट से 756 फुट के बीच थी । एम ई एस इस विसंगति के साथ-साथ नलकूपों के अधिग्रहण पूर्व ह रा ल सि न नि द्वारा छेदों की खुदाई हेतु अनुपयुक्त क्षमता के सम्पीडक के प्रयोग को, निर्दिष्ट करने में असफल रही।

अतः ह रा ल सि न नि द्वारा नलकूपों की अपमानक खुदाई तथा अधिग्रहण पूर्व निर्दिष्ट करने में एम ई एस की असफलता से 56.43 लाख रुपए के लागत के 11 नलकूपों की अपरिपक्व असफलता हुई । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर 36.63 लाख रुपए का निष्फल व्यय भी हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था ।

42. स्थल चयन में अनिर्णय के कारण फालतू व्यय

स्थल चयन में असाधारण विलम्ब के परिणामतः परियोजना की लागत में हुई तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप 68.00 लाख रुपए का फालतू व्यय हुआ

दिसम्बर 1986 में मुख्यालय मध्य कमान (मु म क) ने 50.21 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर दानापुर में जे सी ओ/ओ आरस् के विलग परिवारों हेतु आवास की निर्माण की संस्वीकृति दी। दिसम्बर 1989 में निष्पादित करने हेतु निर्माण कार्य जून 1987 में निर्मुक्त किया गया। जनवरी 1988 में मु म क ने बताया कि इमारत के लिए प्रस्तावित स्थल, अनुमोदित क्षेत्रीय योजना के अनुरूप न था और संशोधन की आवश्यकता थी। मई 1988 में जी ई ने स्पष्ट किया कि इमारत हेतु प्रस्तावित स्थल अनुमोदित क्षेत्रीय योजना के अनुरूप था और संशोधन की आवश्यकता न थी। जून 1989 में जी ई ने अपनी धारणा को दोहराते हुए बताया के वरिष्ट वास्तुकार, जोन स्थल का निरीक्षण किया, ने भी उसकी धारणा की पुष्टि की थी। दिसम्बर 1989 में, इसके बावजूद कमान सी ई ने सी डब्ल्यू ई एवं जी ई को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य का कार्यान्वयन विद्यमान संस्वीकृति के अनुरूप लेकिन संशोधित स्थल पर करें। जनवरी 1992 में थलसेना मुख्यालय ने स्थल परिवर्तन एवं विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के लिए संस्वीकृति को 96.25 लाख रुपए के लिए संशोधित किया।

आवास का विर्निमाण 118.20 लाख रुपए की लागत पर अगस्त 1995 में निष्पादित हुआ। व्यय आधिक्य हेतु आवरण संस्वीकृति अभी प्रदान की जानी थी (फरवरी 1997)। तथापि यह देखा गया कि नवम्बर 1994 में जी ई की पुष्टि के अनुरूप ही निर्माण का कार्यान्वयन वास्तव में मूल स्थल पर ही किया गया तथा इमारत की पंक्तिबंधन/स्थिति निर्धारण के सिवाए निर्माण कार्य के क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं था।

अतः स्थल चयन करने में असाधारण विलम्ब के परिणामतः परियोजना की लागत में हुई तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप 68.00 लाख रुपए का

फालतू व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को मई 1997 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

43. दोषपूर्ण कारीगरी के कारण भवन का अनुपयोग

निर्माण कार्य की अवमानक स्वीकृति के कारण सितम्बर 1994 में 59.61 लाख रुपए लागत पर विनिर्मित भवन दोष सुधार की कमी के कारण तीन वर्ष से अधिक तक अप्रयुक्त पड़े रहे। अवमानक निर्माण कार्य का स्वीकरण के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारण अभी करना था।

मार्च 1987 में संस्वीकृत विद्यालय भवन का विनिर्माण अक्तूबर 1988 सी ई द्वारा निष्पादित 17.77 लाख रुपए की एक संविदा में निहित था। विद्यालय हेतु भवन निर्माण, जो मार्च 1991 में निष्पादित होना था में विलम्ब हुआ और 30 नवम्बर 1991 तक समय बढ़ाने के बावजूद भी निष्पादित नहीं हो सका तथा जून 1993 में संविदा दोषी ठेकेदार के रिस्क एवं कास्ट पर स्थगित कर दी गई। 9.61 लाख रुपए की रकम का ठेकेदार को भुगतान किया गया।

अगस्त 1993 में शेष कार्य 33.52 लाख रुपए लागत पर पुरस्कृत किया गया तथा सितम्बर 1994 में 50 लाख रुपए की लागत पर निष्पादित हुआ। मार्च 1995 में सी डब्ल्यू ई ने सी ई को सूचित किया कि भवन में कुछ दरारें दिखाई दी थीं और इसलिए प्रयोक्ता ने भवन के दोष सुधारे जाने तक अधिग्रहण करने से इनकार कर दिया; दोष अभी तक सुधारे नहीं गए थे।

अतः निर्माण कार्य के अवमानक कार्यान्वयन की एम ई एस द्वारा स्वीकृति के कारण् सितम्बर 1994 में 59.61 लाख रुपए की लागत पर

विनिर्मित भवन दोष-सुधार की कमी के कारण तीन वर्ष से अधिक तक अप्रयुक्त पड़े रहे। अवमानक निर्माण कार्य स्वीकरण के प्रति उत्तरदायित्व अभी निर्धारण किया जाना था।

मामला अप्रैल 1997 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

44. संविदा निष्पादन में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

अकुशल नियोजन एवं दोषपूर्ण रूपांकन के कारण 48.58 लाख रुपए व्यय करने के उपरान्त भी सेना हेतु बाह्य जल सुविधाओं का प्रावधान नहीं किया जा सका

फरवरी 1993 में एक क्षेत्रीय सी ई ने एक डिपो के लिए बाह्य जल आपूर्ति प्रावधान हेतु एक फर्म के साथ अगस्त 1994 में सम्पूरित होने वाली 37.14 लाख की एक संविदा की । संविदा की शर्तों में एक शर्त 18 कि ग्रा/2 सै मी के हाईड्रोलिक दबाव पर पाइपलाइनों की जांच किए जाने का प्रावधान था ।

अनुपयुक्त दबाव के कारण पाइपों का परीक्षण नहीं हुआ।

पाइपलाइनों में रिसाव/छीजन देखी गयी।

सी ई ने संविदा समापन कर दिया क्योंकि कार्य को सम्पूरित करवाने के लिए प्रयासों से कोई परिणाम नहीं निकला।

फर्म ने अगस्त 1994 तक पाइपों की जांच के अलावा सम्पूर्ण कार्य निष्पादित किया जो फर्म के अनुसार, पाइपलाइनों में बहुत कम दबाव तथा लाइनों के मध्य बूस्टर पम्प का प्रावधान न किए जाने के कारण, जांच नहीं की जा सकी। फर्म ने परीक्षण हटाने का अनुरोध किया लेकिन जी ई इससे सहमत नहीं हुआ चूंकि पाइपलाइनों में रिसाव/निस्यंद देखी गई थी, फर्म द्वारा कार्य निष्पादन के सभी प्रयत्नों से कोई परिणाम नहीं निकला तथा मार्च 1997 में सी ई ने संविदा समापन कर दिया तथा रिस्क एण्ड कोस्ट पर संविदा निर्णित करने का निश्चय किया जो अभी भी निर्णित किया जाना था (अगस्त 1997)। 32.70 लाख रुपए की निःशुल्क निर्गमित भंडार के साथ साथ फर्म को 15.88 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

इसी दौरान एस टी ई जिसने दिसम्बर 1996 में कार्य की जांच की, मत व्यक्त किया कि कार्य अकुशल नियोजन एवं दोषपूर्ण रूपांकन से प्रभावित हुआ। चूंकि 18 कि ग्रा/सी एम हाईड्रोलिक के दबाव पर पाइपलाइन परीक्षण हेतु शीर्ष कार्यविधि का प्रावधान पर्याप्त नहीं था।

डिपो ने नियोजित जल आपूर्ति के अभाव में 7.28 लाख रुपए व्यय किए।

नियोजित जल आपूर्ति के अभाव में डिपो प्राधिकारियों ने 7.28 लाख रुपए का व्यय करते हुए कार्मिकों को गाड़ियों द्वारा पीने का पानी वितरित किया।

अतः अकुशल नियोजन एवं दोषपूर्ण रूपांकन के कारण अगस्त 1997 तक 48.58 लाख रुपए का व्यय करने के उपरान्त भी सेना हेतु बाह्य जल सुविधाओं का प्रावधान न किया जा सका।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था ।

45. एक भीतरी व्यायामशाला के विर्निमाण में असमान्य विलम्ब

निकृष्ट कारीगरी और अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्यान्वयन का अनुपयुक्त पर्यवेक्षण के कारण बंगाल अभियन्ता समूह एवं केन्द्र की प्रशिक्षण आवश्यकताएं दस वर्षों के पश्चात 33.30 लाख रुपए व्यय करने के उपरान्त भी पूरी नहीं हो सकी

फरवरी 1987 में मुख्यालय मध्य कमान ने बंगाल अभियन्ता समूह एवं केन्द्र की भीतरी व्यायामशाला आवश्यकता की पूर्ति हेतु 28.42 लाख रुपए की लागत पर एक व्यायामशाला विर्निमाण की परियोजना संस्वीकृत की। सितम्बर 1990 तक सम्पूरित होने वाला निर्माण कार्य नवम्बर 1987 में कार्यान्वयन हेतु प्रदान किया गया। 13.14 लाख रुपए की लागत का लकड़ी

का फर्श जिसका प्रारम्भ में प्रावधान न होने के कारण मार्च 1993 में विर्निमाण लागत 42.22 लाख रुपए तक संशोधित की गई।

मुख्य अभियन्ता ने तीन वर्ष उपरान्त संविदा स्वीकृति दी।

तीन वर्ष पश्चात अक्तूबर 1990 में सी ई ने 23.79 लाख रुपए की संविदा निर्णित की जिसमें जनवरी 1992 तक कार्यान्वित होने वाला 3.27 लाख रुपए की लागत का लकड़ी का फर्श शामिल था। दिसम्बर 1991 में अनुसूची 'ख' भंडार की अनुपलब्धता एवं व्यायामशाला कक्ष के फर्श रूपांकन के अनिर्णयन के कारण सी ई ने कार्य निष्पादन को 31 मई 1992 तक समय वृद्धि प्रदान की।

लकड़ी के फर्श की संविदा में 3.27 लाख रुपए का प्रावधान लकड़ी की कीमतों में वृद्धि के कारण पर्याप्त नहीं पाया गया। तदनुरूप अक्तूबर 1993 में उसी ठेकेदार को 10.09 लाख रुपए की लागत का लकड़ी फर्श के प्रावधान हेतु एक कार्य आदेश दिया गया।

दिसम्बर 1994 में ठेकेदार ने कार्य निष्पादन की सूचना दी लेकिन निकृष्ट कारीगरी, निम्नकोटि की लकड़ी का प्रयोग तथा वायु संचार की अनुपयुक्तता के कारण लकड़ी के फर्श में दोषों के कारण अभियन्ताओं ने उसे स्वीकार नहीं किया।

एक तकनीकी बोर्ड ऑफ आफिसर जो अगस्त 1995 में संयोजित हुआ ने निष्कर्ष दिया कि संविदा उचित रूप से प्रशासित नहीं हुआ तथा कार्यकारियों के भाग पर निश्चित असफलता थी। ठेकेदार को 33.30 लाख रुपए की रकम का भुगतान हो चुका था लेकिन सितम्बर 1996 तक जो कार्य निष्पादन होना था अभियन्ताओं द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था।

अब तक दोषपूर्ण निर्माण कार्य के सुधार करने में तथा कार्यकारी के भाग पर इसकी असफलता के लिए निर्धारण हेतु कोई प्रगति न हुई थी।

अतः दोषपूर्ण कारीगरी के साथ-साथ अभियन्ताओं द्वारा निर्माण सेवाओं के कार्यान्वयन में अनुपयुक्त पर्यवेक्षण के कारण केन्द्र की प्रशिक्षण

आवश्यकताएं, 33.30 लाख रुपए के व्यय के उपरान्त भी 10 वर्ष व्यतीत होने पर भी पूर्ण न हो सकी।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 1997 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

46. एक चार दीवारी के अनुचित निर्माण के कारण परिहार्य व्यय

मूल संविदा में पानी के उचित निकास हेतु निकास मार्ग प्रावधान करने की विफलता के परिणामस्वरूप 19.24 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ

मई 1988 में एक क्षेत्रीय सी ई ने हाशीमरा में तकनीकी क्षेत्र के चारों ओर चार दीवारी के निर्माण हेतु 94.78 लाख रुपए की एक संविदा की जिसकी समापन तिथि मई 1990 थी। पाइपों की अनुपलब्धता, वृक्षों को उखाड़ने में विलम्ब, कठिन ऊंचाई पर कार्य करना, वर्षा के कारण डबलह्यूम पाइपों का पुलियां में डूब जाने इत्यादि के कारण कार्य के सम्पूर्ण करने के लिए अगस्त 1993 तक समयावधियाँ प्रदान की गई थी।

जुलाई 1993 में जब कार्य समाप्ति पर था निर्मित चार दीवारी का लगभग दो-तीन किलोमीटर लम्बा एक भाग ढह गया। क्षति का आंकलन करने के लिए गठित एक बोर्ड ऑफ आफिसर्स जो अक्तूबर 1993 में एकत्रित हुआ था ने मत व्यक्त किया कि चार दीवारी पानी के दबाव और बहते हुए पानी के तेज़ प्रवाह के कारण भूमि स्तर से टूट गई थी।

चूंकि गिरी हुई चार दीवारी की पुनर्निमाण लागत (12.32 लाख रुपए) संविदा की विचलन सीमा से अधिक थी, सी ई ने बाड़ और दीवार की ऐसी बार-बार होने वाली क्षति से बचने के लिए, पानी के निकास हेतु निकास

मार्गों का प्रावधान करते हुए, उसी ठेकेदार से नवम्बर 1994 में 4.77 लाख रुपए के लिए सी ई ने एक संविदा की। मार्च 1995 में 1.38 करोड़ रुपए की लागत पर दोनों संविदाओं के अन्तर्गत कार्य सम्पूर्ण हुआ तथा जी ई द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणी के अनुसार 19.24 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय आंकलित किया गया।

अगस्त 1997 में मंत्रालय ने बताया कि पानी के निकास हेतु निकास मार्गों का प्रावधान ऐसी क्षतियों के गठित होने को टालने के लिए किया गया था क्योंकि इनकी आवश्यकता थी। बाढ़ आने के पश्चात भूमि की अवस्था के कारण 19.24 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय अभूतपूर्व वर्षा के कारण आई बाढ़ के प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। मंत्रालय का यह दावा स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भूमि की अवस्था के अनुसार समुचित बचाव उपायों का आंकलन एवं प्रावधान किया जाना चाहिए था।

तथापि तथ्य यह है कि मूल संविदा में पानी के उचित निकास हेतु निकास मार्गों के प्रावधान करने की विफलता के परिणामस्वरूप 19.24 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

सेवाओं में तालमेल न होना

आवासीय भवनों के निर्माण के साथ ही आन्तरिक एवं बाह्य निर्माण कार्य सेवाओं को पूरा कराने में एम ई एस की विफलता के परिणामस्वरूप निम्नलिखित दो मामलों में 3.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आवासों का उपयोग नहीं हुआ।

47. दोषपूर्ण नियोजन के कारण विवाहित अधिकारी आवास का अनधिग्रहण

दोषपूर्ण नियोजन/निर्माण कार्य सेवाओं की अशुद्ध क्रमबद्धता के परिणामतः तीन से छः वर्ष पूर्व विनिर्मित 72 आवास प्रयोग में न लाए जाने के परिणामस्वरूप 249.40 लाख रुपए का विनियोग व्यर्थ रहने के अतिरिक्त अप्रैल 1990 से मार्च 1997 तक आवास किराया प्रभारों के रूप में 13 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ

मु उ क में अधिकारियों हेतु 72 आवासों की संस्वीकृति दी।

एक नवस्थापित छावनी पर विवाहित अधिकारियों हेतु आवास की अतिअल्पता की समस्या के समाधान हेतु मुख्यालय उत्तरी कमान (मु उ क) ने 198.43 लाख रुपए की लागत पर 72 रिहायशी इकाइयों के विनिर्माण हेतु चार निर्माण कार्य (नवम्बर 1986 में तीन तथा अगस्त 1987 में एक) की संस्वीकृति दी।

56 क्वार्टर मई 1990 में निष्पादित हुए परन्तु आवास स्थल पर मौलिक सुविधाओं के अभाव के कारण प्रयोक्ता द्वारा अधिग्रहण नहीं हुए।

सितम्बर 1987 में सी ई ने एक ठेकेदार के साथ नवम्बर 1989 की पूर्णता तिथि पर 128.83 लाख रुपए पर प्रथम तीन निर्माण कार्यों के अन्तर्गत 56 आवासों को समाहित करते हुए, एक संविदा निष्पादित की। विभाग के अनुसार, ठेकेदार दिसम्बर 1991 तक 95 प्रतिशत निर्माण कार्य निष्पादित कर चुका था। तथापि ठेकेदार के अनुसार 180.74 लाख रुपए की लागत पर भवनों का निर्माण मई 1990 तक पूरा कर दिया गया था। लेकिन विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं हुआ क्योंकि शुरू में जल एवं विद्युत की अनुपलब्धता एवं तदनुपरान्त प्रयोक्ता की अनिच्छा जैसा कि उस स्थान पर न तो व्यवसायिक केन्द्र, विद्यालय व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी और न ही निजी परिवहन सेवाएं उपलब्ध थी; के कारण नहीं हुआ। इसे इस तथ्य से भी बल मिलता है कि बाह्य सेवाए तथा विवाहित आवास से इतर (ओ टी एम), 696.90 लाख रुपए के कार्य मन्त्रालय द्वारा मार्च 1988 तथा मार्च 1992 के मध्य संस्वीकृत किए गए अर्थात् विवाहित आवास की संस्वीकृति के बहुत पश्चात्, अक्तूबर 1994 तथा अप्रैल 1997 के दौरान 753.12 लाख रुपए की लागत से

निष्पादित हुए।

नवम्बर 1993 मे निष्पादित 16 क्वार्टर भी अधिग्रहीत नहीं हुए थे।

16 क्वार्टरों के विनिर्माण का अन्तिम कार्य भी उसी ठेकेदार को सी ई द्वारा मई 1989 की पूर्णता तिथि के साथ 41.56 लाख रुपए के लिए अप्रैल 1988 में पुरस्कृत किया गया। यह कार्य नवम्बर 1993 में 57.36 लाख रुपए की लागत से निष्पादित हुआ जो मार्च 1997 तक अधिग्रहीत नहीं हुआ। इन भवनों में स्थापित/प्रयुक्त करने हेतु मार्च 1990 एवं मई 1994 के मध्य 11.30 लाख रुपए की लागत से अधिप्राप्त किए गए गीजर एवं फर्नीचर मदें भी व्यर्थ पड़ी थीं।

निर्माण कार्य तर्क पूर्ण क्रम वार संस्वीकृत नहीं हुए।

यह देखा गया कि निर्माण कार्य तर्कपूर्ण क्रमवार जैसे कि प्रथमतः बाह्य सेवाएं तत्पश्चात् ओ टी एम आवास इसके उपरान्त जे सी ओ/ओ आर हेतु विवाहित आवास और अन्ततः अधिकारियों हेतु विवाहित आवास, संस्वीकृत नहीं किए गए थे।

अतः दोषपूर्ण नियोजन/निर्माण कार्य की अशुद्ध क्रमवारता के कारण तीन से छः वर्ष पूर्व निर्मित 72 आवास प्रयोग में न आने के परिणामस्वरूप 249.40 लाख रुपए का विनियोग व्यर्थ रहने के साथ-साथ अप्रैल 1990 से मार्च 1997 तक आवास किराया-प्रभार के रूप में 13 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

48. रिहायिशी आवासों का अनुपयोग

रिहायशी आवासों के साथ में जल एवं विद्युत सेवाओं के समकालिक विनिर्माण में मंत्रालय/एम ई एस के विफलता के परिणामस्वरूप 89.22 लाख रुपए लागत पर विनिर्मित आवास अप्रयुक्त रहे

सितम्बर 1995 में 89.22 लाख रुपए की लागत पर अधिकारियों एवं नाविकों हेतु एकल आवास का निर्माण कार्य निष्पादित हुआ।

मंत्रालय ने फरवरी 1992 में 61.06 लाख रुपए की लागत पर तट रक्षक वायु स्टेशन के 12 अधिकारियों तथा 93 नाविकों हेतु एकल आवासों के विनिर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान की। वित्तीय अनुमति (वि अ) प्राप्ति के उपरान्त 89.22 लाख रुपए की लागत पर निर्माण कार्य सितम्बर 1995 में निष्पादित हुआ।

जल एवं विद्युत आपूर्ति हेतु एक अन्य संस्वीकृति प्रदान की गई क्योंकि इसका मूल संस्वीकृति में प्रावधान नहीं था।

उक्त आवास संस्वीकृति में जल एवं विद्युत आपूर्ति का प्रबन्ध नहीं किया गया था और इसलिए मार्च 1994 में 70.58 लाख रुपए को अगस्त 1994 में 72.90 लाख रुपए संशोधित करके जिसमें साथ साथ मल निकास और एम ई एस मुख्य कार्मिकों के आवास का प्रावधान करने के लिए तट रक्षक मुख्यालय द्वारा एक अन्य संस्वीकृति प्रदान की गई ।

बाह्य विद्युतीकरण एवं जल आपूर्ति के एक भाग का निर्माण कार्य अभी भी निष्पादित होना था।

सी ई ने अक्तूबर 1995 में वि अ प्राप्त करते हुए 48.30 लाख रुपए लागत की एक संविदा अंशतः बाह्य विद्युतीकरण एवं जल आपूर्ति हेतु स्वीकृत की। निर्माण कार्य जो अगस्त 1996 में निष्पादित होना था अभी तक निष्पादित नहीं हुआ (नवम्बर 1997) ।

बाह्य विद्युतीकरण एवं जल आपूर्ति का शेष कार्य अभी भी निष्पादित होना था।

बाह्य विद्युतीकरण तथा जल आपूर्ति के शेष निर्माण कार्य के सम्बन्ध में फरवरी 1997 में सी डब्ल्यू ई ने 16.98 लाख रुपए के लिए एक संविदा की और कार्य अभी भी निष्पादित होना था (नवम्बर 1997) ।

अतः रिहायिशी आवासों के विनिर्माण के साथ जल एवं विद्युत सेवाओं के समकालिक में मंत्रालय/एम ई एस की विफलता के परिणामस्वरूप 89.22 लाख रुपए की लागत पर सितम्बर 1995 में निष्पादित आवास

अप्रयुक्त पड़े थे ।

मार्च 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था ।

विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

निम्नलिखित तीन मामलों में एम ई एस द्वारा समय से कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप 1.64 करोड़ रुपए के विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

49. रियायती शुल्क दर का लाभ उठाने में विलम्ब के कारण परिहार्य भुगतान

रियायती शुल्क दर का लाभ उठाने में एम ई एस की विलम्बित कार्यवाही के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभार के 118.33 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ

अक्तूबर 1994 में एम एस ई बी ने पुणे शहरी क्षेत्र में सभी उच्च प्रतिबल (उ प्र ब) उपभोक्ताओं को सूचित किया कि जुलाई 1994 से सभी रिहायशी और व्यवसायिक इमारतों में उ प्र ब संयोजनों हेतु अलग से नई प्रभावी शुल्क दरें प्रचलित की गई थी । नई शुल्क दरों में माँग प्रभारों की उगाही को छोड़ देना एवं गृहस्थ संयोजनों के सम्बन्ध में निम्न ऊर्जा प्रभार जैसी दो रियायतें प्रचालित की ।

किरकी में शुल्क दर रियायत का लाभ उठाने के परीक्षण से पता चला कि उ प्र ब के छः संयोजन गृहस्थ उपयोग के लिए, दो इतर गृहस्थ के लिए तथा तीन गृहस्थ एवं इतर गृहस्थ के लिए थे । इनके लिए सम्बन्धित जी ई ने पाँच उ प्र ब संयोजन प्राप्त किए । केवल नवम्बर 1995 से उनको

जिन्हें रियायती शुल्क दर के अधीन लाया गया गृहस्थ रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया तीन संयोजनों का (एक गृहस्थ एवं दो मिश्रित बल के) पुनः वर्गीकरण केवल जून 1996 में किया गया। इस प्रकार पुणे में तीन जी ई ने भी पाँच उ प्र ब के मध्य संयोजनों को गृहस्थ रूप में पुनः अप्रैल-जून 1996 के मध्य वर्गीकृत करवाया। उस समय तक जी ई इन 13 संयोजनों के प्रति 118.33 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान कर चुके थे।

अक्तूबर 1997 में मंत्रालय ने बताया कि एम एस ई बी का नई शुल्क दरों से सम्बन्धित अक्तूबर 1994 का पत्र एम ई एस द्वारा प्राप्त नहीं किया गया तथा किसी प्रकार से उस पत्र की प्रतिलिपि नवम्बर 1995 में प्राप्त की गई। मंत्रालय का तर्क मान्य नहीं था चूंकि रक्षा स्थापनाओं से रियायती दरों की वसूली पर अक्तूबर 1994 में आयोजित सैनिक असैनिक सम्पर्क गोष्ठी के दौरान चर्चा हुई थी और कमान सी ई ने स्वयं अक्तूबर 1994 में इसके अनुरूप क्षेत्रीय सी ई को राज्य सरकार से रियायती शुल्क दरें प्राप्त करने हेतु एक दूसरे को प्रभावित करने के निर्देश दिए । यह संकेत करता है कि सम्पर्क गोष्ठी के पश्चात् एम ई एस द्वारा यह मामला औचित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अतः रियायती शुल्क दर का लाभ उठाने में विलम्बित कार्यवाही के परिणामस्वरूप 118.33 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ। गलती के लिए उत्तरदायित्व अभी भी निर्धारित किया जाना था (अक्तूबर 1997) ।

50. विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

एम ई एस द्वारा ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता को कम करने के कार्य में समय से कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण 28.03 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ।

मई 1993 में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (प रा वि ब) ने शुल्क दरों में

संशोधन किया जिसके अनुसार मासिक न्यूनतम प्रभार ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता के आधार पर होने थे न कि करार के अनुसार अधिकतम डिमाण्ड लोड पर।

सितम्बर 1993 में क्षेत्रीय सी ई ने स दु अ को ट्रांसफार्मरों की स्थापित क्षमता कम करवाने को कहा।

चूंकि फरीदकोट छावनी में समझौते अनुसार 3120 के वी ए के अधिकतम डिमाण्ड के प्रति 4425 के वी ए की स्थापित क्षमता के ट्रांसफार्मर थे क्षेत्रीय सी ई ने सम्बन्धित सहायक दुर्ग अभियन्ता (स दु अ) को सितम्बर 1993 में ट्रांसफार्मरों की स्थापित क्षमता को कम करवाने के लिए कहा।

अक्तूबर 1994 से जुलाई 1995 तक ट्रांसफार्मरों की संख्या में न्यूनीकरण का मामला विभिन्न एम ई एस प्राधिकारियों के मध्य पत्राचारान्तर्गत रहा तथा अन्ततः अगस्त 1995 में मामले की जांच हेतु एक बोर्ड आफ ऑफिसर (बोर्ड) गठित हुआ। बोर्ड ने पाया कि ट्रांसफार्मरो की वास्तविक स्थापित क्षमता 5525 के वी ए थी तथा 2150 के वी ए की घटौती की संस्तुति की।

समय से ट्रांसफार्मरों को हटाने/स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कार्य पूर्ण हुआ, 28.03 लाख रुपए का भुगतानाधिक्य हुआ।

ट्रांसफार्मरों को हटाने/ स्थानान्तरित हेतु कार्य के सम्पादन पर अप्रैल 1996 में स दु अ ने प रा वि ब को ट्रांसफार्मरों की स्थापित क्षमता 4425 के वी ए से घटौती करके 3500 के वी ए करने का निवेदन किया। घटौती प्रस्ताव अभी भी प रा वि ब द्वारा अनुमोदित किया जाना था। परिणामस्वरूप मई 1993 से फरवरी 1997 तक 28.03 लाख रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ा था।

मई 1997 में सी ई ने कहा कि बोर्ड ने घटौती करके 3375 के वी ए की संस्तुति की लेकिन व्यवहारिक रूप से यह घटौती नहीं की गई और अन्ततः घटौती मात्र 3500 के वी ए तक हुई थी । जिसके परिणामतः प रा वि ब को 28.03 लाख रुपए का भुगतानाधिक्य हुआ। यद्यपि सी ई ने घटौती न किए जाने के कारणों के लिए कुछ नहीं बताया।

अतः एम ई एस द्वारा ट्रांसफार्मरों की स्थापित क्षमता में समयानुसार कार्यवाही न करने के कारण 28.03 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ।

जून 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

51. विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान

अनुबंधित माँग की सीमा पार करने के कारण राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत प्रभारों के कारण अधिक भुगतान किए जाने के कारण से बचने हेतु ई इन सी के अनुदेशों के बावजूद एक दुर्ग अभियन्ता ने 17.52 लाख रुपए का दांडिक प्रभारों का भुगतान किया

अनुबंधित माँग की सीमा पार करने इत्यादि पर राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत प्रभारों के अधिक भुगतान से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (थलसेना एवं आयुध फैक्टरियाँ) की 1991 की प्रतिवेदन संख्या 8 के पैराग्राफ 78 तथा 93 की प्रतिवेदन संख्या 8 के पैराग्राफ 77 पर एक्शन टेकन नोट में मंत्रालय ने कहा था कि मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुबंधों की वर्ष में एक बार पुनरीक्षा कर, इस कारण होने वाले अधिक भुगतान से बचने के लिए आवश्यक अनुदेश ई इन सी द्वारा फरवरी 1991 तथा जून 1993 में सभी सम्बन्धितों को पहले से ही जारी किए जा चुके थे।

उक्त अनुदेशों के बावजूद, जी ई समय पर अनुबंधित माँग की पुनरीक्षा करने और उसे बढ़वाने में असफल रहा तथा अनुबंधित माँग पार करने के लिए मार्च 1991 और जून 1996 के मध्य 17.52 लाख रुपए के दांडिक प्रभारों का भुगतान किया।

मामलों का उल्लेख मंत्रालय को जून 1997 में किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

अन्य मामले

52. राजस्व की हानि

मंत्रालय के अनुदेशों के विपरीत जे सी ओ/ओ आर द्वारा विद्युत के निशुल्क उपभोग करने के मानकों में स्टेशन कमांडर ने वृद्धि की जिससे 12.61 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई

मई 1983 में मंत्रालय ने अनुदेश जारी किए कि 1 जनवरी 1983 को स्टेशन कमांडर द्वारा पूर्व निर्धारित जे सी ओ/ओ आर से सम्बन्धित निःशुल्क उपभोग्य विद्युत सीमा स्थिर रहेगी एवं वित्त मंत्रालय (रक्षा) की पूर्वानुमति के बिना वृद्धि नहीं होनी थी।

26 स्टेशनों के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता लगा कि उपर्युक्त अनुदेशों के बावजूद जनवरी 1984 तथा दिसम्बर 1994 के मध्य सभी स्टेशन कमान्डरों ने निःशुल्क उपभोग्य विद्युत मानक में मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 1997 तक 12.61 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट-V विवरण के अनुसार) उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जुलाई 1997 में मामला रक्षा मंत्रालय को भेजा गया; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

53. सफाई व्यवस्था प्रभारों का भुगतान

छावनी बोर्ड द्वारा सफाई व्यवस्था सेवाओं पर वास्तव में नियुक्त किए गए कर्मचारियों के विवरण/नामावली के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा 897.71 लाख रुपए के भुगतान की उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की जा सकी

जून 1996 में स्टेशन कमांडर दिल्ली छावनी बोर्ड ने, जो दिल्ली छावनी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं छावनी बोर्ड दिल्ली (छा प्र) से 1996-97 के दौरान सफाई व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु 1.38 करोड़ रुपए के भुगतान पर एक संविदा की। इसमें 379 सफाईवाले तथा 32 पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते समाहित थे। क्षेत्रीय लेखा कार्यालय ने संविदा के प्रति 137.54 लाख रुपए का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा छानबीन से पता लगा कि सफाई व्यवस्था हेतु सफाईवाले एवं पर्यवेक्षी कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों के लिए 115 लाख रुपए का भुगतान किया गया था लेकिन स्टेशन मुख्यालय, छावनी बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र में वांछित सफाई व्यवस्था सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रति छा बो द्वारा वास्तव में नियुक्त किए गए कर्मचारियों का विवरण/नामावली प्रस्तुत करने में असफल रहा।

मंत्रालय ने नवम्बर 1997 में बताया कि स्टेशन मुख्यालय द्वारा छा बो को सफाई व्यवस्था करार के प्रावधान के अनुसार ही भुगतान किया गया था। तथापि रक्षा लेखा नियंत्रक जिसने भुगतान किया था, ने नवम्बर 1997 में बताया कि संविदा करार में विशिष्ट कार्य पर नियुक्त किए गए सफाईवालों की संख्या का प्रावधान है तथा नामावली उपलब्ध करवाने का प्रावधान दृष्टिगोचर नहीं होता लेकिन व्यय पर प्रभावकारी नियन्त्रण एवं सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यों पर लगाए कर्मचारियों की नामावली उपलब्ध करवाने का प्रावधान करार में किया जाना चाहिए था ।

20 स्टेशन मुख्यालयों के मामलों की फिर से छानबीन करने से पता लगा कि परिशिष्ट VI में उल्लिखित विवरण के अनुसार 782.71 लाख रुपए छा बो द्वारा वांछित सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु वास्तव में नियुक्त किए गए कमर्चारियों के विवरण/नामावली उपलब्ध करवाए बिना सफाई व्यवस्था सफाई वाले तथा पर्यवेक्षी कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया गया। तथापि स्टेशन मुख्यालय फिरोजपुर ने अपेक्षित विवरण प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया।

अतः साक्ष्य प्रमाण के अभाव में 897.71 लाख रुपए के भुगतान की उपयुक्तता की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं हो पाई।

54. एकल अधिकारी आवास के विनिर्माण पर परिहार्य व्यय

अशुद्ध आवास विवरण की रचना से 48 क्वार्टरों की लागत के अतिरिक्त 96 क्वार्टरों के विनिर्माण पर 429.10 लाख का परिहार्य व्यय हुआ

नौसेना बेस द्वारा आंकलित 122 क्वार्टरों की कमी के आधार पर मुख्यालय दक्षिणी नौसेना कमान कोचीन (मु द्र नौ क) ने मार्च 1987 तथा मार्च 1988 के मध्य कोचीन (स्टेशन) में 96 एकल अधिकारी आवासों के विनिर्माण हेतु चार संस्वीकृतियाँ जारी की जो अन्ततः जुलाई 1993 में मन्त्रालय द्वारा 366.06 लाख रुपए की संचयी संस्वीकृति जारी करके विनियमित की गई। क्वार्टरों का विनिर्माण 429.10 लाख रुपए की लागत पर मार्च 1994 में पूरा हुआ।

लेखापरीक्षा छानबीन के दौरान यह देखा गया कि 250 एकल अधिकारी क्वार्टरों की आवश्यकता के प्रति 320 क्वार्टर (272 विद्यमान तथा 48 निर्माणाधीन) उपलब्ध थे स्टेशन पर 70 क्वार्टरों के पूर्व आधिक्य के

बावजूद बोर्ड द्वारा 80 क्वार्टर विद्यमान तथा 48 निर्माणाधीन जैसे कि आवास विवरण में दर्शाया गया है के आधार पर 122 क्वार्टरों की कमी का आंकलन किया।

जबकि तथ्यों को स्वीकारते हुए मु द नौ क ने जुलाई 1997 में बताया कि प्रशिक्षण के व्यस्ततम काल के दौरान अधिकारियों की संख्या 380-400 तक रहती है जो आवास में हिस्सेदारी करते हैं। मु द नौ क का तर्क स्वीकार्य नहीं है जैसा कि आवास मानकों में इन आधारों पर क्वार्टरों का विनिर्माण नहीं किया जाता है।

इस प्रकार अशुद्ध आवास विवरण के आधार पर स्टेशन पर कमी के आंकलन से 48 क्वार्टर जो परिहार्य थे, की विनिर्माण लागत के अतिरिक्त 96 क्वार्टरों के विनिर्माण पर 429.10 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मन्त्रालय को जुलाई 1997 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

55. उच्चतर दरों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय

अभिन्न स्टेशन पर समान निर्माण कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा उच्चतर दरों पर संविदा सम्पादन के परिणामस्वरूप 1.10 करोड़ रुपए का फालतू व्यय

अप्रैल 1996 में एक सी ई वेकर्स नेवल डाकयार्ड तथा आई एन एस करन्ज़ा, अभिन्न स्टेशन पर केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र की पुर्नस्थापना हेतु भिन्न निविदाएं प्राप्त हुई। जून 1996 में एक फर्म के साथ नेवल डाकयार्ड पर निर्माण कार्य हेतु 2.86 करोड़ रुपए की तथा जुलाई 1996 में उसी फर्म के साथ आई एन एस करन्ज़ा पर 1.99 करोड़ रुपए की संविदा निष्पादित हुई।

दोनों संविदाओं में स्वीकृत दरों की जाँच से ज्ञात हुआ कि नेवल डाकयार्ड पर निर्माण कार्य की दरें संयंत्र की प्रति टन क्षमता 54,444 रुपए तथा आई एन एस करन्ज़ा के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रचलित 40000-45000 रुपए के प्रति 36,267 रुपए पर आँकी गई।

सी ई दक्षिणी कमान ने बताया कि बाज़ार विश्लेषण तैयार नहीं किया गया था तथा निविदाएं संयंत्र के न्यूनतर टनेज के लिए अनुमान डाटा दरों के आधार पर स्वीकृत की गई थी जो अविचलित रूप से उच्चतर दिशा में थी तथा उच्चतर दरों को स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप 1.10 करोड़ रुपए का फालतू व्यय हुआ।

अतः नेवल डाकयार्ड पर निर्माण कार्य के लिए उच्चतर दरें स्वीकरण के परिणामतः 1.10 करोड़ रुपए का फालतू व्यय हुआ। उच्चतर दरें स्वीकरण के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया तथा उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

56. निविदा की अशुद्ध तैयारी के कारण फालतू व्यय

श्रीनगर में वायुसैनिकों तथा अधिकारियों हेतु विवाहित आवास विनिर्माण हेतु निविदाओं में अनधिकृत मदों के समावेश करने के कारण 101.23 लाख रुपए का फालतू व्यय हुआ

मार्च 1988 में मंत्रालय ने नवम्बर 1990 तक पूर्ण होने हेतु 281.31 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर श्रीनगर में वायुसैनिकों तथा अधिकारियों के हेतु विवाहित आवास के प्रावधान हेतु संस्वीकृति प्रदान की ।

मई 1989 में सी ई को 224.62 लाख रुपए की न्यूनतम निविदा प्राप्त हुई जो 207.55 लाख रुपए की प्रशासकीय सहमति में प्रावधानित सहन सीमा रकम से अधिक थी। इसलिए जून 1989 में वित्तीय सहमति (वि स) प्राप्ति हेतु मामला ई इन सी को भेजा गया। मंत्रालय ने इस तर्क पर वि स अनुमति प्रदान नहीं की कि निविदा में 6.05 लाख रुपए मूल्य की समावेशित मदें ना तो प्राधिकृत थी और न ही संस्वीकृति में सन्निहित थी। मंत्रालय ने दिसम्बर 1989 में सी ई को सलाह दी कि संस्वीकृति के प्रावधान के अनुसार ही पुनः निवेदित करें । तदनुसार मई 1990 तथा जनवरी 1991 के दौरान बाह्य विद्युतीकरण निर्माण रहित निर्माण कार्य की तीन पुनः निविदाएं की गई तथा अन्ततः सी ई द्वारा मई 1991 में 297.72 लाख रुपए की संविदा निष्पादन की गई। निर्माण कार्य जून 1996 में निष्पादित हुआ। अगस्त 1995 में बाह्य विद्युतीकरण का कार्य, मई 1992 में 22.08 लाख रुपए के एक अन्य संविदा करने के तहत, निष्पादित हुआ।

अतः मूल निविदा की अशुद्ध तैयारी के कारण 101.23 लाख रुपए के फालतू व्यय के साथ साथ निर्माण सम्पादन में छः वर्ष के विलम्ब के कारण वायुसैनिक/अधिकारी आवास सुविधाओं से वंचित रहे।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए जुलाई 1997 में बताया कि फालतू व्यय अनपेक्षित बाधाओं के कारण हुआ जो घाटी में उस समय उत्पन्न हुई जब द्वितीय तथा तदोपरान्त याचनाएं निविदाओं हेतु जारी की गई। ठेकेदारों के ढीले प्रत्युत्तर ने भी उच्च दर चुनने पर ठेकेदारों को मजबूर किया। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि प्रारम्भिक अवस्था में निविदा की अशुद्ध तैयारी के कारण ही तदुपरान्त पुनः निविदा की गई।

57. वातानुकूलनों का अप्राधिकृत उपयोग

18.31 लाख रुपए की लागत के 104 वातानुकूलन अप्राधिकृत स्थलों पर स्थापित किए गए परिणामतः विद्युत उपभोग पर 49.94 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ

अक्टूबर 1995 में अप्राधिकृत स्थलों पर स्थापित वातानुकूलनों की पहचान हेतु एक बोर्ड को आदेश दिया गया।

रक्षा सेवाओं हेतु आवास मानक विभिन्न प्रकार के रक्षा आवासों हेतु वातानुकूलन (ए सी) प्राधिकृत करता है। अक्तूबर 1995 में स्टेशन मुख्यालय भटिंडा ने अप्राधिकृत स्थलों पर स्थापित वातानुकूलनों की पहचान करने हेतु एक बोर्ड आफ ऑफिसर (बोर्ड) को आदेश दिया।

नवम्बर 1995 में बोर्ड ने प्रकट किया कि फरवरी 1986 तथा मार्च 1995 के मध्य 21.22 लाख रुपए की कुल लागत पर खरीदे गए 137 वातानुकूलनों के कुल भंडार में से 15.20 लाख रुपए मूल्य के 79 वातानुकूलन अप्राधिकृत स्थलों पर स्थापित किए गए थे । 42 प्राधिकृत स्थलों पर स्थापित थे तथा शेष 16 अपरिचित रहे ।

वास्तव में 18.31 लाख रुपए लागत के 104 वातानुकूलन अप्राधिकृत स्थलों पर स्थापित किए गए थे।

तत्पश्चात् सितम्बर 1996 में सम्बन्धित जी ई ने अनिमियतता को जाँच से लेखापरीक्षा में पता लगा कि प्राधिकृत स्थलों में स्थापित दिखाए गए 42 वातानुकूलनों में से 3.11 लाख रुपए की लागत के 25 वातानुकूलन वास्तव में अप्राधिकृत स्थलों पर स्थापित थे ।

फरवरी 1986 से अगस्त 1996 के दौरान अप्राधिकृत स्थलों पर स्थापित 104 अकेले वातानुकूलनों पर विद्युत उपयोग के व्यय का आंकलन 54.26 लाख रुपए किया गया जिसमें से 4.32 लाख रुपए सम्बन्धित अधिकारियों से वसूल किए गए इसके अतिरिक्त उनके अनुरक्षण/रखरखाव पर भी व्यय किया गया।

अप्राधिकृत स्थलों पर स्थापित अकेले 104 वातानुकूलनों का विद्युत

अतः फरवरी 1986 तक मार्च 1995 के दौरान अप्राधिकृत स्थलों पर 18.31 लाख रुपए की लागत के 104 वातानुकूलनों की स्थापना के

उपभोग व्यय 49.94 लाख रुपए आंका गया।

परिणामतः अगस्त 1996 तक विद्युत उपभोग पर 49.94 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ। अप्राधिकृत स्थलों हेतु वातानुकूलनों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व नियत करने की कार्यवाही अभी की जानी थी।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

58. निविदा के निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय

एक निविदा के प्रत्युत्तर में प्राप्त निविदित दरों के विवरणों का एस एस डब्ल्यू द्वारा फर्म के प्रतिनिधि के समक्ष स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व रहस्योद्घाटन करने के कारण 24.53 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ

नवम्बर 1995 में एक स्टेशन पर क्षेत्रीय सी ई को इतर विवाहित आवासों के प्रावधान हेतु निविदाएं प्राप्त हुई तथा 11 दिसम्बर 1995 को 126.55 लाख रुपए के लिए फर्म 'एक्स' की न्यूनतम निविदा स्वीकृत की गई ।

अनुदेशों के प्रतिकूल मुख्य अभियन्ता कार्यालय में एस एस डब्ल्यू ने निविदा स्वीकृति से पूर्व फर्म को निविदित दरों के विवरणों का रहस्योद्घाटन किया जिसके कारण निविदा का निरस्तीकरण हुआ।

ई इन सी के अनुदेशानुसार स्वीकृति पत्र के जारी करने तक निविदा गुप्त कागज़ात रहेंगे। यह देखने में आया कि फर्म 'एक्स' के प्रतिनिधि ने 11 दिसम्बर 1995 को निविदा स्वीकृति से पूर्व सी ई के कार्यालय ने एस एस डब्ल्यू से उनकी निविदा की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क किया तथा न्यूनतम एवं द्वितीय न्यूनतम के मध्य अन्तर को सुनिश्चित करने के उपरान्त असमंजस में पड़ गया कि क्या कार्य निष्पादन हेतु उनकी निविदा यथोचित थी तथा 9 दिसम्बर 1995 को शून्य पत्रांक के द्वारा अपनी प्रस्तावित निविदा रद्द कर दी। उक्त पत्र की एक प्रतिलिपि 11 दिसम्बर 1995 को सी ई के कार्यालय में दस्ती दी गई थी तथा एक अन्य प्रतिलिपि 11 दिसम्बर 1995 को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गयी थी जो सी ई के कार्यालय में 12

सी ई की सिफारिशों के बावजूद पथभ्रष्ट फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

दिसम्बर 1995 को प्राप्त हुई थी। यद्यपि, ठेकेदार का पत्र निविदा स्वीकरण के उपरान्त प्राप्त हुआ था तथापि मुख्य अभियन्ता ने उक्त निरस्तीकरण स्वीकार कर लिया। जनवरी 1996 में सी ई ने पश्चिमी कमान मुख्यालय को असन्तुलित निविदा प्रस्ताव निविदित करने का तकनीकी अपराध करने हेतु फर्म 'एक्स' का श्रेणी क से घ में पदावतन करने की सिफारिश की लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

पुनः निविदा आमन्त्रण के परिणामतः 24.53 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

फरवरी 1996 में, दो भवनों, जिनकी प्रयोक्ताओं को आवश्यकता नहीं थी को छोडकर सी ई द्वारा कार्य हेतु पुनः निविदाएं आमन्त्रित की गई तथा स्प्रिंक्लर पद्धति के लिए विशिष्ट निविदा अलग से आमन्त्रित की जानी थी। मार्च 1996 में फर्म 'वाई' की 117.30 लाख रुपए की न्यूनतम निविदा स्वीकृत की गई। फर्म 'वाई' की स्वीकृत निविदा की फर्म 'एक्स' की न्यूनतम निविदा जो बाद में निरस्त कर दी गई थी की तुलना करने पर 24.53 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रकट हुआ।

अतः निविदा के प्रत्युत्तर में प्राप्त निविदित दरों का स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व एस एस डब्ल्यू द्वारा फर्म 'एक्स' के प्रतिनिधि का रहस्योद्घाटन करने के फलस्वरूप 24.53 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

इस गलती के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मई 1997 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

जून 1997 में मंत्रालय को उक्त मामले का उल्लेख किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

59. वित्तीय सहमति प्रदान करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

न्यूनतम निविदा की वैद्यता अवधि के दौरान वित्तीय सहमति प्राप्त करने की असफलता के परिणामस्वरूप द्वितीय निविदा आमन्त्रण में 20.02 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय के अलावा कार्य के सम्पूर्ण होने में अढ़ाई वर्ष का विलम्ब हुआ जिससे थलसेना के जे सी ओ/हवलदारों/ओ आरस् को कठिनाई हुई

न्यूनतम निविदा यद्यपि यथोचित पाई गई थी तथापि वित्तीय सहमति की अप्राप्ति के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी।

नवम्बर 1989 में 111.15 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर जे सी ओस/हवलदारों/ओ आरस् हेतु श्रीनगर में विवाहित आवास के प्रावधानार्थ सेना मुख्यालय द्वारा प्रदत्त संस्वीकृति के प्रतिकूल मई 1991 में एक सी ई द्वारा प्राप्त 126.32 लाख रुपए की न्यूनतम निविदा दरें उच्चतर होने के कारण स्वीकृत नहीं की गई। जून 1991 में दूसरी बार निविदाएं जारी की गई तथा अगस्त 1991 में 123.07 लाख रुपए की प्राप्त न्यूनतम निविदा यथोचित पाई गई। परन्तु निविदा की वैद्यता अवधि, जो कि दिसम्बर 1991 थी, के दौरान वित्तीय सहमति की अप्राप्ति के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी। तदोपरान्त तीन और अवसरों पर निविदाएं जारी की गई लेकिन उच्चतर दरों और निविदादाताओं के प्रत्युत्तर के अभाव के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी।

वित्तीय सहमति की अप्राप्ति के कारण छटे आमन्त्रण में प्राप्त की गई न्यूनतम निविदा स्वीकृत नहीं की गई। तदोपरान्त द्वितीय न्यूनतम निविदा स्वीकृत की गई।

दिसम्बर 1993 में छटे आमन्त्रण पर प्राप्त हुई 137.15 लाख रुपए की निविदा यथोचित समझी गई लेकिन वह भी वैद्यता अवधि के दौरान वित्तीय सहमति के अप्राप्ति के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी। अन्ततः वित्तीय सहमति प्राप्त करने के पश्चात् 143.09 लाख रुपए की द्वितीय न्यूनतम निविदा स्वीकृत की गई तथा जून 1994 में सी ई द्वारा संविदा निष्पादित की गई।

मई 1996 में सी ई ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि वित्तीय सहमति जो मानक अनुदेशों के अनुसार सामान्यतया दो माह की अवधि के अन्दर दे देनी चाहिए और चूंकि ठेकेदार ने वैद्यता अवधि को 31 दिसम्बर

1991 से आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया था, 123.07 लाख रुपए की निविदा निर्णीत नहीं की जा सकी थी।

अतः न्यूनतम निविदा की वैद्यता अवधि के दौरान वित्तीय सहमति के अनिर्णयन के कारण, द्वितीय आमन्त्रण से 20.02 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा इसके अलावा कार्य के सम्पूर्ण होने में अढ़ाई वर्ष का विलम्ब हुआ जिससे सेना के जे सी ओस/हवलदारों/ओ आरस् को कठिनाई हुई।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में तथ्यों को स्वीकार किया।

60. नवनिर्मित क्वार्टरों का अनुपयोग

17.87 लाख रुपए की लागत पर निर्मित क्वार्टर सितम्बर 1993 से खाली पड़े रहे जिसका निर्माण व्यय निष्फल रहा

ई इन सी के अनुमोदन के आधार पर अक्तूबर 1991 में एक कोर मुख्यालय ने 17.51 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अगरताला में एम ई एस के सिविलियन अधिकारियों हेतु टाइप IV के चार क्वार्टरों के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान की थी। क्वार्टरों का निर्माण सितम्बर 1993 में 17.87 लाख रुपए की लागत पर सम्पूर्ण हुआ। सितम्बर 1993 में यद्यपि एम ई एस के द्वारा क्वार्टरों को अधिग्रहीत कर लिया था परन्तु वे खाली और अप्रयुक्त पड़े रहे।

सी ई ने दिसम्बर 1995 में बताया कि जी ई के कार्यालय का उसी स्टेशन पर उसके नए स्थल पर स्थानान्तरित नहीं होने के कारण खाली रहे थे तथा तीन अधिकारियों को, जिनके लिए क्वार्टरों का प्रावधान किया गया था, उसी स्टेशन पर डिफेन्स पूल से क्वार्टर उपलब्ध किए गए थे। तथापि यह देखा गया था कि जी ई का कार्यालय उसके नए स्थल पर मई 1996 में स्थानान्तरित किया गया था लेकिन क्वार्टर अक्तूबर 1997 तक खाली पड़े थे

चूंकि सम्बन्धित अधिकारी डिफेन्स पूल से उपलब्ध कराए गए क्वार्टरों में निवासं करते रहे थे।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते समय अक्तूबर 1997 में कहा कि प्रचलित सुरक्षा परिस्थिति सम्बन्धित अधिकारियों एवं उनके परिवारों के नए स्थल पर रहने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपयुक्त नहीं थी। मंत्रालय का यह दावा तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सुरक्षात्मक पक्ष क्वार्टरों के निर्माण हेतु स्थल का चयन करने से पूर्व, सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

अतः 17.87 लाख रुपए की लागत पर विनिर्मित क्वार्टर सितम्बर 1993 से खाली पड़े रहे थे जिससे निर्माण व्यय निष्फल रहा । इसके अतिरिक्त दीर्घकाल से खाली रहने के कारण, क्वार्टरों की दशा में ह्रास होने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

61. एक निष्क्रिय प्रयोगशाला पर निष्फल व्यय

पर्याप्त आवास की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना प्रयोगशाला को जामनगर से अहमदाबाद स्थानान्तरित करने के निर्णय के फलस्वरूप 26.77 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ

दिसम्बर 1991 में पुनः गठन योजना के अधीन ई इन सी ने वर्कमैनशिप के मानदण्ड के पालनार्थ हेतु एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला (प्रयोगशाला) को जामनगर से अहमदाबाद स्थानान्तरित करने का आदेश दिया। प्रयोगशाला को अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित 4.14 लाख रुपए मूल्य के जाँच उपस्करों से सुसज्जित करना था।

यद्यपि प्रयोगशाला अप्रैल 1992 में अहमदाबाद स्थानान्तरित हुई थी, लेकिन जुलाई 1997 तक पाँच वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी आवास की कमी के कारण वह क्रियाशील नहीं हो पाई थी। जाँच उपस्कर भी उपलब्ध

नहीं थे क्योंकि वे उनके पूर्व स्थान से अभी भी स्थानान्तरित किए जाने थे। इसी बीच अप्रैल 1992 एवं सितम्बर 1996 के मध्य अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों, भण्डारों व विविध मदों पर कुल 26.77 लाख रुपए का व्यय किया गया था।

मंत्रालय ने जुलाई 1997 में बताया कि प्रयोगशाला के उपस्कर भुज और जामनगर में पडे हुए थे और आवास की कमी के कारण स्थानान्तरित नहीं किए जा सके थे।

अतः पर्याप्त आवास की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना प्रयोगशाला को जामनगर से अहमदाबाद स्थानान्तरित करने के निर्णय के फलस्वरूप 26.77 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

62. उच्च गतिज विडियो रिकार्डिंग सिस्टम के आयात पर निष्फल व्यय

34.13 लाख रुपए की लागत पर आयातित एक सिस्टम अल्पावधि के अन्दर खराब हो गया तथा जनवरी 1993 से अनुपयुक्त पड़ा हुआ था

एक विदेशी फर्म के साथ फरवरी 1990 में हुए एक ठेके के अन्तर्गत ए आर डी ई ने अप्रैल 1990 में 34.13 लाख रुपए की लागत पर एक उच्च गतिज विडियो रिकार्डिंग सिस्टम प्राप्त किया।

सिस्टम मई 1990 में स्थापित किया गया था तथा स्थापना तिथि से 12 महीने की इसकी गारण्टी थी। तथापि, अक्तूबर 1990 में यह रिकार्डिंग परीक्षण के दौरान खराब पाया गया। त्रुटियाँ/दोष भारतीय एजेन्ट और ए आर डी ई द्वारा ठीक किए गए थे तथा अस्त्र-शस्त्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना ने भी मरम्मत/रखरखाव पर 0.50 लाख रुपए का व्यय किया, तत्पश्चात् सिस्टम सितम्बर 1991 तथा जुलाई 1992 के बीच प्रयोग में रहा। तथापि, जनवरी 1993 से सिस्टम खराब हो गया तथा भारतीय एजेन्ट द्वारा किए गए बाद के प्रयत्न इस सिस्टम को क्रियाशील नहीं बना सके।

इसके पश्चात्, सितम्बर 1996 तक, जब अस्त्र-शस्त्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना को सूचित किया गया कि सिस्टम अप्रचलित हो गया था, मामला ए आर डी ई तथा फर्म के बीच पत्राचाराधीन रहा। तथापि फर्म मरम्मत हेतु अपेक्षित पुर्जों की पहचान के लिए सिस्टम का आंकलन करने के लिए तैयार थी जिसके लिए सिस्टम को जर्मनी या संयुक्त राज्य अमरीका भेजना अपेक्षित था। तथापि फर्म ने पूर्ण मरम्मत की गारण्टी नहीं दी। दिसम्बर 1996 में फर्म के प्रस्ताव को अनुसंधान एवं विकास मुख्यालय ने बहुत युक्तीयुक्त नहीं समझा, अतः उसने सिफारिश की सिस्टम को भारत में

मरम्मत कराए जाने के प्रयत्न किए जाएं।

मंत्रालय ने, तथ्यों को स्वीकारते समय सितम्बर 1997 में कहा कि सिस्टम की मरम्मत/संशोधन हेतु स्थानीय फर्मों की पहचान कर ली है तथा उनका प्रस्ताव एक सुविज्ञ समिति द्वारा तकनीकी पुनरीक्षाधीन था।

अतः 34.13 लाख रुपए की लागत पर आयातित एक सिस्टम अल्पावधि में खराब हो गया तथा जनवरी 1993 से अनुपयुक्त पड़ा था और सितम्बर 1997 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका।

63. सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान

डी एम आर एल द्वारा उपस्कर, सहायक उपकरणों तथा उपभोज्यों मदों की मूल्य कीमत अलग से मालूम किए बिना आपूर्ति आदेश दिए जाने के परिणामस्वरूप 40.96 लाख रुपए की सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना के अनुसार उपभोज्य मदों के अतिरिक्त फालतू पुर्जों, संघटकों तथा सहायक उपकरणों सहित वैज्ञानिक/तकनीकी उपकरणों, संयंत्र तथा उपस्करों पर सीमा शुल्क की अदाइगी से छूट है जबकि ये किसी अनुमोदित गैर वाणिज्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयात किए जाते हैं।

आपूर्ति आदेश में उपस्कर, सहायक उपकरणों तथा उपभोज्य मदों की कीमत अलग से नहीं दर्शायी गयी।

अगस्त 1987 में डी एम आर एल हैदराबाद ने 260190 डी एम की समेकित लागत पर सम्बन्ध सिस्टमों तथा सहायक उपकरणों सहित माइक्रोफोकस एक्स-रे, रीयल टाइम रेडियोग्राफिक सिस्टम (एक्स-रे) उपस्कर आयात करने के लिए एक आपूर्ति आदेश दिया। आदेश में, मुख्य उपस्कर, सहायक उपकरणों, फालतू पुर्जों तथा उपभोज्यों मदों की कीमतें अलग से नहीं दर्शायी गई।

प्रेषित माल के पहुंचने से पूर्व ई एच क्यू को सी डी ई/एन एम आई प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण 40.96 लाख रुपए की सीमा शुल्क का भुगतान हुआ।

प्रेषित माल फरवरी 1988 में पोतारोहण मुख्यालय में प्राप्त हुआ। पोतारोहण मुख्यालय में 40.96 लाख रुपए की राशि की सीमा शुल्क का भुगतान किया चूंकि प्रेषित माल के पहुंचने से पूर्व सीमा शुल्क छूट (सी डी ई) भारत में निर्मित नहीं (एन एम आई) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जून 1988 में, पोतारोहण मुख्यालय ने अपेक्षित सी डी ई/एन एम आई निर्मित प्रमाण-पत्रों तथा बीजकों को प्रस्तुत करते हुए सीमा शुल्क की राशि के रिफण्ड करने का दावा प्रस्तुत किया किन्तु वह दावा उपस्कर फालतू पुर्जों तथा उपभोज्य मदों की अलग से कीमतों के अभाव में जिनको अस्वीकृत कर दिया गया था चूंकि रक्षा धातु कर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला उन्हें प्रस्तुत करने में असमर्थ रही थी।

रिफण्ड दावा उपस्कर, फालतू पुर्जों तथा उपभोज्य मदों की अलग से कीमतों के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया।

सितम्बर 1989 तथा मार्च 1990 में पोतारोहण मुख्यालय द्वारा रिफण्ड दावे की अस्वीकृति के विरुद्ध दायर की गई अपीलें भी सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा क्रमशः दिसम्बर 1989 तथा फरवरी 1992 में उसी आधार पर अस्वीकार कर दी गई थी।

मंत्रीमंडल सचिवालय द्वारा गठित एक समिति के माध्यम से मामले को सीमा शुल्क विभाग के साथ अन्तर-विभागीय स्तर पर पैरवी करने के लिए अनुसंधान एवं विकास मुख्यालय द्वारा मई 1992 में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा 1996 में मामले को इसी अवस्था में बन्द करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रालय ने सितम्बर 1997 में बताया कि मदों की अलग से/विभाजित कीमतें ज्ञात करने के प्रयत्न किए गए थे किन्तु उन्हें ज्ञात करने में असफल रहे क्योंकि फर्म अस्तित्व में नहीं थी।

अतः डी एम आर एल द्वारा उपस्कर, सहायक उपकरणों तथा उपभोज्य मदों की अलग से कीमतें ज्ञात किए बिना आपूर्ति आदेश दिए जाने के परिणामस्वरूप 40.96 लाख रुपए की सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान किया गया।

64. निम्न स्तर के हॉट मिक्स संयंत्रों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

निम्न स्तर के संयंत्रों की स्वीकृति के कारण उनकी अधिप्राप्ति तथा चालू करने पर किया गया 107.68 लाख रुपए का समग्र व्यय निष्फल हो गया चूंकि संयंत्रों को अभी क्रियात्मकीय बनाया जाना था

डी जी बी आर ने 95.25 लाख रुपए की कुल लागत पर दो संयंत्रों की अधिप्राप्ति हेतु एक निविदा दी।

अक्तूबर 1993 में डी जी बी आर ने 95.25 लाख रुपए की कुल लागत पर दो हॉट मिक्स संयंत्रों (संयंत्रों) की आपूर्ति करने के लिए एक फर्म को एक निविदा की स्वीकृति दी। निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा यथोचित निरीक्षित तथा स्वीकृत किए हुए संयंत्र अगस्त तथा अक्तूबर 1994 के दौरान दो परियोजना मुख्य अभियन्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए। फर्म को संयंत्र चालू करने थे जिसके लिए अपेक्षित सहायता विभाग द्वारा प्रदान की जानी थी।

अक्तूबर 1995 में प्रतिष्ठापित एक संयंत्र अंतर्निहित समस्याओं के कारण परिचालित नहीं किया जा सका।

अक्तूबर 1994 में प्राप्त संयंत्र की प्रतिस्थापना अक्तूबर 1994 में शुरू हुई तथा संयंत्र की डिज़ाइन संरचनात्मक कमियों और पुर्जों/सज्जिकरणों की अल्प आपूर्ति, विभिन्न संघटकों/फिटिंगों का बेमेल होना, दोषपूर्ण सिंघाई और संस्थापन ड्राइंग के कारण अक्तूबर 1995 में पूर्ण हुई। विभाग ने अल्प आपूरित पुर्जों के निर्माण पर 6.44 लाख रुपए का तथा संयंत्र को प्रतिष्ठापित करने के लिए मानवशक्ति उपलब्ध कराने हेतु 5.99 लाख रुपए का व्यय किया। नवम्बर 1995 तथा मार्च 1996 के मध्य किए गए जाँच परिचालनों से पता चला कि निर्माण ज्ञात समस्याओं के कारण संयंत्र आंकी गई क्षमता पर कभी नहीं चला और संयंत्र के डिज़ाइन तथा संरचना में एक मूल रूप समस्या थी चूंकि न तो उत्पादन और न ही मिक्स डिज़ाइन परिमापों के अन्तर्गत रहा। सी ई ने यह भी पाया कि फर्म द्वारा आपूरित संयंत्र निविदा स्वीकृति में दी गई विशिष्टता अनुसार नहीं था। संयंत्र चालू करने के लिए परिचालन योग्य बनाने के लिए मरम्मत/बदलाई (मार्च 1997) की प्रतीक्षा में खराब दशा में पड़ा हुआ

अगस्त 1994 में प्राप्त अन्य संयंत्र अभी तक प्रतिस्थापित/चालू किया जाना था।

अगस्त 1994 में प्राप्त हुआ एक अन्य संयंत्र अक्तूबर 1994 में आपूरित संयंत्र के चालू करने की फर्म की असमर्थता के कारण अभी तक प्रतिस्थापित/चालू किया जाना था।

अतः निम्न स्तर के संयंत्रों की स्वीकृति से उनकी अधिप्राप्ति तथा चालू करने पर किया गया 107.68 लाख रुपए के सकल व्यय निष्फल हुआ चूंकि संयंत्र को अभी तक परिचालन के योग्य बनाया जाना था। निम्न स्तर के संयंत्र स्वीकार करने के लिए जिम्मेदारी अभी निश्चित (मार्च 1997) की जानी थी।

अप्रैल 1994 में मामला का उल्लेख बी आर डी बी से किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

65. एक मशीन के विकास पर निष्फल व्यय

पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण एक उपस्कर का विकास हुआ जो वाँछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका और परियोजना को समय पूर्व बन्द करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 75.79 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ

संयुक्त रूप से बी आर डी बी तथा बी ई एम एल द्वारा मान्य विशिष्टताओं तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित बर्फ साफ करने वाले उपस्कर के देशज विकास तथा आपूर्ति हेतु बी आर डी बी ने 1989 में बी ई एम एल के साथ एक संविदा हस्ताक्षित की। संविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार, 212.80 लाख रुपए की विकास लागत समान रूप से बाँटनी थी तथा तदनुसार बी आर डी बी का 106.40 लाख रुपए के हिस्सों का भुगतान 1988-91के दौरान अदा किया गया।

बी ई एम एल द्वारा विकसित उपस्कर का आदिप्रारूप 1991 से किए गए परीक्षण मूल्यांकनों के दौरान विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं पाया गया। बाद में किए गए रूपांतरणों एवं सुविस्तृत परीक्षणों के बावजूद उपस्कर वाँछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहा और परीक्षण दल द्वारा जनवरी 1993 में उपस्कर सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया। जून 1993 में उपस्कर के देशीय विकास को जारी रखने की सम्भाव्यता अथवा अन्यथा का अध्ययन हेतु जून 1993 में एकत्रित हुए अधिकारियों के एक बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपनाई गई प्रौद्योगिकी पुरानी थी तथा सीमा सड़क संगठन के पास अन्य कार्यक्षम मशीनें उपलब्ध थी। अतः बोर्ड ने देशज़ीय विकसित उपस्कर पर और परेषणों के बन्द करने की सिफारिश की तथा परियोजना अक्तूबर 1995 में समयपूर्व बन्द कर दी गई। बी आर डी बी ने सितम्बर 1997 में अपने उत्तर में कहा कि बी ई एम एल द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी पुरानी थी तथा विकसित किया गया आदिप्रारूप उपस्कर जैसा परीक्षणों के दौरान अनुभव किया गया, विशिष्टता के अनुरूप नहीं था। तथापि, बी आर डी बी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सीमा सड़क संगठन द्वारा इस पर प्रारम्भिक अवस्था में ध्यान क्यों नही दिलाया जा सका।

डी जी बी आर ने मई 1997 में बताया कि समय पूर्व बन्द करने के आदेशानुसार; उनके द्वारा वहनीय परियोजना लागत का हिस्सा 75.79 लाख रुपए था तथा डी जी बी आर द्वारा रखे गए एक उपस्कर के लागत भाग को घटाकर शेष राशि की वसूली कर ली गई है। यह भी बताया गया है कि शेष मदों का बी ई एम एल द्वारा निपटान किया जाएगा और विक्रय आय बी ई एम एल तथा डी जी बी आर द्वारा समान भाग में बाँटी जाएगी। बी ई एम एल द्वारा मदों का निपटान अभी किया जाना था (सितम्बर 1997)।

अतः पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण एक ऐसे उपस्कर का विकास हुआ जो वाँछित अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका तथा परियोजना को समयपूर्व बन्द करना पड़ा जिसके फलस्वरूप 75.79 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ ।

66. एक पुल का अनुपयोग

भूमि अधिग्रहण करने तथा पहुँचमार्ग के निर्माण में 10 वर्षों से अधिक के असमान्य विलम्ब के फलस्वरूप 74.28 लाख रुपए की लागत पर निर्मित एक पुल गत पाँच वर्षों से अनुपयोग में रहने के अलावा भूमि की लागत में 22.57 लाख रुपए की वृद्धि हुई

बी आर डी बी ने 36.72 लाख रुपए की लागत पर पुल के निर्माण की संस्वीकृति दी।

बी आर डी बी के सड़क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नदी पर एक स्थाई पुल तथा उसके दोनों ओर पहुँचमार्ग निर्मित किए जाने थे। बी आर डी बी ने दिसम्बर 1987 में 36.72 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पुल के निर्माण की संस्वीकृति प्रदान की।

पुल का निर्माण 74.28 लाख रुपए की लागत पर पूरा हुआ। अधिक व्यय को नियमित करने की संस्वीकृति प्रतीक्षित थी।

फरवरी 1989 में, परियोजना सी ई ने 48.00 लाख रुपए की लागत पर पुल के निर्माण हेतु एक संविदा की। पुल का निर्माण मई 1992 में 74.28 लाख रुपए की लागत पर पूर्ण हुआ। मज़दूरी तथा भंडारों के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण किए गए 37.56 लाख रुपए के अधिक व्यय को नियमित करने की संस्वीकृति मई 1997 तक प्रतीक्षित थी। डी जी बी आर ने 9.18 लाख रुपए (3 लाख रुपए भूमि के अधिग्रहण हेतु) की लागत पर जो भूमि तथा निर्माण सामग्री की कीमत में वृद्धि के कारण 33.10 लाख रुपए (25.57 लाख रुपए भूमि के अधिग्रहण हेतु) नवम्बर 1992 संशोधित की गई थी, पहुँचमार्ग की निर्माण की संस्वीकृति अक्तूबर 1987 में प्रदान की। पहुँचमार्गों का निर्माण राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण की अपेक्षा में जिसके लिए मामला अगस्त 1987 से निम्न स्तरों पर पत्राचाराधीन था प्रारम्भ नहीं किया जा सका और इस कारण पुल अनुपयोगित रहा था।

पहुँच मार्ग का निर्माण भूमि अधिग्रहण की अपेक्षा में स्थगित पड़ा था जिसके फलस्वरूप

तथ्यों को स्वीकारते समय, सी ई ने मई 1997 में कहा कि मणिपुर सरकार से, अपेक्षित अधिसूचना के अभाव में पहुँचमार्ग का निर्माण स्थगित कर दिया गया था और इसीलिए पुल चालू किया जाना सम्भव नहीं था।

पुल अनुपयोगित रहा था।

अतः भूमि अधिग्रहण करने तथा पहुँच मार्ग के निर्माण में दस वर्षों से अधिक के असमान्य विलम्ब के फलस्वरूप 74.28 लाख रुपए की लागत पर निर्मित एक पुल गत पाँच वर्षों से अनुपयोग में रहने के अलावा अकेले भूमि की लागत में 22.57 लाख रुपए की वृद्धि हुई।

मामला बी आर डी बी को अप्रैल 1997 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

67. एक सड़क के पुनः सिंघाईकरण पर निष्फल व्यय

सी ई द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत नहीं की गई परिवर्तित सिंघाई पर एक सड़क कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप 53.24 लाख रुपए का व्यय जो निष्फल रहा

डी जी डब्ल्यू ने 703.51 लाख रुपए की लागत पर एक सड़क के निर्माण की संस्वीकृति दी।

सीमा पार से घुसपैठ रोकने हेतु प्रभावशील गश्त सुनिश्चित करने के लिए कार्य महानिदेशक (डी जी डब्ल्यू) ने 703.51 लाख रुपए की कुल लागत पर 33 कि मी माप की एक सड़क के निर्माणार्थ मार्च 1993 तथा जनवरी 1994 के मध्य तीन संस्वीकृतियाँ प्रदान की।

जबकि कार्य प्रगति पर था, सी ई ने सड़क के एक भाग की सिंघाई में परिवर्तन करना प्रस्तावित किया और डी जी डब्ल्यू की संस्वीकृति के बिना परिवर्तन कार्यान्वित कर दिया।

अप्रैल 1994 में जबकि सड़क के सभी तीनों भागों का निष्पादन प्रगति पर था, परियोजना सी ई ने 21 कि मी माप के सड़क के एक भाग की सिंघाई को परिवर्तित करने हेतु एक प्रस्ताव इस आधार पर भेजा कि वह क्षेत्र वर्षा ऋतु के दौरान पानी के नीचे डूबा रहा था। यद्यपि प्रस्ताव का अनुमोदन प्रतीक्षित था, सी ई ने अप्रैल 1995 में पुनः सिंघाई करने के लिए 339.32 लाख रुपए के संशोधित अनुमान डी जी डब्ल्यू को प्रस्तुत किए तथा साथ ही उसकी संस्वीकृति का इंतज़ार किए बिना कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच अप्रैल 1995 तक कार्य पर प्रारम्भिक संस्वीकृतियों के अनुसार 127.68 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका था।

एक तकनीकी समिति, जिसकी जुलाई 1995 में बैठक हुई ने सड़क के सीमा से दूर होने के कारण सड़क की सिंघाई मे परिवर्तन को उचित नहीं समझा और विशेषकर तब जबकि प्रारम्भिक संस्वीकृतियों के अनुसार पहले से ही काफी राशि व्यय की जा चुकी थी। फरवरी 1996 में हुई अन्य बैठक में सी ई को प्रारम्भिक सिंघाई का अनुसरण करने तथा सड़क जलमगन होने से बचाने के लिए जहाँ आवश्यक हो उपयुक्त सड़क का निर्माण तल को ऊपर उठाने की सलाह दी गई । तदनुसार, परिवर्तित सिंघाई पर कार्य को जिसपर जनवरी 1996 तक 53.24 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका था, बन्द कर दिया गया तथा कार्य प्रारम्भिक सिंघाई के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया गया तथा प्रगति में था।

अतः सी ई द्वारा सक्षम प्राधिकारी संस्वीकृत नहीं की गई परिवर्तित सिंघाई पर एक सड़क कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप किए जाने 53.24 लाख रुपए का व्यय हुआ जो निष्फल रहा।

प्रस्तावित परिवर्तन स्वीकार नहीं किया गया

मामला का उल्लेख मई 1997 में बी आर डी बी से किया गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

68. भंडारों का अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

वास्तविक आवश्यकता आंके बिना सामान की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप दो साल से अधिक अवधि तक 38 लाख रुपए की निधियाँ अवरुद्ध रहीं

जुलाई 1992 में, बी आर डी बी ने एक पुल की विद्यमान लकड़ी की डैकिंग को 40.82 लाख रुपए की लागत पर स्टील की डैकिंग से बदलने हेतु संस्वीकृति प्रदान की। संस्वीकृति पर डी जी बी आर तथा सी ई ने दो फर्मों को 43.43 लाख रुपए की लागत पर उपयुक्त कार्य हेतु आवश्यक

सामान क्रय करने के लिए जुलाई 1993 तथा अक्तूबर 1993 में दो आपूर्ति आदेश दिए।

दोनों फर्मों द्वारा दिसम्बर 1993 तथा सितम्बर 1994 के मध्य सामान आपूरित किया गया। इसी बीच, अगस्त 1994 में कार्यकारी अभियन्ता ने सूचित किया कि अधिप्राप्त पुर्जे विद्यमान पुल के लिए अनुपयुक्त थे और इसलिए मनोनीत कार्य हेतु प्रयोग नहीं किए जा सके। सितम्बर 1995 में स्थिति की एक नए सिरे से समालोचना की तथा डैकिंग को केवल लकड़ी के घटकों से बदलना प्रस्तावित किया गया। अतः क्षतिग्रस्त लकड़ी की डैकिंग को, सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत वार्षिक आधार पर बदलना प्रस्तावित किया गया तथा पहले से संस्वीकृत कार्य को समयपूर्व बन्द कर दिया गया। यद्यपि अधिप्राप्त सामान का अन्य कार्यों हेतु प्रयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया था तथापि मई 1997 तक भी 38 लाख रुपए मूल्य के भंडार स्टॉक में पाए गए थे।

इस प्रकार, वार्षिक आवश्यकता आँके बिना सामान की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप दो साल से अधिक अवधि तक 38 लाख रुपए की निधियाँ अवरुद्ध रहीं।

मामला जून 1997 में बी आर डी बी उल्लेखित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

69. ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

पी ए सी की सिफारिशों पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश जारी किए थे। विभिन्न लेखापरीक्षा कार्यालयों

द्वारा ड्राफ्ट पैराग्राफ सम्बन्ध मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को सदैव अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से उनका ध्यान लेखापरीक्षा के जाँच परिणामों की ओर दिलाते हुए तथा उनसे छः सप्ताह के अन्दर उनका उत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। मंत्रालयों से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए प्रत्येक ऐसे पैराग्राफ के अन्त में निरपवाद रूप से सूचित किए जाते हैं।

मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) की 1998 की संख्या 7 प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफ/समीक्षाएं सम्बन्ध मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अप्रैल 1997 तथा अक्तूबर 1997 के बीच अग्रेषित किए गए थे।

पी ए सी के अनुरोध पर जारी किए गए वित्त मंत्रालय के उपयुक्त निदेर्शों के अनुपालन में सम्बन्ध मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने 33 ड्राफ्ट पैराग्राफों तथा एक पुनरीक्षा के उत्तर, जैसा नीचे दर्शाया गया है, नहीं भेजे । उन ड्राफ्टों में से जो सचिवों को भेजे गए थे, 65 पैराग्राफों तथा तीन पुनरीक्षाओं अन्ततः इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। इनमें से, 33 पैराग्राफों तथा एक पुनरीक्षा में सचिवों के उत्तर/प्रतिक्रिया न प्राप्त होने के कारण समावित नहीं किए जा सके ।

मंत्रालय/ विभाग	मंत्रालय/विभाग पर इस प्रतिवेदन में शामिल कुल पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनमें उत्तर सम्बन्ध सचिवों से प्राप्त नहीं हुआ	पैराग्राफ संख्या
रक्षा मंत्रालय	68	34 (अध्याय । के पैराग्राफ संख्या 1 से 13 को छोड़कर)	14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50,51 52, 53, 54, 55, 56, 60, 64, 66, 67 तथा 68

70. आयुध फैक्टरी संगठन का कार्य निष्पादन

70.1 प्रस्तावना

39 आयुध फैक्टरियां 1.55 लाख मानवशक्ति के साथ मुख्यतः देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए शस्त्र, गोलाबारूद, उपस्कर, कपड़ों इत्यादि की करीब 1126 मदों के उत्पादन में कार्यरत हैं। उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग करने एवं विविधता हेतु, आयुध फैक्टरियों ने सिविल व्यापार के लिए भी मदों का निर्माण आरम्भ कर दिया है। शीर्ष स्तर पर आयुध फैक्टरियां 'बोर्ड' जो कि नीति निर्धारण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं के द्वारा संचालित होती हैं। डी जी ओ एफ, ओ एफ बी का पदेन अध्यक्ष होता है। उसको सहयोग नौ सदस्य/अतिरिक्त डी जो ओ एफ देते हैं जो विभिन्न कर्मचारीगण और कार्य समूह के प्रभारी होते हैं।

उनके उत्पादन के सन्दर्भ में ओ एफ का विस्तृत समूहीकरण निम्न प्रकार हैः

	डिविज़न	फैक्टरियों की संख्या
(i)	सामग्रियां एवं घटक (एम एण्ड सी)	11
(ii)	शस्त्र, वाहन और उपस्कर (डब्ल्यू वी एण्ड ई)	10
(iii)	गोलाबारूद और विस्फोटक (रा एण्ड ई)	10
(iv)	कवचित वाहन (ए वी)	3
(v)	आयुध उपस्कर फैक्टरियां (ओ ई एफ)	5

उत्पादन अनुसार फैक्टरियों को धातु कार्मिक (6), अभियांत्रिकी (17), भरण (6), रसायनिक (4), आयुध उपस्कर (6) के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। आयुध फैक्टरी बोलनगीर ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है।

70.2 राजस्व व्यय

वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत व्यय नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	ओ एफ द्वारा किया गया कुल व्यय	सशस्त्र सेनाओं को आपूरित किए उत्पादों के प्रति प्राप्ति	अन्य प्राप्तियां एवं वसूलियां	कुल प्राप्तियां	ओ एफ का शुद्ध व्यय
1992-93	1983.99	1631.49	409.49	2040.98	(-) 56.99
1993-94	2279.84	1813.11	560.15	2373.26	(-) 93.42
1994-95	2347.94	1868.85	473.74	2342.69	(+) 5.35
1995-96	2775.90	2114.82	484.98	2599.80	(+) 176.10
1996-97	3275.94	2416.22	436.20	2852.42	(+) 423.52

ओ एफ बी के शुद्ध व्यय; कुल प्राप्तियों एवं वसूलियों में अभिवृद्धि हुई है।

उल्लेखनीय है कि 1994-95 से व्यय में भारी वृद्धि हुई है:

(करोड़ रुपए में)

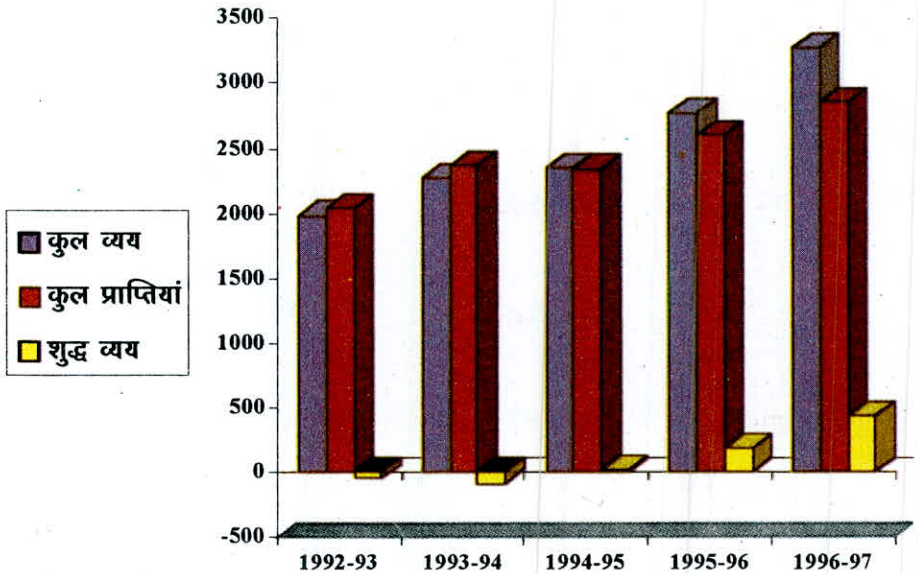

70.3 ओ एफ बी के कार्य निष्पादन का विश्लेषण

70.3.1 सामान्य

आयुध फैक्टरी चांदा का व्यवसाय अधिकतम था।

वर्ष 1996-97 में ओ एफ चांदा का व्यवसाय 88 प्रतिशत सामग्री घटकों सहित सबसे अधिक 445.72 करोड़ रुपए था जबकि सी एफ चण्डीगढ़ का 56 प्रतिशत सामग्री घटकों सहित सबसे कम 19.41* करोड़ रुपए था।

नोट - * के साथ में दर्शाए गए आंकड़े इस अध्याय में जहाँ कहीं भी प्रयोग किए गए हैं अन्तरिम हैं।

70.3.1.1 गत पाँच वर्षों में सभी आयुध फैक्टरियों में पूर्ण की गई एवं स्टाक में ली गई मदों एवं घटकों की लागत अव्यववार उत्पादन मूल्यवार नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

घटक	उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपए में)				
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97(*)
(i) प्रत्यक्ष सामग्री	1556.87	1725.75	1630.43	1962.48	2299.79
	(62.31)	(61.29)	(57.05)	(58.77)	(58.53)
(ii) प्रत्यक्ष श्रम	157.16	164.18	168.16	213.26	272.48
	(6.29)	(5.83)	(5.88)	(6.38)	(6.94)
(iii) परिवर्तनीय उपरिव्यय	471.40	527.83	607.85	488.78	548.21
	(18.86)	(18.74)	(21.27)	(14.63)	(13.95)
(iv) निर्धारित उपरिव्यय प्रभार	313.03	397.76	450.99	674.46	808.56
	(12.52)	(14.12)	(15.78)	(20.19)	(20.58)
कुल	2498.46	2815.52	2857.43	3338.98	3929.04

*** कोष्ठक में दिए गए आंकडे कुल उत्पादन लागत की प्रतिशतता है।**

(करोड़ रुपए में)

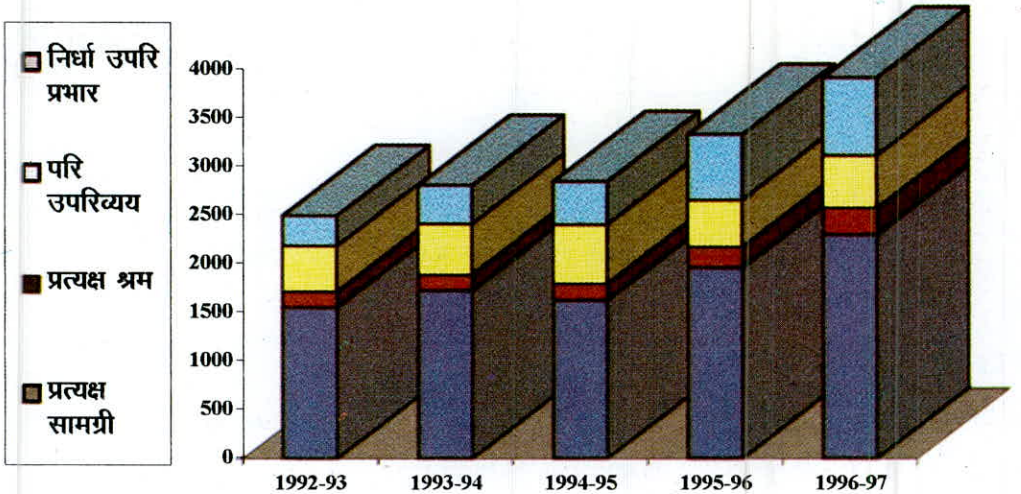

जबकि उत्पादन लागत में प्रत्यक्ष श्रम का अंश 5.83 से 6.94 प्रतिशत के मध्य घटता बढ़ता रहा है, लेकिन निर्धारित ऊपरी व्यय प्रभारों में 1992-93 में 12.52 प्रतिशत से 1996-97 में 20.58 प्रतिशत तक वृद्धि होने से लगातार अपप्रवृति प्रकट हुई है।

1996-97 के दौरान कुल उत्पादन लागत में निर्धारित और परिवर्तित प्रभारों में फैक्टरी दर फैक्टरी व्यापक रूप से परिवर्तित हुई है जैसे आप्टो ईलैक्ट्रोनिक फैक्टरी देहरादून में 82.36 प्रतिशत और ओ एफ चांदा में 9.28 प्रतिशत रही।

70.3.2 प्रयोक्ताओं को निर्गम

विगत पाँच वर्षों के दौरान माँगकर्त्ता-वार निर्गमों का मूल्य निम्न प्रकार था:

(करोड़ रुपए में)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97(*)
थलसेना	1339.09	1406.40	1492.58	1690.97	1964.83
नौसेना	16.88	28.80	28.02	37.41	46.72
वायुसेना	48.06	58.70	54.12	98.89	101.61
एम ई एस आर एण्ड डी (अन्य रक्षा विभाग)	34.27	28.95	39.55	54.16	71.18
कुल रक्षा सेवाएं	1438.30	1522.85	1614.27	1881.43	2184.34
सिविल ट्रेड	271.25	392.83	371.88	404.33	381.55

(करोड़ रुपए में)

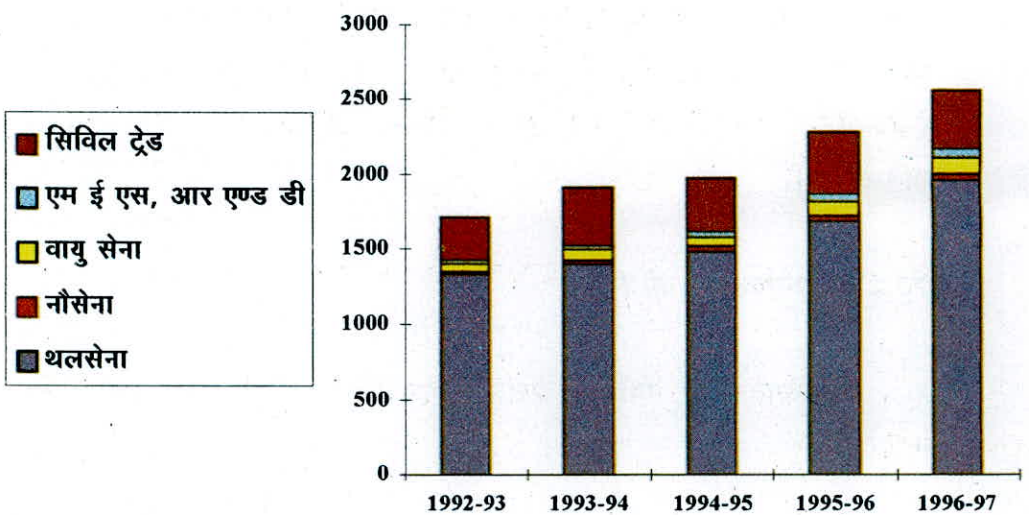

70.3.3 उत्पादन नियोजन एवं निष्पादन

70.3.3.1 उत्पादन कार्यक्रम की तुलना में प्रगति

अनेक मदों के उत्पादन से सम्बन्धित उपलब्धि ओ एफ बी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम रही। यद्यपि कुछ मदों के निर्माण और आपूर्ति करने के आदेश विद्यमान थे। 1996-97 के दौरान मदों का निर्माण फैक्टरियों द्वारा नहीं किया गया चूंकि ओ एफ बी ने इनके लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। 1996-97 के दौरान 331 मदों के लिए आदेश विद्यमान थे, परन्तु ओ एफ बी ने 42 मदों हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे जबकि बाकी 289 मदों में से जिनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 94 मदें कार्यक्रम से पीछे थीं।

70.3.4 क्षमता उपयोग

ओ एफ बी किसी फैक्टरी की क्षमता उपयोगिता का आंकलन मानक मानव घण्टों (एस एम एच) और मशीन घण्टों के रूप में करता है। नीचे दी हुई सारणी गत पाँच वर्षों में जिस सीमा तक क्षमता का उपयोग किया गया था उसे दर्शाती है:

सारणी - I

(एस एम एच के रूप में क्षमता का उपयोग)

वर्ष	एस एम एच में क्षमता	एस एम एच में क्षमता उपयोग	क्षमता उपयोग का प्रतिशत
1992-93	2139	1461	68.30
1993-94	2051	1387	67.63
1994-95	2040	1359	66.62
1995-96	1914	1485	77.58
1996-97	1847.73	1558.97	84.37

सारणी - II

(मशीन घण्टों के रूप में क्षमता उपयोग)

वर्ष	उपलब्ध मशीन घण्टें	उपयोग किए गए मशीन घंण्टे	उपयोग का प्रतिशत
1992-93	1114.68	871.70	78.20
1993-94	1141.29	846.58	74.18
1994-95	1198.87	894.03	74.57
1995-96	1234.53	946.89	76.70
1996-97	1270.89	936.26	73.67

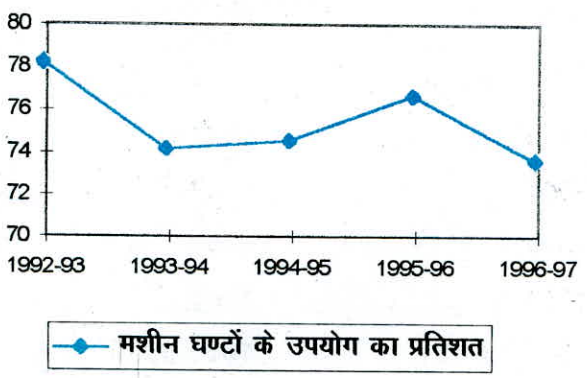

सेवा निवृत्त इत्यादि से होने वाली कमियों के स्थान पर दूसरी नियुक्तियाँ न करने के मंत्रालय के निर्णय के कारण कुल मानवशक्ति की संख्या में वर्षों से कमी आयी है। मशीन घण्टा उपयोग एक वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यभार पर निर्भर करता है। कार्यभार कमी के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्रालय ने यह स्वीकृति भी दी थी कि फैक्टरियाँ सिविल व्यापार एवं गृह मंत्रालय से निर्यातों हेतु आदेश प्राप्त करें।

70.3.5 निर्यात एवं सिविल व्यापार

सशस्त्र सेनाओं से आदेशों में कमी होने के कारण आयुध फैक्टरियों में सृजित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा था। जुलाई 1986 में मंत्रालय ने फैक्टरियों की क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से विविधीकरण एवं देश के सिविल व्यापार में उतरने और आयुध फैक्टरियों की निर्यात क्षमता का पता लगाने का निर्णय किया। तथापि निर्यात एवं सिविल व्यापार में वास्तविक उपलब्धि बहुत ही कम थी।

70.3.5.1 निर्यात

निम्नदर्शित सारणी में 1992-93 से 1996-97 में निर्यात में लक्ष्य के सन्दर्भ में उपलब्धि प्रदर्शित की गई है:

वर्ष	सम्बद्ध फैक्टरियों की संख्या	लक्ष्य (करोड़ रुपए में)	उपलब्धि (करोड़ रुपए में)	उपलब्धि की प्रतिशतता
1992-93	10	15.00	5.84	38.93
1993-94	15	34.00	9.48	27.89
1994-95	14	35.00	7.15	20.42
1995-96	11	25.00	18.94	75.76
1996-97	8	25.00	3.22	12.88

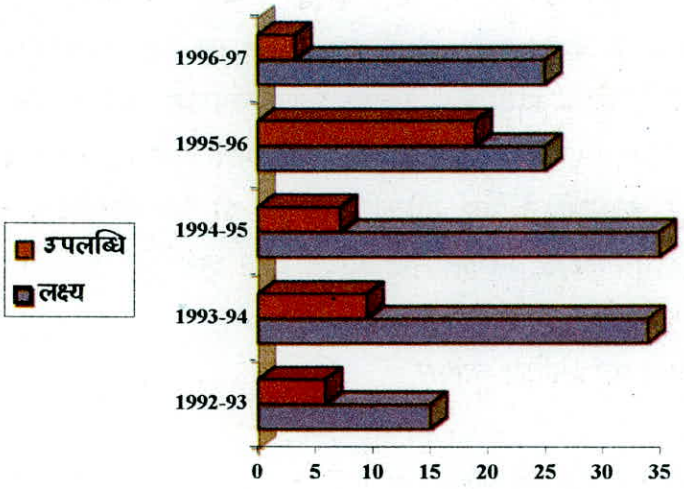

यह दर्शित होता है कि 1995-96 को छोड़कर निर्यात के क्षेत्र में आयुध फैक्टरियों का कार्य निष्पादन निश्चित रूप से खराब रहा। 1996-97 के दौरान, 1995-96 की तुलना में निर्यात निष्पादनता में तीव्र गिरावट आई थी।

ओ एफ बी के अनुसार 1996-97 में निर्यात निष्पादनता में गिरावट विदेशों से निर्यात आदेशों में विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुई थी।

70.3.5.2 सिविल ट्रेड

1992-93 से 1996-97 के दौरान गृह मंत्रालय एवं राज्य के पुलिस विभागों को की गई आपूर्तियों को छोड़कर सिविल ट्रेड से किया गया व्यवसाय निम्न प्रकार थाः-

वर्ष	सम्बद्ध फैक्टरियों की संख्या	लक्ष्य (करोड़ रुपए में)	उपलब्धि (करोड रुपए में)	उपलब्धि की प्रतिशतता
1992-93	37	83.12	70.02	84.24

1993-94	38	174.57	108.13	61.94
1994-95	38	224.30	112.03	49.45
1995-96	38	141.49	140.45	99.26
1996-97	38	180.00	137.96	76.64

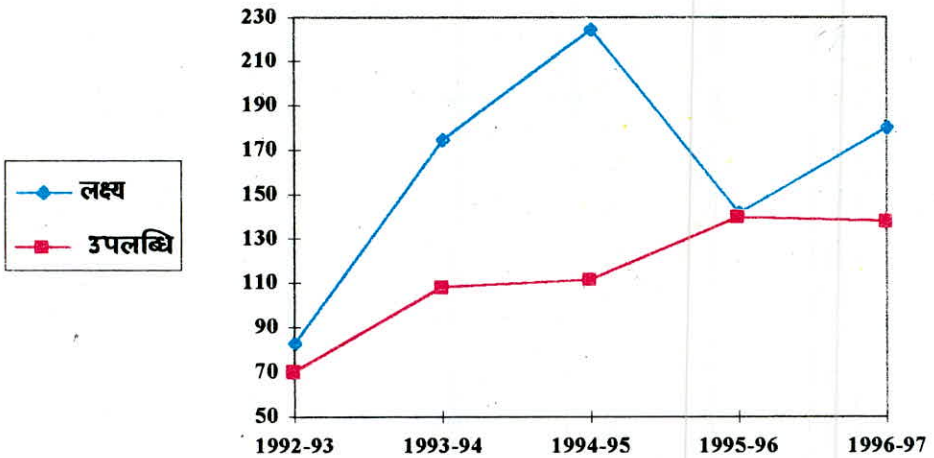

1995-96 तक सिविल ट्रेड से प्राप्तियों में सुनिश्चित रूप से उपोनति प्रकट हुई लेकिन 1996-97 में आंशिक अवनति हुई।

70.3.5.3 सिविल ट्रेड गतिविधियों से राशि कीं अप्राप्ति

ओ एफ बी द्वारा जून 1985 में जारी नीति निदेर्शों के अनुसार सभी सिविल मांगकर्त्ताओं के आदेश के साथ ही सारी राशि का नकद या रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा साख-पत्र द्वारा भुगतान करना अपेक्षित है।

31 मार्च 1997 को सिविल मांगकर्त्ताओं से उनको विभिन्न मदों की आपूर्ति के लिए 39.54 करोड़ रुपए बकाया था तथापि बकाया राशि जुलाई 1997 तक कम होकर 8 करोड़ रुपए हो गई थी।

70.3.6 मानवशक्ति का उपयोग

70.3.6.1 आयुध फैक्टरी संगठन के कर्मचारियों का वर्गीकरण इस प्रकार

किया जाता है: (i) अधिकारीगण जो कि वरिष्ठ पर्यवेक्षण स्तरों पर संचालन करते हैं (ii) अराजपत्रित (एन जी ओ) अथवा गैर-औद्योगिक कर्मचारीगण (एन आई ई) जो कि कनिष्ठ पर्यवेक्षण स्तरों और लिपिकीय स्थापना का संचालन करते हैं तथा (iii) औद्योगिक कर्मचारीगण (आई ई) जो कि उत्पादन एवं रखरखाव प्रक्रियाओं में कार्यरत रहते हैं। गत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की संख्या जैसा कि नीचे सारणी में दर्शायी गई है, से ज्ञात होता है कि वर्ष 1994-95 से पर्यवेक्षण स्तर की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है जबकि आई ई की संख्या में गिरावट आई थी।

(संख्या में)

कर्मचारियों की श्रेणी	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
अधिकारीगण	1672	1672	2856	3286	3331
कुल मानवशक्ति पर अधिकारियों का प्रतिशत	0.98	1.01	1.76	2.01	2.14
एन जी ओ/एन आई ई	44190	44548	43167	45641	49462
कुल श्रमशक्ति पर एन जी ओ/ एन आई ई का प्रतिशत	26.07	27.04	26.69	28.03	31.81
आई ई	123583	118488	115702	113865	102675
कुल मानवशक्ति पर आई ई का प्रतिशत	72.93	71.93	71.54	69.94	66.04
कुल	169445	164708	161725	162792	155468

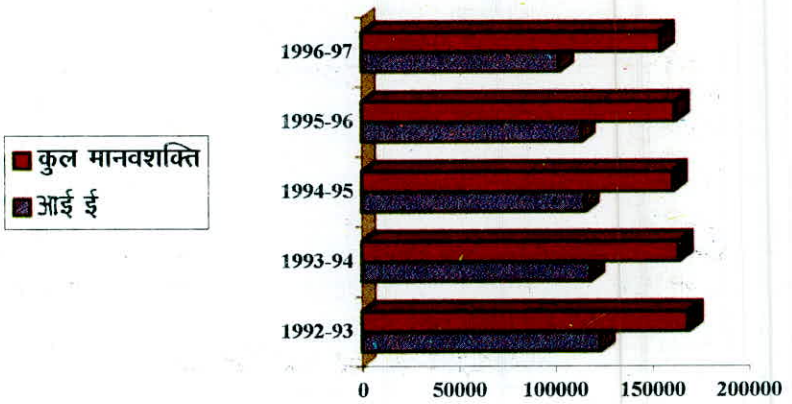

संख्या में

70.3.6.2 उत्पादन पर श्रमव्यय को दो प्रकार से प्रभारित किया जाता है 'प्रत्यक्ष श्रम' जो उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित श्रम पर व्यय होता है और 'अप्रत्यक्ष श्रम' जो श्रम पर अन्य व्यय होता है जैसे रखरखाव इत्यादि पर। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम पर किया गया व्यय नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97(*)
(i) कुल अप्रत्यक्ष श्रम	257.38	286.40	316.73	387.29	410.52
(ii) कुल प्रत्यक्ष श्रम	172.91	180.06	183.23	228.13	260.89
(iii) अप्रत्यक्ष श्रम का प्रत्यक्ष श्रम पर प्रतिशत	148.85	159.06	172.86	169.77	157.35

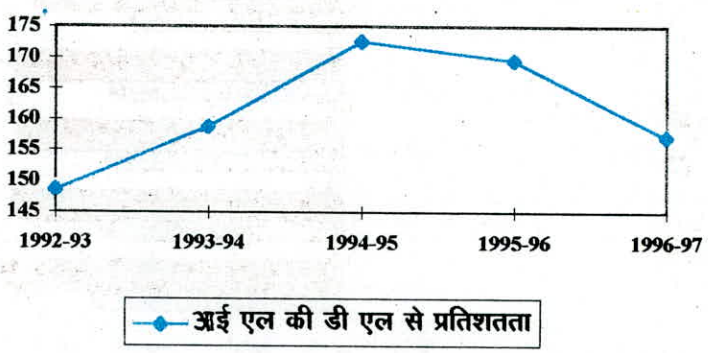

70.3.6.3 गत पाँच वर्षों के दौरान नगवार कार्य पर कर्मचारियों की संख्या, कमाई और रखरखाव-कर्मियों को भुगतान दिया गया प्रोत्साहन बोनस निम्न प्रकार हैः

वर्ष	नगवार कर्मचारियों की औसत संख्या	नगवार कर्मचारियों की आय	रखरखाव कर्मचारियों के भुगतान किए गए प्रोत्साहन बोनस
		(करोड़ रुपए में)	
1992-93	69520	86.45	4.30
1993-94	67500	85.86	4.41
1994-95	64815	81.09	4.45
1995-96	63069	91.16	5.89
1996-97	62944	92.69*	6.26*

70.3.7 सम्पत्ति सूची प्रबन्ध

70.3.7.1 स्टॉक भंडार

विद्यमान भंडारण प्रक्रियानुसार ओ एफ विभिन्न प्रकार के भंडारों के स्टॉक रखने के लिए प्राधिकृत है जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

क्रम संख्या	भंडारों की किस्में	स्टॉक में भंडारणीय मासों की आवश्यकताएं
1.	आयातित मदें	12 माह
2.	स्वदेशी दुर्लभ मदें	9 माह
3.	अन्य स्वदेशी मदें	6 माह

1995-96 के दौरान सात फैक्टरियों में औसत स्टॉक भडार जैसा कि नीचे दशार्या गया है, 10* महीने और 18.78* महीनों की आवश्यकताओं के मध्य रहा जो विद्यमान मानदण्डों से अधिक था।

(करोड़ रुपए में)(*)

क्रम संख्या	फैक्टरी का नाम	1.4.96 के आरम्भिक शेष	31.3.97 के अन्तिम शेष	औसत स्टॉक/ भंडार	औसत मासिक खपत	महीनों में भंडारों का स्टॉक
1.	ओ एफ खमरिया	159.08	191.84	175.46	17.54	10.00
2.	ए एफ खड़की	91.59	80.37	85.98	8.22	10.45
3.	एच वी एफ आवड़ी	236.07	273.93	255.00	24.12	10.57
4.	ओ एफ कानपुर	51.20	55.88	53.54	4.66	11.48
5.	ई एफ आवड़ी	25.62	29.32	27.47	2.09	13.14
6.	ओ एल एफ देहरादून	11.88	12.09	11.98	0.89	13.46
7.	ओ एफ मैडक	132.42	218.39	175.40	9.34	18.78

70.3.7.2 भंडार सत्यापन पर अधिशेष पाए गए भंडार

1996-97 के दौरान भंडार सत्यापन के दौरान 5.99* करोड़ रुपए मूल्य के भंडार अधिशेषित दर्शाए गए थे जिनमें से 5.40* करोड़ रुपए के

भंडार तीन फैक्टरियों में अधिशेष पाए गए थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

क्रम संख्या	फैक्टरी	भंडार सत्यापन पर अधिशेष (करोड़ रुपए में) (*)
1.	ओ एफ खमरिया	2.50
2.	ओ एफ अम्बरनाथ	1.48
3.	वी एफ जबलपुर	1.42

भंडार सत्यापन में अधिशेष पाया जाना भंडार लेखों के रखरखाव को दर्शाता है क्योंकि अधिशेष भंडार लेखन त्रुटियों के अथवा निर्गमों के अतिरंजना के कारण हो सकते हैं।

70.3.7.3 दिनों की संख्या के रूप में औसत स्टॉक भंडार उपभोग 180 दिनों के निर्धारित मानदण्ड की तुलना में लगातार अधोप्रवृत्ति दर्शाता है। इसके अलावा कम गतिमान और अधिशेष/छीजन भंडारों के स्टॉक में वर्षों से पर्याप्त वृद्धि हुई थी जैसा कि निम्न प्रदर्शित सारणी में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97(*)
1.	वर्किंग स्टॉक					
क.	सक्रिय	773.01	702.65	736.51	1020.59	1245.91
ख.	अगतिमान	76.36	81.26	103.75	109.21	77.93
ग.	कम गतिमान	134.86	138.10	126.08	122.10	148.39
	कुल वर्किंग स्टॉक	984.23	922.01	966.34	1251.90	1472.22

2.	अवशेष एवं अप्रचलित	23.59	16.44	13.12	8.47	8.09
3.	फालतू/छीजन	41.95	38.40	35.29	33.34	41.20
4.	रखरखाव भंडार	96.27	99.13	93.84	76.00	72.82
	कुल	1146.04	1075.98	1108.59	1369.71	1594.34
5.	दिनों की संख्या के रूप में औसत भंडार	286	254	247	214	209
6.	कुल वर्किंग स्टॉक से पूर्व गतिमान एवं अगतिमान स्टॉक का प्रतिशत	21.46	23.79	23.78	18.47	15.37

70.3.7.4 तैयार माल

1992-93 से तैयार माल और घटकों के कुल भंडार में सुस्थिर वृद्धि हुई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97(*)
तैयार माल का भंडार	40.42	55.42	73.27	95.19	182.58
उत्पादन का कुल मूल्य	2404.53	2673.88	2807.79	3338.99	3929.04

दिवसों की निर्गमित संख्या के संदर्भ में तैयार माल का भंडार	6	8	10	10	17
कुल उत्पादन के संदर्भ में भंडार का प्रतिशत	1.68	2.07	2.60	2.85	4.65
तैयार घटकों का भंडार	208.87	195.13	197.85	247.51	303.83
दिवसों की खपत के संदर्भ में तैयार घटकों का भंडार	130	123	96	90	99

31 मार्च 1977 को 6 फैक्टरियों में तैयार माल एवं घटक भंडार कुल उत्पादन के मूल्य के 22.70 एवं 50.70 के मध्य रहा जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

क्रम संख्या	फैक्टरी का नाम	तैयार घटक एवं माल का मूल्य	कुल उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपए में)	कालम तीन की कालम चार से प्रतिशतता
1.	कोर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु	0.65 + 13.64	62.95	22.70
2.	ओ एफ कानपुर	5.40 + 21.26	113.69	23.44
3.	एम एस एफ ईशापुर	0.00 + 31.28	94.99	32.92
4.	एच ए पी पी त्रिची	13.57 + 0.00	35.04	38.72
5.	ओ एफ मेडक	44.80 + 18.45	137.56	45.97
6.	एच वी एफ आवड़ी	70.34 + 100.58	340.66	50.17

70.3.7.5 कार्य प्रगति में

एक आयुध फैक्टरी का जी एम वारंट जारी करके जिसकी अवधि छः माह होती है, एक उत्पादन कर्मशाला को एक मद की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने का आदेश देता है । कार्यशाला में पड़ी विभिन्न वारंटों से सम्बन्धित अपूर्ण मदें कार्य प्रगति में होती है।

1995-96 एवं 1996-97 के दौरान कार्य प्रगति में के मूल्य में वृद्धि हुई थी जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

31 मार्च की स्थिति	कार्य प्रगति में का मूल्य (करोड़ रुपए में)
1993	703.89
1994	717.84
1995	714.24
1996	855.00
1997	1038.35

(करोड़ रुपए में)

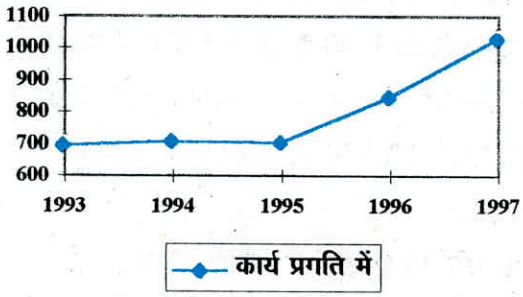

31 मार्च 1997 को 6 माह की सामान्य अवधि के प्रति 13374 वारंट (मूल्य 337.42 करोड़ रुपए) 1 से 13 वर्ष से अधिक पुराने थे। पुराने वारंटों की नियमित कालान्तराल पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि उत्पादनाधीन मदें पूर्ण होने के समय तक अप्रचलित न हो जाएं और उनका व्यय निष्फल न हो जाएं।

70.3.8 विनिर्माण प्रक्रियाओं में अस्वीकरण

गत पाँच वर्षों के दौरान उत्पादन का कुल मूल्य अनुमत अस्वीकरणों की तुलना में अनुमत सीमा से अधिक अस्वीकरणों का मूल्य, उत्पादन के कुल मूल्य में से निकालकर निम्न प्रकार था:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	उत्पादन का कुल मूल्य (अनुमत अस्वीकरणों सहित)	अस्वीकरणों का मूल्य (अनुमत सीमा से अधिक)
1992-93	2404.53	6.47
1993-94	2673.88	9.41
1994-95	2807.79	11.41
1995-96	3338.99	7.63
1996-97	3929.04*	12.50*

1996-97 के दौरान तीन फैक्टरियों में असामान्य अस्वीकरणों के कारण हुई मुख्य हानियां निम्न प्रकार थीः-

	(करोड़ रुपए में)
एम एस एफ ईशापुर	1.68
ए एफ खड़की	2.82
ओ एफ चांदा	4.61

70.3.9 बट्टे खाते में डाली गई हानियाँ

नीचे दर्शायी गई सारणी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई हानियाँ दर्शाती हैः-

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (*)
1.	वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान एवं परित्यागित दावे (क)	5.71	7.74	12.66	3.45	2.44
2.	चोरी, धोखाधड़ी और लापरवाही के कारण हुई हानियां	7.69	0.92	0.20	0.52	0.92
3.	वास्तविक शेष में कमी जो चोरी, धोखाधड़ी और लापरवाही से नहीं हुई	1.31	7.91	0.40	3.97	18.73
4.	पारगमन में हानियां	41.91	11.81	16.80	21.18	15.82

5.	अन्य कारण (उदाहरणार्थ खराब हुए भंडार जो दोषपूर्ण भंडारण के कारण नहीं हुए और अप्रचलित होने के कारण निकाले गए भंडार इत्यादि)	1.55	14.26	19.75	17.01	22.70
6.	विनिर्माण हानियां	288.25	739.10	377.77	394.07	527.64
7.	स्टॉक से असम्बन्धित हानियां	-	-	-	7.85	5.84
	कुल	346.42	781.74	427.58	448.05	594.09

(क) 1975 से 1993-94 के दौरान आयुध फैक्टरी संगठन के कर्मचारियों को दौरा/स्थानान्तरण और छुट्टी यात्रा रियायत हेतु प्रदान किए गए अग्रिमों के रूप में 2.51 करोड़ रुपए की एक राशि मार्च 1997 तक असमायोजित थी।

71. आई सी वी के लिए हाइड्रोलिक प्रैस और कच्चा माल

ओ एफ बी ने आई सी वी तल प्लेटों के निर्माण हेतु एक हाइड्रोलिक प्रैस के अतिरिक्त भारी मात्रा में इनके लिए तल प्लेटों का आयात किया। 7.17 करोड़ रुपए की लागत से आयातित हाइड्रोलिक प्रैस चार वर्ष तक अनुपयोगित रही। तल प्लेटों के निर्माण हेतु 64.32 लाख रुपए मूल्य का इस्पात भी अनुपयोगित रहा

ओ एफ बी ने आई सी वी के हल के लिए तल प्लेटों के निर्माण के लिए हाइड्रोलिक प्रैस के आयात हेतु फरवरी 1990 में आपूर्ति आदेश दिया। 7.17 करोड़ रुपए लागत का दिसम्बर 1993 में आयुध फैक्टरी परियोजना (आ फै प) मेडक में प्राप्त हुआ उपस्कर अक्तूबर 1994 में प्रचालित किया गया।

ओ एफ बी ने 860 तल प्लेटों का आयात आई सी वी के उत्पादन में अत्यधिक कमी करने के बाद किया।

ओ एफ बी ने 1190 तल प्लेटों का आयात 1986-87 से 1992-93 के दौरान भी किया था। इनमें से 860 का आयात सेना द्वारा 1990-91 से आई सी वी की वार्षिक आवश्यकता पहले की 500 से 150 कर देने के बाद किया गया।

उत्पादन कार्यक्रम में कमी और 1998-99 तक की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए तल प्लेटों के आयात करने के बावजूद आ फै प मेडक ने हाइड्रोलिक प्रैस की सहायता से तल प्लेटों के निर्माण के लिए 1986-87 से 1991-92 के दौरान 64.32 लाख रुपए मूल्य के इस्पात की अधिप्राप्ति की। इसमें से 51.35 लाख रुपए मूल्य का इस्पात 1991-92 में प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त आ फै प मेडक ने 1990-91 के बाद 74.73 लाख रुपए मूल्य की 860 तल प्लेटों का भली भाँति जानते हुए कि सेना ने आई सी वी की आवश्यकता 500 से कम करके 150 कर दी है, आयात किया।

तल प्लेट का बड़ा भंडार होने के कारण आयातित प्रैस अनुपयोगित रही।

इस तरह उत्पादन कार्यक्रम में कमी और तल प्लेटों के निर्माण हेतु हाइड्रोलिक प्रैस शीघ्र प्राप्त होने के तथ्य के बावजूद भारी संख्या में तल प्लेटों का आयात अव्यवहारिक था। इससे निष्क्रिय वस्तु सूची होने के साथ-साथ 7.17 करोड़ रुपए का भारी खर्च करके अधिप्राप्त आयातित हाइड्रोलिक प्रैस अप्रयुक्त रह गया। तल प्लेटों के निर्माण हेतु विशेषकर 1990-91 के बाद की 51.35 लाख रुपए मूल्य की इस्पात की अधिप्राप्ति, अधिप्राप्तियों की अव्यवहारिकता को और बढ़ाती थी। 64.32 लाख रुपए मूल्य की इस्पात की समस्त मात्रा की अधिप्राप्ति को 1999-2000 अर्थात् 8 से 13 वर्ष से पहले उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

मंत्रालय ने सितम्बर 1997 में कहा कि तल प्लेटों के सी के डी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे इसलिए प्रैस के प्रचालन के लिए उपकरणों के निर्माण को कम वरीयता दी गयी । जबकि मंत्रालय ने उत्पादन स्तर में कमी के उपरान्त भारी मात्रा में तल प्लेटों के आयात व इस्पात की खरीद पर कोई टिप्पणी नहीं की।

72. व्यर्थ खर्च

नौ सेना द्वारा 4.5 इंच गोलाबारूद की गलत माँग रखने के कारण कारतूस खोलों के निर्माण पर निष्फल व्यय

ओ एफ बी ने नौसेना के साथ एक बैठक में कार्तूस खोलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया।

फरवरी 1992 में हुई एक बैठक में नौसेना द्वारा रखी गयी माँग के आधार पर ओ एफ बी ने आयुध फैक्टरी (आ फै) अम्बरनाथ द्वारा 1992-93 के दौरान नौसेना के लिए 4.5 इंच गन गोलाबारूद के 3000 कारतूस खोलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। आ फै अम्बरनाथ में इस गोलाबारूद का नियमित उत्पादन होता था। ओ एफ बी को जब महानिदेशक नौ सेना शस्त्रास्त्र आपूर्ति से जून 1992 तक माँग की अभिपुष्टि प्राप्त नहीं हुई तो उसने आ फै अम्बरनाथ को इन कारतूसों का उत्पादन बन्द करने को कहा।

नौसेना ने माँग की अभिपुष्टि नहीं की।

आ फै अम्बरनाथ में बने व अधबने कार्तूस खोल क्षय के कारण अनुपयुक्त हो गए।

आ फै अम्बरनाथ ने तब तक 13.68 लाख रुपए लागत के 840 कारतूस खोलों का निर्माण कर लिया था। उनके पास 2.28 लाख रुपए मूल्य का कच्चा माल व अधबने कारतूस खोल भी रखे थे। ये कारतूस खोल और अधबने खोल क्षय होने के कारण अनुपयुक्त हो गए जिससे 15.96 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में कहा कि उन्होंने आ फै अम्बरनाथ को नौसेना अधिकारियों के साथ फरवरी 1992 में हुई बैठक में उनके द्वारा रखी गयी माँग के आधार पर कारतूस खोलों का उत्पादन करने को कहा था। उन्होंने आगे कहा कि नौसेना द्वारा बाद में माँग की अभिपुष्टि न करने से उन्हें उत्पादन बन्द करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि क्षतिग्रस्त कारतूस खोलों का अवशेष मूल्य 6.78 लाख रुपए था।

इस तरह नौसेना अधिकारियों कि दोषपूर्ण परियोजना एवं लक्ष्य का संकेत देने व बाद में बैठक में रखी गई माँग की अभिपुष्टि करने में असफल होने के परिणामस्वरूप 15.96 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

निर्माण

73. माँग-पत्र के पूर्वसमापन के कारण परिहार्य व्यय

तोपों के निर्माण के विकास परीक्षण के दौरान ए आर डी ई द्वारा दोषपूर्ण डिज़ाइन को अनुमति देने से जी एस एफ में दोषपूर्ण गनों का निर्माण तथा सेना द्वारा समयपूर्व माँग-पत्र बन्द करने के परिणामस्वरूप 16.74 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय

ए आर डी ई ने एक छोटी तोप के हल्के रूप को गन कैरिज फैक्टरी (ग कै फै) जबलपुर में डिज़ाइन किया व विकसित किया। ए आर डी

ई प्रकोष्ठ द्वारा दी गई डिज़ाइन के आधार पर ग कै फै जबलपुर ने 1992 में तोप के आठ प्रारूपों का उत्पादन किया जिन्हें भी ए आर डी ई ने अपनी स्वीकृति दे दी। सेना मुख्यालय ने कुछ संशोधनों के साथ मार्च 1993 में इसके प्रथम नमूने के उत्पादन को अनुमति दे दी।

सेना ने 1993-94 और 1994-95 में 60 तोपों की आपूर्ति हेतु जुलाई 1993 में ओ एफ बी को एक माँग-पत्र दिया। इसके प्रति ग कै फै जबलपुर ने मार्च 1995 तक 10.21 करोड़ रुपए की लागत से 20 तोपों का उत्पादन किया।

परीक्षण व स्थायी परीक्षण के दौरान तोपों में दोष पाए गए।

सेना ने दिसम्बर 1994 में किए गए परीक्षण के दौरान तोपों में कुछ दोष पाए तथा ग कै फै जबलपुर को इन दोषों को दूर करने का निवेदन किया। अगस्त/सितम्बर 1995 के स्थाई परीक्षण में सेना उछाल, स्थिरता व रिकोइल प्रणाली में और सुधार चाहती थी। ए आर डी ई द्वारा दिए गए नए डिज़ाइन के अनुसार और संशोधनों को सम्मिलित किया गया। सेना ने परियोजना को समयपूर्व फरवरी 1996 में बन्द कर दिया तथा ग कै फै जबलपुर को सभी 20 गनों की उछाल, स्थिरता व रिकोइल प्रणाली में निर्गमन करने से पहले कुछ और सुधार/संशोधन करने को कहा।

सेना ने तोप की गुणवत्ता में कमियाँ होने के कारण माँग-पत्र को समयपूर्व बन्द कर दिया तथा सेना ने ग कै फै जबलपुर से उत्पादित 20 तोपों में सुधार करने को कहा।

ए आर डी ई और ग कै फै जबलपुर ने और सुधार करने में असमर्थता दिखाई।

ए आर डी ई कि इस धारणा के आधार पर कि और सुधार नहीं हो सकते ग कै फै जबलपुर ने ओ एफ बी को सितम्बर 1996 में बताया कि उछाल, स्थिरता व रिकोइल प्रणाली में और सुधार सम्भव नहीं थे तथा 20 तोपों को उसी अवस्था में स्वीकार करने के लिए मामला सेना के साथ उठाने के लिए निवेदन किया।

16.74 करोड़ रुपए मूल्य के तोप व घटक अनुपयोगित रखे थे।

10.21 करोड़ रुपए मूल्य की 20 तोपें नवम्बर 1997 तक ग कै फै जबलपुर में रखी थी। इसके अतिरिक्त शेष घटकों को रखने से 6.53 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव हुआ।

ओ एफ बी ने नवम्बर 1997 में बताया कि तोपों का निर्माण ए आर डी ई द्वारा अन्तिम रूप दिए गए डिज़ाइन, ड्राइंग तथा उनके द्वारा अनुमोदित

प्रारूप के अनुसार किया गया था। उन्होंने बताया कि 20 गनों को उसी अवस्था में स्वीकार करने के लिए मामला सेना के साथ उठाया गया था।

ए आर डी ई और ग कै फै जबलपुर के तोप में और संशोधन/सुधार करने में असफल होने के कारण 20 तोपों के निर्माण और ग कै फै जबलपुर में रखे शेष घटकों के कारण 16.44 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

मामला मई 1997 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर अक्तूबर 1997 तक प्रतीक्षित था।

74. खोलों का दोषपूर्ण निर्माण

धातु एवं इस्पात फैक्टरी (धा ई फै) ईशापुर द्वारा घटिया खोल सामग्री के उत्पादन एवं इस घटिया माल से गन एवं शैल फैक्टरी कोसीपुर द्वारा 2366 दोषपूर्ण खोलों का निर्माण और आयुध फैक्टरी खमरिया द्वारा इनमें से अधिकांश की भराई से 14.24 लाख रुपए की हानि

आ फै खमरिया और ग शै फै द्वारा आपूरित 2366 खोलों के सम्पूर्ण लॉट को दरार आने के कारण अस्वीकृत कर दिया।

गन एवं शैल फैक्टरी (ग शै फै) कोसीपुर ने अक्तूबर 1993 में 12.42 लाख रुपए मूल्य के 2366 खाली खोल आयुध फैक्टरी (आ फै) खमरिया को आपूरित किए। सभी 2366 खोलों का निर्माण ग शै फै ने एक ही लाट संख्या 21 में किया था। आ फै खमरिया ने सम्पूर्ण लाट को दरारों के कारण अस्वीकृत कर दिया जो भराई के दौरान दबाव से और बढ़ गई जो प्रैस आग का कारण बना।

खोलों की भराई कम दबाव में भी नही की जा सकी।

आ फै खमरिया ने 1447 खोलों की भराई वांछित 20 टन दबाव पर की। प्रैस आग की घटना के कारण उन्होंने वांछित दबाव पर गोलाबारूद की भराई को रोक दिया तथा इसके बजाय खोजी गोलाबारूद के रूप में बकाया

खोलों का इस्तमाल करने के लिए भराई 17-18 टन में कम दबाव पर करने का निर्णय लिया। खोलों की भराई कम किए गए दबाव में भी नहीं की जा सकी। आ फै खमरिया ने केवल 30 खोलों की भराई के बाद कम दबाव पर भी भराई रोक दी। आ फै खमरिया ने खोलों की भराई पर 1.80 लाख रुपए खर्च किए।

दोष धा ई फै द्वारा खोलों में घटिया माल प्रयोग किए जाने के कारण हुए।

जांच बोर्ड ने खोलों में दोषों का कारण धा ई फै द्वारा खोल के घटिया उत्पादन में घटिया माल का प्रयोग होना पाया। उन्होंने पाया कि धा ई फै द्वारा उत्पादित इस लाट के माल में बोरोन मात्रा अनुमेय सीमा 0.001-0.002 प्रतिशत के प्रति 0.003 प्रतिशत बहुत अधिक थी।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में कहा कि वे फैक्टरी को हानि के नियमितीकरण के लिए कार्रवाई करने की सलाह दे रहे थे।

इससे 14.24 लाख रुपए की हानि हुई।

इस तरह धा ई फै द्वारा खोलों के माल का घटिया उत्पादन व बाद में ग शै फै द्वारा उससे खोल बनाने व आ फै खमरिया द्वारा इनकी भराई से छीजन की प्राप्ति के पश्चात् 14.24 लाख रुपए की कुल हानि हुई।

75. असाधारण अस्वीकरण

जी एम, धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर प्रथम लॉट में असाधारण अस्वीकरण के कारणों की तुरन्त खोजबीन करने व उपचारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहे। असाधाराण अस्वीकरण के बावजूद उत्पादन जारी रखने के परिणामस्वरूप 1.57 करोड़ रुपए की हानि हुई

धातु एवं इस्पात फैक्टरी (धा इ फै) ईशापुर ने अप्रैल 1992 से मार्च 1995 के दौरान एक गोलाबारूद के खोल के निर्माण हेतु आवश्यक 3807 टन छड़ों का नौ बैचों में उत्पादन किया। धा इ फै ईशापुर द्वारा तैयार

किए गए प्राकलनों में 15 प्रतिशत सामान्य अस्वीकरण का प्रावधान किया गया था। जबकि विभिन्न बैचों में वास्तविक अस्वीकरण 24.95 और 33.63 प्रतिशत के बीच था जिससे औसत अस्वीकरण 28.10 प्रतिशत आया।

जी एम, धा ई फै, ईशापुर दिसम्बर 1993 की प्रथम लॉट में हुए 25.88 प्रतिशत के उच्च अस्वीकरण के कारणों की छानबीन करने व उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहे। उन्होंनें जांच बोर्ड के गठन से पहले मार्च 1995 के अन्तिम लॉट तक प्रतीक्षा की। मार्च 1996 में गठित जाँच बोर्ड ने अपनी अप्रैल 1996 की रिपोर्ट में असाधारण अस्वीकरण अनुचित तापमान/सुखाने वाले तापमान व पास साईज़ पर गलत नियन्त्रण के कारण बताया यदि दिसम्बर 1993 में प्रथम असाधारण अस्वीकरण के तुरन्त बाद धा ई फै ईशापुर द्वारा जाँच बोर्ड का गठन किया जाता तो इसे ठीक किया जा सकता था।

असाधारण अस्वीकरणों के कारणों की छानबीन के लिए जाँच बोर्ड के गठन से प्रक्रिया में कमी के कारण पहले ही हो चुकी हानि की औपचारिक जाँच के अलावा किसी और उद्धेश्य की पूर्ति नहीं हुई।

इस तरह प्रथम असामान्य अस्वीकरण पाए जाने के तत्काल बाद जाँच बोर्ड का गठन करने में जी एम धा इ फै ईशापुर की असफलता के साथ-साथ ओ एफ बी की इस कमी पर चूक के परिणामस्वरूप अस्वीकृत 1031 टन माल के छीजन के मूल्य को निकालकर 1.57 करोड़ रुपए की हानि हुई।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1997 में बताया कि वे तापमान नियन्त्रण व बेहतर पर्यवेक्षण की सहायता से असाधारण अस्वीकरण को नियन्त्रण करने का उपाय कर रहे थे।

76. बम कायों का असाधारण अस्वीकरण

आयुध फैक्टरी मुरादनगर द्वारा निर्मित 100 बम खोलों में से 79 प्रतिशत निरीक्षण और अन्तिम निरीक्षण में असफल हो गए इससे 49.14 लाख रुपए व्यर्थ हो गए

1994 और 1995 में हुए असाधारण अस्वीकरण की जांच-पड़ताल आ फै मुरादनगर द्वारा अभी तक नहीं कराई गई।

आयुध फैक्टरी (आ फै) मुरादनगर ने फरवरी 1994 में जारी किए गए एक वारंट के प्रति फरवरी 1994 से अगस्त 1995 के दौरान 62.20 लाख रुपए लागत से एक बम के 100 खोलों का निर्माण व संसाधित किया। इन में से 79 खोल खराब माल और घटिया कारीगरी के कारण अस्वीकृत कर दिए गए। अस्वीकरण की वजह से 49.14 लाख रुपए व्यर्थ गए। आ फै मुरादनगर ने 51 प्रतिशत का अस्वीकरण का अनुमान किया था जो अपने आप में बहुत अधिक थी । जबकि वास्तविक अस्वीकरण कहीं अधिक 79 प्रतिशत था। अनुमानित 51 प्रतिशत अस्वीकरण से अधिक अस्वीकरण का मूल्य 17.41 लाख रुपए था।

आ फै मुरादनगर ने मार्च 1997 में बताया कि उन्होंने दिसम्बर 1996 में एक जाँच बोर्ड का गठन किया था और इसके परिणाम प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने सितम्बर 1997 में बताया कि ओ एफ बी को असाधारण अस्वीकरण की जांच करने तथा उचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी।

77. इस्पात छड़ों के निर्माण में असाधारण अस्वीकरण

धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर में मिश्र धातु इस्पात छड़ों के उत्पादन में अस्वीकरण सामान्य अस्वीकरण से दुगना था फिर भी उन्होंने कारणों की जाँच नहीं की।

15 प्रतिशत सामान्य अस्वीकरण के प्रति 29.59 प्रतिशत के वास्तविक अस्वीकरण का अर्थ 23.41 लाख रुपए का अत्यधिक अस्वीकरण हुआ।

धातु एवं इस्पात फैक्टरी (धा ई फै) ईशापुर द्वारा एक गोलाबारूद के खोलों के लिए अप्रैल 1993 से मार्च 1994 के दौरान उत्पादित 449.41 टन मिश्र धातु इस्पात छड़ों में से 132.97 टन निरीक्षण के दौरान अस्वीकृत कर दी गईं। वास्तविक 29.59 प्रतिशत अस्वीकरण सामान्य अस्वीकरण 15 प्रतिशत से दुगना था। 14.59 प्रतिशत असाधारण अस्वीकरण से 23.41 लाख रुपए मूल्य की 65.56 टन इस्पात छड़ें होती हैं।

46 में से केवल 14 लॉटों में अस्वीकरण की सीमा अनुमेय 15 प्रतिशत के अन्दर थी और सबसे अच्छा निष्पादन केवल 0.09 प्रतिशत तक हुआ था बकाया 32 लॉटों में अस्वीकरण 15 और 100 प्रतिशत के बीच था। धा ई फै ने शुरू के कुछ लॉटों में असाधारण अस्वीकरण पाए जाने के बाद भी इसके कारणों का पता लगाने के लिए तुरन्त जाँच बोर्ड का गठन नहीं किया तथा कारणों का पता लगाए बिना उत्पादन जारी रखा।

धा ई फै द्वारा जांच बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया था।

यद्यपि धा इ फै ने इस वारंट के प्रति मार्च 1994 में उत्पादन पूर्ण कर लिया था फिर भी ओ एफ बी के निदेशों के अनुसार असाधारण अस्वीकरण के कारणों का पता लगाने के लिए दिसम्बर 1997 तक जाँच बोर्ड का गठन किया जाना था।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि मामले का पता लगाने के लिए एक जाँच बोर्ड गठित किया जा रहा था।

78. आधिक्य में पड़ा कीमती माल

आयुध फैक्टरी भंडारा द्वारा घटिया पिक्राइट के उत्पादन से 1.87 करोड़ रुपए मूल्य के 846 टन डाईसियान्डियामाईड इकट्ठा हो गया

आयुध फैक्टरी (आ फै) भंडारा ने जनवरी 1990 और सितम्बर 1990 के बीच पिक्राइट के निर्माण में उपयोग में लाए जाने वाले 700 टन डाईसियान्डियामाईड (डी सी डी) को प्राप्त किया जिसके लिए कोर्डाईट फैक्टरी (को फै) अरुवनकाडु ने, जो तिहरे आधार वाले प्रोपेलेन्ट के निर्माण में पिक्राइट का उपयोग करती थी, आ फै भंडारा पर मांग रखी थी। इसके अतिरिक्त 360 टन डी सी डी का सितम्बर 1990 तक आ फै भंडारा में सुरक्षित भंडार था।

डी सी डी का उपयोग करके पिक्राइट के घटिया उत्पादन के कारण आ फै भंडारा में 1.87 करोड़ रुपए मूल्य का डी सी डी रखा था।

क्योंकि को फै अरुवनकाडु द्वारा आ फै भंडारा से प्राप्त पिक्राइट का इस्तेमाल करके निर्मित प्रोपेलेन्ट वांछित परिमापों के अनुसार नहीं थी अतः को फै अरुवनकाडु ने आ फै भंडारा पर रखी गई मांग को समयपूर्व बन्द करने के लिए ओ एफ बी से निवेदन किया। इसके अतिरिक्त को फै अरुवनकाडु ने ओ एफ बी से आयुध फैक्टरी (आ फै) इटारसी पर, जिसका पिक्राइट सन्तोषजनक पाया गया था, पिक्राइट की मांग रखने का निवेदन किया। अगस्त 1997 तक पिक्राइट के उत्पादन में केवल 213.78 टन डी सी डी का इस्तेमाल किया जा सका व आ फै भंडारा के पास 1.87 करोड़ रुपए मूल्य का 846.217 टन आधिक्य भंडार था जो आ फै भंडारा द्वारा उत्पादित पिक्राइट का उपभोक्ता फैक्टरी द्वारा सन्तोषजनक नहीं पाए जाने के कारण हुआ।

ओ एफ बी ने अगस्त 1997 में कहा कि 105 मि मी गोलाबारूद की उपभोक्ताओं की आवश्यकता में कमी होने के कारण आ फै भंडारा में डी सी डी का आधिक्य हुआ। ओ एफ बी का यह तर्क ठीक नहीं है क्योंकि

तिहरे आधार प्रोपेलेन्ट के उत्पादन के लिए पिक्राइट एक आवश्यक संघटक है जो केवल 105 मि मी गोलाबारूद के लिए ही नहीं बल्कि इसकी कई बड़ी तोपों जैसे 105 मि मी, 125 मि मी, 130 मि मी आदि के गोलाबारूद के लिए भी आवश्यकता है।

इस तरह घटिया पिक्राइट के उत्पादन के कारण आ फै भंडारा के पास अगस्त 1997 तक 1.87 करोड़ रुपए मूल्य के डी सी डी का भंडार था।

मामला अप्रैल 1997 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

79. दोषपूर्ण संसाधन के कारण आधारों का अस्वीकरण

आयुध फैक्टरी (आ फै) अम्बाझारी द्वारा खोलों के दोषपूर्ण संसाधन के कारण 22.16 लाख रुपए मूल्य के 2000 आधारों का अस्वीकरण हुआ

22.16 लाख रुपए मूल्य के 2000 आधार, प्रूफ परीक्षण में असफल हो गए।

आयुध फैक्टरी (आ फै) अम्बाझारी ने एक टैंक के गोलाबारूद के आधार के निर्माण हेतु दिसम्बर 1994 और अप्रैल 1996 के बीच 1.07 करोड़ रुपए लागत पर 40000 खोलों का आयात किया। उन्होंने एक ही परेषण में प्राप्त 10000 खोलों को उपयोग में लाते हुए 1995-96 के दौरान चार लॉटों में 8000 आधारों का निर्माण किया। इनमें से 22.16 लाख रुपए मूल्य के 2000 आधारों का एक लॉट गन से आधार के निष्कास के दौरान ऊपरी सतह कटने के कारण गतिशील प्रूफ परीक्षण में असफल हो गया। लाट को अगस्त 1996 में अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दिया गया।

दोष संसाधन के दौरान हुए।

जी एम आ फै अम्बाझारी ने नवम्बर 1997 में बताया कि दोषपूर्ण संसाधान के कारण अस्वीकरण हुए। उसने आगे कहा कि अस्वीकृत कारतूस

खोलों का परिशोधन किया जा रहा था तथा परिशोधन पूर्ण होने पर कारतूस खोलों का पुनः नया प्रूफ परीक्षण होगा जिसमें उनके सफल होने की आशा है।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में कहा कि 2000 आधारों की पुनः जांच व नए प्रूफ परीक्षण के लिए वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना, नागपुर से बातचीत चल रही थी।

इस तरह मामले से ज्ञात होता है कि आ फै अम्बाझारी द्वारा खोलों के दोषपूर्ण संसाधन के परिणामस्वरूप 22.16 लाख रुपए मूल्य के 2000 आधारों का निर्माण और तदोपरान्त उनका अस्वीकरण हुआ।

भंडार एवं मशीनरी का प्रावधान

भंडार

80. उच्चतर कीमतों पर भंडारों की अधिप्राप्ति

आयुध फैक्टरी (आ फै) अम्बरनाथ और ओ एफ बी ने उच्चतर कीमतों पर भंडारों की अधिप्राप्ति की जिसके परिणामस्वरूप 52.21 लाख रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ

आयुध फैक्टरी (आ फै) अम्बरनाथ व ओ एफ बी द्वारा निम्न दो मामलों में उच्चतर कीमतों पर छड़ें प्राप्त करने से 52.21 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

मामला I

आ फै अम्बरनाथ ने जनवरी 1996 में सीमा शुल्क भार निकालकर

38,117.70 रुपए प्रति टन की दर से 3000 टन जस्ते की छड़ों की आपूर्ति हेतु खनिज़ एवं धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) को एक आपूर्ति आदेश दिया। आ फै अम्बरनाथ को परेषण छुडाते समय सीमा शुल्क भार में छूट के लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना था। एम एम टी सी ने 3000 टन जस्ता छड़ों की मार्च-दिसम्बर 1996 के दौरान आपूर्ति की।

आ फै अम्बरनाथ द्वारा एच ज़ैड एल से उच्चतर दर पर जस्ते की छड़ें अधिप्राप्त करने के परिणामस्वरूप 40.32 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इसके साथ-साथ आ फै अम्बरनाथ ने 7800 रुपए सीमा शुल्क भार व 2392 रुपए बिक्री कर सम्मिलित करके 60492 रुपए प्रति टन की उच्च दर पर 164.587 टन जस्ते की छड़ों के लिए फरवरी 1996 में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच ज़ैड एल) को एक आपूर्ति आदेश दिया। एम एम टी सी को कुल कीमत की भुगतान की तुलना में एच ज़ैड एल से अधिप्राप्ति में 40.32 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ।

मामला II

दूसरे मामले में ओ एफ बी ने आ फै अम्बरनाथ व आयुध फैक्टरी अम्बाझारी के लिए एम एम टी सी पर अप्रैल 1995 में 63142 रुपए प्रति टन की दर से 2260 टन अल्यूमिनियम की छड़ों के लिए एक आपूर्ति आदेश रखा।

ओ एफ बी द्वारा नेल्को से अल्युमिनियम छड़ों की खरीद 11.89 लाख रुपए महंगी थी।

ओ एफ बी ने मई 1995 में एक संस्वीकृति जारी करके आ फै अम्बरनाथ को मेसर्स नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी से सभी कुछ सम्मिलित करके 88458 रुपए प्रति टन की उच्च दर से 100 टन छड़ें अधिप्राप्त करने को प्राधिकृत किया। इसके प्रति आ फै अम्बरनाथ ने मार्च 1996 में 11.89 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करके 98.052 टन छड़ें प्राप्त की जिसको यदि अप्रैल 1995 में आदेश देते समय 100 टन मात्रा को सम्मिलित कर लिया जाता तो टाला जा सकता था।

ओ एफ बी ने अगस्त 1997 में कहा कि एम एम टी सी से खरीद में देरी होती तथा भंडार समाप्त होने व उत्पादन में बाधा आने की स्थिति को बचाने के लिए एच ज़ैड एल और नेल्को को तुरन्त आपूर्ति के आदेश दिए

गए। ओ एफ बी यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि उन्होंने उचित आदेश स्तर को क्यों नहीं अपनाया जिससे भंडार समाप्त होने की स्थिति से बचा जा सकता था । इसके अतिरिक्त एम एम टी सी ने 628.78 टन जस्ते की छड़ों के प्रथम परेषण की आपूर्ति मार्च 1996 में ही कर दी थी तथा अल्युमिनियम छड़ों के मामले में भी अति आवश्यकता दिखाई नहीं देती क्योंकि मेसर्स नेल्को ने इनकी आपूर्ति संस्वीकृति के 10 माह अर्थात् मार्च 1996 में की थी।

मामला अप्रैल 1997 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

81. एडिटिव लाइनर्स का अधिक प्रावधान

सेना द्वारा समुचित ध्यान दिए बिना प्रोपेलेन्टों की आवश्यकता का संकेत देने के कारण उनके निर्माण में उपयोग होने वाले 19.79 लाख रुपए के 5906 एडिटिव लाइनर्स का अनुपयोगी भंडार हुआ।

एक गोलाबारूद के प्रोपेलेन्टों के उत्पादन के लिए मार्च 1992 में हुई एक बैठक में सेना द्वारा रखी गई मांग के आधार पर ओ एफ बी ने कोर्डाईट फैक्टरी (को फै) अरुवनकाडु में 9000 प्रोपेलेन्टों के उत्पादन के लिए मई-जून 1992 में एक कार्यक्रम का अनुमोदन किया। लेकिन क्योंकि सेना ने बाद में अपनी मांग को सुनिश्चित नहीं किया अतः ओ एफ बी ने मार्च 1993 में को फै अरुवनकाडु को प्रोपेलेन्टों का उत्पादन रोकने को कहा।

को फै अरुवनकाडु ने और उत्पादन के स्थगन आदेश प्राप्त होने से पूर्व नवम्बर 1992-जनवरी 1993 के दौरान 29.82 लाख रुपए मूल्य के 8900 वीयर एडिटिव लाइनर्स पहले ही खरीद लिए थे। उन्होंने 1600 प्रोपेलेन्टों का उत्पादन 657 लाइनर्स नई खरीद से तथा 1520 विद्यमान भंडार से इस्तमाल

करके किया। को फै अरुवनकाडु ने बकाया 8243 लाइनर्स में से 2337 लाइनर्स का अगस्त 1997 तक उपयोग कर लिया था तथा 19.79 लाख रुपए के 5906 लाइनर्स अनुपयोगित शेष रह गए।

इस तरह सेना द्वारा मार्च 1992 की बैठक में समुचित ध्यान दिए बिना मांग रखने के कारण 19.79 लाख रुपए मूल्य के 5906 लाइनर्स साढ़े चार वर्षों से भंडार में अनुपयोगित रखे हैं व जिनकी तत्काल उपयोग में लाए जाने की सम्भावना नहीं थी।

मामला मई 1997 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

82. आयातित डिले एलिमैन्ट के अस्वीकरण के कारण हानि

आयुध फैक्टरी खमरिया ने 155 मि मी तोप के गोलाबारूद के फ्यूज़ के निर्माण हेतु अग्रिम नमूने का परीक्षण या निर्गमपूर्व परीक्षण के बिना ही एक विदेशी फर्म से फरवरी 1994 में 29.63 लाख रुपए मूल्य के 40,000 डिले एलिमैन्टों का आयात किया। समस्त परेषण दोषपूर्ण पाया गया जिसके परिणामस्वरूप 29.63 लाख रुपए की हानि हुई

आयुध फैक्टरी (आ फै) खमरिया ने जून 1993 में एक विदेशी फर्म को 78.21 लाख रुपए लागत के 155 मि मी गोलाबारूद के फ्यूज़ के तीन घटकों का आयात करने के लिए एक आदेश दिया।

आ फै खमरिया ने निर्गमपूर्व निरीक्षण नहीं किया।

संविदा की शर्तों के अनुसार तीनों घटकों के 100 अग्रिम नमूनों की भारत में जांच और परीक्षण के बाद थोक आपूर्ति शुरू होनी थी। ओ एफ बी ने सितम्बर 1993 में नमूनों की मंज़ूरी की प्रतीक्षा किए बिना गोलाबारूद की

तत्काल आवश्यकता और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से हवाई जहाज की स्वीकृति उपलब्ध न होने के आधार पर विदेशी फर्म को परेषण की आपूर्ति के लिए कहा। उन्होंने आपूतिकर्त्ता के परिसर में निर्गमपूर्व निरीक्षण भी नहीं करवाया।

आ फै खमरिया ने जून 1994 में आयातित डिले एलिमेन्टों को अस्वीकृत कर दिया।

आ फै खमरिया ने फरवरी 1994 में घटकों को प्राप्त किया। इनमें से 29.63 लाख रुपए मूल्य के 40,000 डिले एलिमेन्टों का समस्त परेषण दोषपूर्ण पाया गय जिसे जून 1994 में अस्वीकृत कर दिया गया। आ फै खमरिया ने जुलाई 1994 में फर्म को डिले एलिमेन्टों के अस्वीकरण के बारे में सूचित किया तथा दोषपूर्ण परेषण को बदलने का निवेदन किया। लेकिन फर्म ने जुलाई 1994 में यह कहते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया कि उनके द्वारा किया गया अन्तिम परीक्षण व निर्गमपूर्व निरीक्षण सन्तोषजनक था तथा डिले एलिमेन्ट का दूसरे कारणों से आ फै खमरिया में अस्वीकरण हुआ।

विदेशी फर्म ने अस्वीकृत डिले एलिमेन्ट को बदलने से इन्कार कर दिया।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि आ फै खमरिया ने परेषण बदलने के लिए फर्म को सात अनुस्मारक भेजे लेकिन उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। 29.63 लाख रुपए मूल्य के अस्वीकृत डिले एलिमेन्ट दिसम्बर 1997 तक आ फै खमरिया में रखे थे।

इस तरह अग्रिम नमूने के परीक्षण को छोड़ने के साथ-साथ विदेशी फर्म के परिसर में निर्गमपूर्व निरीक्ष्ण करने में असफल होने के कारण 29.63 लाख रुपए मूल्य के दोषपूर्ण डिले एलिमेन्टों की खरीद हुई।

अन्य मामले

83. लकड़ी की पेटियों पर अतिरिक्त व्यय

राईफल फैक्टरी ईशापुर ने बाज़ार से तैयार पेटियाँ खरीदने के बजाय अधबनी पेटियाँ खरीदने व उनसे पेटियाँ तैयार करने में 28.59 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय किया

रा फै ईशापुर ने फैक्टरी में 2286 रुपए प्रति लागत पर तैयार पेटियों में परिवर्तित करने हेतु 1565 रुपए प्रति की दर से अधबने पेटियाँ खरीदी।

तैयार पेटियाँ 1265 रुपए प्रति की दर से उपलब्ध थीं।

राइफल फैक्टरी (रा फै) ईशापुर ने 1993-94 से 5.56 मि मी बन्दूक का उत्पादन शुरू किया। उसने 5.56 मि मी बन्दूक की पैकिंग के लिए 1125 अधबनी लकड़ी की पेटियाँ खरीदने के लिए क्रमशः 1565 रुपए व 1430 रुपए प्रति पेटी की दर से मई व अक्तूबर 1995 में आपूर्ति आदेश दिए। इसने अधबनी पेटियों को फैक्टरी में पेटियाँ तैयार करने पर और 2286 रुपए प्रति पेटी खर्च किए जिससे प्रत्येक अधबनी पेटी से तैयार पेटी बनाने की लागत 3851 रुपए/3716 रुपए आई। इसी अवधि के दौरान रा फै ईशापुर ने 1265 रुपए प्रत्येक की दर से 3500 पेटियाँ बाज़ार से लेने के लिए जून 1995 में आदेश दिए।

रा फै ईशापुर द्वारा तैयार पेटियाँ खरीदने की तुलना में अधबनी पेटियों से पेटियां तैयार करने की कुल लागत तीन गुना थी। वास्तव में रा फै ईशापुर द्वारा खरीदी गई अधबनी पेटियों की कीमत न केवल तैयार पेटियों से अधिक थी बल्कि इन्हें फैक्टरी में तैयार करने की लागत भी बाज़ार से प्राप्त तैयार माल से 1.80 गुना अधिक थी।

रा फै ईशापुर का अधबनी पेटियों को तैयार पेटियों से अधिक कीमत पर खरीदने और पेटियाँ तैयार करने पर 2286 रुपए प्रति पेटी खर्च करने का निर्णय धन की महत्ता पर कम ध्यान देना दर्शाता है।

तैयार पेटियों की तुलना में अधबनी पेटियों की खरीद व उन्हें तैयार करने पर 28.59 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ।

1125 अधबनी पेटियों की अधिप्राप्ति तथा उन्हें फैक्टरी में तैयार करने के परिणामस्वरूप 28.59 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि तैयार पेटियों का स्त्रोत स्थापित होने पर 5.56 मि मी बन्दूक के निर्गम की रुकावट से बचने के लिए रा फै ईशापुर अधबनी पेटियाँ खरीदने के लिए बाध्य थी। मंत्रालय का यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि प्रथम दृष्टया, अधबनी लकड़ी की पेटियों की लागत तथा उन्हें तैयार करने पर उससे लगभग डेढ़ गुना अधिक लागत लगाने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अतिरिक्त 5.56 मि मी बन्दूक की उत्पादन प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी अतः जी एम, रा फै ईशापुर को तैयार पेटियां बाज़ार से प्राप्त करने के स्त्रोत के पता लगाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए थी।

84. कीमत में मनमानी वृद्धि

अध्यक्ष ओ एफ बी द्वारा ट्रांसमिशन असेम्बलियों और इन्टरफेस घटकों की कीमत में मनमानी वृद्धि के परिणामस्वरूप 1.76 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय

अध्यक्ष ओ एफ बी ने मई 1995 में ट्रांसमिशन असेम्बलियों के लिए अचल कीमत निर्धारित की।

अध्यक्ष ओ एफ बी ने बी एम पी की 236 ट्रांसमिशन असेम्बलियों के आपूर्ति हेतु मई 1995 में निदेशक (विपणन) बी ई एम एल , बैंगलौर से बातचीत करके 1995-96 में आपूर्ति की जाने वाली प्रथम 100 असेम्बलियाँ 11.15 लाख रुपए प्रति व 1996-97 के दौरान आपूर्ति की जाने वाली बकाया 136 असेम्बलियाँ 11.26 लाख रुपए प्रति इकाई की दर से तय की। दोनों पक्षों ने 1995-96 और 1996-97 के दौरान की जाने वाली आपूर्तियों का पिछली खरीद दर 10.14 लाख रुपए प्रति इकाई में क्रमशः 10 प्रतिशत और 11 प्रतिशत वृद्धि करके तय करने का निर्णय लिया।

बाद में उसने उसी आपूर्ति आदेश के प्रथम लॉट की कीमत में 10 प्रतिशत वृद्धि करके दूसरे लॉट की कीमत में वृद्धि की।

10 प्रतिशत की वृद्धि अन्तिम खरीद आदेश पर लागू होती थी न कि उसी खरीद आदेश की लॉटों पर।

जबकि बाद में अक्तूबर 1995 में बी ई एम एल के निवेदन पर अध्यक्ष ओ एफ बी ने 1996-97 के दौरान आपूरित की जाने वाली 136 असेम्बलियों की इकाई दर 1995-96 में आपूर्ति की जाने वाली इकाई दर 11.15 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर 11.26 लाख रुपए से 12.27 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। अध्यक्ष ओ एफ बी का उसी आपूर्ति आदेश के पहले लॉट से दूसरे लॉट में 10 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय दोषपूर्ण था क्योंकि समझौते के अनुसार इकाई दर में वृद्धि अन्तिम खरीद आदेश पर लागू होती थी जबकि 236 असेम्बलियों का एक आपूर्ति आदेश था जो थोक आपूर्ति के कारण कीमत में और कमी करना वांछित था। इसके अतिरिक्त बी ई एम एल 11.26 लाख रुपए प्रति असेम्बली की दर से पहले ही सहमत हो चुका था।

अध्यक्ष ओ एफ बी द्वारा उसी वर्ष के दौरान आपूरित के लिए दो दरों की अनुमति देने से बी ई एम एल को 1.51 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

इस तथ्य से कि बी ई एम एल ने यद्यपि 236 असेम्बलियों की आपूर्ति 1995-96 के दौरान कर दी थी फिर भी अध्यक्ष ओ एफ बी द्वारा उनमें से 136 असेम्बलियों का भुगतान 1995-96 के लिए लागू दर 11.16 लाख रुपए के बजाय 12.27 लाख रुपए की दर से किया जाना मामलों को और गम्भीर बनाता है। अध्यक्ष ओ एफ बी के इस अनुचित निर्णय के परिणामस्वरूप 1.51 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा यह ध्यान में लाए जाने के बाद आयुध फैक्टरी मेडक ने 136 असेम्बलियों की कीमत में वृद्धि की औचित्यता का मामला ओ एफ बी को भेज दिया।

केवल 7 असेम्बलियों के बजाय सभी असेम्बलियों का परीक्षण खर्च स्वीकार करने से 22.90 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

इसके अतिरिक्त मई 1995 के मूल समझौते के अनुसार दोनों पक्षों ने यह निर्णय लिया था कि बी ई एम एल प्रथम लॉट की केवल तीन व दूसरे लॉट की चार इकाइयों का 10,000 रुपए प्रति इकाई की दर से भार परीक्षण करेगा। जबकि अध्यक्ष ओ एफ बी ने सभी 236 असेम्बलियों के परीक्षण खर्च को मान लिया। इससे 229 असेम्बलियों के 22.90 लाख रुपए के परीक्षण खर्च का अधिक भुगतान करना पड़ा जबकि मूल आदेश के अनुसार इनका परीक्षण आवश्यक नहीं था।

ओ एफ बी ने ट्रांसमिशन असेम्बलियों के साथ 236 इन्टरफेस घटकों के लिए भी बी ई एम एल पर आपूर्ति आदेश रखा था। अन्तिम खरीद

मूल्य पर 10 प्रतिशत वृद्धि के उसी तर्क पर ओ एफ बी ने 1995-96 के दौरान आपूर्ति की जाने वाली 100 इकाइयों के बी ई एम एल द्वारा सहमत 19800 रुपए प्रति इकाई दर के स्थान पर 21780 रुपए प्रत्येक की दर पर 136 इन्टरफेस घटकों के लिए भुगतान किया। बी ई एम एल ने 136 इन्टरफेस घटकों की आपूर्ति भी ट्रांसमिशन असेम्बलियों के साथ 1995-96 के दौरान ही कर दी थी। इसके परिणामस्वरूप 2.69 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर मंत्रालय 1.51 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सहमत हो गया।

मंत्रालय ने सितम्बर 1997 में बताया कि बी ई एम एल को उनके लम्बित बिलों से 1.51 करोड़ रुपए की वसूली के निर्णय से अवगत करा दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि केवल 7 ट्रांसमिशन असेम्बलियों का ही लोड परीक्षण किया गया था तथा 23.60 लाख रुपए के परीक्षण के भार का वितरण सम्पूर्ण आदेशित मात्रा पर कर दिया गया था। लोड परीक्षण भार के बारे में मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल 7 असेम्बलियों का 10000 रुपए प्रति की दर से परीक्षण किया जाना था जिसके लिए फर्म को केवल 0.70 लाख रुपए का भुगतान होना था।

इस तरह अध्यक्ष ओ एफ बी द्वारा ट्रांसमिशन असेम्बलियों व इन्टर्फेस घटकों की कीमत में मनमानी वृद्धि करने से 1.76 करोड़ रुपए के अधिक खर्च का भार पड़ा जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर 1.51 करोड़ रुपए की वसूली करने का प्रस्ताव था।

85. निष्फल व्यय

सी क्यू ए (ओ एफ वी) जबलपुर द्वारा शक्तिमान वाहनों के लिए उपस्कर के थोक उत्पादन की अनुमति देने में लापरवाही करने, जी एम, वी एफ जे द्वारा फर्म की क्षमता की परख करने से पूर्व आपूर्ति आदेश रखने तथा क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा लापरवाहीपूर्ण निरीक्षण के परिणामस्वरूप 26.57 लाख रुपए का निष्फल व्यय

ज़ी एम, वी एफ जे ने गरोब्रेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली पर 6800 रुपए प्रति सैट की दर से शक्तिमान वाहन के लिए 300 ब्रेक एक्ट्यूएशन उपस्करों की जनवरी 1988 तक आपूर्ति हेतु अगस्त 1986 में एक विकास आदेश रखा। फर्म ने मार्च 1989 में दो नमूनों की आपूर्ति की । इनमें से एक को कुछ संशोधनों के बाद परीक्षण करके सी क्यू ए (ओ एफ वी) जबलपुर ने स्वीकार कर लिया और इसके बाद उसने फरवरी 1990 में 50 सैटों के एक अग्रगामी बैच के उत्पादन की अनुमति दे दी।

वी एफ जे ने अग्रगामी बैच के उत्पादन का इंतज़ार किए बिना दो आपूर्ति आदेश और दिए।

जी एम, वी एफ जे ने 50 सैटों के उत्पादित अग्रगामी बैच के कार्य निष्पादन के परिणामों का इन्तज़ार किए बिना फर्म पर नवम्बर 1989 और जनवरी 1991 में क्रमशः 1400 और 1500 सैटों की आपूर्ति हेतु दो और आपूर्ति आदेश रखे। 50 सैटों के अग्रगामी बैच के आदेश के प्रति फर्म ने अप्रैल 1991 में 25 सैटों की आपूर्ति की। इन सैटों को फरवरी 1992 में वाहनों में लगाने से पूर्व दोषों को दूर करने की आवश्यकता पड़ी।

सी क्यू ए (ओ एफ वी) जबलपुर ने थोक उत्पादन की अनुमति दी जबकि वी एफ जे फर्म की क्षमता से आंशिक विश्वास खो चुकी थी।

अगस्त 1986 के 300 सैटों की आदेश के प्रति 50 सैटों के अग्रगामी बैच में से बकाया 25 सैटों का परीक्षण करके पहले यह सुनिश्चित किए बिना कि फर्म दोषरहित निर्माण करने में सक्षम थी, सी क्यू ए (ओ एफ वी) जबलपुर ने मार्च 1992 में थोक उत्पादन की अनुमति दे दी जबकि लगभग उसी समय जी एम, वी एफ जे ने फर्म की संदेहास्पद क्षमता के कारण जनवरी 1991 के 1500 सैटों के आपूर्ति आदेश को रद्द कर दिया।

फर्म ने अगस्त 1986 के 300 सैटों के आपूर्ति आदेश के प्रति

क्षेत्रीय निरीक्षक ने दोषपूर्ण सैटों को स्वीकार किया।

बकाया 275 सैटों की आपूर्ति सितम्बर और नवम्बर 1992 के दौरान की। इनको क्षेत्रीय निरीक्षक ने निरीक्षित व स्वीकार किया। इनमें से पाँच सैटों को जनवरी 1993 में फर्म के प्रतिनिधि के उपस्थिति में लगाया गया जिनमें फर्म द्वारा कुछ सुधारों की आवश्यकता थी।

वी एफ जे ने बकाया 270 सैटों में से 42 सैटों को फर्म के प्रतिनिधि के उपस्थिति के बिना मार्च 1993 में लगाया और उनकी उपयुक्तता में अनेकों दोष पाए। जी एम, वी एफ जे ने दोषरहित सैटों की आपूर्ति में फर्म की अयोग्यता को देखते हुए सितम्बर 1993 में नवम्बर 1989 के 1400 सैटों के आपूर्ति आदेश को रद्ध कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने 30 सैटों की स्वीकृति के साथ जिनमें 25 सैट अग्रगामी नमूने के तथा पाँच सैट जो क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा सुधारों के पश्चात् स्वीकार कर लिए गए थे शामिल थे अगस्त 1986 के 300 सैटों के आपूर्ति आदेश को समयपूर्व जनवरी 1994 में बन्द कर दिया।

फर्म द्वारा आपूरित 100 सैट क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट अवधि के बाद अस्वीकृत किए गए।

इसी दौरान फर्म ने मार्च 1989 के आपूर्ति आदेश के प्रति मार्च 1993 में 100 सैटों की आपूर्ति की जिन्हें क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट 60 दिन के बजाय 6 माह बाद अगस्त 1993 में अस्वीकृत किया गया। वी एफ जे ने फर्म को अगस्त 1986 के आपूर्ति आदेश के प्रति आपूरित ब्रेक प्रणाली के 270 अस्वीकृत सैटों के लिए भुगतान किए गए 18.12 लाख रुपए वापिस करने के निर्देश अक्तूबर 1993 में दिए तथा क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा अस्वीकृत नवम्बर 1989 के आपूर्ति आदेश के प्रति आपूरित 100 सैटों की लागत से सम्बन्धित 8.45 लाख रुपए फर्म का बिल वापस कर दिया।

फर्म ने वी एफ जे द्वारा आदेशों को रद्ध/समयपूर्व बन्द करने के निर्णय का विरोध किया तथा यह कहते हुए 18.12 लाख रुपए वापस करने से इन्कार कर दिया कि अगस्त 1986 के आदेश के प्रति आपूरित 300 ब्रेक प्रणालियों को क्षेत्रीय निरीक्षक ने स्वीकार कर लिया था तथा नवम्बर 1989 के आदेश के प्रति आपूरित 100 ब्रेक प्रणालियों का अस्वीकरण 60 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के बाद सूचित किया गया था।

मामला अप्रैल 1994 में मध्यस्थ को दिया गया था। मध्यस्थ ने जून 1995 में कहा कि फर्म को उस निरीक्षक जिसने इन 270 सैटों को स्वीकार किया था कि उपस्थिति में वाहनों में लगाना चाहिए। दूसरे 100 सैटों के लिए मध्यस्थ ने फर्म को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये वाहनों पर लगाए जाएं। फरवरी 1996 में जिला न्यायालय, जबलपुर ने मध्यस्थ के पंचाट की पुष्टि की तथा वी एफ जे को नवम्बर 1989 के आदेश के प्रति आपूरित 100 ब्रेक प्रणालियों की लागत के 8.45 लाख रुपए ब्याज सहित फर्म को भुगतान करने की सलाह दी। वी एफ जे ने फर्म को मार्च 1996 में 8.45 लाख रुपए का भुगतान किया तथा सितम्बर 1997 तक 26.57 लाख रुपए मूल्य की 370 दोषपूर्ण ब्रेक प्रणाली रखी हुई थी।

ओ एफ बी ने जुलाई 1997 में कहा कि थोक निर्माण की अनुमति सन्तोषजनक लगाए जाने पर परीक्षण चालन को देखते हुए दी गई थी। लेकिन मंत्रालय ने 1997 में कहा कि ओ एफ बी को उन परिस्थितियों जिनमें थोक निर्माण की अनुमति दी गई थी तथा नवम्बर 1989 और जनवरी 1991 में दो आपूर्ति आदेश रखे गए थे कि जांच करने की सलाह दी गई थी।

इस तरह सी क्यू ए (ओ एफ वी) जबलपुर द्वारा थोक निर्माण की अनुमति दिए जाने, जी एम, वी एफ जे द्वारा फर्म की क्षमता स्थापित होने से पूर्व आपूर्ति आदेश देने, जी एम, वी एफ जे और सी क्यू ए के बीच समन्वय की कमी और क्षेत्रीय निरीक्षक की लापरवाही के परिणामस्वरूप वी एफ जे के पास 26.57 लाख रुपए मूल्य के 370 दोषपूर्ण सैट रखे हुए थे।

86. जी एम, फील्ड गन फैक्टरी कानपुर द्वारा अनधिकृत व्यय

जी एम, फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर ने तथ्यों को गलत उजागर करके एवं अपनी वित्तीय शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन करके 2.53 करोड़ रुपए की दो नई भट्टियों को अधिस्थापित किया

जी एम, फील्ड गन फैक्टरी कानपुर (फी ग फै) ने 1.52 करोड़ रुपए लागत के 11 भट्टियों के घटकों की आपूर्ति हेतु जून 1993 में मेसर्स जी ई सी अलस्थोम पर आपूर्ति आदेश रखा। उपस्कर के घटक अक्तूबर 1993 के दौरान प्राप्त हो गए थे। जी एम, फी ग फै ने अक्तूबर 1993 से जुलाई 1995 के दौरान इनके अधिस्थापन, प्रचालन व सिविल कार्यों पर 1.01 करोड़ रुपए और खर्च किए। इस कार्य कलाप की संवीक्षा से निम्न पता चलाः

जी एम, फी ग फै ने अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अन्दर घटकों की खरीद नहीं की।

(i) जी एम के पास पूंजीगत निवेश के लिए कोई वित्तीय शक्ति उपलब्ध नहीं होती है। फिर भी उसने 1.52 करोड़ रुपए मूल्य के उपस्कर के लिए आपूर्ति आदेश दिया जो दूसरे मदों के बारे में उसके वित्तीय शक्तियों की अधिकतम सीमा से 15 गुना अधिक था।

जी एम ने उत्पादक भट्टियों को जोड़ने के लिए घटकों की खरीद की तथा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर उन्हें घटकों को बदलना बताया।

(ii) जी एम ने तथ्यों को इस हद तक तोड़ा-मरोड़ा कि वह बिजली के उप साधनों के मुख्य अव्यवों की विचारणीय टूट फूट के कारण विभिन्न बिजली के उपसाधनों और भट्टियों को बदलने के लिए उपस्कर के 11 घटकों के लिए आपूर्ति आदेश देता। लेखापरीक्षा में संवीक्षा से पता चला कि वास्तव में उपस्कर के 11 घटक, उपस्कर के टूटे भागों को बदलने के लिए नहीं थे बल्कि वे 1000 टन क्षमता की दो नई उत्पादक भट्टियों को जोड़कर बनाने के लिए नई अधिप्राप्तियां थी।

सिविल व्यापार आदेशों के प्रति क्षमता का विस्तार मंत्रालय के निर्देशों के विरुद्ध था।

(iii) जी एम की अध्यक्षता में हुई फैक्टरी की टी पी सी स्तर - I की सभा में जिसमें उत्पादक भट्टियों के 11 घटकों की अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया था इसका मुख्य कारण यह दर्शाया गया था कि वे 20 करोड़ रुपए से अधिक के लम्बित सिविल व्यापार आदेशों को निपटाने की स्थिति में हो जाएंगे। जी एम का निर्णय आयुध फैक्टरियों के सिविल व्यापार के लिए मंत्रालयों के आदेश के विरुद्ध था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि आयुध फैक्टरियों की केवल अतिरिक्त फालतू क्षमता का सिविल व्यापार के लिए उपयोग किया जाएगा।

जी ई सी के स्वामित्व वाली मदें मानने से प्रतिस्पर्धा और कीमतें कम होने के अवसर समयपूर्व बन्द हो गए।

(iv) जी एम ने मेसर्स जी ई सी अलस्थोम से उपस्कर उनके स्वामित्व वाले मद पर इस तर्क के साथ खरीदे कि फैक्टरी में विद्यमान 20 टन की आर्क भट्टियां जी ई सी द्वारा निर्मित थी। उसका यह तर्क दोषपूर्ण था क्योंकि उसके द्वारा 1993 में खरीदे गए उपस्कर के घटक वास्तव में उत्पादक भट्टियों के अव्यव थे। इस तरह जी एम के दोषपूर्ण तर्क ने प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने तथा उससे कीमतें कम होने के विकल्प को समयपूर्व बन्द कर दिया।

क्षमता वृद्धि के उपरान्त भी 1996-97 के दौरान उत्पादन में गिरावट आई।

(v) जुलाई 1995 के बाद के उत्पादन की अनुवर्ती संवीक्षा, जब दो नई उत्पादक भट्टियों को प्रचालित कर दिया गया था, से पता चला कि फी ग फै ने पिछले दो वर्षों के दौरान 6281 टन और 6498 टन छड़ों के उत्पादन की तुलना में 1995-96 में 8078 टन छड़ों का उत्पादन किया जब उनके पास केवल 20 टन आर्क भट्टियों की क्षमता थी। जबकि 1996-97 के दौरान दो उत्पादक भट्टियां प्रचालित करने के साथ .2000 टन की अतिरिक्त क्षमता होने के उपरान्त भी उत्पादन अचानक गिरकर 5404 टन हो गया।

ओ एफ बी ने सितम्बर 1997 में कहा कि फी ग फै ने कम क्षमता की 20 टन के आर्क भट्टी के साथ 2000 टन की ये दो उत्पादकत्व भट्टियां लगाकर अपनी क्षमता को विद्यमान 6500 टन से बढ़ाया। लेकिन ओ एफ बी ने उत्पादन गिरने के कारण नहीं दर्शाए। ओ एफ बी ने इसके उपरान्त भी कि लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को बताए जाने के बाद जांच बोर्ड का गठन किया गया था, तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने व प्रत्यायोजित शक्तियों के अतिक्रमण के

लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कोई कार्रवाई को नहीं दर्शाया, जो स्पष्ट रूप से जी एम की चूक को दर्शाता है।

मामला अप्रैल 1997 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

87. हथगोले के अव्यवों की कमी

पहले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताए जाने के बाद भी 2.44 करोड़ रुपए मूल्य के 2.70 लाख खाली हथगोलों की कमी की छानबीन में मंत्रालय ने तीन वर्ष से अधिक का समय लिया। 49.70 लाख रुपए मूल्य के हथगोले के अव्यवों की कमी फिर जानकारी में आई

लेखापरीक्षा द्वारा 1995 में बताई गई 2.44 करोड़ रुपए लागत के हथगोलों की कमी की छानबीन अभी तक की जानी थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (थलसेना और आयुध फैक्टरियां) के 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष (1995 की संख्या 8) के प्रतिवेदन में गोलाबारूद फैक्टरी (गो बा फै) खड़की में 2.44 करोड़ रुपए की 2.70 लाख खाली हथगोलों की कमी को बताया गया था। जनवरी 1996 में मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि अस्थाई प्राप्तियों के विरुद्ध सामान के आहरण के कारण ये कमी हुई थी तथा आगे कहा कि मामले की छानबीन के लिए एक जांच बोर्ड का गठन किया गया था। जांच बोर्ड की रिपोर्ट दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थी।

गो बा फै खड़की में 1994 और 1996 में भण्डार सत्यापन के दौरान 49.70 लाख रुपए मूल्य के हथगोले के अव्यवों की कमी का पता लगा।

गो बा फै खड़की ने मार्च 1994 व मार्च 1996 में किए गए भंडार सत्यापन रिपोर्ट की जांच से यह पाया गया कि हथगोले के 49.70 लाख रुपए मूल्य के चार अव्यवों बेस प्लग, स्ट्राइकर, रिटेनिंग पिन और रिंग तथा सेन्टर पीस की अतिरिक्त कमियों का भंडार सत्यापन से पता चला था । जी एम, गो बा फै खड़की व ओ एफ बी ने मंत्रालय के पूर्व कथन को दोहराया कि ये कमी वास्तविक नहीं है तथा अव्यवों के अस्थायी आहरण के कारण हुई

थी जिनकी जांच बोर्ड प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिए जाने तक बिन कार्डों में प्रविष्टियां नहीं की गई थी।

गो बा फै खड़की में व्यवहार में लाई जा रही प्रणाली से संवेदनशील सामानों की सुरक्षा के बारे में प्रश्न चिन्ह उठता है। प्रथम तो अस्थाई प्राप्तियों पर अव्यवों के आहरण का औचित्य ही नहीं हो सकता। दूसरे भंडार सत्यापना प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताए जाने के बाद भी छानबीन में अधिक समय लिया गया तथा छानबीन पूरी होने तक अस्थाई प्राप्तियों पर और आहरण की आवश्यकता को प्रतिस्थापित किया। यदि अव्यवों के भंडार से उचित मांग-पत्र पर आहरण के साथ-साथ बिन कार्डों में प्रविष्टी स्वीकार करने की उनकी बाध्यता को मान लिया जाए तो ओ एफ बी मामले को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि कमियां होने तथा कमियों के छानबीन करने के बीच हमेशा ही अंतराल होगा।

ऐसे संवेदनशील अव्यवों का अस्थाई प्राप्तियों पर इस प्रकार आहरण तथा भंडार सत्यापना में भारी कमियों का पता चलने से पूरे मामले की एक स्वतन्त्र छानबीन होनी चाहिए।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में कहा कि छानबीन पूरी होने पर ही वास्तविक स्थिति ज्ञात होगी।

88. निर्यात आदेश में हानि

ओ एफ बी द्वारा एक गोलाबारूद के खोलों के निर्यात में 84.06 लाख रुपए की वास्तविक उत्पादन लागत के विरुद्ध 28.57 लाख रुपए की शुद्ध प्राप्ति के फलस्वरूप 55.49 लाख रुपए की हानि

ओ एफ बी ने आयुध फैक्टरियों द्वारा निर्यात के लिए 0.105 मिलियन अमरीकन डॉलर (33.13 लाख रुपए) लागत के एक

गोलाबारूद के 6 लाख खाली कारतूसों की आपूर्ति हेतु एक विदेशी फर्म से जून 1994 में एक ठेका किया।

गोलाबारूद फैक्टरी (गो बा फै) खड़की ने खोलों एवं पैकिंग पेटियों का निर्माण किया। आयुध फैक्टरी (आ फै) वारांगांव ने अगस्त 1994 में 6.05 लाख खोलों की पैकिंग की एवं पेटियों में बांधकर विदेशी फर्म को आपूर्ति की।

ओ एफ बी को निर्यात आदेश के निष्पादन में 55.49 लाख रुपए की हानि हुई।

गो बा फै खड़की के कागज़ातों की जांच से मालूम हुआ कि गो बा फै खड़की में 6.05 लाख खोलों व पैकिंग पेटियों के निर्माण की लागत 71.99 लाख रुपए थी तथा आ फै वारांगांव में इनकी पैकिंग करने व पेटियों में बांधने पर 12.07 लाख रुपए लागत आई। इस तरह 84.06 लाख रुपए की वार्षिक लागत के प्रति निर्यात से केवल 28.57 लाख रुपए की शुद्ध वसूली हुई और इसके फलस्वरूप ओ एफ बी को सिविल व्यापार करने में 55.49 लाख रुपए की हानि हुई।

ओ एफ बी को पूरे सामान व ऊर्जा पर 0.78 रुपए प्रति इकाई अधिक वसूलने का दावा ठीक नहीं था।

ओ एफ बी ने नवम्बर 1997 में कहा कि मंत्रालय के सीमान्त लागत पर कार्य निष्पादन के अक्तूबर 1992 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर निर्यात आदेशों का निष्पादन किया गया था जिसमें प्रत्यक्ष सामान एवं ऊर्जा की कुछ अधिक मात्रा के साथ पूरी तरह वसूला गया। बोर्ड ने आगे कहा कि मूल्य निर्धारण के बारे में मंत्रालय के उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों के कारण ओ एफ बी पूरे सामान व ऊर्जा लागत पर 0.78 रुपए प्रति इकाई की दर से अधिक वसूल कर सका और इस तरह निर्यात आदेश के निष्पादन में कोई हानि नहीं हुई।

ओ एफ बी का उत्तर ठीक नहीं है चूंकि अकेले गो बा फै खड़की में खाली कारतूसों और पैकिंग पेटियों पर 44.15 लाख रुपए की लागत आई थी तथा ओ एफ वी में सामान तथा ऊर्जा की लागत 10.20 लाख रुपए थी।

इस तरह ओ एफ बी सामान व ऊर्जा की प्रत्यक्ष आवर्ती लागत

54.35 लाख रुपए के प्रति केवल 28.57 लाख रुपए ही वसूल कर सका जिसके परिणामस्वरूप 25.78 लाख रुपए की हानि हुई जो मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों का अतिक्रमण था।

मामला जून 1997 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

89. सिविल व्यापार में हानि

मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ का सिविल व्यापार के मूल्य उद्धृत करने में ओ एफ बी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में असफल होने के कारण आंकलनों पर आधारित 54 लाख रुपए की हानि

ओ एफ बी ने आयुध फैक्टरियों के महाप्रबन्धकों को सिविल व्यापार के लिए सामान, श्रम एवं 30 प्रतिशत परिवर्ती ऊपरी व्यय की अनुमानित लागत पर कम से कम मूल्य उद्धृत करने के लिए प्राधिकृत किया था।

एयर इंडिया और चित्तरन्जन लोको वर्क्स बर्द्धवान द्वारा मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ को 1995 में दिए गए 6 आपूर्ति आदेशों की नमूना जांच से मालूम हुआ कि उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अतिक्रमण के कारण फैक्टरी को 54 लाख रुपए की हानि उठानी पड़ी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

मद का नाम	आपूर्ति आदेश की तिथि	मात्रा	अनुमानित श्रम	अनुमानित सामान	30 प्रति-शत परिवर्ती उपरिव्यय	ओ एफ बी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कीमत	उद्धृत मूल्यों पर आधारित वसूली	प्रति इकाई हानि	कुल हानि
				(लाख रुपयों में)					
एयर इंडिया									
कन्टेनर डालीज़	31 मार्च 1995	10	0.26	0.35	0.18	0.79	0.37	0.42	4.2
सामान की ट्रालियाँ	23 मार्च 1995	10	0.17	1.11	0.12	1.40	0.24	1.16	11.6
पैलेट डालीज़	01 जून 1995	13	0.13	1.80	0.09	2.02	0.44	1.58	20.5
चित्तरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स									
गियर व्हील 64 टी	27 मार्च 1995	30	0.06	0.42	0.05	0.53	0.32	0.21	6.3
गियर व्हील 65 टी	21 फरवरी 1995	40	0.06	0.42	0.05	0.53	0.39	0.14	5.6
पीनियन 16 टी	21 फरवरी 1995	40	0.03	0.04	0.03	0.11	0.05	0.06	2.4

पीनियन 18 टी	8 फरवरी 1995	60	0.03	0.04	0.03	0.09	0.03	0.06	3.6
कुल									54.20

सितम्बर 1997 तक आपूर्तित कन्टेनर डालीज़ और सामान की ट्रालियाँ (प्रत्येक चार) और एक प्लेट डालीज़ के सामान और श्रम की वास्तविक लागत के आधार पर और अधिक हानि होने की सम्भावना है क्योंकि सामान व श्रम की वास्तविक लागत अनुमानित लागत से अधिक थी।

मामला जून 1997 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर नवम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

90. अनुपयोगित आधिक्य भंडार

जी एम, आयुध फैक्टरी त्रिची ने ओ एफ बी के आदेशों का पालन न करते हुए राइफल फैक्टरी (रा फै) ईशापुर द्वारा भेजा गया 7.62 मि मी बन्दूक में काम आने वाला 110 टन सामान वापस किया। 2 लाख रुपए के व्यर्थ भाड़े के अतिरिक्त रा फै ईशापुर द्वारा 7.62 मि मी बन्दूक का उत्पादन बन्द कर देने से सामान का उपयोग में लाया जाना भी संदिग्ध है

7.62 मि मी बन्दूक का उत्पादन बन्द कर देने पर रा फै ईशापुर में मई 1994 में 350 टन भंडार आधिक्य हो गया। जी एम, रा फै ईशापुर ओ एफ बी की अनुमति से एवं गुणवत्ता नियंत्रकों द्वारा परीक्षण के उपरान्त 235 टन आधिक्य भंडारों को मार्च और जुलाई 1995 के बीच आयुध फैक्टरी त्रिची को निर्गमित किया जहाँ इस शस्त्र का उत्पादन जारी था।

ओ एफ बी के दिशा निर्देशों का अनुपालन न करते हुए जी एम,

आ फै त्रिची ने आधिक्य सामान को दोषपूर्ण पाया तथा इसे रा फै ईशापुर को वापस कर दिया।

आयुध फैक्टरी त्रिची ने 51.11 लाख रुपए मूल्य का 110 टन सामान इस आधार पर कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, अगस्त 1995 में अस्वीकृत करके वापस भेज दिया। रा फै ईशापुर में इसके उपयोग की सम्भावना नहीं थी, इसलिए इसके आयुध फैक्टरी त्रिची को भेजने पर 2 लाख रुपए और तदोपरान्त इसे वापस करने के व्यय के अतिरिक्त चढ़ाने/उतारने की श्रम लागत निष्फल हो गई। यदि आयुध फैक्टरी त्रिची को सामान की आवश्यकता नहीं थी तो इसे रा फै ईशापुर को वापस करने के बजाय इसके निपटान के लिए कार्रवाई की जा सकती थी।

131.41 लाख रुपए के आधिक्य भंडारों का अनुपयोगित रखा होना।

रा फै ईशापुर ने मार्च 1997 में बताया कि वापस किए गए सामान में से 20 टन को उपयोग में लाया जा चुका था तथा 131.41 लाख रुपए का 205.83 टन आधिक्य सामान जिसमें 90 टन वापस किया गया सामान भी सम्मिलित है, के निपटान की कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी।

ओ एफ बी ने नवम्बर 1997 में कहा कि आयुध फैक्टरी त्रिची द्वारा सामान का अस्वीकरण वास्तविक परीक्षण और जांच पर आधारित नहीं था। जबकि ओ एफ बी ने यह नहीं बताया कि जी एम, आयुध फैक्टरी त्रिची द्वारा भंडारों की अनधिकृत वापसी और इस तरह की कार्रवाई से सरकार को हुई वित्तीय हानि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की गई।

इस तरह जी एम, आयुध फैक्टरी त्रिची द्वारा भंडारों को वापस करने के परिणामस्वरूप न केवल भाड़े आदि पर 2 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ बल्कि रा फै ईशापुर में 7.62 मि मी बन्दूक का उत्पादन बन्द होने को देखते हुए इसके वैकल्पिक उपयोग का रास्ता भी बन्द हो गया।

मामला जून 1997 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

91. लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के बार-बार के निर्देशों/ सिफारिशों के बावजूद मंत्रालय ने 104 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई सुधारात्मक/ संशोधनात्मक कार्रवाई की टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए सभी विभिन्न मुद्दों पर कार्यकारणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए पी ए सी ने 1982 में निर्णय लिया कि मंत्रालयों/विभागों को प्रतिवेदन के सभी पैराग्राफों पर उपचारात्मक/संशोधनात्मक कार्रवाई टिप्पणियां भेजनी चाहिए।

पी ए सी ने 1995 तक की सभी लम्बित कार्रवाई टिप्पणियां तीन माह में प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई टिप्पणियों को निर्धारित समय में भेजने में अत्यधिक विलम्ब और लगातार असफलता को समिति ने गम्भीरता से लिया था। 22 अप्रैल 1997 को अपना नौवां प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) संसद में रखते हुए पी ए सी ने मार्च 1995 को समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कार्रवाई टिप्पणियां तीन माह में पूरी करके प्रस्तुत करने की इच्छा ज़ाहिर की तथा 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष और बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर कार्रवाई टिप्पणियां लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित कराके प्रतिवेदन को संसद में रखने की चार माह के अन्दर प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

1995-96 से कार्रवाई टिप्पणियां, प्रतिवेदन के सदन पटल पर रखने के चार माह में प्रस्तुत की जानी है।

दिसम्बर 1997 तक आयुध फैक्टरियों से सम्बन्धित बकाया कार्रवाई टिप्पणियों की समीक्षा से यह ज्ञात हुआः

मंत्रालय मार्च 1995 को समाप्त वर्ष तक के प्रतिवेदनों के 71 पैराग्राफों पर कार्रवाई टिप्पणियां पी ए सी को प्रस्तुत करने में असफल रहा।

- मंत्रालय मार्च 1995 को समाप्त वर्ष तक परिशिष्ट - III में दिखाए गए 71 पैराग्राफों की कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करने में असफल रहा। इनमें से 27 पैराग्राफ मार्च 1993 को समाप्त वर्ष तक के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित हैं।
- यद्यपि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 20 मार्च 1997 को संसद के पटल पर रख दिया गया था और कार्रवाई

मंत्रालय ने मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन के 35 में से 33 पैराग्राफों की कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की।

टिप्पणियां प्रस्तुत करने की चार माह की अवधि जुलाई 1997 में समाप्त हो गई थी, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित 35 में से 33 पैराग्राफों, जिनका विवरण परिशिष्ट - IV में दिया गया है पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की।

लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों की स्थिति जून 1997 में मंत्रालय को बतायी गई थी; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

92. प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों की अनुक्रिया

पी ए सी की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए सुझाए गए प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के उत्तर छः सप्ताह में भेजने के निर्देश जारी किए थे। प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफ हमेशा सम्बन्धित लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों/अशासकीय टिप्पणियों द्वारा भेजा जाता है। जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह में उत्तर भेजने की प्रार्थना की जाती है। मंत्रालयों से उत्तर नहीं प्राप्त होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक ऐसे पैराग्राफ के अन्त में अनवरत दर्शाया जाता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं के मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन (1998 की संख्या 7) में सम्मिलित करने के लिए सुझाए गए प्रारूप पैराग्राफों को अशासकीय टिप्पणियों द्वारा अप्रैल 1997 और दिसम्बर 1997 के बीच सचिव, रक्षा उत्पादन व आपूर्ति विभाग को भेजा गया था।

सचिव, रक्षा उत्पादन व आपूर्ति विभाग ने पी ए सी द्वारा बताए जाने

पर एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन न करते हुए नीचे दर्शाए गए 10 पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे। उन प्रारूपों में से 22 पैराग्राफों को जिनको सचिव को भेजा गया था इस प्रतिवेदन में अन्तिम रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। इनमें से 10 पैराग्राफों में सचिव का उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण उनको सम्मिलित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय/ विभाग	प्रतिवेदन में सम्मिलित मंत्रालय/विभागों पर पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनमें सचिवों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	पैराग्राफ संख्या
रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग	22	10	70, 73, 78, 80, 81 86, 88, 89, 90 और 91

सुधा राजागोपालन

(सुधा राजागोपालन)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली
दिनांक 8 मई 1998

प्रतिहस्ताक्षर

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 8 मई 1998

परिशिष्ट - I

प्रतीक्षित ए टी एन की स्थिति

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1.	संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) का वर्ष 1985-86 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	34*	कम/दोषपूर्ण आपूर्ति को प्रदर्शित करने में विलम्ब के कारण हानि
2.		69*	रक्षा साइडिंग के उपयोग हेतु प्रभारों की वसूली में विफलता
3.	1988 की संख्या 2	9*	बाज़ार से यौद्धी पोशाक का क्रय
4.		41*	विशिष्ट मोम की अधिप्राप्ति में हानि
5.	1989 की संख्या 2	11	155 मि मी पलायमान गन सिस्टम और गोलाबारूद का क्रय एवं लाइसेंस उत्पादन
6.		18*	तोपों में दोषों के परिशोधन में अकारण विलम्ब
7.		81*	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में उपस्करों के उपयोग की पुनरीक्षा
8.	1990 की संख्या 12	9*	बोफोर्स के साथ (क) 155 मि मी तोप प्रणाली के क्रय एवं लायसेन्स उत्पादन और (ख) प्रति व्यापार के लिए संविदाएं
9.		10*	एक तोप प्रणाली का प्रवर्तन एवं अप्रवर्तन
10.		15*	एक शस्त्र प्रणाली के लिए मरम्मत सुविधाएं

11.		17*	टैंक के लिए अग्नि नियन्त्रण प्रणाली का आयात
12.		19*	पुराने प्रकार के गोलाबारूद का आयात
13.		46*	राशन मद - दाल
14.		113*	विद्युत शुल्क/कर का भुगतान
15.	1991 की संख्या 8	1.7*	भण्डारों की जमा का सत्यापन न होना
16.		5*	एक टैंक के आधुनिकीकरण में विलम्ब
17.		10*	आवश्यकता से अधिक भण्डारों की अधि-प्राप्ति
18.		13*	केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा
19.		15*	मांस की एक संविदा के अनुचित निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय
20.		17*	दाल चना की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
21.		90*	व्योमस्थ टंकियों का दोषपूर्ण निर्माण
22.	1992 की संख्या 8	7*	ओ जी लाइट वेट शीट ग्राउन्ड की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय
23.		12	कम्प्यूटर की अधिप्राप्ति
24.		18*	अवमानक टिम्बर साफ्ट वुड की आपूर्ति
25.		20*	एक आयुध डिपो में अवमानक सामानों की अधिप्राप्ति
26.		28*	उपयोग न किए जा रहे रक्षा टैंकों के रखरखाव प्रभारों का परिहार्य भुगतान

27.		58	आवश्यकता से अधिक भण्डारों की अधिप्राप्ति
28.		67*	बी पी आई के निर्माण में विलम्ब
29.		72*	भण्डारण आवास के निर्माण में विलम्ब
30.		81*	एक छावनी बोर्ड को सेवा प्रभारों का भुगतान
31.		91*	पता न लग रही/गुम हुई फर्नीचर की मदों की जाँच में विलम्ब
32.	1992 की संख्या 13	भाग I	अन्यश्रेणियों की भर्ती
33.		भाग II	अन्यश्रेणियों का प्रशिक्षण
34.	1992 की संख्या 14	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	आर्मी बेस कार्यशालाएं
35.	1993 की संख्या 8	7	आवंटन पत्रों के जारी करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
36.		13*	एक राड़ार के विकास पर निष्फल व्यय
37.		15*	परिसम्पत्तियों का अनुपयोग
38.		16	रबड़ बुशों की अधिप्राप्ति
39.		19*	जाँच न्यायालय कार्रवाई
40.		23*	अवमानक सामानों की अधिप्राप्ति
41.		25*	टारगेट स्लीवज का अधिकता में रखना
42.		29*	पर्वतारोहण उपस्कर और क्रीड़ा मदों का आयात
43.		31*	संरोध प्रभारों का परिहार्य भुगतान

44.		33*	एक एक्सचेंज के किराए के कारण अतिरिक्त व्यय
45.		68*	एक नौसेना वायु स्टेशन के लिए सिविल कार्य
46.		69*	एक कम्प्यूटर केन्द्र हेतु सृजित परिसम्पत्तियों का अनुपयोग
47.		71* मामला II	चार दीवारों का अनियमित प्रावधान
48.		74* मामला II	प्रशिक्षण शेडों का प्रावधान
49.		75*	वित्तीय सहमति प्रदान करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
50.		80*	अधिकारियों के लिए संस्थान/अराजपत्रित अधिकारियों के लिए क्लब का निर्माण
51.	1994 की संख्या 8	10*	राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय की स्थापना
52.		17*	एक दोषपूर्ण उपस्कर का आयात
53.		18*	एक संयंत्र का चालू न होना
54.		23*	सीमा-शुल्क का परिहार्य भुगतान
55.		64*	कार्य के रूपांकन एवं निष्पादन में अपर्याप्तता के कारण निष्फल व्यय
56.		65*	अनुचित नियोजन ओर अवमानक निष्पादन के कारण परिसम्पत्तियों का अनुपयोग
57.		66*	तरणताल पर निष्फल व्यय

58.		67*	विवाहितों के लिए आवास का निर्माण एवं उसका पुनर्विनियोजन
59.		68*	जल आपूर्ति योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
60.		70*	बिना संस्वीकृति लिए खरीदे हुए सामानों का अनुपयोग
61.		71*	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को परिहार्य भुगतान
62.		72*	एक मद की ऊँची दर पर अधिप्राप्ति
63.		73*	संशोधित आंकलन के सामयिक प्रस्तुतिकरण में विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय
64.		76*	एक आर्मी पब्लिक स्कूल की स्थापना
65.		78*	विद्युत प्रभारों की कम वसूली
66.		80*	दोषपूर्ण निर्माण के कारण एक सम्पत्ति का अनुपयोग
67.		82*	बाह्य विद्युतिकरण और जल आपूर्ति कार्य के पूर्ण न होने के कारण राजस्व की हानि
68.		85*	दोषपूर्ण ग्रेवेन्ट वेन्टीलेशन प्रणाली का प्रावधान
69.	1995 की संख्या 8	9*	न्यायालयों में पड़ी हुई सुरक्षा जमा की असमायोजित राशि
70.		12*	रक्षा आपूर्ति विभाग की कार्य प्रणाली
71.		13*	आयातित दोषपूर्ण गोलाबारूद की मरम्मत में देरी

72.	16*	सेना के अधिकारियों के दैनिक भत्ते का अनधिकृत भुगतान
73.	17*	राड़ार का आयात
74.	18*	गेहूं की पिसाई में अनुमति न होने योग्य क्षय के कारण हानि
75.	22*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ
76.	23*	'बी' गाड़ियों का उपयोग, निर्गमन और मरम्मत
77.	24*	दोषपूर्ण बैरलों का आयात
78.	29	दोषपूर्ण पैराशूट का निर्माण
79.	30	पैराशूटों का अनुपयोग
80	34*	रूफ ट्रॅफ की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय
81.	36*	निधि का अवरोधन
82.	75*	अधिक भुगतान किए गए उर्जा प्रभारों की वसूली न होना
83.	77*	संविदा के कार्यान्वयन में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय
84.	80*	दोषपूर्ण निर्माण कार्य का निष्पादन एवं भुगतान
85.	81*	परिसम्पत्तियों का न्यून उपयोग
86.	83*	भार उल्लंघन प्रभारों/दंडाधिभारो का परिहार्य
	मामला II	भुगतान

87.		84*	दोषपूर्ण निर्माण के कारण अतिरिक्त परिहार्य भुगतान
88.		85*	पारिवारिक आवास के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण आवास को परिहार्य भाड़े पर लेना
89.		86*	स्वचालित अग्निशमन प्रणाली का चालू न होना
90.		87*	एक ओवरहैड पानी के टैंक का गिर जाना
91		88*	छः अनुसंधान एवं विकास स्थापनाओं में श्रम शक्ति, उपकरण और सामग्री प्रबन्ध की पुनरीक्षा
92.	1996 की संख्या 8	6	सरकारी संस्वीकृति के बिना किया गया व्यय
93.		7	लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटारा न होना
94		8	आयातित भंडारों की प्राप्ति का सत्यापन न होना
95		11*	सिम्युलेटरों की अधिप्राप्ति में विलम्ब
96.		12	आयातित गोलाबारूद की मरम्मत में असामान्य विलम्ब
97.		14*	वैद्यता के दौरान प्रस्तावित मूल्य स्वीकार न करने के कारण अतिरिक्त व्यय
98.		18	आदेश देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
99.		19*	टैन्साइल टेस्टर का अविवेकपूर्ण आयात
100.		20	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

101.	21*	थलसेना अधिकारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण
102.	22*	वाहनों को किराए पर लेना
103.	24*	टायरों की अनौचित्यपूर्ण अधिप्राप्ति पर व्यर्थ व्यय
104.	25	आरूढ़ तिपाइयों की परिहार्य अधिप्राप्ति
105.	26	प्रक्रियागत कमियों के कारण हानि
106.	27*	डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव शंटर का अनुपयोग
107.	28*	तेल की उपयोगिता अवधि समाप्त होने से हानि
108.	29*	एक आयातित उपस्कर का अनुपयोग
109.	63*	योजना के अभाव में निरर्थक व्यय
110.	64*	विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान
111.	67*	लेखापरीक्षा के बताए जाने पर बचतें
112.	68	नाविकों के लिए विवाहित आवासों के निर्माण में विलम्ब
113.	69*	एक पब्लिक स्कूल पर अनियमित व्यय
114.	70*	उच्च शक्ति के निम्नस्तरीय सीमेन्ट की आपूर्ति
115.	71*	अवमानक सड़क का निर्माण
116.	73*	एक फर्म को अधिक भुगतान

117.	74*	एकल आवास के फालतू प्रावधान करने से परिहार्य व्यय
118.	75*	स्कवैश कोर्ट का अनाधिकृत निर्माण
119.	76*	हाफ ट्रेक मल्टिरोल व्हीकल के डिजाइन एवं विकास पर निष्फल व्यय
120.	77*	निधियाँ अवरुद्ध रहना एवं एक परियोजना के लागू करने में विलम्ब

---

* **अन्तिम ए टी एन प्रतीक्षित हैं**

परिशिष्ट - II

प्रतीक्षित ए टी एन की स्थिति

क्रम संख्या	भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1.	1997 की संख्या 7	7	नियमितीकरण हेतु बकाया हानियाँ
2.		8	बकाया दावे/लेनदारियाँ
3.		9*	वाहनों का अनुपयोग
4.		10	दोषी फर्मों से सामान्य क्षतियों की वसूली न होना
5.		11*	इन्जनों की अनावश्यक अधिप्राप्ति
6.		12*	स्टील पेटियों का अधिक प्रावधान
7.		13	नवगठित प्लाटूनों के बाहर भेजने में विलम्ब
8.		14	आयातित उपस्कर के गलत प्रेषण के कारण हानि
9.		15	वाहन के लिए सीटों और गद्दियों का अधिक प्रावधान
10.		16	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई
11.		17*	चिकित्सा भंडारों एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति और उपयोग
12.		19	दोषपूर्ण बारूदी सुरंगें

13.	20*	निधियों को व्ययगत होने से बचाने के लिए आई ओ सी को अनियमित भुगतान
14.	21	फ्यूजों में कॉपर अज़ाइड बनने के कारण हानि
15	22*	अग्निशमन उपायों के अभाव के कारण हानि
16.	23*	क्षति प्रभारों पर परिहार्य व्यय
17.	24	एक फर्म के प्रति अनावश्यक पक्षपात
18.	25	फोर्कलिफ्टों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति
19.	26	दोषपूर्ण स्टेयरिंग असैम्बलियों की अधिप्राप्ति
20.	27	रेलवे से दावों की वसूली न होना
21.	28	एक आर्मी बेस वर्कशॉप में श्रमशक्ति का कम उपयोग
22.	29	पोर्टेबल स्टील बिनों की अधिप्राप्ति में विलम्ब
23.	30	रोड व्हील पर पुनः रबर चढ़ाने पर व्यर्थ व्यय
24.	31*	एक आयातित मशीन का अनुपयोग
25.	32	प्रभारों का अनियमित भुगतान
26.	33	वाहनों के गलत प्रेषण के कारण हानि
27.	69	ब्लास्ट पैनों एवं टैक्सी पथ का दोषपूर्ण निर्माण

28.	70	कार्य विलम्ब से पूर्ण होने के कारण निष्फल व्यय
29.	71*	अनियमित लेखांकन के कारण हानि
30.	72	वित्तीय सहमति देने में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि
31.	73	असामान्य विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
32.	74	एक चार दीवारी का परिहार्य निर्माण
33.	75	निर्धारित से अधिक विशिष्टताओं के ढलवाँ लोहे के पाइपों की अधिप्राप्ति पर अनाधिकृत व्यय
34.	76	अधिक निर्गमित विभागीय भंडारों की बावत ठेकेदारों से वसूली न होना
35.	77	एक तरणताल का अनुपयोग
36.	78	एक दोषी ठेकेदार से अतिरिक्त व्यय की वसूली न होना
37.	79*	दोषपूर्ण योजना के कारण परिसम्पत्तियों का अनुपयोग
38.	80*	विद्युतभार उल्लंघन प्रभारों का परिहार्य भुगतान
39.	81	एक निम्न स्तर के कार्य का निष्पादन
40.	82*	एक तापन प्रणाली का चालू न होना
41.	83*	भूमि के अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय

---

* **अन्तिम ए टी एन प्रतीक्षित है**

परिशिष्ट - III

पैराग्राफ जिन पर ए टी एन/अन्तिम ए टी एन प्रतीक्षित थे

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या एवं वर्ष	क्रम संख्या	पैराग्राफ संख्या	विषय	टिप्पणी
1990 की प्रतिवेदन संख्या 12	1	51	आयुध एवं आयुध उपस्कर फैक्टरियों में सामग्री प्रबन्धन	ए टी एन प्राप्त ही नहीं हुआ
तदैव	2	58	एविएशन गन और इसके गोलाबारूद का उत्पादनीकरण	तदैव
तदैव	3	50	आयुध एवं वस्त्र फैक्टरी का निष्पादन	अन्तिम ए टी एन प्रतीक्षित है
तदैव	4	60	भावी आवश्यकता के बिना क्षमता में विस्तार	तदैव
तदैव	5	66	फील्डगन गोलाबारूद का उत्पादन	तदैव
तदैव	6	89	बोगी प्रकार की भट्टी की आपूर्ति	तदैव
1991 की प्रतिवेदन संख्या 8	1	24	एक गोलाबारूद का देशज उत्पादन	तदैव
तदैव	2	25	ग्रे आयरन फाउन्ड्री, जबलपुर का कार्य निष्पादन	तदैव
तदैव	3	32	औपचारिक माँग पत्र के बिना उत्पादन कार्रवाई	तदैव
तदैव	4	36	कारतूस खोलों में परिशोधन	तदैव
तदैव	5	49	ट्रेक्टर्स की अनावश्यक अधिप्राप्ति	तदैव
तदैव	6	51	महंगी दरों पर क्रय	तदैव
तदैव	7	53	क्रेता की विकल्प धारा के बिना क्रय करना एवं इसके परिणामस्वरूप दर लाभ की हानि	तदैव
तदैव	8	59	प्रचालन निर्देशों का उल्लंघन	तदैव
तदैव	9	65	अम्ल भंडारण टंकियों की समयापूर्व विफलता	तदैव
तदैव	10	68	निरस्तीकरण के कारण हानि	तदैव
तदैव	11	69	प्रमाण के अभाव में दावे को छोड़ना	तदैव
तदैव	12	70	सीमा शुल्क का अधिक भुगतान	तदै
तदैव	13	72	राजस्व की हानि	तदैव

1993 की प्रतिवेदन संख्या 8	1	52	सेवा से निकाले जा चुके एक गोलाबारूद के लिए कन्टेनरों की अधिप्राप्ति	अन्तिम ए टी एन प्रतीक्षित है
तदैव	2	54	सही उपकरण अधिप्राप्त न करने के कारण भंडारों का अनुपयोग	तदैव
1994 की प्रतिवेदन संख्या 8	1	30	एक बम्ब के खाली खोलों के लिए आदेश का अल्पसमापन	तदैव
तदैव	2	31	एक आदेश का अल्पसमापन	तदैव
तदैव	3	33	उत्पादन कार्यक्रम में अनियोजित कमी निधियों का अवरुद्ध होना	तदैव
तदैव	4	38	एक मद का अनुमोदन प्राप्त किए बिना आदेश प्रस्तुत करने के कारण निष्फल व्यय	तदैव
तदैव	5	49	रोबोटिक वेल्डिंग स्टेशन की अधिप्राप्ति	तदैव
तदैव	6	50	दोषपूर्ण परीक्षण मशीन की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय	तदैव
1995 की प्रतिवेदन संख्या 8	1	40	भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली (भा ल श प्र) - पुनरीक्षा	तदैव
	2	46	अस्वीकरण व उत्पादन के हस्तांतरण के कारण हानि	तदैव
	3	47	आदेशों के अल्प समापन के कारण पूंजी अवरुद्ध होना	तदैव
	4	50	प्रूफ परीक्षण के दौरान असामान्य अस्वीकरण	तदैव
	5	55	उत्पादन में हुई हानि को छुपाना	तदैव
	6	56	अस्वीकृत हुए आयातित भण्डारों का पड़े रहना	तदैव
	7	57	अधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण उत्पादन की हानि	तदैव
	8	59	सहयोगी फैक्टरी से अधिप्राप्त भंडारों का दीर्घकालीन भंडारण के कारण अस्वीकृत किया जाना	तदैव

	9	62	एक मशीन को चालू करने में अनुत्पादक निवेश	तदैव
	10	66	आग के कारण भंडारों की हानि	तदैव
	11	67	एक विदेशी फर्म को अवांछित लाभ	तदैव
	12	68	स्टॉक में खाली गोलों की भारी कमी	तदैव
	13	69	जैरिकनों की कमी	तदैव
	14	43	एक राइफल के उत्पादन में विफलता के कारण हानि	तदैव
	15	61	अनुपयुक्त पड़े हुए दोषपूर्ण उपस्कर	ए टी एन प्राप्त ही नहीं हुआ
1996 की प्रतिवेदन संख्या 8	1	30	आयुध फैक्टरी संगठन का कार्य	ए टी एन पहली बार भी प्राप्त नहीं हुआ
	2	31	आर्टिलरी प्रशिक्षण गोलाबारूद का उत्पादन	तदैव
	3	32	आयुध फैक्टरी संगठन में कम्प्यूटरीकरण	तदैव
	4	33	आदेशों के निरस्त होने के कारण भंडार सूची आधिक्य	चर्चा हेतु पी ए सी द्वारा चुना गया
	5	34	प्रश्नास्पद व्यय	ए टी एन पहली बार भी प्राप्त नहीं हुआ
	6	35	प्रयोक्ता की आवश्यकता में परिवर्तन के कारण वित्तीय अतिप्रभाव	तदैव
	7	36	देशज इस्पात शीट के कारण हानि	तदैव
	8	37	दोषपूर्ण गढ़तों के कारण हानि	तदैव
	9	38	विकास सार निर्गमित हुए बिना ही डेटोनेटर्स का थोक उत्पादन	तदैव
	10	39	दोषपूर्ण गोलाबारूद का उत्पादन	चर्चा हेतु पी ए सी द्वारा चुना गया
	11	40	बैरल गढ़तों के अस्वीकरण के कारण हानि	ए टी एन पहली बार भी प्राप्त नहीं हुआ
	12	41	बमों का अस्वीकरण	तदैव
	13	42	औपचारिक आदेश की प्रत्याशा में उत्पादन	तदैव
	14	43	गोलों का दोषपूर्ण उत्पादन	तदैव
	15	44	परिहार्य अस्वीकरण	तदैव

	16	45	कॉपर क्रशर सिलिन्डर का अविवेकपूर्ण आयात	तदैव
	17	47	एक गोलाबारूद असैम्बली का निष्क्रिय पड़े रहना	तदैव
	18	48	दोषों का परिशोधन पर अतिरिक्त व्यय	तदैव
	19	49	संयंत्र का कम उपयोग	तदैव
	20	50	अनुत्पादक निवेश	तदैव
	21	51	आयातित परीक्षण उपस्कर का चालू न होना	तदैव
	22	53	एक आयातित मशीन का अनुपयोग	तदैव
	23	54	खाली शॉटस का अस्वीकरण	तदैव
	24	55	स्टॉक में भंडार की हानि	तदैव
	25	56	प्रूफ परीक्षण में एक गोलाबारूद की अधिक खपत	तदैव
	26	57	पिग आयरन की कमी	तदैव
	27	58	ऊर्जा कर का परिहार्य भुगतान	तदैव
	28	59	एक तरणताल का परिहार्य निर्माण	तदैव
	29	62	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	तदैव

परिशिष्ट - IV

1997 की प्रतिवेदन संख्या 7 के अन्तर्गत निर्गमित लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण जिनके बारे में रक्षा मंत्रालय से ए टी एन अभी प्राप्त होना है

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष एवं संख्या	क्रम संख्या	पैराग्राफ संख्या	विषय	टिप्पणी
1997 की प्रतिवेदन संख्या 7	1	34	आयुध फैक्टरी संगठन का कार्य	ए टी एन पहली बार भी प्राप्त नहीं हुआ
तदैव	2	35	इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहन	तदैव
	3	36	फालतू भंडार सूची	तदैव
	4	37	खोखों का निष्फल उत्पादन	तदैव
	5	38	फ्यूज़ के उत्पादन पर अनुत्पादक व्यय	तदैव
	6	39	गढ़ाई क्षमता का कम उपयोग	तदैव
	7	40	भंडारों का बेकार पड़े रहना	तदैव
	8	41	5.56 मिलीमीटर राइफल के थोक उत्पादन के लिए समयापूर्व अनुमति	तदैव
	9	42	एक गोलाबारूद के प्रोपेलेन्ट में परिवर्तन के कारण निष्फल व्यय	तदैव
	10	43	खराब बारूद के प्रयोग के कारण गोलाबारूद का अस्वीकरण	तदैव
	11	44	दोषपूर्ण निर्माण के कारण हानि	तदैव
	12	45	साँचों का असामान्य अस्वीकरण	तदैव
	13	46	पीतल के कारतूस खोकों का अस्वीकरण	तदैव
	14	47	टैंकोमीटरों की अनुचित अधिप्राप्ति	तदैव
	15	48	विशिष्टताओं को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण फालतू भंडार सूची	तदैव

	16	49	आदेश में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय	तदैव
	17	50	वाष्प चैस्टों हेतु अविवेकपूर्ण माँग रखना	तदैव
	18	52	निकल की बार-बार अधिप्राप्तियों के कारण अतिरिक्त व्यय	तदैव
	19	54	तापानुशीतन एवं पिकलिंग संयंत्र की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति	तदैव
	20	55	आवश्यक सामान के बिना मशीन का परीक्षण	तदैव
	21	56	डीजल शंटर का अनुपयोग	तदैव
	22	57	दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त व्यय	तदैव
	23	58	प्राप्ति प्रक्रिया का पालन न करना	तदैव
	24	59	पीतल के खोलों की कमी	तदैव
	25	60	अल्यूमीनियम मिश्रधातु के ढलवा बनाने पर परिहार्य व्यय	तदैव
	26	61	निर्यात आदेश में हानि	तदैव
	27	62	बिना उपयोग हुए बिन कार्ड में शेष का घटना	तदैव
	28	63	वित्तीय प्रतिप्रभाव	तदैव
	29	64	सिविल व्यापार में हानि	तदैव
	30	65	पंचाट द्वारा निर्णीत राशि की वसूली न होना	तदैव
	31	66	भंडारों की हानि का प्रश्नास्पद नियमितीकरण	तदैव
	32	67	अस्वीकृत गोलाबारूद को कार्य-प्रगति-पर में वर्गीकृत करना	तदैव
	33	68	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	तदैव

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 40 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	स्टेशन	अवधि	अतिरिक्त व्यय रुपए
1.	वेलिंगटन	10/92 से 4/97	4,43,520.00
2.	चेन्नई	2/88 से 4/97	4,88,130.00
3.	हेब्बल, बैंगलोर	1/85 से 4/97	66,82,948.80
4.	आवडी	1/84 से 4/97	21,27,086.00
5.	जलहल्ली	12/87 से 7/97	19,08,361.20
6.	उधमपुर	6/89 से 4/97	1,46,77,365.00
7.	सतवाड़ी	11/89 से 4/97	15,69,561.60
8.	पठानकोट	5/90 से 4/97	33,82,596.60
9.	अखनूर	4/93 से 4/97	8,97,710.40
10.	साम्भा	12/92 से 4/97	25,77,660.00
11.	दिल्ली कैन्ट	9/89 से 4/97	43,20,068.40
12.	पुणे	12/94 से 4/97	1,01,152.80
13.	मेरठ	4/94 से 7/97	1,30,29,411.90

14.	आगरा	2/94 से 7/97	79,49,859.20
15.	ग्वालियर	8/87 से 7/97	89,43,590.40
16.	देहरादून	9/86 से 6/96	1,60,08,818.60
	क्लेमेनटाउन	9/86 से 3/95	47,44,779.00
17.	बागडोगरा	3/87 से 3/97	20,40,499.80
18.	छम्बुआ	10/91 से 3/97	20,75,973.90
19.	सिल्चर	4/89 से 3/97	13,63,181.40
20.	जोरहाट	5/92 से 3/97	1,81,992.00
21.	पटियाला	9/89 से 4/97	14,85,993.60
22.	अमृतसर	4/88 से 4/97	95,91,739.20
23.	चण्डीगढ़	4/94 से 4/97	69,63,291.00
24.	आदमपुर	10/86 से 4/97	24,44,619.10
25.	जबलपुर	1/94 से 4/97	74,05,470.90
26.	बबीना	1/93 से 4/97	26,88,120.00
			12,60,93,500.80

रुपए 12.61 करोड़ कहें

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 41 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	स्टेशन मुख्यालय का नाम	वर्ष 1996-97 के लिए सफाईवालों एवं पर्यवेक्षी कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों की राशि (लाख रुपए में)
1.	मद्रास	35.68
2.	अहमदनगर	12.15
3.	अहमदाबाद	1.22
4.	औरंगाबाद	6.51
5.	सिकन्दराबाद	27.41
6.	देउलाली	29.27
7.	खड़की	22.52
8.	श्रीनगर	49.04
9.	जम्मू	43.94
10.	अमृतसर	52.64
11.	फिरोज़पुर	102.02 भुगतान पंजी स्टेशन मास्टर के पास
12.	जालंधर	110.00
13.	कानपुर	32.29

14.	लखनऊ	104.62
15.	बैरकपुर	29.96
16.	शिलांग	30.03
17.	दानापुर	13.82
18.	महु	53.95
19.	मेरठ कैन्ट	42.98
20.	आगरा	71.62
21.	मुरार ग्वालियर	13.06
	कुल	884.73
	घटाएं स्टेशन मुख्यालय फिरोज़पुर की रकम क्योंकि भुगतान पंजी उनके पास थी	(-)102.02
		782.71